

वीकानेर का राजनीतिक विकास और

परिचित मघाराम वैद्य

सम्पादक :—

इन्द्री के यशस्वी लेखक और पत्रकार

श्री सत्यदेव विद्यालंकार

मूल्य २।।)

ढाक से २।।।-)

मुद्रकः—

इन्द्रप्रस्थ प्रिंटिंग प्रेस,
कबीरसरोद, दिल्ली ।

—: प्रकाशक :—

रामनारायण शर्मा

आजाद रोड के बाहर, बीकानेर.

पुस्तक मिलने का पता]

मारवाड़ी पब्लिकेशन्स

४० ए, हनुमान रोड, नई दिल्ली.

पहिला संस्करण

जून १९४७.

(दूसरा संस्करण भी शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है ।)

• के प्रकाशन का सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है ।

बीकानेर की जन-जागृति
का
बीजारोपण करने वाले
वायू मुक्ताप्रसाद जी वकील
को
श्रद्धा के साथ समर्पित

सहायक

उदारचेता

सेठ मगनमल जी पारख

कोचरो की गल्ली

बीकानेर

ने

प्रकाशने में सराहनीय सहायता

प्रदान की है ।

दो शब्द

ब्रिटिश भारत की तुलना में देशी राज्य और देशी राज्यों की तुलना में राजपूताना जितना पिछड़ा हुआ है, उतना ही राजपूताना की तुलना में बीकानेर पिछड़ा हुआ है। बीकानेर का राज्य और जनता भी अभी भारत से एक-डेढ़ सदी पीछे हैं। बीकानेर के महाराज अपने को आधुनिक युग के समान प्रगतिशील बताते हुए समय-समय पर जो झन्डे-चीरे बहाल्य देते रहते हैं, उनकी कसौटी पर उनका अपना राज्य किसी भी अंश में पूरा नहीं उतरता। अपने विचारों के बाँचे में अपने राज्य और अपनी शासन-व्यवस्था को महाराज ने दाखले का खत नहीं किया। प्रजा का संगठन एवं आंदोलन भी प्रायः निष्प्राण है। पोढ़ी-बहुत जागृति इन दिनों में जो दोख पड़ती है, उसके पीछे जागृत जनता की खेतना का प्रायः अभाव है। इसीलिए उसका राज्य पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। प्रजा परिषद् का संगठन कई बार किया गया और उसकी ओर से कई छोटे-मोटे संघर्ष एवं आंदोलन हुये। लेकिन, कोई राजन्यायी संघर्ष या आंदोलन छेड़ने की सामर्थ्य प्रजा परिषद् में पैदा नहीं हो सकी। 'राजनीतिक जागृति' अथवा 'राजनीतिक जीवन' नाम की चीज का जन्म अभी बीकानेर में नहीं हो सका है। बीकानेर के राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इस दिशा में विशेष प्रयत्न करना होगा। उनको अपने कार्य का धीगणेश प्रायः प्रारम्भ से ही करना चाहिये।

राजनीतिक जीवन एवं जागृति पैदा करने के लिये 'साहित्य' अथवा 'प्रकाशन' एक बड़ा साधन है। जिस राज्य में भाषण, लेखन एवं संगठन के मौखिक अधिकार भी प्रजा को प्राप्त नहीं हैं, उसमें 'साहित्य' के प्रकाशन का काम हो नहीं सकता। इसलिये बीकानेर के

जन-सेवकों को उन देशभक्तों के मार्ग को अपनाना चाहिये, जिन्होंने अपने राष्ट्र से निर्वासित रह कर अपने राष्ट्र के लिए जन-जागृति का काम किया है। राज्य की ओर से जिस कठोर दमन एवं अन्धाधुन्व निर्वासन की निन्दनीय दुर्नीति से काम लिया गया है, उसको देखते हुये बीकानेर के निर्वासित जन-सेवकों के लिए इस मार्ग को अपनाना और भी सहज एवं आवश्यक था। लेकिन, उन्होंने इस मार्ग को अपनाना नहीं। वे इटली के गैरीवाल्डी, फ्रांस के मार्शल लफायेटे, फिलिपोक्स के जनरल डगिनारडो, रूस के मोशियो लैनिन और अपने ही देश के महान् क्रांतिकारी नेता परम देशभक्त श्री सुभाषचन्द्र बोस को अपने जीवन का आदर्श नहीं बना सके। उन्होंने 'साहित्य' की गोलाशरी की बीकानेर पर वर्षा नहीं की। १९३२-३३ के राजद्रोह के मुकद्दमे के दिनों में थोड़ा-सा प्रयत्न इस दिशा में किया गया था। लेकिन, वह संगठित न था। केवल दो-एक पुस्तिकाएँ प्रकाशित हुईं। लंदन में पार्लमेंट के सदस्यों में भी कुछ साहित्य बांटा गया था। इसी प्रकार इधर भी अजमेर में बीकानेर प्रजापरिषद् का कार्यालय कायम करके कुछ साहित्य प्रकाशित किया गया था। लेकिन, जन-जागृति और आंदोलन की दृष्टि से, वह इतना उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ। बीकानेर की जनता के लिए अंग्रेजी में प्रकाशित साहित्य का क्या प्रयोजन था ?

बीकानेर के जन-नायकों से इस बारे में अनेक बार चर्चा हुई। १९३२-३३ में बीकानेर-व्यङ्ग्य के मुकद्दमे के सम्बन्ध में प्रकाशित पुस्तिका की छोटी-सी भूमिका छिलने के समय से बीकानेर के सम्बन्ध में कुछ साहित्य छिलने का मेरा विचार था। भाई सत्यनारायण जी सराफ से दिल्ली और हिमाचल में भी विचार-विनिमय हुआ। अमोहर में भी एक बार कुछ साधियों के साथ चर्चा और विचार हुआ था। निर्वासित अवस्था में भी रघुवरदासजी गोयल से मैंने कुछ छिल देने का बार-बार आग्रहपूर्ण अनुरोध किया। प्रजापरिषद् के अन्य

कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा हुई। लेकिन, कुछ लिख सकने के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त न हो सकी। दो वर्ष हुए दुधवास्तारा-काण्ड के सिद्धसिले में वैद्य मधारामजी दिल्ली घाये हुए थे। वैद्यजी के साथ यह तय हुआ कि बीकानेर राज्य का दौरा करके सारी सामग्री जुटाई जाए और कुछ जिला जाय। बीकानेर खौंटने पर वे गिरफ्तार कर लिये गये और यह विचार जहाँ का तहाँ रह गया। इसके बाद गत वर्ष रायसिंहनगर के श्री रामचन्द्रजी जैन वकील से परिचय हुआ। आपने बीकानेर के सम्बन्ध में एक पुस्तक जिल्लकर प्रकाशन के लिए दे दी। अपने मित्रों में आपने उसकी सैंकड़ों प्रतिबां विक्रवाने का भी प्रबन्ध कर लिया। लेकिन, वह पुस्तक भी प्रकाशित न हो सकी। वैद्य मधारामजी जेल से छूटते ही दिल्ली भा पहुँचे और बीकानेर के सम्बन्ध में एक पुस्तक प्रकाशित करने का निरचय कर के वापिस बीकानेर गये।, बेटे-दो मास में वे सारी सामग्री जुटा छाये। उसको मैंने देखा। भाई रामचन्द्रजी जैन की हस्तलिखित पुस्तक की सामग्री के साथ उसको मिलाकर एक पुस्तक तैयार करने का भार वैद्यजी ने मुझ पर डाल दिया।

जैय मणारामजी बीकानेर के एक लड़े और मंते हुए लोकसेवक हैं। बीकानेर की सरकार ने आपको पुलिस की नौकरी से अलग किया हुआ बताकर बदनाम करने का प्रयत्न किया। लेकिन, अपनी सेवा, त्याग और कष्टसहन से आपने बीकानेर के लोगों में अपना स्थान बना लिया है। कलकत्ता में भी आपने लोकसेवा करते हुए काफी यश सम्पादन किया था। बीकानेर में किसानों में आपने अच्छा काम किया है और दुधवास्तारा की समस्या को अपनी समस्या बनाकर आपने उसके लिए कष्ट भी खूब उठाया है। जेल में आपके साथ अत्यन्त निर्दय और नृशंस व्यवहार हुआ। आपकी वृद्धा माता, बहन, भाई आदि सब आपके ही रंग में रंगे हुए हैं। पुस्तक के दूसरे भाग में वह सारी कहानी विस्तार के साथ दी गई है। पुस्तक का पहिला भाग

भाई रामचन्द्र जी जैन की हस्तलिखित पुस्तक के आधार पर तैयार किया गया है। यह सारी सामग्री उनकी ही जुटाई हुई थी। बाबू अभी अभी ८-१ मास जेल में बिताने के बाद रिहा हुए हैं। रायसिंह नगर में हुये उस सम्मेलन में आपका प्रमुख हाथ था, जो उस समय के मौलीकाण्ड तथा उसमें शहीद हुए वीरबलसिंह के कारण बीकानेर के इतिहास में विरस्मरणीय हो गया है। आप एक होनहार व इतनाही लोकसेवक हैं। पुनः के पत्रके और जगन के सच्चे हैं। आपसे बीकानेर को बहुत आशाएँ हैं। आप बीकानेर राज्य प्रजा परिषद के इस समय प्रधान कार्यकर्ता हैं।

प्रस्तुत पुस्तक फिर भी जैसी चाहिये थी, वैसी नहीं बन सकी। अपनी सारी कमियों और त्रुटियों के साथ भी बीकानेर की जन-जगति के सम्बन्ध में लिखी गई यह पहली पुस्तक है। यह आशा रखनी चाहिये कि इसके बाद लिखी जाने वाली पुस्तकों में इसकी कमियाँ या त्रुटियाँ सधेया दूर कर दी जायेंगी। यह पुस्तक इस दिशा में किये जाने वाले साहित्य के लिये पथ-प्रदर्शन का काम करेगी। 'नवभारत' के सहायक सम्पादक श्री प्रेमनाथजी चतुर्वेदी ने इसका दूसरा भाग तथा अतिरिक्त भाग लिखने, सारे प्रकृत पढ़ने और पुस्तक का ढाँचा ठीक करने में सराहनीय हाथ बढाया है। उनका आभार मानना आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त समय पर अधिक सामग्री न मिलने से पुस्तक के कुछ हिस्सों में सामयिक सामग्री और सामयिक आँकड़े नहीं दिए जा सके। उदाहरण के लिये पहिले अध्याय के भाग ८ में बजट की चर्चा करते हुये पुराने आँकड़े दिये गये हैं। उस भाग के छप जाने के बाद में बीकानेर की धारा-मन्त्र के मार्च १९४० के बजट अधिवेशन की तयवाही देखने को मिली, जिसमें १९४०-४८ का बजट पेश किया जा था। अर्थमंत्री कर्नल श्री महाराज नारायणसिंहजी के बजट-के कुछ चर्चा भी देखने को मिले। अर्थ-मंत्री ने १९४४-४६ के

बजट की तुलना वर्तमान बजट से करते हुये कहा है कि "ईरवर को धन्यवाद है कि वर्षा अच्छी होने, गंगा नहर से पर्याप्त पानी मिलने और किसान के सुशुद्ध होने से बजट की सभी मदोंमें अनुमान से कहीं अधिक आमदनी हुई।" लगातार ८ लाख का घाटा इस प्रकार पूरा हो गया। इससे यह स्पष्ट है कि राज्य की आमदनी का मुख्य आधार किसान है। लेकिन, राज्य की आमदनी से कोई विशेष लाभ किसान को नहीं मिलता। १९४७-४८ के बजट में राज्य की कुल आमदनी ३,१६,२२,८६१ रुपये कूती गई है। खर्च कूता गया है ३,१७,६३,१९० रुपये। बचत १,२६,७६१ रुपया बचाई गई है। राष्ट्र-निर्माणके लिये २० लाख रुपया अलग रखा गया है, जो प्रधानतः रेलवे विभाग पर पांच वर्षों में खर्च किया जायगा। वह भी इसलिये कि राज्य की आमदनी का प्रमान साधन रेलवे है। लगभग एक तिहाई आमदनी (२० लाख के करीब) केवल रेलवे से पैदा की जाती है।

१९४६-४९ के बजटके अन्तिम आंकड़े, जान पड़ता है कि तैयार नहीं हो सके। इसलिये अर्थ मन्त्री ने तुलना के लिये १९४४-४६ के बजट की संख्याएँ ली हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि १९४९ के केवल सितम्बर तक के आंकड़े प्राप्त हैं। १९४६-४९ का बजट घाटे का था। ७,६६,२२९ के घाटेका अनुमान लगाया गया था। लेकिन, उसमें घाटा रहने की संभावना नहीं रही। आमदनी बढ़ गई और सामान तथा मशूरों के उपखर्च न होने से जनहित के कार्यों के लिये रकम हुई रकम खर्च नहीं हो सकी। जनहित के कार्यों पर नियत रकम भी खर्च न किये जाने का यह बहाना कई वर्षों से निरन्तर पेश किया जा रहा है। अगले वर्ष के लिए भी इसको पेश कर दिया गया है और इन कार्यों के लिए नियत १७ लाख की रकम इस वर्ष के बजट में नहीं रखी गई है। लेकिन, रेलवे और बिजली विभाग को बढ़ाने में ऐसी कोई बाधा पेश न आयेगी। जिज्ञा में बिजली पहुँचाने, ट्रंक टेलीफोन लगाने और रेडियो स्टेशन बनाने के लिये तो सारा सामान भारत सरकार से खरीद

२,०३,२३६, ग्रामोद्योग ३६०८४, जल-व्यवस्था ४२,४६४, म्यूनिसिपैलिटी २,००,२७३ । ये संख्यायें अपनी कहानी आप कह रही हैं । इन पर अधिक टीका-टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है । बजट के सम्बन्ध में जो चर्चा यथास्थान की गई है, वह इन संख्याओं पर भी ठीक बैठती है ।

राज्य में जिस दमन नीति से काम लिया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में यहां इतना और लिख देना आवश्यक है कि जब इस पुस्तक का लिखना शुरू किया गया था, तब लगभग १२५ व्यक्ति राजनीतिक कारणों से जेलों में बन्द थे । इस समय भी जून मास के अन्तिम दिनों में लगभग ६० राजबन्दी जेलों में बन्द हैं । श्री माणिकचन्द मुराया और श्री कुम्भाराम जी चौधरी को पिछले ही दिनों में गिरफ्तार किया गया है । राज्यभर में लगभग बारह महीनों से १४४ धारा लगी हुई थी । राजगढ़ में इसके विरुद्ध सत्याग्रह शुरू किया गया था । उसको बन्द कर देने पर सब राजबन्दीयों को रिहा करने का आश्वासन राजकर्मचारियों की ओर से दिया गया था । यह पूरा नहीं किया गया । दमन की नीति से अब तक भी राज्य ने हाथ नहीं खींचा । तिरंगा राष्ट्रीय भंडा केवल प्रजापरिषद् के कार्यक्षेत्रों पर और समाजों में फहराया जा सकता है, अन्य स्थानों पर नहीं । विधान परिषद् में शामिल होकर वाहवाही लूटने वाले महाराज के राज का यह भीतरी चित्र है ।

नये शासन-सुधारों के अनुसार की जाने वाली शासन-व्यवस्था का स्वरूप अभी पूरी तरह सामने नहीं आया । लेकिन, यह स्पष्ट हो गया है कि दो धारासभायें बनाई जा रही हैं । निस्सन्देह, इनके छिप्पे अतिधिकार का क्षेत्र काफी व्यापक रखा गया है और नीचे की धारा सभा में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत भी अर्पण रखा गया है । लेकिन, बीकानेर की जनता की राजनीतिक जागृति और राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए दो धारासभाओं का बनाया जाना

विषय-क्रम

पहिला अध्याय

	दो गद्द	६
भाग १.	भीमसेन	१७
भाग २.	एक नयी कहार	३२
भाग ३.	संधियों का साधारण	४४
भाग ४.	साम्प्रदाय और पूंजीवाद का मेल	६२
भाग ५.	शासन की व्यवस्था	६६
भाग ६.	धारासभा का स्वरूप	७०
भाग ७.	व्यवस्थापक शासन	८४
भाग ८.	संसद का स्वरूप	८६
भाग ९.	सांख्यिक व्यवस्था का अभाव	९६ ग

दूसरा अध्याय

देश-वर्तिकादि	११
---------------	----

तीसरा अध्याय

संघर्षों की स्थापना आदि	१११
-------------------------	-----

चौथा अध्याय

सुव्यवस्था-कार्य आदि	११६
----------------------	-----

पांचवां अध्याय

१.	व्यवस्था के सुझावों की व्यवस्था की देव	१२१
२.	संघर्षों का संघर्ष और संघर्ष व्यवस्था	१२२
३.	संघर्षों का संघर्ष और संघर्ष	१२६
४.	संघर्ष और संघर्ष	१३१
	वर्तिका संख्या १—११	१३८—१४१

बीकानेरी दमन पर

श्री नेहरू जी

“जब से मैं जेल से छूट कर आया हूँ, बीकानेर के बारे में मेरे पास सब से ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। बीकानेर सरकार की तरह से घटनाओं को गलत ढंग से दिखाने की कोशिश की गयी है। मुझे इतमीनान है कि बीकानेर सरकार बिल्कुल गलत रास्ते पर है। वहाँ जाकर जानकारी करने वालों को रोका गया है। मैंने विधान के माइम मिनिस्टर धी पत्रिका को एक पत्र लिखा था, जिस का जवाब मिला। मैंने दूसरा पत्र लिखा, जिस का आज तक कोई जवाब नहीं आया। वहाँ शादी की कुमकुम पत्रिकाएँ राज्य से सेम्स करायी पढ़ी हों, जहाँ पढ़ें की छोट में जनता पर भीषण आघात करने वाले हों, और उनके प्रतिवाद में मनगढ़मत दलीलें दी जाती हों, उस राज्य के शासक इम्मान नहीं हैवान है। आखिर ये जुम-जवादी कब तक चलायेंगे ?” —


इस बद्गात पंडित अवाहरसाह नेहरू ने अखिल भारतीय देही राज्य लोक परिषद के इदरपुर में होने वाले अंतिम दिन के सुबे अधिवेशन में विधानों में होने वाले दमन-सम्बन्धी प्रस्ताव की विवेचना करते हुए व्यक्त किये थे।

पहिला अध्याय

पहिला अध्याय

1913-14

- भाग १—धीगणेश, १. स्वर्गीय ब्रह्माजी का अपमान, २. राम का मुकुटमा, ३. अभियुक्तों का असहयोग, ४. भीषण सः
६. मध्यकाशीन शासन का नमूना, ६. उत्पीड़न और निर्वा
की दुर्भाति, ७. स्वर्गीय श्री मुक्तामसादजी, ८. कसकता
प्रजामसदस्य, ९. १९४२ में बीकानेर में ।
- भाग २—१. एक नवी सहर, २. सुराम्य ब्रह्म स्वराज्य, ३. उत्तर
शासन का आधार, ४. अत्रिय गठबंधन, ५. पोषी घोषणा
६. वर्तमान महाराज की घोषणाएँ ।
- भाग ३—सन्धिषों का साधात्रास्य ।
- भाग ४—सामन्तवाद और पूंजीवाद का मेल ।
- भाग ५—१. शासन की व्यवस्था, २. शासन-सभा, ३. केन्द्र शा
काय, ४. धर्मनिरपेक्षता का बोधदाया, ५. विरहलसोरी का जो
६. शासन की विषय ।
- भाग ६—१. शासनका का स्वरूप, २. शासन-सुधार बंधन,
३. वर्तमान शासनका ।
- भाग ७—१. स्वर्गीय स्वायत्त-शासन, २. अनुविनिश्चय बोर्ड
३. शिक्षा बोर्ड, ४. ग्राम पंचायतें, ५. शासन की व्यवस्था ।
- भाग ८—बजट का स्वरूप ।
- भाग ९—सामाजिक व्यवस्था का अभाव ।



श्री महात्माजी वैद्य

पहिला अध्याय

भाग १

श्रीगणेश

ब्रिटिश भारत की राजनीति ने १८२१ में करबट बद्रूसी। गाँधी-युग के साथ हमारे सार्वजनिक जीवन में एक नये अध्याय का अधिगणेश हुआ। परावर्तनी वृत्ति का परिष्कार कर राष्ट्रने स्वावलम्बन, अत्युद्योग और सत्याग्रह के मार्ग का अवलम्बन किया। 'एक वर्ष में स्वायत्त की प्राप्ति' की आकांक्षा जनता में हम तेजी के साथ जागी कि देशी राज्यों की मोई हुई जनता भी जाग उठी। उसने भी करबट बद्रूस कर अपना शुरु किया। बौकानेर में भी जागृति का अधिगणेश इन्हीं दिनों में हुआ। लेकिन, तब भी देशी राज्यों की जनता की स्थिति वैसी ही थी, जैसी कि १८०६-७ में ब्रिटिश भारत की जनता की थी। बंग-भंगको छेहर जैसे तब 'बन्देमातरम्' का नारा लगाया गया और यत्र तत्र विदेशी बहिष्कार आन्दोलन शुरु हुआ था, ठीक वैसे ही १८२० में देशी राज्यों में इसका का सुप्रवाह हुआ। बौकानेर में भी तब कुछ हलका होना पड़ी थी। बौकानेर के वृद्धि देशमक्त बकीर मुन्नायमादमी ने मद्रुविद्यालयकारिणी सभा की स्थापना करके अकर्मों की निरसनकारी और अन्धकार के विरोध में आवाज उठाई थी। भी मुन्नायमादमी वकीर इसके प्रधान और भी कात्तारम बन्दिषा उसके मंत्री थे। इसके प्रमुख कार्यकर्ताओं में सर्वथी रावठमहारी कोबर, काञ्जगुनरी कोबर, भोवारायत्री, गंगारामजी और बगवाहाकरी के नाम उल्लेखनीय हैं। हम सभा की ओर से 'सत्य विजय' और 'धर्म विजय' नाम के दो मारक लेखे गये थे। हमें मरवातो

अधिकारियों की रिश्तखोरी और अन्याय का परदाफास किया गया था। इन्हीं दिनों में विदेशी कपड़ों की होली भी बौकानेर में उल्लासपूर्वक थी। यह पहिला सार्वजनिक राजनीतिक आयोजन था।

उन्ही दिनों अठमैर-मैरवाड़ा प्रान्तिक काँग्रेस कमिटी और राजपूताना मण्डलभारत सभा की ओर से राजपूताना और मध्यभारत के देशी तस्ते में कुछ काम शुरू किया गया था। लेकिन, बौकानेर में किसी का जगह तक संभव न था। प्रांतीय काँग्रेस कमिटी के तत्कालीन प्रधान श्री बाँदरवाणी शारदा और देशभक्त श्री अर्जुनकाजी सेठी का भी बौकानेर में प्रवेश निषिद्ध था। ऐसी स्थिति में श्री कन्दैयाबाबा कल्लवन्धी ने बौकानेर आने का साहस दिखाया। वहाँ धार भी रिवाज और धारने वहाँ शुरू प्रचार किया। मेहठों और हरिजन भाइयों को धारने शराब छोड़ने के लिये प्रेरित किया। धारकी मैरवाँ पर शराब की बंधावन ने शराब पीने वाले पर २१) जुर्माना करने, सुः माय मण्डल से इसको बंधित रखने और शराब पीने वाले का पता लगाने वाले को कुछ दण्ड इनाम देने का निश्चय किया। धारने काँग्रेस के सम्पर्क भी बसाये। बुद्धिम ने धारका सुावा की तरह पीछा किया। हरती दिन कानू धार लागू आने के लिये गाड़ी में बिदा हुये, तो गाड़ी को रोके और बहाना बना कर अचको रोके किया गया। दूसरे दिन धारकी पहिली गाड़ी से बौकानेर से निर्वासित होने का हुकम दिया गया। इस धारने इराय न माना, तो धारको बुद्धिम के गाराह भियादियों के सम्पर्क का टिकट देकर बौकानेर से बाहर कर दिया गया।

१. स्वर्णोत्सव राजाजी का आयोजन

स्वर्णोत्सव अठमैर मण्डलभारत सभा की धारने को कचे लगाने का दिखाने हुए की दखन, दलीपच कुर्द निर्वासन की जीति से इनाम निरभाव लाने के कि इकती कचे से कचे धारकी के निर्वास से की काम से धारने से स्वर्णोत्सव

हो करते थे। १९१७-१८ में बम्बई के पं० साधवप्रसादजी शर्मा एटार्नी-टला, ने रतनगढ़ प्रज्ञावर्याश्रम के डासव पर स्वर्गीय देवभक्त सेठ मन्नालाल जी वृत्तांत को निर्मात्रित किया। सेठजी का इस शिक्षण-संस्था : उत्सव पर आना भी बीकानेर के स्वर्गीय महाराज को सहन न हुआ। भेठजी को और उनके साथियों को गाड़ी से उतरने तक का खवसर न देया गया और आपकी हिसार जाने को मजबूर किया गया। हिसार तक बीकानेर की पुलिस आपके साथ आई।

२. राजद्रोह का मुकदमा

१९३२ में चलाया गया राजद्रोह का मुकदमा अपने दंग का एक ही था। बीकानेरी दमन का यह एक ममूना था। जहाँ भी कहीं वाचनालय, पुस्तकालय, सेवासमिति अथवा ऐसी किसी अन्य निर्दोष संस्था के रूप में भी कुछ थोड़ा-सा भी जीवन या हलचल दीख पड़ती थी, वहीं से किसी न किसी को फंसा कर राजद्रोह और बदयन्त्र का एक भयानक मुकदमा चलाया गया। बीकानेर के जिये इस मुकदमे का इतना ही महत्व था, जितना कि दूबिलौरवर कलकत्ता में चलाये गये बम केस का अथवा १९१०-११ में पटियाला में आपसमाजियों पर चलाये गये राजद्रोह के मुकदमे का था। इसमें निम्नलिखित स्थित अभियुक्त बनाये गये थे:—

१. स्वर्गीय श्री खरामश्री सराफ, भारा।

२. सत्यनारायणश्री सराफ बकील, बीकानेर। आप उस समय रतनगढ़ में बकायत करते थे।

३. स्वामी मोरारदासजी, चूरु।

४. श्री चन्दनमल्लजी, चूरु।

५. श्री बशीरवादी, रात्रगढ़।

६. श्री कश्मीरचन्दजी सुराणा, रात्रगढ़।

०. श्री सोहनलालजी सेवक, हैदमाराटा, चूरु।

२. श्री प्यारेबाबूजी सारस्वत मास्टर, चूरु।

इन सब पर शाहीराज बीकानेर की ६० दफा ० (ग), १२० (घ) और १२० (स) के संगीन आरोप लगाये गये थे। १०० (ग) के अनुसार राजघराने के किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध किसी भी शाही से पृथक्, द्वेष या निरिहाय फैलाना अपराध उद्घाषा गया था जिसे जिये आक्रमण कैद और जुमाने की या वम भी मजा दी जा सकती थी। धारा १२४ (क) में बीकानेर के मद्रास और उसकी सहायता ही नहीं, बल्कि किसी भी राजा और उसकी सरकार के भी विरुद्ध पैदा करना अपराध उद्घाषा गया था। इसके लिये आक्रमण या वम कैद की मजा के साथ जुमाना भी किया जा सकता था। १२० (घ) के अन्वये ५५ जिये हमें मजा का विधान किया गया था।

सर मनुमार्ड मेइला तब बीकानेर के दीवान थे और उनके द्वारा राजश्रीधर एवं पदपत्र का यह संगीन मुकदमा चलाया गया था। जनवरी, फरवरी और मार्च १८३२ में अभियुक्त गिरफ्तार किये गये थे। बिना मुकदमा चलाये उनको तीन मास तक हवाखान में रखा गया। जिनकी इन्तज्जद तमाम पुत्रिम कुंवर महाशयिद की अर्द १८३३ को दीवान ने मुकदमा दाखल करने का अधिकांश दिनांक और १३ अर्द को जिला जज बाबू नृसिंहसिंग सनुपेंदी की अदालत में मुकदमा शुरू हुआ।

पुत्रिम की ओर से पेश किये गये इस्तगामे में कहा गया था कि मार्च १८३१ में वे एक अभियुक्त बीकानेर महाराज और उनकी सरकार के विरुद्ध दफा व द्वेष फैलाने के लिये पदपत्र काने में सगे हुए थे। इन्होंने दिल्ली के "नियमों इम्पियल," अजमेर के "न्याय-भूमि" की रिपोर्टों के "नियमन" आदि के मन्नादों के साथ मित्रकर राजश्रीधर उद्घाषा के लिये पदपत्र चलाया था। इन पत्रों के बहुत से नमूने हमारे पास हैं। अजमेर के पेश किये गये हैं। अजमेर की "बट्ट निवाह मजिस्ट्रेट"

के मन्त्री श्री रामहरचरण की ओर से प्रकाशित किये गये एक पत्रों का राजद्रोही टहारा कर उसके लिखने और प्रकाशित करने के लिये किये गये एडवन्ट का आरोप भी अभियुक्तों पर लगाया गया था। संघ-शासन में बीकानेर को शामिल करने के सम्बन्ध में कांग्रेस को भेजे जाने वाले मेमोरियल को तैयार करने और उस पर लोगों के हस्ताक्षर लेना भी एक एडवन्ट था, जिसके लिये अभियुक्त अपराधी थे और कहा गया था कि उन्होंने इण्डियन स्टेट्स पीपल्स फेडरेशन के साथ मिलकर भी राजद्रोही प्रवृत्तियों में भाग लिया था। राजद्रोह के पौजाने के लिये इस्तेमाल में कहा गया था कि अभियुक्तों ने 'रवाणभूमि' के सम्पादक श्री हरिभाऊजी उपाध्याय और बाबा नृसिंहदास के लिये खंदा इच्छा किया था। चरु में हुई सभा में दिये गये स्वामी गोपालदासजी के भाषण को राजद्रोही बताकर उस सभा को रिपोर्ट 'पिंपली इण्डिया' में छपाने के लिये भेजने का आरोप भी सोइनजाल और श्री प्यारेलाज पर लगाया गया था।

इन आरोपों के आधार पर राजद्रोह और एडवन्ट का मुकदमा चलाया जाना उपहासास्पद प्रतीत होता है, किन्तु बीकानेर की सरकार ने इसकी इतना अधिक महत्त्व दिया, जितना कि ब्रिटेन भारत में हिंसामय क्रांति करने वालों पर चलाये गये मुकदमों को दिया जाता था। लेकिन, सरकार को ओर से जो वागज-पत्र बतौर प्रमाण के पेश किये गये थे, उनमें अधिकतर समाचार-पत्रों में प्रकाशित किये गये लेख ही थे। दो एक पत्रों भी पेश किये गये थे। अभियुक्तों के प्रति इस मुकदमे के दौरान में भी काफ़ी कठोर व्यवहार किया गया। उनकी किम्बी भी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया गया। प्रधान मन्त्री सर मनुभाई मेहता की सेवा में भेजे गये प्रार्थना-पत्र भी बेकार गये। गिरफ्तारी के तीन मास बाद मुकदमा चलाने की सरकार ने स्वीकृति दी और इस धरसे में अभियुक्तों को विद्यार्थीन बंदी मान कर किम्बी भी प्रकार की कोई सहूलियत नहीं दी गई। उनके माथ-साधारण कैदियों से भी

अधिक धुल प्यवहार किया गया। उनकी सामाजिक स्थिति को प्रतिष्ठा पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। उनके बीमार बच्चे को भी उनके प्रति सहृदयता नहीं दिखाई गई। मरने लगे बच्चे को इतने संगीन आशुप खगाये जाने पर भी चौर महार को चौर मुकदमे की इतनी तैयारी करने पर भी अभियुक्तों को जमाने के लिये राज्य से बाहर के वकील नहीं खाने दिये गये। उन्हें आपस में मिल कर या जेल के बाहर के किसी व्यक्ति से मिल कर अपने मुकदमे को तैयारी करने का भी अवसर नहीं दिया गया। राज्य के वकीलों में इतना नैतिक मादम नहीं कि वे ऐसे संगीन मुकदमे में महाराज और उनकी सरकार के विरुद्ध खड़े होने का साहस दिखा सकते। स्वर्गीय श्री मुस्तायसादजी और श्रीधुबंदयाजी ने साहस का परिचय देकर इस मुकदमे में अभियुक्तों की पैरवी की है, किन्तु उनको भी सहूलियत से अपना काम नहीं करने दिया गया। बाद में उनको उसी मुकदमे के कारण घोरदमन तथा निर्भयन का शिकार बनाया गया। पुजित्व को सब कुछ काने-परने की सुनी हुई थी। राज्य के कानून को ३४७।४ धारा के अनुसार बाहर से वकील बुलाये जा सकते थे और पहिले भी कई मुकदमों में बाहर के वकीलों को पैरवी करने का मौका दिया गया था, किन्तु इस मामले में व मनुमाई देव से मय न हूयें। छठे अभियुक्तों को २६ अप्रैल १९३२ को दी गई दरखास्त पर धारने लिख दिया कि अभियुक्तों को चौर बानू मुस्तायसाद वकील के मुकदमे से चुकने से किसी और हुकम देने की जरूरत मालूम नहीं होती। फिर भी सोहनलाल शर्मा और प्यारेलाल सारस्वत ने १२ मई को दरखास्त दी कि श्री मुस्तायसादजी वकील अभियुक्त श्री एचरामजी की और श्री धुबंदयाजी वकील अभियुक्त श्री सरनारायण सतह की ओर से पैरवी कर रहे हैं इसको बाहर से वकील बुलाने का हुकम दिया जाय। पैरवी ही दरखास्त २७ मई को सर्वोच्च अदालत महेंद्र, बेटीयसाद सरावगी, मोहन

सारस्वत और स्वामी गोगालदास जी की ओर से भी दी गयी थी। लेकिन, मुद्रवाई कुछ भी न हुई।

अभियुक्तों पर की गयी ज्यादतियों का पता २० मई को श्री चन्द्रमल्ल बहदुर द्वारा जिज्ञा जत्र की अज्ञात में दी गई उस दस्तावेज से लगता है, जो ह्व पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट में दी गई है। पुलिस ने उस पर कुवित हो कर श्री बहदुर की ओर भी तंग करना शुरू कर दिया। इस पर उनकी ओर से १८ जून को दी गई दस्तावेज भी परिशिष्ट में दी गई है।

श्री सरयनारायण सराफ और श्री खैराम सराफ की बीमारी के कारण मुकदमा तीन सप्ताहों तक स्थगित होता रहा, किन्तु उनके दवा-दारू का कोई समुचित प्रबंध नहीं किया गया, न उनको अपने डाक्टरों से औद्योगिक कराने दिया गया और न रिहा ही किया गया।

३. अभियुक्तों का असहयोग

अज्ञ में साधारण दो अभियुक्तों को मुकदमे की कार्यवाही से असहयोग कर उनमें भाग न लेने का निश्चय करना पड़ा। इस बारे में १३ जून को दी गई दस्तावेजों में अभियुक्तों ने अपनी निम्न शिकायतें लिखी थीं:—

- (१) बीकानेर सरकार की दुर्नीति,
- (२) अपने विरुद्ध राज्य बखोज को बाहर से बुझाने की सुरक्षा न देना,
- (३) जेल से अज्ञात तक सतत तारमी में जाने के लिए सशस्त्री का समुचित प्रबंध न करना,
- (४) सशस्त्री के बिना सरकार देने पर मुकदमा अज्ञात में, करके जेल को ही अज्ञात बना देना।

अधिक पुरा व्यवहार दिया गया। उसकी सामाजिक स्थिति को धनिय्या पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। उनके बीमार होने पर भी उनके प्रति सहृदयता नहीं दिखाई गई। मरने वहाँ तक पर ही होने लगीय आरोग्य खगाये जाने पर भी और सरकार की ओर से मुकदमे की हतमी तैयारी करने पर भी अभियुक्तों को कोर्ट सफाई के लिये राज्य से बाहर के बकील नहीं जाने दिये गये। उन्हें घायल में मिल कर या जेल के बाहर के किसी व्यक्ति से मिल कर अपने मुकदमे को तैयारी करने का भी अवसर नहीं दिया गया। राज्य के बकीलों में हतना मैजिक साइस नों कि वे ही संगीन मुकदमे में महाराज और उनकी सरकार के विरुद्ध लड़े होने का साहस दिखा सकते। स्वर्गीय श्री मुस्तायसादजी और धीरबुखारदाजी ने साइस का परिचय देकर हम मुकदमे में अभियुक्तों की पैवी की है किन्तु उनको भी सहूलियत से अपना काम नहीं करने दिया गया बाद में उनको उसी मुकदमे के कारण घोरदमन तथा निर्वासन का शिकार बनाया गया। पुलिस को सब कुछ करने-धरने की सुझाई थी। राज्य के कानून को ३४०।४ धारा के अनुसार बाहर से बरी सुझाये जा सकते थे और पहिले भी कई मुकदमों में बाहर के बकीलों की पैवी करने का मौका दिया गया था, किन्तु इस मामले में मनुभाई टेंप से मय न हुये। यह अभियुक्तों की २६ अप्रैल १९३२ दी गई दरखास्त पर आने लिख दिया कि अभियुक्तों की और बाबू मुस्तायसाद बकील के मुकर्रर हो चुकने से किसी और हुजूम देने की जरूरत मालूम नहीं होती। फिर भी सोइनजाज शर्मा और प्यारेकाज साहसत ने १२ मई को दरखास्त दी कि श्री मुस्तायसादजी बकील अभियुक्त श्री त्परासजी की और श्री धीरबुखारदाजी बकील अभियुक्त श्री मरुनागांवरा सराह की और से पैवी कर रहे। हमको बाहर से बकील सुझाने का हुजूम दिया जाय। ऐसी ही दरखा २७ मई को सर्वेधी बन्दनमोख पंडर, बर्दीससाद सरावगी, मोहनम

सारस्वत और स्वामी गोपालदास जी की ओर से भी दी गयी थी, लेकिन, मुनषाई कुछ भी न हुई।

अभियुक्तों पर की गयी ज्यादतियों का पता २७ मई को श्री चन्दनमल्ल बहड़ द्वारा जिज्जा नज की अदालत में दी गई उस दरखास्त से लगता है, जो हम पुस्तक के अन्त में परिशिष्ट में दी गई है। पुलिस ने उस पर कुपित हो कर श्री बहड़ की ओर भी तंग करना शुरू कर दिया। इस पर उनकी ओर से १८ जून को दी गई दरखास्त भी परिशिष्ट में दी गई है।

श्री सखनारायण सराफ और श्री खुराम सराफ की बीमारी के कारण मुकदमा तीन सप्ताहों तक स्थगित होता रहा, किन्तु उनके दवा-दारू का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया, न उनको अपने दाखतों से औषधोपचार कराने दिया गया और न रिहा ही किया गया।

३. अभियुक्तों का असहयोग

अन्त में जाचार हो अभियुक्तों को मुकदमे की कार्यवाही से असहयोग कर उसमें भाग न लेने का निश्चय करना पड़ा। इस बारे में २३ जून को दी गई दरखास्तों में अभियुक्तों ने अपनी निम्न-शिकायतें लिखी थीं:—

- (१) बीकानेर सरकार की दुर्भिक्ष, ...
- (२) अपने विरवाप्रयात्र बकील को बाहर से बुलाने की सुविधा न देना, ...
- (३) जेल से अदालत तक सख्त गरमी में जाने के लिए सवारी का समुचित प्रबन्ध न करना, ...
- (४) सवारी के लिये दरखास्त देने पर मुकदमा अदालत में न करके जेल को ही अदालत बना देना।

(५) सपाईं के लिये खर्च भी मंजूर न करना और खाजगान का रद्द-सहज के लिये मानवोचित व्यवस्था न करना ।

अपनी दरखास्तों में अभियुक्तों ने लिखा था कि हमारा विराम कीकानेर सरकार के न्याय पर से उठ गया है, इसलिए हमने अदालत की कार्यवाही में भाग न लेने का निरचय किया है ।

४. भीषण सजायें

द्विज भी न्याय का यह माटक होता रहा और अभियुक्तों को निम्न प्रकार सजायें सुना दी गईं:—

श्री माधवारायण सराफ—	७ वर्ष
श्री लूचराम सराफ—	५ वर्ष
श्री चन्द्रमसख बहदुर—	३ वर्ष
श्री बड़ीबसाद सावणी—	२ वर्ष
श्री प्यारिदास सारस्वत—	६ मास
श्री मोहनदास शर्मा—	३ मास
श्री गंगाधरदास श्री—	४ वर्ष

श्री गंगाधरदास श्री ने शुरू से ही मुकदमे में कोई भाग नहीं लिया । समाचार पत्रों में इस मुकदमे की विशेष चर्चा होती रहती थी ।

अदालत के "दिवाण," "दिवाणिकाय," कलकत्ता के "विशालमान" और दिल्ली के "विशाल" आदि पत्रों के अलावा पत्रों में भी इस मुकदमे की विशेष चर्चा होती थी । इनमें दिल्ली, दिवस और अहमद के "कॉन्सिडरेशन," अलाहाबाद मुद्राशास्त्र के "कॉन्सिडरेशन" कलकत्ता, दिवस मुद्राशास्त्र दिल्ली, काठमांडू के "कॉन्सिडरेशन" आदि के नाम उल्लेखनीय हैं ।

इसकी अतिरिक्त अलाहाबाद के "कॉन्सिडरेशन" और दिल्ली के "कॉन्सिडरेशन" भी उल्लेखनीय हैं ।

रघुनाथ ने एक विज्ञेय कमेटी का भी संगठन किया था। लेकिन, बीकानेर के महाराज और सरकार पर इस सारे चान्दोखन का कुछ भी असर नहीं पड़ा।

५. मध्यकालीन शासन का नमूना

बीकानेर के स्वर्गीय महाराज गंगासिंहजी सुनहरी घोषणायें प्रकाशित करने, लम्बे-लम्बे वनस्पत देने और हिन्दू विरव-विद्यालय बनारस के काम में दिलचस्पी लेकर अपने को प्रगतिशील और शिक्षा-प्रेमी बनाने में जिनने खतुर थे, उतना ही उनकी शासन-नीति दक्षिणार्थी और प्रतिधामी थी। उनका शासन मध्यकाल के शासन का एक नमूना था। दमन, उल्पीदन, निर्वासन और शोषण उनकी शासन-नीति के मुख्यमन्त्र थे। १६३२ में राजद्रोह और पदच्युत का जो मुद्दमा चलाया गया था, वह इसी दुर्नीति का एक नमूना था। उसका एकमात्र उद्देश्य सारे राज्य में घातक पैदा कर लोगों को भयभीत करना था। सेवा समितियों, वाचनालयों, पुस्तकालयों और शिक्षा-संस्थाओं के रूप में जो थोड़ी बहुत हलचल राज्य में जहाँ-तहाँ कभी दाल पड़ने लगती थी, उसका गला घोटना उसका एकमात्र लक्ष्य था। लारी-भयहार भी महाराज ने अपने राज्य में खुलने न दिया। उन के गृह-उद्योग को पुनर्जीवित कर हजारों लोगों को काम में लगाकर उनके जीवननिर्वाह की समस्या के हल करने का अवसर भी य. भा० चरला संघ को नहीं दिया गया। 'प्रजामण्डल' नाम की संस्था से तो वे रूढ़ि ही भय जाते थे, जैसे कि देवकी के पुत्र होने की कल्पना मात्र से बंस भयभीत था। इसलिये प्रजामण्डल की स्थापना की तो वे गर्भहत्या करने में ही लगे रहते थे। उन्होंने अपने समय में न तो ऐसी कोई संस्था स्थापन होने दी और न किसी ऐसे व्यक्ति को ही मिर उठाने दिया, जिस पर प्रजामण्डलियों वृत्तियों में कुछ शक्ति देने का सम्भव हो।

६. दमन, उन्पीड़न और निर्वासन की दुर्निति

इस पर भी आम जनता में और विशेष कर किसानों में प्रयत्नों की चिनगारी सुझगती रही। १९३२ में उदामार में इनका इतना विस्फोट हुआ। दमन के लम्बे नृशंस हाथों से उमको दवाने की बंट की गई। जीवन जाट को उसका नेता मान कर १०० रुपया जुर्माना किया गया। एक शिष्टमण्डल ने महाराज और अधिकांशों के सामने किसानों की शिकायतें पेश करने का बल किया। पर, उम्हें मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इसी प्रसंग में निम्न चार सचिवों को राज्य से निर्वासित कर दिया गया:—

- (१) श्री मुत्ताप्रसाद जी वकील,
- (२) श्री सत्यनारायण जी सराफ,
- (३) श्री मंधाराम जी वैद्य,
- (४) श्री लक्ष्मणदास जी स्वामी।

दमन और निर्वासन का यह मिलासिला आज तक भी जारी है। महाराज शाहू लालसिंह जी अपने स्वर्गीय पिता महाराज गंगासिंह जी के चरण-चिन्हों पर मचाई और ईमानदारी के साथ चल रहे हैं। स्वर्गीय पिता के शासन-काल में आपने राज्य के प्रधानमंत्री के पद पर रह कर शासन के संचालन की जो शिक्षा प्राप्त की थी, उसी के अनुसार यह आप चल रहे हैं। १९३२ के पदच्युत के दिनों में भी आप कुछ समय स्थानापन्न प्रधानमंत्री रहे थे।

७. स्वर्गीय श्री मुक्ताप्रसाद जी

श्री मुक्ताप्रसाद जी वकील बीकानेर के अत्यन्त लोकप्रिय लोकनेता श्री-मानी, गरीब-धमीर सभी आपका एक-सा समाज हैं। दिन-रात आपकी जनसेवा की खगन लगी रहती थी।

हिंदी प्रत्यक्ष राजनीतिक संस्था की स्थापना संभव न होने से चारने जन-सेवा की भावना से प्रेरित होकर विद्यामन्धारिणी सभा की स्थापना की और जनता में राजनीतिक जागृति पैदा करने का श्रीगणेश किया। उसके लिये चारने सभा की ओर से देशसुधार के माटक खोलने का आयोजन किया। जनता में जागृति का पैदा होना महाराज कैमरे महन कर सकते थे। हमलिये बकील साहब को बुझाकर ऐसे माटकों का आयोजन करने से रोका गया। चारके साथी थे पं० मूर्वकराजी साबायं एम. ए., भी राशनमल्लजी बकील, गंगारामजी, भीकारामजी बकील, बाबू भोजारामजी और भी चम्पाकालजी बरही। १९२१ में ब्रिटिश भारत में चमदयोग चन्द्रोक्षण का मूत्रशात होने पर बीकानेर में भी बकील साहब की प्रेरणा पर उनके ही चहाने में चारके साथियों ने बिदेसी कपड़ों की होली जलाई और मुद्र आदी पहनने का मन लिया गया। चारकी लोकप्रियता का एक कारण यह भी था कि चार गरीबों के लिये मुद्र में बिना कूज लिये खड़ देने थे। रात्र-कर्मचारियों और अधिकारियों पर हमका चरदा चमर पड़ना था। उनमें भी चार लोकप्रिय थे। हर मुद्र में पर १) केवल मित्रमददल नाम की संस्था के लिये दिया जाता था। जनता की सेवा मरदल का मुख्य काम था। चार स्टेसन पर आकर गरमियों में रथवं लोगो को पानी बिलावा करने थे। अनाथ बच्चों को भी चारने लूच सेवा की। कार्मिक भाव से कोलावनी के सेले पर भी मरदल का केंद्र जाता जाता था। वही हकड़ होने वाले २-३ काम लोगो को लगानर १-० दिन सेवा की जाती थी। मुद्र आद्य वर्गों को एक दूकान भी वही मरदल की ओर से खलाई जाती थी। हरिजनों में विशेष रूप से काम किया जाता था। आचार्यन काटों के दारु-संरक्षण करने का काम भी वही मरदल बिवा करता था।

बीकानेर में काटी का काम भी चारकी कोमरे शुरू बिवा गया और काटी भरवार भी कोका गया। काटों ने उन्पारित होकर काटी के कई

भारताने शोषे ।

रूम में सर्वहितकारिणी समा कायम की गई । उसही घोर में रूम में घोर अनेक स्थानों में बाचनालय और पुस्तकालय खोले गये स्वर्गीय स्वामी गोपालदास जी महाराज इस संस्था के संस्थापक थे इस संस्था की घोर में कर्म माहित्य, पर्चे और पैम्फलेट भी प्रकाशित किये गये थे । इस जागृति को बीकानेर की सरकार और महाराज सदन नहीं कर सके ।

१९३२ में आपने पदग्रन्थके मुद्रणके को पैरवी की । आपको प्रस्ताव पर १९३६ में प्रजामण्डल की स्थापना की गई । आप हरिजन सेवा में संलग्न होनेसे प्रजामण्डलके सदस्य नहीं बने थे । लेकिन, उसको आपकी पूरी सहायता एवं समर्थन प्राप्त था । प्रजामण्डलके लोगों को गिरफ्तार किया गया और आपको निर्वासित किया गया । उदाहर में किसानों पर ज्यादतियां हुईं । वह सब बर्तान यथास्थान दिया गया है ।

आपको चौबीस घण्टों में बीकानेर छोड़ने का हुक्म दिया गया जनता ने आपको, हार्दिक विदाई दी । विदाई में शामिल होने वाले सरकारी मौकरों को मौकरी से हाथ घोना पड़ गया । अलीगढ़ में अलीगंज में आपका स्वर्गवास हुआ । बीकानेर में शोक समा हुई । पीछे आपका उपयुक्त स्मारक बनाने की भी चर्चा हुई । लेकिन, स्मारक बन नहीं सका ।

८. चलवृत्ता में प्रजामण्डल

बीकानेर में प्रजामण्डल की स्थापना करना जब सर्वथा सम्भव हो गया, [जब बीकानेर के बाहर जन-जागृति के कार्य का धीमथोरा करना उचित समझा गया । अन्य अनेक देशों में भी वहां के देशभक्तों को ऐसा ही करना पड़ा है । इटली के महान् देशभक्त मैत्रिनी, गुर्दी के निर्माता अतानुर्क, चीन की आत्मादी के

समर्थक मार्शल लफ्फाते, किलिप्पीन की आजादी का मंडा फहराने वाले जनरल उगिनाहडो, रूम में महान् सोवियत क्रांति के प्रवर्तक लेनिन और अपने देश के महान् देशभक्त नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने भी तो स्वदेश के बाहर से ही उसकी आजादी के लिए घोर प्रयत्न किया था। बोकांनेर की प्रवासी प्रजा ने भी इसी मार्ग का अवलम्बन किया। १९३२ में कन्नकता में स्वर्गीया श्रीमती लक्ष्मीदेवी आचार्या की अध्यक्षता में बोकांनेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। थोड़ा-बहुत काम वहां से होता रहा।

८. १९४२ में बोकांनेर में

बोकांनेर में भी १९४२ में प्रजापरिषद् की स्थापना कर दी गई। लेकिन, २-६ दिन भी उसको जीवित न रहने दिया गया। प्रजा परिषद् को गौकानूनी ठहरा कर श्री रघुवरदयालजी वकील को राज्य से निर्वासित कर दिया गया। अखिल भारतीय चरखा संघ की ओर से चलने वाले सारी भवडार को भी लाजा लगाकर उसके कार्यकर्ता श्री निरवानंद पन्त को अपने साथी के साथ राज्य से निर्वासित कर दिया गया। श्री रघुवरदयालजी २-९ मार्च कानपुर रहने के बाद बोकांनेर लौटे, तो उनको अपने कई साधियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। श्री रघुवरदयालजी को एक वर्ष और श्री गंगादास कौशिक को छः मास की सजा हुई। श्री दाऊदवाह आचार्य नजरबंद कर दिये गये। हमन की विवेक-गुण्य नीति से काम लिया गया।

इस हमन से जनता का उरवाह थोड़ा दूब सा गया। लेकिन, २९ अक्टूबर को स्वतंत्रता दिवस मना कर शान के साथ भंडवा फहराया गया। इस विजयिजे में श्री मंगारामजी वैद्य, श्री भिष्मजालजी और श्री रामनारायणजी गिरफ्तार किये गये। हमन की नीति भयानक रूप से चलती रही।

हुयी किन्तु मार्च १९५३ में महाराज शांतिविद् भी का स्वर्गगत हो
 कर उनके गुरुज महाराज शांतिविद् को तही पर बैठे। उनके
 शांतिविद् को विद्यार्थी के पुत्रादायक के रूप में भी गुरुदत्तदासजी संवत्
 १९५३ में ही दाऊदासजी को जिहा कर दिया। वरु में मार्च
 संवत् १९५३ में ही शांतिविद् भी भी जिहा कर दिव्य गये। राज
 वरु भी महाराज भी में काम केने की आशा दिखाने गई। भी
 वरुदासो को शांति-गुरुज पंडित बनाने के लिये बुलाया गया। केन्द्र
 में निराशा होकर शांति कर गये। दाह के चर्ची तीन घण्टी की भी
 काम में आई जाने लगी। नये महाराज की घोषणा की सभी गुरुज
 भी नहुई भी कि नये विद्यार्थी के दमक की भांति में काम दिवा करने
 जाता। श्री रघुवरदासजी से महाराज को चर्ची मुलाकात हुई। प्र
 पतिविद् की स्थापना के लिये अनुमति मिलने की आशा दिखाने गई
 लगी। इस आशा की पूर्ति में विद्यार्थी लगी। देव कर श्री रघुवरदास
 की ने शोचान भी पत्रिकर की मार्च महाराज से मिलने का समय
 मीना। मुलाकात के लिये समय और स्थान निश्चित हो गया। केन्द्र
 समय पहिले ही उनको गुरुदत्तजी के आदेश पर गिरफ्तार करके
 लूनकाण्ड में नजरबंद कर दिया गया। आगे के साथी भी दाऊदास
 भी गंगादास अनुपम में नजरबंद कर दिव्य गये। नजरबंदी में
 इनके और इनके साथित घर बाहों के लिये राज्य की ओर से कुछ भी
 समुचित व्यवस्था नहीं की गई। जब इनके लिये आग्रह किया गया,
 तो भी रघुवरदासजी को बीकानेर राज्य से निर्वासित कर दिया गया।
 यहाँ से आकर वे जयपुर रहने लगे तो कुछ समय के बाद जयपुर की
 सरकार ने भी उनको अपने वहाँ से निर्वासित कर दिया। तब आप
 अजमेर चले आये।

जून १९५१ में आपने बीकानेर में प्रवेश-विरोध की आशा की
 बनना करने का निश्चय किया। २२ जून को आपने पंजाब की ओर से
 बीकानेर राज्य में प्रवेश किया और मुकरका स्टेशन पर आपको पब्लिक

सेप्टी एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। बार-बार मांगने पर भी गिरफ्तारी का वाक्य देना न करके पुलिस सुपरिस्टेण्डेण्ट ने हाथ से लिख कर एक आर्डर दे दिया। दुषवायारा के किसान नेता श्री गणपत-सिंह ने भी इसी समय अपने को गिरफ्तारी के लिये पेश किया।

बीकानेर शहर, नौहर, राजगढ़, भाद्रा आदि में आपकी गिरफ्तारी पर हड़ताल हुई और कई स्थानों पर सभायें भी हुईं। बीकानेर की सभा में उत्पाठ मन्नाया गया, जिसके फलस्वरूप कई व्यक्ति घायल हुए। प्रभाकरपद, कानपुर की शाखा के श्री हीरालाल जी को सभा में गिरफ्तार कर लिया गया।

इसके बाद की घटनाओं का वर्णन इस पुस्तक के दूसरे भाग में दिया गया है। हम प्रकरण को यही ही समाप्त करके बीकानेर की राज्य व्यवस्था की कुछ खर्चा करना अधिक अच्छा होगा।

पहिला अध्याय

भाग २

१. एक नयी नदर

भाग के देखा गावों की मात्र भी स्थिति हो; लेकिन, एक समय एक ऐसी शहर व्यवस्था बनी थी जब राजा लोग अपने राज की उन्नत, प्रगतिशील और मुशावरण देखना चाहते थे। गणतंत्र में स्वर्गीय महाराज माधवराव श्री सिंधिया ने, अलवर में निर्माण और स्वर्गीय महाराज जयसिंहजी ने और बीकानेर में स्वर्गीय महाराज गंगासिंहजी ने जो सुधार और शासन व्यवस्था कायम की थी, उनके इसी शहर का परिणाम समझना चाहिये। यदि राजा की स्थिति को छोड़ कर राज्य और शासन की कार्यवाही पर दृष्टि डाली जाए, तो उसको 'दुर्जनत' और 'वर्तमान व्यवस्थाओं के अनुकूल' बनाने में कोई संकोच नहीं करेगा। अलवर के स्वर्गीय महाराज ने अपने राज से राज्य की शान बढ़ाने में कुछ भी उठा न रखा। तहसीलों की जिम्मेदारी का रूप देकर शहर की बनावट और सजावट को आज का रूप देने में वे पीछे नहीं रहे। यदि उनको निर्वासित न होना पड़ता, तो उनकी योजनाओं के अनुसार आज उसकी शोभा कई गुण बढ़ गई होती। स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया को तो वर्तमान ग्वालियर का निर्माता ही कहना चाहिये। राज्य के कामकाज और शासन की व्यवस्था में भी वे जीवित अभिरुचि लेते थे। शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में उनकी पुरतके उनके राजनीतिक ज्ञान की सूचक है। आज की समस्या इतनी पेचीदा बन गई है, उसको हल करने में

आपने जिस हदतः से काम लिया और उनके लिये 'कोर्ट चारु चार्ज' का महकमा कायम करके त्रिपु दूरद रिंता से काम लिया, उसी का परिणाम है कि ग्वालियर में यह समस्या जोधपुर या जयपुर के समान भीयण नहीं बन सकी। राज्य में दो गृहवाली धारा सभायें कायम की गईं। उनके लिये चुनाव की पद्धति अपनाई गई। उनमें स्वयं महाराज उपस्थित होते थे। जिला बोर्डों, म्युनिसिपैलिटियों और पंचायतों का सिलसिला शुरू किया गया। इस स्थानीय संस्थाओं को अधिकार भी काफ़ी दिये गये। ब्रिटिश भारत की अनेक स्थानीय गणों से ये संस्थाएँ पीछे नहीं थीं। शासन व्यवस्था के लिये अलग-अलग महकमे बनाकर उनको मन्त्रियों के अधीन किया गया। राज्य लिये विधान बनाया गया। बजट बनाया जाकर आय-व्यय का सटीक हिसाब रखा जाने लगा। ग्वालियर शहर की शोभा और न-शौकत भी खूब बढ़ा दी गई। हाईकोर्ट भी बनाया गया। इसी तरह बीकानेर में स्वर्गीय महाराज गंगासिंहजी ने भी ग्वालियर के मान धारा सभा की स्थापना की। म्युनिसिपैलिटियाँ, जिला बोर्ड और पंचायतें भी कायम कीं। उनको दीवानी और फौजदारी अधिकार भी दिये। अन्त में अपना निजी खर्च भी नियत कर लिया और बजट : रूप में राज्य का आय-व्यय धारासभा में पेश किया जाने लगा। बीकानेर के उत्तरी भाग में नहर काकर उसको समृद्धिशाली बनाने का ध्यान किया। शहरों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का जतन भी बनाया गया। शहर की शान-शौकत और शोभा की ओर भी काफ़ी ध्यान दिया गया। 'प्रगतिशील' राज्यों के जो पक्षी चिन्ह हैं, जिनको देखकर बड़े-बड़े लोग भी स्वर्गीय महाराज गंगासिंह जी की प्रशंसा करने में शुकते न थे।

२. भुराज्य बनाम स्वराज्य

'भुराज्य' और 'स्वराज्य' में जो अन्तर है, वही अन्तर इस

शासन-व्यवस्था और उत्तरदायी शासन में है।— यह शासन भ्रम बहुत सुन्दर, उन्नत और 'अप टू डेट' भी कही जा सकती है, कि उसमें उत्तरदायी शासन के तत्वों का समावेश न होने से उसमें ही की दृष्टि से न तो सुन्दर, न उन्नत और न 'अप टू डेट' ही कहा सकता है। प्रजा का उस शासन-व्यवस्था में न तो कोई हित और न सद्व्योग ही। इसलिये प्रजा जनता उससे कुछ भी उठा नहीं सकी। जिन वर्षों में संसार में अनेक राष्ट्रों का कायापन होकर, उनमें नयी चेतना, शक्ति और प्रेरणा पैदा हो गई, उनमें ही राज्यों की जनता मध्ययुग की लो ही हाजत में पड़ी रही। उसमें ही कोई परिवर्तन हो नहीं सका। वह पड़िले ही के समान गृहीत, जटिल, अशिक्षित, नैतिक दृष्टि से दोष, शोषण की लो से हीन और राजनीतिक दृष्टि से सर्वथा पराधीन ही बनी रही। दुःख संकट और बलेश सच मानो, उसी के भाग में लिये रह गये। जीव जागृति का कोई चिन्ह, संगठन की कोई भावना और अपने परिणामों के लिये कोई कल्पना उसमें प्रगट नहीं हुई। मानो, इन राज्यों में ही कुछ भी हुआ या किया गया था, वह केवल एक [द्वि]राज्य था, राज के प्रजा या जनता के साथ उसकी कुछ भी सम्बन्ध न था।

३. उत्तरदायी शासन का आधार

यह ई भी ठीक कि उत्तरदायी शासन-व्यवस्थाका आधार [जनता] प्रजा का वह 'मन' या 'बोड' है, जिसकी वास्तव संसूच की लो भी कही अधिक है। लो की एक शब्द बढाये किना इस मत में ही से बनी और भीषण से भीषण राज्य-कायित करने की सम्भव है। सामर्थ्य अब किनी शासन व्यवस्था में अन्तर्हित या निहित हो उ , तब इसमें अनिहारी शक्ति का स्वतः ही समावेश होकर वह ही और उसी के साथ प्रजा का भी महत्त्व ही में कायापन कर ही

। इन 'दिल्लाऊ' और 'कामबख्शाऊ' मुबारों में शक्ति पैदा होनी संभव थी। इसीलिये उनका राज्यो की प्रजा या जनता पर ऐसा कोई भाव पड़ना संभव न था। इसकी गरीबी, अशिक्षा, पतन और शराबट बेची ही बनी रही, जैसी कि पहिले थी। राज्य में प्रजा का उपयोग मिलने के स्थान में उसका संचालन पुलिस, अदालत, जेल आदि द्वारा होने वाले दमन, उत्पीड़न एवं शोषण के सहारे किया जाता था। 'प्रगतिशील' कहे और समझे जाने वाले स्वर्गीय महाराज (गान्धिजी) का शासन-काल, विशेषतः उसके अन्तिम वर्ष दमन, उत्पीड़न एवं शोषण के ही वर्ष थे। १९२० से १९४३ तक के वर्ष, वहाँ बाकी देश के लिये जीवन, जागृति और प्रगति के वर्ष बड़े जा सकते हैं, वहाँ ये वर्ष बीकानेर के लिये दमन, उत्पीड़न, शोषण और निर्वापन के वर्ष थे। कहना न होगा कि वर्तमान महाराज साहब की अपने स्वर्गीय पिता जी से विरासत में यही सब मिला। इसीलिये उनके गद्दी पर आसीन हो जाने के बाद भी शासन-तन्त्र का पतनाला वहाँ का वहाँ बना हुआ है।

४. अप्रिय गठबन्धन

देशी राज्यों की वर्तमान शासन-व्यवस्था को एकतन्त्री शासन और सामन्तशाही का अप्रिय गठबन्धन कहा जा सकता है। प्रायः सभी राज्यों में विशेषकर राजपूताना में जागीरों, ठिकानों या माफियों का उपभोग करने वाले सामन्त ही मन्त्रिपदों पर नियुक्त किये जाते रहे हैं। इन पदों के कारण शासन पर उनका प्रायः एकाधिकार रहता आया है और राजा लोग अपने इन भाई-बन्धों के हाथ का शिकार बने रहे हैं। बीकानेर के वर्तमान शासन और महाराज की स्थिति भी इससे कुछ भिन्न नहीं है। यही कारण है कि गद्दी पर बैठने के समय राजवन्दियों को रिहा करके महाराज शाहू खन्सिहजी ने जिस सहृदयता, उदारता

अथवा दूरदर्शिता का परिचय दिया था, उसका अन्त होने में ही समय नहीं लगा और नये शासन-सुधारों को जारी करने की जो इच्छा दिखाई गई थी, वह सहसा ही निराशा में परिणत हो गयी । रजिस्ट्रार महाराज नारायणसिंह के रूप में सामन्तशाही का विनाश और महाराज को उसके सामने पराजित होना पड़ा ।

अपने मापणों और वक्तव्योंमें महाराज का जो सुन्दर रूप प्रकट है, उनका शासन भी यदि उसके अनुरूप हो सकता, तो सोने में कुछ पैदा हो गयी होती । मालूम यह होता है कि उनकी घोषणाओं, आदेशों और वक्तव्यों का महत्त्व हाथी के दिखाने के दाँतों से अधिक नहीं । इन दाँतों से वे बाहर की दुनियाँ में काम लेते हैं और खाने के दाँतों से वे राज्य के भीतर काम लेते हैं । परेन्ट्रमरदल में दो वर्षों के घोषणा उन्होंने की थी, उसमें देशभक्ति से परिपूर्ण कितने उत्तम विचार प्रकट किये गये थे और राजाओं को अपनी प्रजा के सर्वोपरि राज्य शासन चलाने की कितनी सुन्दर सलाह दी गई थी । और उनके अपने राज्य में इन उदार विचारों के अनुसार न तो कुछ ही प्राप्त किया जाता है । सभी-सभी विधान परिषद् में देशी राज्यों के शामिल होने के सम्बन्ध में चीकानेर महाराज ने भोगल के नगर के उनके साधियों की तुलना में जो दखल अस्तिपार किया है, उसकी तुलना सराहना को जाय, योही है । सीपी नेता की खिया इतनी अच्छी ली की है सुंदरोष उत्तर आपने दिया है, वह कितना देशभक्तिपूर्ण और सदापूर्ण है ? इस समय आपने जो उद्गार प्रकट किये हैं, वे अद्भुत हैं । लेकिन, अपने राज्य में आपने क्या बिधा ? आप इतना भी नहीं दिखा सके कि अपने राज्य से जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने की सुधी हट दे देंगे । पारामथा मे सरकारी लोगों का ही बहुमत । उन पर भी आपकी धरोमा न हुआ और आपने उसको भी स्वतन्त्र चुनाव करने का अवसर न दिया । किसी भी प्रकार उचित

के राज्यके दीशम भी राजदर को विधान परिषद् में भेज दिया गया ।

५. धांधली घोषणाएँ

अपने राज्य में अपनी घोषणाओं के सर्वथा विरहीन साधारण बनना । आपकी अपने स्वर्गीय विनाशो से विराग्य में मिछा है । स्वर्गीय महाराज नगराभिदुर्भी की अनेक घोषणाएँ, यदि केवल उनकी शब्दावलि की जाय, तो सुन्दरी कपड़ों में लिखी जाये योग्य है । लेकिन, यदि उनकी परस्व महाराज के शासन की नीति-नीति के साथ की जाय, तो नवा युद्ध भी मरण या अर्थ नहीं रहता । उनकी दो घोषणाएँ बहुत विद्व धी और उनका प्रचार एवं प्रकाशन भी भुंवाचार किया गया । एक घोषणा तो उन्होंने अपने शास्यशासन की राज-प्रणाली बनाने के अन्वय पर की थी । इसमें महाराज ने 'प्रजाप्रतिभो वपम्' के आदर्श का प्रतिपादन कर अपने को प्रजा की सेवा में निरन्तर रत बनाने की घोषणा की थी । इसी प्रकार १९४२ में विरहग्यायी महायुद्ध के महापूर्व के मोर्चे पर विदा होने के समय राज पृथों में एक अन्धी घोषणा की थी । इसमें आपने कहा था कि "मैं अभी स्वेच्छाचारी नहीं बनूँगा । धर्मशास्त्रों में बगाने हुए मध्ये राजधर्म का पालन करूँगा । इसमें प्रतिपादित विद्याओं का महापूर्व नीति के रूप में पाठन करूँगा ।" उन आठ बिज्ञानों की व्याख्या भी आपने विस्तार के साथ की थी । उनमें आठवीं विद्यात यह था कि "ऐसा उपकारी राज का ह्मनाम हो, जो राजा की भलाई करने आज्ञा और जो प्रजा के त्रिये मन्तोपकारक हो और जिसमें हर तरह से सोचविचार करने के बाद राज्य की मौजूदा दशावस्था को ध्यान में रखते हुए राजप्रभा, लोकस बोर्ड, अनुनिमित्तैल्लिदिया और दूसरी ऐसी सभाओं की मार्गत, जिसमें चुनाव किया जाता है, राज के कामों में प्रजा को दिन ब दिन अधिक शामिल किया जाय ।" इसकी आलोचना हम यथास्थान करेंगे कि वीकानेर में

ये संस्थायें कितने शंशों में लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था जनता की पुत्रों और उन द्वारा राज-काज में प्रजा को कितने शंशों में शामिल किया गया है ?

इस घोषणा में धर्म के राज को दुहाई देते हुये यह भी कहा गया कि विविल लिस्ट यानी राजघराने के स्वर्च को राज्य की कुर्त का १० फीसदी से घटाकर ६ फीसदी करके किसी भी जगह में उसको २० लाख से ऊपर न जाने दिया जायगा । जो भी धर्म, उच्च न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सुधार, प्रामोदोग, कृषि, सड़कों का जनहितकारी कार्यों पर राज्य की धन का ६ फीसदी या २० स्वर्च नहीं किया जाता था । महाराज की महत्वाकांक्षा तो यह थी "बीकानेर राज्य भारतवर्ष के उच्चतरिज राज्यो में गिने जाने के समये अधिक उन्नतिशील राज्यो में भी धारो रहे ।" इस परिश्रम कांक्षा की पूर्ति के लिये एक भी कदम उठाया नहीं गया ।

प्रजा के नैसर्गिक किंवा मौलिक अधिकारों का प्राण तो सुन्दर स्वीका गया था कि मानो बीकानेर हम दृष्टि से एक प्राण ही हो । उसमें हम बार-बार कहा गया था कि "हमारी प्रजा को अपने आजादी से बाँटने और सार्वजनिक सभा करने के एक ही उद्देश्य के बिना प्रजा का राज में शामिल होना स्वर्ध हो जाता है विचार से होकर मन्थ गवर्मेण्ट की प्रजा को एक है कि राज्य के में निष्क न चाहने हुये, तदुचित और कानून की दृष्ट में रहते हुये सामको पर आजादी से गौर करे और हम हम एक को हम बनने बनने को बहुत जरूरी समझते हैं ।" सम्भवतः इसी उद्देश्य के लिये १९४२ में प्रजासभदल की स्थापना की गई थी जिसका १९ दिव भी उसको जीवन नहीं रहने दिया गया कि

पर भी प्रजा सभा दिया गया । प्रजा को कानून का प्र दायण और सभा करना समझे कहा था राज्य माना जाता था

की आशानी का तो यह हाल था कि किसी का मुँह खोलना भी भयानक अपराध माना जाता था ।

जागीरदारों और सरदारों के बारे में भी बहुत ऊँचे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया था। किसानों के सम्बन्ध में तो यहां तक कहा गया था कि "जमींदारों और किसानों को, जिनमे राज्य को बहुत सहायता मिलती है, हम एक बार फिर गम्भीरता से अपना दंड और अचल भरोसा दिखाना चाहते हैं कि उनके मुख में हमारी सुरी है, उनकी तरफकी पर हमें गर्व है और उनकी राजभक्ति हमारा मजराना है।" बीकानेर के किसानों की मुल-सम्पृद्धि और राजभक्ति पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि बीकानेर के किसान भी कुछ-कुछ प्रसिद्ध, पीढ़ित अथवा शोषित नहीं हैं, किन्तु राजनीतिक जागृति एवं चेतनाका भी उनमें सर्वथा अभाव है। अरने अधिकारों के जिये तो क्या, अस्तित्व तक के लिए वे खड़ना नहीं जानते। अब कुछ चेतना उनमें अवरण पैदा हुई है। स्वर्गीय महाराजके समय प्रजामें भी हमशान की-धी निस्तब्धता और शान्ति छाई हुई थी। इस पर महाराज को इतना गर्व था कि उन्होंने कहा था कि "हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हमारी प्यारी प्रजा ऐसी शामलोर और भक्त है, जिससे ज्यादा शामलोर और राजभक्त प्रजा के होने की आशा कोई राजा नहीं कर सकता।"

६. वर्तमान महाराज की घोषणायें

अरने विताप्री के पदचिन्हों पर चलते हुए वर्तमान महाराज शान्दुलसिंह ने भी अनेक सुनहरी घोषणायें की हैं। पहली घोषणा आपने स. मा. १९४३ को अपने राज्याभिषेक के बाद की थी। इसमें अपने स्वर्गीय महाराज की विलक्षण दूरदर्शिता तथा विवेक की प्रशंसा करते हुए कहा था कि "उन्होंने इस राज्यमें विधान-सम्बन्धी सुधार जारी किये थे, यद्यपि उस समय लोगों की ओर से ऐसी कोई मांग नहीं थी।

पञ्चस्यस्ये भाग हमारी प्रजा इतनी सुखी तथा समृद्ध है ।.....हमारी यह उम्मीद है कि हमारी प्रजा राज्य के शासन में अधिकारिक रूप से शामिल हो ।"

इस घोषणा की पूर्ति के लिए भी कृपलानी को शासन सुधार योजना तैयार करनेके लिए बीकानेर बुलाया गया; लेकिन, गृह-मंत्री श्री प्रतापसिंह के सामने उनकी एक भी शक्ति नहीं थी। वे बैरंग वापस लौट गये। कहने को जो सुधार इस घोषणा के बाद जनवरी १९५१ में किये गये, उनकी चर्चा यथास्थान की जायगी।

जनवरी १९५१ की घोषणा के अनुसार बनाई गई धारासभा के मई १९५१ में उद्घाटन करते हुए महाराज ने सन्देश के रूप में इस गयी घोषणा में कहा था कि "राज्य में शिष्टा का अधिक प्रचार हो पर और इन सुधारों के प्रयोग में जाने के नये अनुभव प्राप्त करने हमारी नीति आप लोगों को राज्य शासन में अधिक शामिल करने होगी और जैसे जैसे आपको सौंपे गये कर्तव्यों और जिम्मेदारियों विषय में आप ज्यादा दिलचस्पी दिखलायेंगे, वैसे-वैसे हमको, हमारा प्रजा को, हमारे राज्य के, जो उन्हीं का राज्य है, शासन में अधिकारिक सम्पर्क बढ़ाने में ज्यादा खुशी होगी।" २१ जून को भी महाराज अपनी इस घोषणा को दोहराया था और ऐसी सरकार स्थापित का विश्वास दिलाया था, जो नरेश की सख्तताया में प्रजा के उत्तरदायी होगी। लेकिन, पतभाला जहाँ का वहाँ बना रहा। महा के शासन में उत्तरदायी शासन के तत्वों का समावेश तो क्या ही था, यह और भी एकतन्त्री एवं क्षेत्राचारि हो कर दमन, उत्पीड़न एवं घोषण पर निर्भर रहने लगा।

इसी निष्क्रमिते में ३१ अगस्त १९५१ को एक और घोषणा जिसमें शासन-सुधारों के सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट भाषा का और उसके लिए योजना बनाने की दो उपसमितियाँ बनायीं। एक का नाम 'विधान उपसमिति' रखा गया,

विधान का मसविदा तय्यार करने का काम सौंपा गया है और दूसरी का नाम रखा गया 'मताधिकार उपसमिति'—इसको ग्राम और निर्वाचन क्षेत्रों के विभाजन का काम सौंपा गया है। इस घोषणा में भी काही सुनहरी बातों का उल्लेख किया गया था। उनमें कुछ महत्वपूर्ण बातें निम्न लिखित थीं—

(१) राज सभा का अधिक लोकप्रिय आधार पर पुनः संगठन किया जाय।

(२) धारासभा उचित रूप से बाँटे हुए प्रादेशिक तथा अन्य निर्वासित क्षेत्रों से तथा उदार मताधिकार पर निर्वाचित की जायेगी।

(३) एक विधान जारी किया जायगा, जिससे उत्तरदायी शासन की स्वर्य स्थापना हो जायेगी।

परिवर्तन काल की पूर्व स्थायी दोनों योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा गया था कि—

(१) परिवर्तन काल के लिये शासन परिषद् अथवा राज सभा के कम से कम आधे सदस्य यानी मन्त्री धारासभा के चुने हुए सदस्यों में से नियुक्त किये जायेंगे। इनके लिये व्यवस्थापिका सभा का विश्वास प्राप्त करना आवश्यक टहराया गया था। निम्न महकमे इनके अधीन करने का उल्लेख किया गया था—

(१) पब्लिक वर्क्स और चर्म्स आफ पब्लिक यूटिलिटी।

(२) रेलवे और सिविल एवियेशन।

(३) इन्ड्रिक्ल और मैकेनिकल डिपार्टमेण्ट।

(४) शिक्षा।

(५) मैटीकल और पब्लिक हेल्थ।

(६) रेवेन्यू और इरीगेशन।

- (७) कस्टम्स एण्ड एक्ससाइज ।
- (८) इण्डस्ट्रीज, माइन्स एण्ड मिनरल ।
- (९) लोकल सेल्फगवर्नमेंट ।
- (१०) रूरल अपलिफ्ट एण्ड इम्प्रूवमेंट ।
- (११) एग््रीकल्चर ।
- (१२) कोपरेटिव क्रेडिट संसाह्तीय ।
- (१३) सेवर वेल्फेयर ।
- (१४) वूड एण्ड सिविल सप्लाइज ।

इसके अनुसार दो व्यक्तियों की नियुक्ति की गई थी, जिन सरकार को अनुदार और दमन की नीति के कारण दोनों मंत्री अपने कार्य में असफल रहे हैं। जनता में अपने प्रति विश्वास सम्पादन को भी वे मजबूत नहीं हो सके और राज्य को भी उनकी नियुक्तियों से कोई फायदा नहीं मिला। रायबहादुर सेठ शिवालयजी मेहता ने तो शर्त भी दे दिया।

(२) यह चरणों व्यवस्था केवल तीन वर्षों के लिये की गयी थी। लेकिन भारतीय संघ का उमड़े यहूजे निर्माण हो जाने पर इसी व्यवस्था भी समाप्त किया जा सकेगा। और,

(३) इसके बाद शासन परिषद् के सभी सदस्य अपना पूर्ण अधिकार प्राप्त भी शक्ति हैं, चारा मन्त्र के विश्वास के लिए व्यक्तियों में से ही नियुक्त किये जायेंगे।

(४) जूरी सिस्टम कमेटी का रिपोर्ट में संशोधन कर उसके सदस्यों की नियुक्ति एवं नियुक्तियों के सम्बन्ध में एक परिषद् का भी इसमें सम्बन्ध दिया गया था।

निष्कर्ष, वे सब करने चाहते हैं और इस व्यवस्था को अपने मन में भी स्थापित करने के प्रति उत्साही हैं। यह सब सच है। लेकिन, इस कानों को कार्य में परिवर्तन कर दे और ईमानदारी भी को उनके लिये होनी चाहिये। इस

घातों के पीछे सच्चाई और ईमानदारी का नितान्त अभाव होने का आरोप तो हम बीकानेर सरकार पर खगाना नहीं चाहते । लेकिन, उस तत्परता से इनको कार्य में परिणत करने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा, जिसका उल्लेख इस घोषणा की धारा ११ में किया गया था । उसमें कहा गया था कि "हम यह आदेश देते हैं कि कमेटी का कार्य १ मार्च १९४७ तक समाप्त हो जायगा और हमें विधान का मसविदा पेश कर दिया जाएगा । हमारा यह विचार है कि यही व्यवस्थापिका समाप्त हो जाने और बीच की सरकार नवम्बर १९४७ तक कार्य प्रारम्भ कर दे" १ मार्च को इतने मास बीत गये, किन्तु शासन-विधान के मसविदे का कहीं पता भी नहीं है । महाराज के स्पष्ट आदेश के बाद भी कितनी ढील से काम लिया जा रहा है ?

इन सुनहरी घोषणाओं की चर्चा केवल यह दिखाने के लिए की गयी है कि राज्य शासन का बाहरी ढांचा और आंतरिक नीति केवल सुन्दर शब्दों और कोरी पवित्र भवनाओं से ही नहीं बदली जा सकती । उसके लिये कुछ परिश्रम भी किया जाना चाहिये । बीकानेर के स्वर्गीय और वर्तमान महाराज के शब्द जिनसे सुन्दर थे या हैं और भावनायें भी जिनकी पवित्र थीं या हैं, उतनी सच्चाई, ईमानदारी और तत्परता से उनको कार्य में परिणत नहीं किया गया । परिणाम यह है कि राज्य में कुछ भी राजनीतिक प्रगति नहीं हुई । सबसे अधिक अन्नतिशील राज्यों में भी अपने राज्यको सबसे आगे देखने की स्वर्गीय महाराज गंगासिंहजी की महत्वाकांक्षा के बावजूद बीकानेर राज्य पिछड़े हुए राज्यों में गिना जाता है । प्रगति के कोई चिन्ह अभी तक तो दीख नहीं सकते ।

दसवीं माता ने वफादारी का यह ऐलान किया था कि "हम हमेशा आपके संरक्षण और आपकी आज्ञा तथा मित्रता में रहेंगे। हमारी आरके प्रति जो भक्ति है, उसे हमारी आल-धौजाद भूल नहीं सकती, क्योंकि हमें आपके ही सहारे का मरोता है।" १८३१ में गद्दी से अलग किये गये राजा को गोद दिये हुए जाइके की राजगद्दी पर बिटाये समय लार्ड रिपन ने आदेश दिया था कि "हमेशा उस आदेश को मानते रहोगे, जो सर्प्राइस गवर्नर जनरल अर्थ-व्यवस्था करने, कर लगाने, न्याय से शासन करने और दरबार के हितों की बदली से सम्बन्ध रखने वाले दूसरे उद्देश्यों, अपनी प्रजा के सुख और ब्रिटिश सरकार से उनके सम्बन्ध की दृष्टि से देंगे।"


मैसूर का यह इतिहास प्रायः सभी राज्यों पर कम-अधिक लागू होता है। इस इतिहास में यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार की नजरों में देशी राज्यों का कभी भी स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रहा। ईस्ट इंडिया कम्पनी के दिनों में वे उनके हाथ का खिलौना बने हुए थे। तब उनकी स्वतन्त्र सत्ता का कहीं पता तक न था। १८५७की असफल राज्य क्रांति के बाद जब कम्पनी के हाथों से इस देश की हकूमत ब्रिटिश सरकार के हाथों में आई, तब ये देशी राज्य भी कम्पनी ने उसके हाथों में दे दिये। अंग्रेजी राज के प्रतिनिधि भी देशी राज्यों के साथ एकदम मनमाना व्यवहार करते रहे। ताज के साथ उनका सम्बन्ध न कभी था और न अब ही है। आज देश के भाग्य ने पलटा खाय है। ब्रिटिश सरकार ने जून १९४८ में भारत में अंग्रेज राज का स्वयं अन्त कर देने का ऐलान कर दिया है और उसके लिये तय्यारी भी पूरी सच्चाई एवं ईमानदारी के साथ शुरू कर दी गई है। भारत के स्वतन्त्र होने की अवस्था में ताज के साथ सीधे सम्बन्ध का कुछ भी अर्थ नहीं रहता। इस स्थिति की कल्पना कर खेना समझदार देशी मोर्शों और उनके दूरदर्शी सलाहकारों के लिए कठिन न था। अंग्रेज ब्रिटिश मन्त्रिमिशान ने जो यह घोषणा की है कि स्वतंत्र भारत का

संघ बन जाने पर देशी राज्यों को उसके साथ सन्धियां करनी होंगी, इसकी कल्पना करना भी उनके लिये कठिन न था। जिस सारंगभट्ट सच्चा को देशी मरेशों ने अन्धे की लकड़ी की तरह भपना सहारा बना हुआ था, उसको भारतीय जनता के हाथों में सौंप कर अंग्रेजों के हाथ से स्वेच्छा से घाड़े न हो, लेकिन मजबूरान जाने की कल्पना करना उनके लिए कठिन न था। इसलिये ऐसे घाड़े समय में अपनी निर्णयों को बिगड़ने से बचाने के लिये जो अनेक उपाय खोज निकाले गये और अनेक व्यूहधरणाएँ करने की जो कोशिशें की गईं थीं, इन दोमकों की खाई हुईं ये सन्धियां भी थीं, जिनके अन्त पर अपना ही सम्बन्ध ताज से बटाकर अपनी मत्ता को सर्व-तन्त्र-स्वतन्त्र बनाने की चेष्टा की जाती थी। यह कोरा एक बहाना था, जिसमें राजा और मराठों को भारतीयों की अपनी राष्ट्रीय सरकार से सन्तान कर अज्ञात के सामान अपने पैर जमाये गये जाय और इस देश जयद्वय तथा जयचन्द्र के वंशजों के सहारे जैसे-तैसे अंग्रेजों की कुछ अंशों में तो बना ही रहे। भारत ही वैधानिक प्रगति में सरकारी बाधा से रहे हैं और इनकी सन्धियों के नाम पर काफी प्रयत्न और प्रयास रहा है। फिर १८५९ में तो दितने राज्य हैं, जिनके साथ सन्धियां हुईं हैं। वे कुछ राज्यों का १२वां या १६वां हिस्सा भी नहीं। इनकी संख्या ५० दर्जन राजाओं में सुदिक्रम से ३ दर्जन है। इनकी बड़ी बात यह है, कि ये सन्धियां केवल राजाओं के साथ हुईं हैं। प्रजा का इनमें कुछ भी हाथ नहीं है। इसलिये प्रजा पर इनके अन्तर्निष्ठाओं को कल्पना स्थापनामन नहीं हो सकता। प्रजा इनको कल्पने से हकालत कर सकती है। एक बात और है। यह यह कि इन सन्धियों में प्रजा की सुख-समृद्धि और हम पर गुणानुभव करने के लिए की कुछ हदों का बालमंत्र दिखाने नहीं है। उनका वाचन न तो कभी किया गया कभी न बोलना ही गया। इस प्रकार इनका अन्तिक वाचन केवल राजाओं की अंग्रेजों की दृष्टि से किया गया है। राजाओं के

समय था, जब असन्तुष्ट प्रजा को दबाने के लिये अंग्रेज सरकार उनकी सहायता देने से इन्कार कर देती थी। १८१७ में बीकानेर तक में विद्रोह की—सी स्थिति पैदा हो जाने पर भी जागीरदारों को दबाने और असन्तुष्ट प्रजा का दमन करने के लिये ब्रिटिश सरकार ने कौनी सहायता भेजने से इन्कार कर दिया था। अब पास पलट चुका है। अब तो प्रजा को संरक्षण देना तो दूर रहा, उसका दमन करने के लिए पुलिस और फौज तक भेज दी जाती है। अपने रोय व असन्तोय को प्रगट करने वाली निःशस्त्र प्रजा को सहसा गोलियों से भून दिया जाता है। उहीसा में प्रजा की जागृति, आन्दोलन एवं संगठन को कुचलने के लिए अंग्रेजी सेना ने कौन से अत्याचार न किये थे ? अजबूर में भेव—आन्दोलन का दमन करने के लिए अंग्रेज फौज भेजी गई थी। आज भी घरखारी के छोटे से राज्य में अंग्रेज पुलिस से काम लिया जा रहा है। दूसरी ओर ऐसे भी उदाहरण हैं, जब राजकोट के राजा सरदार पटेल और महात्मा गांधी का अनुरोध मान कर प्रजा के साथ समझौता करने को राजी थे, किन्तु अंग्रेज एजेण्ट ने राजगद्दी से उतारने की धमकी देकर समझौता नहीं करने दिया था। सर सी. पी. राम-स्वामी का यह कथन एकदम ही निरावार नहीं है कि राजा लोग शासन सुधार करने और अपने राज्य में उत्तरदायी शासन कायम करने के लिए सन्धियों के अनुसार स्वतन्त्र नहीं हैं। सन्धियों की भांवा या शब्द-रचना जो भी हो, इसमें सन्देह नहीं कि उनका पालन जिस रूपमें किया जाता है, उसको देखने हुए सर सी. पी. की धारणा बिलकुल ठीक ही है। सच तो यह है कि सन्धियों का पालन अपने सुभोते की दृष्टि से ही किया जाता है और उनका अर्थ भी अपनी दृष्टि से ही लगाया जाता है। अपने सुभोते के माफिक चलने में सर्वभौम सत्ता तो क्या, अंग्रेज सरकार को भी कोई रोक नहीं सकता। हैदराबाद दक्षिण हिन्दुस्तान में सबले बड़ी रियासत है। उसके मालिक आबुल हजरत निजाम साहब अपने राज्य के एक इम्बियन अर्थान् उपनिवेश होने का दावा करते

हैं और अब भी अपना सर्वथा स्वतन्त्र राज्य कायम करने की सपना देख रहे हैं। उनको भी १९३९ में लार्ड रीडिंग ने तब तक जवाब दे कर मुंह पर चपत जमाने में जरा-सामो संकोच न किया। बटलर कमेटी ने इन सन्धिपों को डठा कर ठाकुर पर रख दिया और यह साफ कर दिया था कि सरकार को उनके मामलों में हस्तक्षेप देने का पूरा अधिकार है। कभी तो भलवर के स्वर्गीय महाराज एवं योग्य समझे जाते थे कि उनको गोलमेज परिषद् में प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था और जब उनको अयोग्य समझा गया, तो दुष्ट ने मक्खी की तरह निकाल कर राज्य से बाहर कर दिया गया। कृपेरा से सात समुद्र पार बिदेश में पेरिस में उनकी मृत्यु हुई। क. महाराज के साथ किया गया खिलवाड़-राजाओं की भाँखें खोजने लिये बहुत होना चाहिये था। उन्हें भी राज्य से निर्वासित कर दक्षिण में नजरबन्द रखा गया था। रोवाँ के राजा पर मुकद्दमा चला कर भी जब उनको दोषी सिद्ध नहीं किया जा सका, तब मनमाने पर उनको राज्य से बाहर कर दिया गया। देवास की छोटी पत्नी राजा साहब को पहिले तो इन्दौर की गद्दी पर बिठाने की कोशिश हुई और बाद में कोरहापुर ले जाकर वहाँ की गद्दी पर बिठा दिया गया। भरतपुर के स्वर्गीय महाराज कृष्णसिंह के साथ क्या नहीं किया गया था। उनकी शहादत में मृत्यु हुई। सिरौही के राजा को दि. में निर्वासितों का-सा जीवन बिताने को खाचार किया गया और दि. में मृत्यु होने पर उनके शव के साथ साधारणों का-सा बर्ताव किया गया। इन्दौर के पिछले महाराज को जबरन राजसंस्थान लेने को खाचार किया गया। राजाओं की पच-भट, चन्नि-भट और धानस-भट करने के लिए जो बन्दवन्त्र और मायाशास्त्र रचे जाते हैं, उनकी कहानी इतनी भयानक है कि सुन कर दाँतों तकें अंगुली दबा लेनी पड़ती है।

राजाओं के साथ इस प्रकार मनमाना दुर्व्यवहार करते हुये भी उनके नाम पर उनको परचाने की भी कोशिश की जाती रही है।



स्वामी कमानन्दजी
बीकानेर राज्य राजा परिवर्तन के प्रधान



श्रीरामचन्द्र जैन बहल
राज्य राजा परिवर्तन के कार्यकर्ता प्रधान

घोषणाएँ बनाई गईं, अर्थात् उनके सम्बन्ध में जो भी कानून
 उन सभी में प्रजा की उपाय कर राजाओं की ही दृष्टि से विचार
 कर्षों की जाती रही। मध्य-पूर्व मुद्दों के बाद १८१२ में
 गये संघसामन विधान में राजाओं को तो प्रतिनिधि विधान
 प्रजा की कुछ भी पूछ नहीं की गई। उसकी सर्वथा अनदेखी
 ही गई। उसके बाद हिन्द-योत्रना, शिमला-बर्षा, मन्त्रि-
 योत्रना, वावेस-योत्रना और माउंटबेटन-योत्रना तक में राजाओं
 ही दृष्टि से विचार किया गया। कांग्रेस की नीति भी उपाय की
 रही। १८२८ में नेहरू-रिपोर्ट और १८४२-४९ की सर्व-योत्रना
 भी प्रजा की पूछ न करके राजाओं को ही प्रधानता दी गई। वि-
 परिषद का पहिला अवसर है, जब कि देशी राजाओं की हिन्द
 प्रतिनिधित्व में आधा प्रजा को देने की बात तय हुई है और इस
 चुनाव में भी काफी घाँघली से काम लिया गया है।

इस प्रकार इन सन्धियों पर निर्भर होकर प्रजा की उपाय
 करने वालों में बीकानेर की भी गणना की जा सकती है। इन्होंने
 का सबसे बुरा परिणाम यह हुआ कि राजाओं में प्रजा के प्रति उपाय
 पैदा होकर अपने लिये भी हीन मनोवृत्ति पैदा हो गई। वे प्रजा
 निर्भर न रहकर अपनी शक्ति का आधार प्रजा को न मानकर
 सन्धियों में अपने अस्तित्व के आधार की खोज करने लग गये।
 ब्रिटिश भारत की भी उपाय कर अपना सीधा सम्बन्ध ईश्वर
 बादशाह या ताम्र के साथ जोड़ने लगे। उनको परवाने और मुद्रा
 लिये वायसराय को नया पद 'ताम्र के प्रतिनिधि' का दिया गया जो
 'पोजिटिव विभाग' की माकल 'ताम्र का प्रतिनिधि' अपने इस
 मुँह से काम लेने लगा। राजा लोग इतने ही से पूछे न सके
 लेकिन, जब उनको इस माया-जादू का पता चला, तब वे उसमें
 चुके थे। बरकर कमीशन के सामने राजाओं ने
 का दावा पेश किया। बीकानेर के स्वर्गीय महाराज

रतका नेतृत्व किया। लेकिन, वह विकल हुआ। सन्धियों के निहित
 अर्थ को लेकर एक मांग यह भी की गई कि ब्रिटिश भारत में होने
 वाली चर्चा या आलोचना से ब्रिटिश सरकार उनका संरक्षण करे।
 सरकार ने इसको स्वीकार कर तरह-तरह के 'डिसेस प्रोटेक्शन एक्ट'
 बनाये और उनके संरक्षण का भार अपने ऊपर ले लिया। यही तो
 सरकार चाहती थी। उसने अपने भाग्यकी डोर के साथ उनके भाग्य की
 डोर बांध ली। दोनों दुर्भाग्य और पतन की एक रेखा पर आकर खड़े
 हो गये। प्रजासत्ताकी 'स्व' का परित्याग कर ब्रिटिश सरकाररूपी 'पर' का
 का सहारा लेने से स्वधर्म से पतित आत्मा की-सी राजाओं की हालत
 हो गई। पतित आत्मा जैसे दुर्गुणों का शिकार होती है, वैसे ही
 भारत के राजा भी दुर्गुणों के शिकार होते चले गये। अनाचार,
 अत्याचार, उत्पीड़न, शोषण एवं दमन का देशो राज्यों में दौर
 चल पड़ा। नैतिक पतन की खाई में वे धीरे-धीरे गिर पड़े।

नैतिकताशून्य सन्धियों की इस अनैतिकता को प्रगट करने के लिये
 चर्चा कुछ अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी दो तीन
 बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। सबसे पहिली और बड़ी बात
 तो यह है कि कोई भी सन्धि सर्वथा स्वतन्त्र दो राष्ट्रों में होती है।
 इसलिये सरीखे स्वतन्त्र राष्ट्र के साथ गुलामीमें जकड़े हुये देशी राज्योंकी
 सन्धियों का कुछ भी अर्थ या महत्व नहीं है। ये सन्धियाँ नहीं हैं,
 बल्कि शर्तनामा या पट्टे हैं, जिन पर उनको ये राज्य दिये गये हैं।
 बीकानेर राज्य की नजरों में राज्य के पट्टेदारों अथवा जागीरदारों और
 उनके नाम लिखे गये पट्टों का जो महत्व है, वही इन सन्धियों का
 ब्रिटिश सरकार की नजरों में महत्व है और इनके आधार पर वही महत्व
 उसकी दृष्टि में बीकानेर राज का है। पट्टों या शर्तनामों को सन्धियाँ
 मान कर राजाओं ने अपने को ही धोखा दिया है। पराधीन राज्य
 अपने मालिक राष्ट्र के साथ क्या सन्धि कर सकता है? किरायेदार
 मालिक के साथ लिखे गये किरायेनामे को सन्धि का नाम नहीं

दे सकता। यटलर कमीशन और जार्ज हाडिंग ने इन सन्धियों का अर्थलगाया था।

दूसरी बात यह है कि सन्धियां किसी निश्चित अवधि के लिए की जाती हैं और उस अवधि के बाद उनको दोहराया जाता है। इस परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार उनमें परिवर्तन किये गये। अमेरिका ने स्वतन्त्र होने के समय ऐसी सन्धियों की अवधि तय कर देना कर फाड़ दिया। अवधिरहित सन्धियां जिन कागजों पर कियी गई हैं, उनकी कीमत उन कागजों की कीमत के बराबर भी नहीं होती। इस शोग संशयान्विता के साथ इन सन्धियों को भी जोड़ते चले गये। और सरकार भी इन रही कागज के टुकड़ों को बचौर विस्तार दे रही जा रही है। उगी और धोये का यह व्यापार चल रहा है।

तीसरी बात यह है कि सन्धियों को कुछ तो भी वैधता प्रदान की गयी होगी। यदि इतिहास में किसी सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ हो, तो उसके विपरीत कोई सन्धि नहीं हो सकती। अक्सर के अक्सर प्रदेश के साथ हुई हमेशा की भाँति सन्धियों के विरुद्ध नहीं मानी जा सकती। ये देशी राष्ट्रों के अक्सर हैं। इसलिए उनही इन सन्धियों का स्वतन्त्र रूप में प्रति में कुछ भी मूल्य ही नहीं सकता। अमेरिका के स्वतन्त्र होने के मार्ग में इंग्लैंड की हमारे विरुद्ध थी गई सन्धियों का अर्थ ही क्या नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय कानून ने भी अमेरिका के स्वतन्त्र होने के विरुद्ध को स्वीकार किया है। इस प्रकार के सन्धियों का अर्थ ही इतिहास बना सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रीय कानून को भी अर्थहीन है।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून के मार्ग में ही अमेरिका का ही है ऐसा संभव था। इसलिए देशी राष्ट्रों की राजसत्ता का अर्थ ही क्या नहीं। अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय कानून को अर्थहीन बना देने का अर्थ ही क्या नहीं। अमेरिका के अन्तर्राष्ट्रीय कानून को अर्थहीन बना देने का अर्थ ही क्या नहीं।

- ज्ञान, दिवा और स्वयं अनुत्तरदायी बनते चले गये । उनका ल और मुझव भोग-विद्यास की ओर होता चला गया । जीवन, सम्पत्ति, प्रभुत्व और अविवेक का परिणाम सिवा अन्ध, अनाचार : अत्याचार के और हो ही क्या सकता था ? शासन के दायित्व भार हलका होने पर उच्छ्वसलता का पैदा होना स्वाभाविक था । और राजाओं का खर्च बढ़ने लगा और दूसरी ओर प्रजा पर कर भार बढ़ने लगा । शोषण शुरू हुआ और उस शोषण के लिये दमन रं उत्पीड़न का सहारा लिया गया । राज्यनिर्माण की ओर से ध्यान ले के बाद जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा नैतिक विकासकी ओर कौन धन दे सकता था ? अनहितकारी सब कार्यों और महकमों की नितांत देशकी जाने लगी । स्वदेशाचार भी बढ़ा और जनताको नैसर्गिक प्राणिक अधिकारों से वंचित किया जाने लगा । शासन-तन्त्र यन्त्रवत् निरुद्देश्य लाने लगा । आदर्शभ्रष्ट और उद्देश्यभ्रष्ट शासन-तन्त्र प्रजा की गति में रुकावट बन गया । बिना किसी योजना के चलने वाले शासन क ऊंचे से ऊंचे अधिकारी भी आदर्शभ्रष्ट हो गये । रिश्वतखोरी, लूट-वधोद, अनाचार और अनैतिकता सब ओर व्याप गई । राजाओं और ऊंचे अधिकारियों तक के साथ प्रजा का कोई सम्पर्क न रहा । हसीजिये शासन-प्रबन्ध में भी उसका हाथ न रहा । प्रजा के सहयोग एवं नियन्त्रण से रहित होकर शासन के घोड़े बेलगाम हो गये ।

अन्धवस्था की यह स्थिति अराजकता को पैदा कर क्रांति को जन्म देती है । जिस काल में से हम इस समय गुजर रहे हैं, वह क्रांति को निमन्त्रण दे रहा है । बीकानेर भी उस से बचा नहीं रह सकता । हसीजिये नृरदर्शिता और बुद्धिमत्ता का यह तकाजा है कि उस क्रांति का स्वागत किया जाय और शासन सुधारों के रूप में उसके अनुकूल भूमि अभी से तयार की जाय । औंध, कोचीन और मेवाड़ तथा अन्य कुछ राज्यों में जो परिवर्तन हुये या हो रहे हैं, वे बीकानेर में क्यों नहीं हो सकते ? मुरिक्क तो यह है, कि देशी राज्यों की जैसे कोई रीति-

नीति नहीं है, वेसे ही बीकानेर की भी कोई नीति-नीति नहीं है। किसी विचार, नीति, योजना और विवेक के यों ही राज-कार्य चल रहा है। जैसे घड़का दी गई गाड़ी कुछ दूर चल कर या तो रुक ही अथवा पटरी से उतर कर अस्त-व्यस्त हो जाती है, वैसा ही देशी राज्यों का भी होना निश्चित है। अधिकांश राज्यों में हम छद्म दुर्ग अछूत-सखता एवं स्वेच्छाधार किसी भी नीतिके परिचायक रहे जा सकते। पथभ्रष्ट होने का परिणाम ये जरूर है। यही कारण कि देशी राज्य और बीकानेर भी नीतिहीन होने से किसी भी दिग्गम भी प्रगति नहीं कर सके। कृषि, उद्योग, शिक्षा, व्यापार-व्यवस्था, स्वास्थ्य, ग्राम सुधार आदि सभी दृष्टियों से बीकानेर का राज्य और पिछड़े हुये हैं। प्रगतिशील तत्वों का समावेश राज्य के कि महकमे में हो नहीं सका। इसीलिये शासन पिछड़ गया और साथ बीकानेर की प्रजा भी पिछड़ गई। शासन-तन्त्र इतना विकृत हुआ है कि वह अपने विकासके भार को भी संभल नहीं सकता। पतन और विनाश से बचाने के लिये परिवर्तन की आवश्यकता राज्य स्वेच्छा से परिवर्तन कर सके, तो अच्छा है। अन्यथा प्रकाम्ति हो कर यह परिवर्तन मजबूरन करना पड़ जायगा।

पहिला अध्याय

भाग ४

१. सामन्तवाद और पूंजीवाद का मेल

देशी राज्यों के लिये सामन्तवाद और पूंजीवाद का मेल बहुत बड़ा अभिशाप विद्य हो रहा है। पूंजीवाद का रूप देशी राज्यों में और भी अधिक भयानक हुआ है। इसलिये हो गया है कि इनमें जाने-बाने-बाने पूंजी की ब्यापार-व्यवसाय या उद्योग-धर्मों से उपार्जन किया जाता है, इसका प्रत्यक्ष लाभ राज्य की जनता को कुछ भी नहीं मिलता और जो अल्प-अल्प लाभ मिलता है, वह लोगों में गिरावट, हीनवृत्ति तथा पर-निर्भर रहने की कुत्सित भावना पैदा करने वाला है। बीकानेर की भी यही स्थिति है। वैसे बीकानेर में खखरतियों की कमी नहीं है। बरोबर भी कम नहीं है। लेकिन, इनमें ऐसे कितने हैं, जिन्होंने इस भावना का उपार्जन बीकानेर राज्य में रहकर, यहाँ कोई व्यवसाय चलाकर अपना उद्योग-धर्म शुरू करके किया है। प्रायः सभी राज्य से बाहर प्रिन्सिपल भारत में उद्योग-धर्म या व्यापार-व्यवसाय करने वाले हैं और वहाँ ही उन्होंने धन-सम्पत्ति का संग्रहण किया है। यही कारण है कि स्थानिक दृष्टि से इनके सम्पन्न लोगों के होते हुए भी देशी राज्यों का औद्योगिक व्यावसायिक, और व्यापारिक दृष्टि से भी विकास नहीं हो पाया। भारत-प्रतिष्ठ बड़े बड़े व्यवसायी या उद्योग-धर्म अधिकतर राजस्थान के देशी राज्यों से सम्बन्ध रखते हैं। कच्छ में 'आचार्य द्विवेदी' बड़े बड़े बंधे मंत्रालय-परिहार का सम्बन्ध बीकानेर के साथ है। अथवा दूकानों की शान्ति-संस्थाओं के साथ सारे

सतवर्ष में चाये हुए हागाओं का सम्बन्ध भी बीकानेर के साथ । रामपुरिया, बाँटिया, सेठिया आदि भी बीकानेरी ही हैं। इनके सम्पन्न लोगों को जन्म देने वाले बीकानेर में औद्योगिक प्रगति वही और यहाँ की प्रजा इस कखा-कौशल के युग में भी केवल सेठी पर निर्भर रहे और जागोरदारों के हाथों उसका शोषण होता रहे,—यह राज्य के लिए शोभा की बात नहीं है; चापितु बदनामी का कारण । बीकानेर में दो बार इनकम टैक्स लगाने का उपक्रम होने पर यही कहकर उसका विरोध किया गया कि जिस चाय पर सरका टैक्स लगाना चाहती है, उसका बीकानेर सरकार के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है । फिर, जिस चाय पर ब्रिटिश भारत में टैक्स दे दिया जाता है, उस पर हुदारा लगाने का अधिकार बीकानेर की सरकार की नहीं है । यही बात अब जोधपुर में, वहाँ की सरकार द्वारा इन टैक्स का प्रस्ताव किये जाने पर, कही जा रही है ।

इस प्रकार बीकानेर के बाहर पैदा की गई पूंजी के मालिकानु मालूम क्यों, देशी राज्यों में आकर भीगी बिखली बन जाते हैं। राजदरबारों में उनको सम्मान मिलता है । सोने के कड़े उनको बने जाते हैं । वे प्रजा की ओर से मुँह मोड़ कर राजशक्ति की उपमा करने में लग जाते हैं । पूंजीवाद और सामन्तवाद का इस प्रकार सामंजस्य होकर दीन-हीन प्रजा को और भी अधिक दुर्दशा का सामना करना पड़ता है । आभीरे सामन्तशाही के पर्यन्त विकृत रूप की निशानी है, जो बीकानेर के चौपाई हिस्से पर खड़ी हुई हैं । इनको पट्टेदार, माफ़ीदार, सरदार या डमराय आदि कहा जाता है । स्वर्गीय महाराज और वर्तमान महाराज की घोषणा में इनको समयदान देकर इनके अधिकारों के संरक्षण की हमी भरी जाती है । स्वर्गीय महाराज ने सम्बत् १८६८ की घोषणा की धारा ३२ और ३३ में

अपने डमरायों और सरदारों को पहिले भी विरवाह

दिखाया है और आज फिर विरवाप्त दिखाते हैं कि वे सदैव इस राज्य के धर्म और हमारे राष्ट्रसिंहासन के धामूपय रहेंगे। हम और हमारे पुत्र-पौत्र भी उनके पालित्व इको और आज सुविधाओं को कायम रखने और उनकी सुरक्षा एवं गौरव को बनाये रखने, राज्य में उनकी उचित और प्रतिष्ठित स्थान देने का हमेशा प्रयत्न करते रहेंगे। जबकि हमारा और सरदार लोग राज्य के शासक रहेंगे, राज्य और राजा के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे और जो कर्तव्य बचाने में आने की शक्ति है, उनकी पालन करेंगे, जबकि किसी हमारा या सरदार को यह भय न होना चाहिये कि उनकी कर्तव्य में क्षीन की जायेगी या उनकी अवस्था को या कर दिया दूरी को देरी जायेगी, चाहे वे आगे राष्ट्र कायम करते समय बहुमुख्य सेवाओं या युद्ध की सेवाओं के बदले या अन्य बातों में ही लगे हों।"

इस बात ३३ में आगे-पुगे को अपने राज्य का धर्म और धामूपय कहा गया है। भारत में विमान और मजदूर अथवा साधारण बड़ा ही किसी भी राज्य का धर्म या धामूपय होनी चाहिये। इस अर्थ को किसी भी राज्य का स्थान नहीं है। बात ३३ में आगे-पुगे का स्थान अपने धर्म को और उच्च आकर्षित किया गया है। इसमें कहा गया है कि :-

"इसका, मजदूरों और दूरी आगे-पुगे के वे उन्हें और विमान, लाल केवल राजा व राज्य की लक्ष ही नहीं, बरिब उनकी आगे-पुगे के अपने बली दुर्गा को लक्ष भी है और वे मैदों वनों के उनकी आगे-पुगे विद्वानों में बली लों के रूप में लक्ष और लक्ष होने की जाती रही है, जो बरिबके-बदल आगे-पुगे लक्ष का होकर लक्ष को लक्षकी के लक्ष या लक्षकी की जाती है। वे लक्ष है कि लक्षकी लक्ष :-

"लक्षकी लक्ष है लक्ष की लक्षकी,

“जिलो बांधरो कई सुं नहीं राखसी,

“हुकम चडूली नहीं करसी,

“रैयत सुं जुम जासजी नहीं करसी,

“गांव भाबाद राखसी,

“रकम हिसाबी लेवसी,

“गांव खोर धाड़वी नहीं बसासी, और

“खोर धाड़वी भासी तो पकदाय देवी।”

“इन शर्तों में कुछ को जैसे हरामखोरी, जिसमें खोर वगैरह
जुम राजद्रोह और बगावत आदि शामिल हैं, विद्रोह, परान
राज्य को जबरैस्त हुकम चडूली करने से सब जागीर या उपजा
हिस्सा जप्त भी किया जा सकता है। बाकी दूसरी शर्तों का पालन
करने से जागीरदार खुद को दख दिया जा सकता है।”

जागीरदारों के कर्तव्य का पालन न करने पर सजा का
भी इतने कर दिया गया है। इतनी गंभीरता है कि इन बातों
में प्रजा के प्रति जागीरदार के कर्तव्यों का बहुत स्पष्ट उल्लेख
दिया गया है और अधिक धारार्य इस कर्तव्य का ही निर्देश भी
वाली है। लेकिन, परत यह है कि इनका पालन न करने पर
तक जिनको जागीरें जप्त की गईं हैं और जिनको भी जप्त
सजा दी गई है। दुःखव्यापार कायदा का बर्तन बगैरपाव दिना
है। इससे तो यह प्रगट है कि जागीरदार को कुछ भी सजा
सजा दी जाती है जिनको खोर उनके नेपाओ को। इनको तो कोई
करिबाद भी नहीं गुनग। महाराजा की शासन में जाने पर भी गुनग
नहीं होती। उनके नेपा चीपरी इनुमानबिद और उनके लपों के
केडों में दूँदे लये। उन पर खोर-जुम और उपद्रवियों को गई।

... कमाने लये। लेकिन, जागीरदार की पूजा तक न मारा कि

... इनकी कर्तव्यगर्ही कभी मारा नहीं है ?

... कायदाबन्ध के रूप खजेद मारबन्धन की निपा

ग्याज़िपर में अ० भा० देसीराज्य लोक परिषद् के अधिवेशन में भी की गई थी। इसके सम्बन्ध में स्वीकृत प्रस्ताव में कहा गया है कि "देसी राज्यों के औद्योगिक विकास की समस्या पर, विशेष कर व्यक्तिगतरूप से पूंजीपतियों को दस-दस बीस-बीस वर्ष के लिए जनता के हितों के लिये घातक शर्तों पर दिये जाने वाले एकाधिकार पर परिषद् ने बहुत गहरा विचार किया है। तथा कथित ब्रिटिश भारतसे निकले वर्षों में पूंजी की जो विकासी देसी राज्यों की ओर हुई है, उसको भी इस परिषद् ने बहुत ध्यान से देखा है और इस प्रकार 'बीबाद् और सामन्तशाही का जो सहयोग और गठबन्धन राजाओं एवं अधिकारियों के साम्ने के साथ हो रहा है, उसको भी उसने चिन्ता के साथ देखा है। इस प्रकार एक ओर रियासत की सामन्तशाही और दूसरी ओर निजी पूंजीवाद के स्वार्थों का जो सम्मिश्रण या गठबन्धन हो रहा है, वह उद्योगधंधों के भविष्य के साथ-साथ जनता के वारतविक हितों के लिये भी अत्यन्त घातक है।" निरपेक्ष, इस प्रस्ताव का सम्बन्ध उस गठबन्धन से है, जो औद्योगिक विकास एवं प्रगति के नाम पर इन दिनों में सामन्तशाही और पूंजीवाद में हो रहा है। लेकिन, गहराई से देखा जाय तो यह गठबन्धन काफी पुराना है। जनता की प्रगति और राज्यों के औद्योगिक विकास में सदावक म होकर बाधक ही बना है।

यही कारण है कि आज जनता में जागृति होकर जागीरी प्रथा के नष्ट किये जाने की जोरदार मांग की जा रही है। ग्याज़िपर के स्वर्गीय महाराज माधवराव जी ने इनको प्रथा का मूल जूमने वाला खोंक कहा है और इनकी बहुत ही कठोर आलोचना की है। ग्याज़िपर में अ० भा० देसी राज्य लोक परिषद् ने जागीरी प्रथा इस युग के लिए बहुत बुराकर प्रथा के बहुमुखी विकास के लिये बहुत बुरी बाधा बना है। और कहा है, कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक 'अथवा आर्थिक आन्दोलन पर भी इसका बना रहना व्यापकगत बुरी है। इस

लिये उसको जद-मूल से मट करने की मांग करते हुए उनका ही इसके लिए संगठित होने की अपील की गई है।

यही प्रथा बीकानेर के स्वर्गीय महाराज के राज्यों में उनके राज्य का आधारस्तम्भ और उनके सिंहासन का आभूषण है। इसीलिये अन्य राज्यों के समान बीकानेर में भी उसको अभयदान मिला हुआ है। इस अभयदान से देशी राज्यों में स्वतन्त्रता ही नहीं, बल्कि अराजकता भी छाई हुई है। कोड़ की तरह जागीरों प्रायः सभी राज्यों को घेरे हुए हैं। जोधपुर में ८२ सैकड़ा जमीन जागीरों के आधीन है। जयपुर की ७२ सैकड़ा पर इनका अधिकार है। उदयपुरमें सम्भवतः ६० सैकड़ा के ये मालिक हैं। ग्वालियर में इनकी संख्या छः सौ के लगभग है। बलघर के एक चौथाई से अधिक गांव इनके कब्जे में हैं। जहाँ भी कहीं जागीरें हैं, वहाँ कम-अधिक यही स्थिति है। इनकी दृष्टमत् किस ढंग से चलती है, इसका कुछ परिचय पिछले दिनों में जयपुर के लोकप्रिय प्रधान-मन्त्री श्री देवीशंकरजी तिवारी को उनकी शेखावाटी की यात्रा में दिया गया था। उनके सामने वह काठ पेश किया गया था, जिसमें बड़ी निर्दयता के साथ नूतन तरीके से लोगों को झकड़ दिया जाता था। उनके सामने दाईं हाथ लम्बा शूला भी पेश किया गया था, जिसका जलूस निकाला जाता है और जिससे जागीरों में पुलिस, मजिस्ट्रेट और थोड़ का सारा काम लिया जाता है। इनके गांवों में स्कूल, बाधनालय, पुस्तकालय, चौपालय और प्याऊ आदि का तो नाम तक न मिलेगा। किन्तु शराब की भट्टियों की दूकानें जरूर मिल जायेंगी। जन-भागति को दवाने और कुपलने के लिये सूट और मारपीट ही नहीं, अपितु सशस्त्र आक्रमण तक किये जाते हैं। कार्यकर्ताओं को पीटना और गोली का निशाना बनाना भी उनके लिये सुरिकल नहीं है। जोधपुर, शेखावाटी और ग्वालियर के साथ-साथ बीकानेर से भी इन ज्यादतियों के समाचार प्रायः मिलते ही रहते हैं।

इनके यहाँ चालू हैं। मानवता की दृष्टि से जाग-बाग और बेगार भी साधारण कलंक नहीं हैं; किन्तु सबसे बड़ा जो कलंक इन जागीरों में पाया जाता है, वह है गुलामी की दारोगा प्रथा। ग्याह-शादियों में वे दास-दासियाँ दहेज में दी जाती हैं। सारा जीवन इनको गुलामी में ही बिताना पड़ता है। मध्यकालीन जितने भी दुर्गुण और कलंक हैं, उनको टिकने के लिए मानो जागीरों में ही स्थान मिल सका है। दुःख तो यह है कि इनको गुण और आभूषण मानकर आम्रह के साथ कायम रखा जाता है। इससे सारी प्रजा का पतन हो कर घोर अनैतिकता सर्वसाधारण में छा जाती है। इस अनैतिकता का मूल कारण बनी हुई इस प्रथा या संस्था के सहारे देशी राज्य कजने-फूलने या पनपने की आशा रखते हैं। ऐसी आशा रखने वालों में स्वर्गीय महाराज के शब्दों को देखते हुए बीकानेर का अप्रथी स्थान है।

इसका जो भयानक दुष्परिणाम सामने आ रहा है, वह और भी भीषण है। जागीरदार प्रायः राजपूत हैं और वे अपने को राजाओं के भाई-बंद मानते हैं। इस भाई-बंदी का अम्याय और अनाचार चरम सीमा को पहुँच कर वह एक नयी तरह की साम्प्रदायिकता को जन्म दे रहा है। इस साम्प्रदायिकता के साथ सामान्तराही का सम्मिश्रण होने से करेखा भीम बड़ा बाजा हाज हो रहा है। स्थिति यह है कि किसान प्रायः जाट होते हैं और जागीरदार होते हैं राजपूत। इस लिए वह राजनीतिक द्विजा आर्थिक समस्या राजपूत बनाम जाट का रूप धारण करती आ रही है। शोषित, बीदित, दीन, हीन और पराधीन किसान जागृत होकर यह समझता जा रहा है कि उसकी सब बीमारियों, संकटों और आधि-स्वाधियों का एकमात्र इलाज उच्चरदायी कामन की स्थापना है। इसके लिए प्रयत्नशील प्रजामण्डलों, प्रजापरिषदों अथवा लोक संस्थाओं के साथ इसकी सहानुभूति होनी स्वाभाविक है। दूसरी ओर जागीरदार भी मंगलित होकर सरदार समाजों की स्थापना करने में आगे हुए हैं। प्रजामण्डलों के

मुकाबले में सरदार सभायें प्रायः सभी राज्यों में कायम हो गई हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि शासन-सत्ता, जो धीरे धीरे प्रजा के हाथों में प्रजामण्डलों की मार्फत आनी चाहिये, उसमें सरदार सभायें भी हिस्सा बंटता रही हैं और उनका दावा बिना किसी बहस के स्वीकार किया जा रहा है। जयपुर में विधान परिषद् के दो स्थानों में से एक-एक स्थान प्रजामण्डल और सरदार सभा में प्राप्त में बाँट दिया गया है। तीन लोकप्रिय मन्त्रियों में दो प्रजामण्डल को दिये गये, तो एक सरदार सभा को भी दे दिया गया। इसी प्रकार मेवाड़ में भी तीन लोकप्रिय मन्त्रियों में दो प्रजामण्डल को और एक सरदार को दिया गया है। एक छोटी सरदार सभा बनाम किसान सभा के रूप में जागीरी साम्राज्यविक्रम का जन्म होना और दूसरी और सरदार सभा बनाम प्रजामण्डल के रूप में शासन-सत्ता में जागीरी का हाथ बटाना, दोनों ही भयानक प्रवृत्तियाँ हैं। इनके सम्बन्ध में सावधान रहते सावधान हो जाने में ही बुद्धिमत्ता है।

बीकानेर में चौधारुं राज्य के दिग्गज वा इन जागीरों का अधिपति है। ऊपर जो कुछ इसके सम्बन्ध में कहा गया है, वह सब बीकानेर पर भी लागू होगा है। इसलिये बीकानेर के सम्बन्ध में सावधान और जागृत होना आवश्यक है। ऊपर बीकानेर में तीन ऐसी बरानवे बरी हैं, जिनमें इन अतिव्यक्त सम्बन्धन का बुरा परिचय मिलता है। स्वर्गीय महाराज ने सामन्तों के बरबों की शिक्षा के लिये "बकल मोरक शर्मस्तुत" की एक बड़ी योजना थी और मेला से कायम किया था, जिनमें कि चार मेंछात्रों ने भारतवर्ष में प्रथम श्रेणी की परीक्षा का भीर्ष्यण किया था। चार मेंछात्रों की प्रथम श्रेणी सभा के संकायन के लिये दिग्गजवादी मुगी चाहिये थे, तो स्वर्गीय महाराज को चार १९२ के इन बरबों का परिष्कृत बना कर इन बरबों को क्या सुबुद्धता बराना था। सामन्त, बराना या साधारण इसके बरबों की बरबों में बुरा साव के बाने और चाहिये है।

जमान महाराजा का ध्यान सामन्तों के साथ धीमन्तों की ओर भी था। इसलिए इस हाईस्कूल का नया संस्करण "धीमादूल पब्लिक हाईस्कूल" के नाम से किया गया। इसमें पढ़ाई का खर्च इतना अधिक है और विद्यार्थियों का प्रवेश बहुत कड़ी शर्तों एवं शिफारिशों के साथ इतना सीमित है कि स्कूल के नाम के साथ 'पब्लिक' शब्द खगाने का कुछ भी अर्थ नहीं है। जनता के लिए उसका होना या न होना एक-सा है। सामन्तों और धीमन्तों के बालकों की एक साथ पढ़ाई के लिए की गई व्यवस्था एक निश्चित योजना का परिणाम है। इसीलिए जब सामन्तों ने धीमन्तों को खर्च करके कहा कि "सगला भेडा भेडी भेड हुआसी"। तब महाराज ने ऊंचे आदरों का प्रतिपादन करते हुये यह कहा कि जनता के सहयोग के बिना राजकार्य का सुचारु रूप से सम्पादन नहीं किया जा सकता। 'जनता' से अभिप्राय इस स्कूल को देजते हुये 'धीमन्तों' से ही था। सामन्तों के बच्चों को काफी आर्थिक सहायता दी जाती है। जनता के किसी भी बालक को ऐसी कोई सहायता नहीं दी जाती।

इस स्कूल के समान 'बीकानेर बैंक' भी एक ऐसी संस्था है, जिसमें सामन्तों और धीमन्तों का खासा गठबन्धन हुआ है। यह बैंक जिस औद्योगिक प्रगति और व्यावसायिक विकास के नाम पर कायम किया गया है, उसमें भी धीमन्तों का ही बीजबाला है। धीमन्तों के साथ बाहरेष्टर या हिस्सेदार के रूप में सामन्त भी शामिल हैं। खास मित्र तथा अन्य संभावित मित्रों में भी दोनों का गठबन्धन हुआ और होने वाला है। जनता का तो विशुद्ध शोषण ही होगा। अ० भा० देसी राय खोक परिषद् के ग्वालियर अधिवेशन में इस बारे में जो प्रस्ताव पास किया गया है, वह बीकानेर की स्थिति पर सचा सोचद धाना ठीक बैठता है। इसलिए कार्यकर्ताओं और जनता को भी इस सम्बन्ध में सचेत, सावधान और आगदक रहने की आवश्यकता है। इस गठबन्धन की जड़ें या गाँठें मजबूत हो जाने के बाद जनता के गले

में गुलामी का एक और लौक पद जायगा । यदि उत्तरदायी शासन कायम हो भी गया और उसकी तरह मैं इस गडबन्दन के रूप में जर्मनी को गहरी आर्थिक गुलामी में जकड़ दिया गया, तो उससे रहने क्या राहत मिल सकेगी ? इस लिए समय रहते ही सावधान हो जाना चाहिये ।

पहिला अध्याय

भाग ५

१. शासन की व्यवस्था

राज्य-व्यवस्था के दो प्रधान अंग हैं । एक शासन और दूसरा न्याय । शासन को दो भागों में बांटना चाहिये । एक शासन व्यवस्था, दूसरी वैधानिक व्यवस्था । राजा का स्थान इन सबसे अलग है । आदर्श की दृष्टि से राजा इन सबसे ऊपर है, किन्तु व्यवहार की दृष्टि से शासन में उसका स्थान कुछ भी नहीं है । इंग्लैण्ड के राजा की स्थिति इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है । न्याय-व्यवस्था का स्थान सर्वथा स्वतन्त्र और सबसे ऊंचा है । उसका काम एक और वैधानिक व्यवस्था की शक्तियों को दूर करते हुए उसके बारे में पैदा होने वाली शंकाओं को दूर करना है और दूसरी ओर उसका काम शासन-व्यवस्था पर नियन्त्रण रखते हुए उसकी सीमा से बाहर न जाने देना है । यदि न्याय व्यवस्था का संतुलित शासन पर न हो, तो यह सर्वथा स्वतन्त्र और स्वतन्त्राधीन बन कर वैधानिक व्यवस्था का मनमाना अर्थ करके उसको बिलकुल ही निर्धरक बना डाले । किसी भी राष्ट्र या राज्य में समुचित ढंग पर चलने वाली इसी व्यवस्था का नाम आज-कल की भाषा में पार्लियेमेंटरी शासन व्यवस्था है । प्रजातन्त्री शासन के मूलभूत तत्व भी यही हैं । जिस उदारवादी शासन के त्रिभे प्रारंभः सभी देशी राज्यों में वर्षों से अर्द्धरूप जन-आंदोलन हो रहे हैं, उनका आधार भी यही व्यवस्था है । शासन व्यवस्था वैधानिक व्यवस्था के आधीन होनी चाहिये और वैधानिक व्यवस्था की स्थापना कर

उसके लागू होने की न्यायसंगत परिभाषा करना न्याय व्यवस्था का काम है। वैधानिक व्यवस्था जिस धारा सभा के हाथ में रहती उसका चुनाव बाह्य मताधिकार के आधारे पर हो कर शासन को उसका विश्वास प्राप्त कर उसके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। निस्सन्देह इस सारी व्यवस्था का चक्र राजा के नाम पर चलता है। उसके चारों ओर घूमता है। वह शासन का प्रतीक अवरण होता है। किन्तु शासन की समस्त सत्ता जनता में ही निहित रहती है।

इस दृष्टि से देशी राज्यों को वर्तमान शासन में उत्तरदायी शासकों के तत्वों का यत्किंचित भी समावेश न होकर उसको शासन व्यवस्था सर्वथा स्वतन्त्र एवं स्वैच्छाचारी है। मनमाने कानून जारी कर उनकी मनमानी व्याख्या करना और न्याय-विभाग पर भी मनमाने नियन्त्रण रखना देशी राज्यों में साधारण सी बात है। शासन को शासकों में निर्हित है और सारा राज्य उनकी निजी सम्पत्ति है। व्यवस्था के प्रति यदि प्रजा में रोष व असन्तोष है, तो इसमें आरंभ क्या है ? आश्चर्य तो यह होना चाहिए, जब की ऐसी व्यवस्था के प्रजा में कुछ भी रोष व असन्तोष न हो, जैसी कि बीकानेर की स्थिति थी और अब भी बहुत कुछ है।

बीकानेर का शासन देशी राजाओं में प्राप्त सर्वश्रद्धाई हुई व्यवस्था का अववाद नहीं है; अपितु इसीका एक निकम्मा उदाहरण है। निस्सन्देह, कदनेको राज्यमें धारा सभा है और न्युनिसिपैलिटीपें जिखा बोर्ड तथा पंचायते भी हैं। लेकिन, इनका होना न होना एक-सम है। उनकी चर्चा तो यथास्थान की जायगी। वहाँ शासन सभा की दृष्टि से इतना ही कहना पर्याप्त होना चाहिये कि उस पर धारा सभा का कुछ भी नियन्त्रण नहीं है और न उस पर न्याय-व्यवस्था का ही कुछ नियन्त्रण है ? धारा सभा के प्रति यह किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं है। न उसको उसका विश्वास प्राप्त है और न प्राप्त करने का

घाबरपकता ही है। इस प्रकार सर्वथा स्वतन्त्र शासन-सभा के स्वेच्छाकारी शासन का बीकानेर में अब भी बीजबाला है।

२ शासन-सभा

शासन-सभा में पहिले छः मन्त्री होते थे। अब मन्त्रियों की संख्या बढ़ा कर आठ कर दी गई है। उनके आधीन महकमों की संख्या तेरह है। कई महकमों एक-एक मन्त्री के आधीन हैं। इस समय स्थिति यह है:—

१ प्रधान-मन्त्री	सरदार साहब श्री पन्निकर
२. पोलिटिकल विभाग	" "
३. आर्मी	ठाकुर नारायणसिंह जी
४. अर्थ विभाग	" "
५. गृह विभाग	रा० ब० ठाकुर प्रतापसिंह जी
६. रेवेन्यू	ठाकुर प्रेमसिंह जी
७. जनरल	ठाकुर जसबन्धसिंह जी
८. विचिल सप्लाइ	" "
९. कानून	श्री मित्तराम
१०. ग्राममुचर	श्रीधरी लयाजीसिंह जी
११. अस्पताल	सेठ सन्तोषसिंह जी धरदिया
१२. रकूझ (शिपक)	" "
१३. रवायत	" "
१४. क्याभीय स्वायत्त शासन	" "

इसमें पहिले भाग में सामन्तराही और भीमन्तराही के अगुव गठबन्धन को विस्तार के साथ चर्चा की जा चुकी है। बीकानेर में शासन-सभा में जो परिवर्तन किये गये हैं, उनमें भी सामन्तों के साथ भीमन्तों का अगुव गठबन्धन किया गया है। अतः पौन्द्रे के किये एक

जाट कड़े जाने वाले को भी मन्त्री पद पर नियुक्त किया गया है । 111
में रायबहादुर सेठ शिवरत्न जी मोहता को सिविल सप्लाय का मन्त्र
सौंपा गया था । अब सेठ सन्तोषसिंह जी बरदिया के सिपुर्दे बरखा
शिष्टा, स्वास्थ और स्थानीय स्वायत्त शासन के मद्दमे सौंपे गये हैं ।
अब तक इन मन्त्रिपदों पर केवल सामन्तों का ही एकाधिकार माना
जाता था । बीकानेर में ही क्यों, राजपूताना के सभी राज्यों पर सामन्त
का ही वंश-क्रमानुसार अधिकार चला आता था । पोलिटिकल रिफॉर्म
ने जब देशी राज्यों पर अपने मनचाहे लोग धोरेने शुरू किये, तब
सामन्तों के एकाधिकार में कुछ खल्लस पैदा होना शुरू हुआ । चाण
नहीं कि हमके पीछे यह भी भावना काम कर रही हो कि कहीं राज्यों
महाराजाधों के ये भाई बंद मित्रता कभी कोई पक्षपात रखकर के
समस्या खड़ी न करे । इसलिए हम एकाधिकार पर जोर की गई थी ।
पोलिटिकल रिफॉर्म ने इन अनुभवता को भंग करके अपने ब्यापन
को राज्य सभाओं में समाप्त शुरू कर दिया । पर मनचाहे लोग
पोलिटिकल रिफॉर्म के आदमी थे और आज मात्र पश्चिम
पोलिटिकल रिफॉर्म का ही आदमी है । पोलिटिकल रिफॉर्म के इनके
और इनकी नियुक्तियों को बदल काम होने भी राज्यों और सभाओं
केसूया से जरा के दिन में खपनी गला और आसपास का क
करी किया । बंकरने में आइए दृष्टि से और परिचय नहीं हुआ
आज राजा किया जाये है कि बीकानेर न कभी तथा क परिधि
राज्य के दूर दिनों में ही कानून ब्यापन मान्य सभाय आपन क
हरे हैं और 1912 में था तथा को आ ब्यापन की गई था । सीक
उपरोक्त काल में आज तक नी दिख नहीं गये । राज्य
सभा के लिये न कुछ भी परिचय दिया नहीं गया और इनकी नियु
का का मैं चला गया के लिये उपस्था बनाया करी तथा
केसूया, उपस्था एवं प्रत्यक्ष राज्य सभा के मान्य होने सिद्ध
के लिये सिद्ध बना गया को राज्य सभा के इनका निर्देश

बनाकर रखा गया। धाराबन्धा के यथार्थ स्वरूप की चर्चा तो यथास्थान की जायेगी। यहां इतना ही कहना बस होगा की शासन की सारी व्यवस्था एकमात्र शासन सभा के नाम पर महाराज में केन्द्रित है। शासन सभा के मन्त्रियों को भी ऐसे कोई विशेष अधिकार तो नहीं हैं, पर, ये महाराज के नाम पर अपनी स्वतन्त्र सत्ता का स्वयन्द रूप से उपयोग जरूर कर सकते हैं। महाराज से मुलाकात के लिये लालगढ़ में मिलने का दिन व समय नियत हो जाने पर भी एक दिन पहिले गृहमन्त्री डा. कु. ज्ञानप्रिये ने श्री रघुवरदयालजी गोमल को गिरफ्तार करके लूणकरणसर में नजरबंद करके इस स्वतन्त्र सत्ता का स्वयन्द रूप से जो उपयोग किया था, उस सरीखा उदाहरण सिवाय बीकानेर के और कहां मिल सकता है ? शासन सभा के सदस्य आज भी वैसे ही स्वतन्त्र एवं स्वयन्द हैं। समय के बदलने का उन पर ऐसा कोई विशेष असर हुआ हीन नहीं पड़ता।

३. घेवल दफ्तरी काम

व्यक्तिगत निन्दा और आलोचना में न पड़कर सामूहिक रूप से यह बिना किसी भय और संकोच के कहा जा सकता है कि शासन सभा के अधिकांश मन्त्री केवल दफ्तरी कार्यवाही करने वाले ही होते हैं। कामों पर हस्ताक्षर करना उनका मुख्य काम होता है। उनकी स्थिति अपने महकमे के सुपरिटेण्डेण्ट से कुछ अधिक अच्छी नहीं होती। अधिकांश मन्त्री इन्हींसे प्रमत्ता के सम्पर्क में आते या उससे सम्पर्क बनाने की कोई आवश्यकता ही अनुभव नहीं करते। उनमें शासन की उन्नत, प्रगतिशील, प्रयोगशुभी और उत्तरदायी बनाने की कोई भी भावना या चरणा नहीं होती। इन्हीं लिये वे उसमें जीवन की प्रतिष्ठा न कर उसको और भी निर्मूलक जरूर बना वा छते हैं। वे स्वयं भी उसमें कोई विशेष सा नहीं लेते। इन्हीं योद्धाना परिवर्तन जरूर हुआ है। नहीं तो

मन्त्रीपद प्राप्त करने के लिये सुशिक्षित होना भी आवश्यक नहीं समझा जाता था। उसके लिये अनुभव की भी ऐसी कोई विशेष जरूरत नहीं थी। चात्र भी बीकानेर के गृहमन्त्री ठाकुर प्रतापसिंह न तो ऐसे को शिचित्त व्यक्ति हैं और न अनुभवी ही। वे साम्यशाली जरूर हैं और साम्य की सीढ़ियों पर पैर रखते हुये ही वे इतने उंचे स्थान पर अनायास पहुँच गये हैं। किसी अन्य राज्य में, निस्सन्देह हिन्दुस्तान में बीकानेर सरीखे देशी राज्यों को छोड़ कर, उनको उनकी शिक्षा, योग्यता तथा अनुभव को देखते हुये गृहमन्त्री के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। केवल उनकी ही बात क्यों की जाय ? राजपूताना में अधिकतर मन्त्रियों की यही स्थिति है। सामन्तों की मन्त्रिपदों पर नियुक्ति शिक्षा, योग्यता या अनुभव के आधार पर नहीं की जाती। उसके लिये राज का कृपापात्र होना काफी है।

सामन्तोंके अलावा पीलिटिकल विभाग से आने वालों में अधिकतर ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो अपने जीवन की श्रेष्ठ श्राद्ध एवं शक्ति प्रायः ब्रिटिश भारत में लगा चुके होते हैं और दिवालिया दिन पूरे करने के लिये देशी राज्यों के चरगाह में भेज दिये जाते हैं। ब्रिटिश भारत से वे पेंशन लेते हैं, तो देशी राज्यों से उनकी पूरा वेतन मिलता है। ऐसे लोगों का देशी राज्यों के साथ केवल वेतन का सम्बन्ध रहता है और उदते हुये पंक्षियों की तरह वे इधर उधर ढालों पर घूमा करते हैं। ऐसे लोगों की राज्यों के विकास, प्रगति और उन्नति में क्या दिलचस्पी हो सकती है ? इस लिये भी उनका विकास, प्रगति और उन्नति रुक जाती है। बीकानेर इस स्थिति का अणुवाद न होकर उसका एक नमूना ही है।

४. अर्थतन्त्रिका का पोलवाला

सामन्तों की शासन समा में भ्रमण रहने का दुष्परिणाम यह हुआ

कि उसके कारण सारे शासन में अनैतिकता छा गई और पोलिटिकल विभाग के लोगोंसे इस अनैतिकता को प्रथम या प्रोत्साहन मिला। सामान्त वूँकि यहीं के रहने वाले होते हैं, इस लिये उनके घरों और सड़क में उनके बाटुकार, मुँदलगे व सुशामदी, चरित्रहीन, सिद्धान्तहीन और आदर्शहीन लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही लोगों में से कुछ उनके दलाल भी बन जाते थे। इन दलालों का काम लोगों को उल्लू बना कर अचना स्वार्थ साधन करना होता है। मन्त्रियों के नाम पर सेन-देन शुरू होकर रिरवतखोरी शुरू हो जाती है और अनैतिकता के कीटाणुओं का शासन में समावेश होकर सब और अनैतिकता छा जाती है। जनता का शोषण एवं उत्पीड़न भी इसी प्रकार शुरू हो जाता है। सारी शासन व्यवस्था का इस प्रकार घोर पतन होकर अराजकता की-सी स्थिति पैदा हो जाती है। इस स्थिति या अवस्था में राज्य की उन्नति, विकास अथवा प्रगति की ओर क्या ध्यान दिया जा सकता है। उसके लिए न कोई योजना बनाई जा सकती है और न कार्यक्रम ही। महल, फौज, पुलिस और जकात का ज्यों-ज्यों प्रबन्ध कर लेने में ही शासन समा अपने कर्तव्य की इतिथ्री मान लेती है। जनता के साथ शासन-व्यवस्था की दृष्टि से सम्पर्क कायम कर राज्योन्नति के लिये कोई योजना बनाने का काम कभी भी किया नहीं जाता। जनहित के कामों से भी शासन समा प्रायः उदासीन ही रहती है।

५. रिरवतखोरी का जोर

जकात के महकमे का काम जनता का शोषण एवं उत्पीड़न करके राजकोष का भरना ही होता है। बीकानेर में कुछ वर्ष पहिले तक रेलवे यात्रियों के साथ स्टेशनों पर जो असभ्यता का व्यवहार किया जाता और जिस बुरी तरह फोटोफार्मों पर उनके बिरत तक सुलवा

कर देखे जाते थे, यह यात्रियों के साथ-साथ सरकार के लिये भी बड़े शोभा की बात नहीं थी। घनी-मानी सेठ-साहूकारों के लिये जंकान में किसी भी माल की छूट करा लेना अथवा निमासी मुक्ति करा लेना कुछ भी मुश्किल काम न था। व्यापार-व्यवसाय में भी रिरक्षण का वातावरण स्थापित था। रटाऊ जमा करने के समय किसी वापु की निकामी बंद करा कर कीमतें गिरा लेना और बाहर कीमत बढ़ाने पर निमासी मुक्ति करा लेना तो रिरक्षणपूर व्यापारियों के लिये साधारण सी बात है। विचारे किमान को इस प्रकार घटनी में घटाना का भी पूरा साधन नहीं मिलता। यह घटनी घोटन की उचित कीमत प्राप्त करने में भी बंधित रह जाता है। इस प्रकार इस रिरक्षणपूरी की जगह में नूट मची रहनी है और मारे राज्य में घोट अनैतिकता का जगती है।

पुत्रिम और कीम का महकमा भी जम-सेवा के लिये नहीं है। सामन का अर्थ ही जम जम सेवा नहीं है, नव पुत्रिम न कीम में जम सेवा की भावना वहाँ से पैदा हो। कीम का उद्योग तो ब्रिटिश सरकार ही करनी है। दोनों विरक्षणपूरी महकमों में कीमाने की सेवाओं के बावजूद नाम पैदा किया है। अर्थीव महकम में भी काशी कीमि का महकम देखा था। पुत्रिम पुत्रिम का प्रधान माउम है। अर्थ-पुत्रिम-महकम के बच पर ही तो सामन का बच बनना है और बंधावुंधी अर्थी रहनी है। ह्यथिये पुत्रिम का महकमा गुणावन का नहीं, पुत्रिम का ही कारण बना हुआ है।

महकम का महकमा महकम की सेवा के लिए जाना है। राज्य की जम का अर्थ-महकम महकम महकम का महकमा है, नव अर्थ का अर्थ-महकम महकम का महकमा होता है। राज्य की जम का नव अर्थ-महकम का नव अर्थ-महकम महकम का अर्थ-महकम ही महकम महकम है और अर्थ-महकम महकम के महकम महकम के अर्थ-महकम ही महकम महकम है। अर्थ-महकम का अर्थ-महकम महकम का अर्थ-महकम ही महकम महकम है।

नहीं मिलता। उसको खून पतौने की घामदनी पर यह एक बहुत बड़ा भार होता है, जिसको किसी भी दृष्टि से न्याय-संगत नहीं माना जा सकता।

राष्ट्र-निर्माण यथवा जन-हित की कोई भी स्पष्ट, निश्चित और विकल्पपूर्ण योजना बनाई नहीं जाती। प्रजा के सहयोग से ऐसी किसी योजना के बनावे जाने का उदाहरण बोकानेर के इतिहास में मिलना दुर्लभ है। प्रजाकी शिक्षा और स्वास्थ्य तो ऐसे विषय नहीं हैं, जिन पर कोई मतभेद हो। शिक्षा के क्षेत्र में जो भी काम बोकानेर राज्यमें हो रहा है उसका अधिकांश श्रेय मेड-माहूकारों को है। उन द्वारा निर्मित और संवाजित स्कूलों की संख्या कहीं अधिऊँ है। लेकिन, वे शहरों तक ही सीमित हैं। गाँवों में शिक्षा की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके लिये राज्य कोई पारलौकिक गर्व या अभिमान कर सके। सारे राज्य के गाँवों में पाँच प्रतिशत भी पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं। शहरी जनता भी केवल एक प्रतिशत ही शिक्षित है। लेकिन, इन शिक्षितों में साधारण आम जनता का हिस्सा नगण्य है। अधिकतर शिक्षित लोग सेठ, माहूकार या उनके अधिन रहने वाले हैं। बोकानेर राज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन के खपने शुरू के अधिवेशन में राज्य में साधारण का प्रसार करने के लिये एक व्यापक योजना बनाई थी। सम्मेलन का विचार था कि दो सौ युवकों को इस काम में लगाया जाय और राज्य में वे अधिकांश एवं अज्ञान का मुँह काटा किया जाय। राज्य की ओर से इस योजना के लिए प्रायः कुछ भी प्रोत्साहन नहीं मिला। सम्मेलन का यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। जनता के स्वास्थ्य-सुधार के लिए भी ऐसी कोई व्यापक योजना नहीं बनाई गयी है, जैसी कि ओपपुर में बनाई गई है। गंगानगर की नहर के अन्तर्गत कोई और उद्योग राज्य के विकास तथा उन्नति के लिए नहीं किया गया।

महापुर के दिनों में भी उद्योगधर्मों की ओर कोई विशेष ध्यान

दिया नहीं गया और न कोई सुदोत्तरकात्रीन योजना बनाई गई। चीनी का कारखाना सुखा है, बैंक कायम हुआ है और कुछ कारखाने की भी बात है। लेकिन, राज्य की सामान्य जनता के हित छिपे बहुत कुछ किया जाना चाहिये। कल्पनाशून्य कल्पनाहीन शासन सभा से यह आशा नहीं की जा सकती कि किसी ऐसी योजना को बनाने में समर्थ हो सकेगी। ग्राम जनता नैतिक और बौद्धिक विकास की दिशा में जिस उपेक्षा से काम लि गया है, उससे यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि शासन से नैतिक प्रगति और बौद्धिक विकास को भी घोर शत्रु है।

निर्जीव यन्त्र की तरह चलने वाली भोक्तेर की शासन-व्यवस्था का संवाहन जिन शासन-समा के हाथों में है, वह सर्वथा निर्जीव प्रतिभाहीन, कल्पनाहीन, भावनाहीन और शक्तिहीन शासन संघ है। उससे किसी सजीव योजना की आशा रखना दुराशामात्र है।

६. आशा की किरण

इस अत्यन्त निराशापूर्ण स्थिति में आशा की एक किरण ३ अगस्त १९४६ की घोषणा को कहा जा सकता है। इसमें महाराज ने जो वायदे किये अथवा आशाएँ दिखाई हैं, वे यदि पूरी हो गईं तो निरसंदेह यह सब अनैतिकता विम्व-भिन्न होकर भोक्तेर की शासन-व्यवस्था भी बीच अथवा कोषीन के समान आदर्श बन जायगी। इस घोषणा में महाराज ने कहा था कि—“हम अनुभव करते हैं कि यह समय था गया है जबकि हमारी प्रजा को स्वायत्त शासन के और ज्यादा अधिकार दिये जा सकने हैं तथा और ज्यादा हृदय कर्षण और जा सकने हैं। हम विराम के अनुसार हम चाहिये ही निश्चयी २१ जून को ऐसी सर्वोच्च स्थापित करने का, जो नोच की पत्र-पत्रा में प्रजा के प्रति उत्तरदायी होगी और इस

कार उनको निर्दिष्ट समय के अन्दर राज्य में प्रचलित परिस्थितियों द्वारा का इच्छित ध्यान रखते हुए, राज्य के प्रबन्ध-सम्बन्ध में पूर्ण रूप से सम्मिलित करने का विचार प्रगट कर चुके हैं।" इन शब्दों में यह स्वीकार किया गया है कि उत्तरदायी शासन कायम करने और शासन में प्रजा को पूर्ण रूप में शामिल करने का जो वायदा इस घोषणा में किया गया है, वह पहिले भी किया गया था और यह उसकी पुनरावृत्ति ही थी। इन घोषणायों की जो चर्चा या आलोचना पीछे की जा चुकी है, उसकी हम यहाँ दोहराना नहीं चाहते। आशा रखती चाहिये कि इस घोषणा में की गई वायदों की पुनरावृत्ति पहिले वायदों की तरह व्यर्थ या निरर्थक न जायगी।

यह वायदा गोल-गोल नहीं, किन्तु बहुत ही स्पष्ट शब्दों में किया गया था। घोषणा में फिर कहा गया था कि "इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये हमने यह निश्चय किया है कि जितना जल्दी हो राजसभा का और ज्यादा लोकप्रिय आधार पर पुनः संगठन किया जाय। व्यवस्थापिका सभा उचित रूप से बाटे हुए प्रादेशिक व अन्य निर्वाचन क्षेत्रों से विस्तृत तथा उदार मताधिकार पर निर्वाचित की जायेगी। हम एक विधान जारी करेंगे, जिसके द्वारा उत्तरदायी सरकार स्वरूप प्राप्त हो जायेगी। अर्थात् हममें विधान की परिवर्तन काळ की व स्वाधी होना योजना होगी। अहाँ तक परिवर्तन-काळ का सम्बन्ध है, हमारी एक एक्जीक्यूटिव कौंसिल (शासन सभा) में कम से कम आधे सभ्यी व्यवस्थापिका सभा के चुने हुये सदस्यों में नियुक्त करने चाहिये।" "इस प्रकार मामजद किये हुये विनिररर, जब तक कि उनकी व्यवस्थापिका सभा का विरवास प्राप्त है, हमारी कौंसिल के अन्य सभ्यों के साथ हमारी गर्भमेन्ट के धंग के रूप में काम करेंगे। हमने यह निश्चय किया है कि यह बीच की व्यवस्था तीन मास के समय से या भारतपर्यं के संघ के स्थापन से, जो भी पहिले हो, ज्यादा न हो। बीच की व्यवस्था के बाद कौंसिल

के तमाम मिनिस्टर, जिनमें माइम मिनिस्टर भी शामिल हैं, हम लोगों में से नियुक्त करेंगे, जिन्हें चुनी हुई व्यवस्थापिका सभा विश्वास प्राप्त हो।”

यदि ऐसा हो सके, तो फिर और क्या चाहिए ? लेकिन, बीछ में ऐसा आदर्श शासन स्थापित होनेके लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है पड़ती है। भारतवर्ष विभाजन की काली घटाओं के बीच में 'संघ-शास्य' की और बहुत तेजी के साथ अपसर हो रहा है। विधान परिषद का काम पूरी सुस्तीही के साथ किया जा रहा है। निरमंदेह बीकानेर महाराज का भी उसमें महयोग प्राप्त है और वे उसको सकल बना के लिए प्रयत्नशील भी हैं। प्रतिगामी प्रवृत्तियों की न्यूहरचना और पद्धतियों को द्विन्न-भिन्न करने में उन्होंने कुछ भी उठा नहीं रक है। इसके लिए सब और उनकी सराहना भी हुई और हो रही है लेकिन, बीकानेर में, उनके अपने राज्य में, दिये गये अंधेरा वाद हाल है। शासन को धारा सभा की माफत प्रजा के प्रति उत्तरदायी बनाने, शासन परिषद में धारा सभा के निर्वाचित सदस्यों में से आधे मन्त्री नियुक्त करने और उनको धारा सभा का विश्वास प्राप्त करते हुए कार्य करने की ओर कोई रक कदम नहीं उठाया गया है। हम घोषणा के बाद भी बीकानेर में शासन सभा का पतनाका जहाँ का तहाँ बना हुआ है। धारा की यह किरण भी इस प्रकार निराशा की काखी और घटा में विलीन हो जाती है।

पहिला अध्याय

भाग ६

१. धारा सभा का स्वरूप

धारा सभा का स्वरूप किसी भी शासन-व्यवस्था की परत के लिये कमीटी का काम होता है। शासन पर लोकमत का प्रभाव डालने या नियन्त्रण रखने का सर्वोत्तम माध्यम वास्तविक मताधिकार के आधार पर चुनी गई धारा सभा ही है। लेकिन, भारत के देशी राज्यों में मताधिकार के आधार पर चुनी गई धारा सभाओं का प्रायः सर्वथा अभाव है। केवल चीफ में उत्तको कायम किया गया है और एक आदर्श शैली से धारा सभा का चुनाव दिया जाता है। पौने छः सौ देशी राज्यों में से सम्भवतः ६०-७० से अधिक में धारा सभाओं की स्थापना प्राप्त तक भी की नहीं गई है। जहाँ की गई है, वहाँ इस बात की पूरी गारंटी नहीं रखी गई है कि उन में प्रजा का निर्वाचित बहुमत न हो। निर्वाचन के लिये मताधिकार की शर्तें और चुनाव-क्षेत्र इतने सीमित रखे गये हैं कि उन में प्रजा का बहुमत हो नहीं सकता। फिर धारा सभाओं के अधिकार का क्षेत्र भी इतना अधिक सीमित रखा गया है कि उनका होना न-होना एक-ता हो जाता है। जोधपुर, उदयपुर ईशाबाद-विजयपुर आदि में इसी लिये प्रजाने ऐसी धारा सभाओं का सर्वथा अधिकार कर उनके साथ सहयोग करने से साफ इनकार कर दिया। अन्य राज्यों में बनाई गई धारा सभाओं का स्वरूप भी सर्वथा समोच्चक नहीं है। इसी लिये भरतपुर, ग्वालिबर और इन्दौर की धारासभाओं के वातावरण में सदा ही असन्तोह काया रह कर सर्व

की-सी स्थिति पैदा हो जाती है और प्रजा पक्ष के सदस्यों को डाँट कर उनका बार-बार बहिष्कार करना पड़ जाता है ।

निस्सन्देह, पारा सभा की स्थापना करने वाले देशी राज्यों कीकानेर का पहिला स्थान है । इस के लिये गर्भ भी अनुभव कि जाता है । राज्य के हीवान सरदार पञ्जिकर ने हाजिरी में कीकानेर हुये स्थानीय स्वायत्त शासन सम्मेलन में बड़े गर्भ के साथ इस उद्देश्य किया था । १९१२ में कीकानेर में पारा सभा की स्थापना की गई थी । यत्न करने पर भी हमें इस पारा सभा का पुराना विचार या इतिहास हाथ नहीं खगा । प्रजा पक्ष के नेताओं से भी हमें इस सम्बन्ध में कुछ सामग्री या साक्ष्य नहीं मिल सका । इस लिये पुराने विचार या इतिहास की खर्चा करने में शायनी समसंधता प्रगट की हुई हम उनके स्वरूप और १ जनवरी १९४२ को वर्तमान महाराज द्वारा की गई सामन-मुधार-धोरणा के बाद हुये परिवर्तनों की खर्चा के साथ इस प्रकार की गमात करते ।

२. शाननमुधार धोरणा

इस सामन-मुधार-धोरणा से पारा सभा को नया रूप प्रदान किया गया है । ११ अगस्त १९४६ की धोरणा से, त्रिय की खर्चा बहिष्के के प्रकरणों में विस्तार के साथ की जा चुकी है, पारा सभा को और भी स्वतन्त्र रूप से प्रविष्टि बनाने की वाक्या की गई है । इस धोरणा के अनुसार एक निश्चल नित्य निपुण की गई है । त्रियम निश्चल विभिन्न रूप में कामि है —

- (१) की कवाक्यात की मुधारण, पार-पट-का, इर्ष्याई के खर्च कर्तव्य और व्यवस्थापिका बना के प्रकीर्ण—कवाक्यात ।
- (२) को-धर के गार, व्यवस्थापिका बना के कर्तव्य ।
- (३) राज्यकर के राज्य, व्यवस्थापिका बना के कर्तव्य ।

- (४) पं. बड़ीप्रसाद व्यास, एम. ए., एल.-एल. बी., व्यवस्थापिका सभा के सदस्य ।
- (५) सेठ संतोषचन्द्र वादिषा, व्यवस्थापिका सभा के सदस्य ।
- (६) शेख निसार अहमद, व्यवस्थापिका सभा के सदस्य ।
- (७) सरदार निरंजनसिंह वकील ।
- (८) खाला सरबनारायण सराफ, बी. ए. एल. एल. बी., वकील ।
- (९) पं. सूरजकरण भावाय, एम. ए., वकील ।
- (१०) चौधरी हरीसिंह, वकील ।
- (११) ... (बाद में घोषित किया जायगा) ।
- (१२) रायसाहब कामताप्रसाद, बी. ए., एल. एल. बी. विदेश तथा राजनीतिक सेक्रेटरी तथा वैधानिक मामलों के सेक्रेटरी-सदस्य और सेक्रेटरी ।

मताधिकार की शर्तें और निर्वाचन क्षेत्रों का निर्णय करने के लिए एक और कमेटी नियुक्त की गई है । इसके सभासद निम्न व्यक्ति हैं:-

- (१) रायसाहब ठाकुर प्रेमसिंह जी, माजमंत्री, चेयरमैन ।
- (२) ठाकुर करनसिंह, बी. ए., एल.-एल. बी., उपसभापति राजसभा ।
- (३) भूकरका के राव, राजसभा के सदस्य ।
- (४) मलिक मेहदी खां, जमींदार गंगानगर, राजसभा के सदस्य ।
- (५) सेठ अहरचन्द्र सेठिया, राजसभा के सदस्य ।
- (६) डाक्टर खालसिंह, गंगानगर ।
- (७) चौधरी हरिचन्द्र, वकील गंगानगर ।
- (८) ... (बाद में घोषित किया जायगा) ।
- (९) चौधरी रामचन्द्र, बी. ए., एल. एल. बी. जिला और सहायक सेवानुसंग गंगानगर सदस्य और सेक्रेटरी ।


इस कमेटी के नियुक्त करने का उद्देश्य घोषणा में अधिक से अधिक लोगों को मताधिकार देना और आम तथा विशेष (अगर आवश्यक हो) निर्वाचन क्षेत्रों का नियत करना बताया गया था । यह

बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया था कि "हम यह धारणा देते हैं कि
 का कार्य १ मार्च १९४० तक समाप्त हो जाएगा और हमें विपणन
 मसविदा पेश कर दिया जायगा। हमारा यह विचार है कि
 व्यवस्थापिका सभा बनाई जावे और बीच की सरकार नवम्बर १९३९
 तक कार्य आरम्भ करदे।" इस सन्देश का पाठन जून १९४० को
 किया नहीं गया है।

इस घोषणा के अनुसार बनने वाली आदर्श धारासभा की स्थापना
 होने पर निस्सन्देह बीकानेर का कार्याध्यक्ष हो जायगा। लेकिन,
 सब मताधिकार की शर्तों और निर्वाचन शर्तों पर निर्भर बाधा
 आशा रखनी चाहिये कि उनके निर्यात करने में अनुदार मोर्चा से
 न लेकर प्रगतिशीलता का परिचय अवश्य दिया जायगा।

३. वर्तमान धारा सभा

लेकिन, १ जनवरी १९४२ की घोषणा के अनुसार बनी हुई वर्तमान
 धारासभा का उद्घाटन मई १९४२ में किया गया। उसमें प्रगतिशील एवं उत्तरदायी शासन के तारों का समावेश नहीं
 सका है। इस घोषणा की प्रगतिशील एवं कान्तिकारी बताने का प
 किया गया था और कहा गया था कि इससे बीकानेर में नये युग का
 भीगलेश होगा। इससे धारा सभा के सदस्यों की संख्या २१ कर
 समयमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या २५ और नामजद सदस्यों की
 संख्या २३ करदी गई थी। वज्रट की कुछ मदों पर राय देने का
 अधिकार भी धारासभा को दिया गया है। लेकिन, तीन करोड़
 वज्रट में इन मदों की रकम २०-२५ लाख से अधिक नहीं है।
 वज्रट के केवल बारहवें, त्रिंसे पर धारा सभा अपनी सम्मति प्रगट क
 सकती है। इसी घोषणा के अनुसार तीन मायब सेक्रेटरी भी नियुक्त
 किये गये हैं।



मुबतानचन्द्रजी दर्जा

उत्पादी कार्यकर्ता



श्री छोटलालजी वैद्य

उत्पादी कार्यकर्ता

२८ निर्वाचित सदस्यों में ३ का चुनाव ठिकानेदार करते हैं, १ जिला तथा १६ न्यूनिस्यबल बोर्डों की ओर से चुने जाते हैं। २३ नामजदों में २ करोड़पति सेठ, १ करोड़पति सिख, ३ छत्तपति मान, ३ सामन्तवादी राजकीय तथा डाक्टर और १२ सरकारी होते हैं।

वर्तमान सदस्यों का विरलेपण अत्यन्त रुचिकर और कुतूहलपूर्ण है निम्न प्रकार है:—

१. सामन्तवाद के प्रतिनिधि	१३
२. भीमन्त (करोड़पति व छत्तपति)	२१
(इनमें दो ब्राह्मण और दो मुसलमान भी शामिल हैं)।	
३. भूस्वामी	८
(इनमें १ सिख, १ मुसलमान, और ६ जाट हैं)।	
४. मन्दिर के पुजारी	१
५. सरकारी कर्मचारी	८
	—
	५१

हृदयों अथवा किसानों के प्रतिनिधियों के नाम पर एक मुसलमान पति और एक सम्पन्न वकील को नामजद किया गया गया है।

४. दूषित चुनाव प्रणाली

चुनाव की प्रणाली इतनी दूषित है कि उसमें धाम प्रजा के किसी प्रतिनिधि का चुनाव जाना सम्भव नहीं है। चुनाव प्रत्यक्ष पद्धति से लेकर अप्रत्यक्ष पद्धति से होते हैं। जिला बोर्डों और न्यूनिस्यबलों में सामन्तों, भीमन्तों और सरकारी लोगों का ही आधिपत्य है। जिला बोर्डों में अधिपतियों और नगरदारों की भरमार है। वे पट्टारियों व लहरीदारों के हाथ में रहते हैं। समस्त जिला बोर्डों के सदस्यों की संख्या २२६ है, जिनमें २३ नामजद और १०३ निर्वाचित

हैं। ये १ सदस्यों को चुनते हैं। म्यूनिस्पल बोर्ड के कुछ सदस्यों की संख्या ३०३ है, जिनमें २०६ नामजद और १९७ निर्वाचित होते हैं। ये १६ सदस्यों को चुनते हैं। ठाकुरों की संख्या ५०-६० से अधिक नहीं है। वे ३ प्रतिनिधि चुनते हैं। इस प्रकार २८ सदस्यों को केवल ६२० व्यक्ति चुनते हैं। राज्य की १२ लाख की आबादी है। प्रति एक लाख के पीछे केवल ४६ व्यक्तियों को मत देने का अधिकार है। यथास्थान जिला बंधों और म्यूनिस्पल बोर्डों की चर्चा की जायेगी तथा पाठकों को पता चलेगा कि ये संस्थाएँ ग्राम तौर पर सरकारी हैं। इसलिए सिवाय सरकारी आदमी के किसी और का इनकी कमी से चुना जाना सम्भव नहीं है।

तीन नायब सेक्रेटरियों की जिस नियुक्ति को इतना महत्व दिया गया है, इसका विश्लेषण निम्न प्रकार है:—

(१) सामन्तवाद के गढ़ चार शिवायतों में से एक प्रमुख शिवायत रावतसर के रावसाहब उन्नति-विभाग के नायब सेक्रेटरी हैं।

(२) एक बख्शस्तशुदा तहसीलदार को शिवा-विभाग का नायब सेक्रेटरी नियत किया गया है। इनकी बख्शस्तगी का हुकम रद करके इनका स्वीका मांग लिया गया था।

(३) एक सम्पन्न सिख पकील ग्रामोद्धार-विभाग के नायब सेक्रेटरी नियुक्त किये गये थे, जिन्होंने बाद में असन्तुष्ट होकर स्वीकृति भी दे दिया था।

इनकी अधिकार क्षुण्ण भी दिया नहीं गया। उनका अधिकारक्षुण्ण कर्तव्य केवल इतना ही है कि धारा सभा में प्रश्नों के जिले हुए जवाब पढ़ें। इनकी नियुक्ति बोकानेर के कुरूप शासन-तन्त्र के विरोध का टीका कही जा सकती है। इनका कुछ वेतन ७२९ है, जो ६५) महीना भी नहीं होता।

५. धारासभा या एकांकी नाटक

कांकी नाटक की तरह धारा सभा का अधिवेशन पहिले की तरह भी दो-तीन दिन में समाप्त हो जाता है। किसी भी प्रस्ताव वृ पर योग्यता के साथ कोई बहस नहीं होती। गैरसरकारी पापः कुछ भी नहीं होता। हाईकोर्ट के जिस चीफ जस्टिस की सभा और शासन सभा दोनों से अलग या ऊपर रहना चाहिये उका चेयरमैन होता है। स्पीकर की अपेक्षा उसके अधिकार अधिक हैं। उत्साहशून्य वातावरण में लक्ष्यशून्य सदस्य विचार-विमर्शे इसकी कार्रवाही में भाग लेते हैं। इसीलिए उसमें जनता तल के किसी काम के होने की आशा नहीं जा सकती।

पहिला अध्याय

भाग ७

१. स्थानीय स्थायत शासन

जारा सभा के समान स्थानीय स्थायत शासन संस्थाओं की स्थापना की बीकानेर राज्य में लगभग १९१२-१३ में की गई थी। लेकिन, इन संस्थाओं के विकास करने का भेद बीकानेर प्राप्त नहीं कर सका। स्थानीय स्थायत शासन की दृष्टि से बीकानेर में तीन प्रकार के संस्थाओं का बन्धन की गई थी : (१) म्युनिसिपल बोर्ड, (२) बोर्ड ऑफ़ ट्रेड, टिक्का (बिका) बोर्ड का नाम दिया गया और (३) ग्राम पंचायतें। इनकी स्थापना का बहुत बड़ा सम्बन्ध है, बीकानेर का राज्यात्मक बोर्ड सम्बन्धन से निम्नोद्देश्य बढिका स्थापन है। जयपुर में सार जिनो के कानून से स्थापन-स्थापन पर म्युनिसिपैलिटी का बन्धन हो गयी है। वहीं को विचार्य जयपुर सहर क राज्य में वहीं बोर्ड म्युनिसिपैलिटी का बन्धन कर गया। अतएव में जारा की नीम के कानून अन्तर्गत में बोर्ड जयपुर में एक से अधिक स्थानों में म्युनिसिपैलिटी बनी है। अन्य स्थानों में भी इन दृष्टि से बोर्ड बन्धी मिलि बनी है। लोकता राज्य में १० म्युनिसिपैलिटी, ४ टिक्का बोर्ड और १० ग्राम पंचायतें हैं। इन पंचायतों की संख्या लगभग १० तक पहुँच गई है।

२. म्युनिसिपल बोर्ड

२. म्युनिसिपल बोर्डों में के कुछ ही संस्थाएँ जयपुर में हैं। १९

कस्बों में हैं। इनमें ६ में सब के सब सदस्य नामजद हैं। १७ में निर्वाचन पद्धति स्वोत्कार की गई है। इनमें भी तिहाई से लेकर आधे तक सदस्य नामजद हैं। बीकानेर शहर के बोर्ड का प्रधान भी सरकार द्वारा नामजद होता है। अभी-अभी निर्वाचित प्रधान होने की घोषणा की गई है। इस दृष्टि से बीकानेर अन्य राज्यों से विभूत गया है। कस्बों पर प्रधान कहने को निर्वाचित होता है, किन्तु वास्तव में अधिकांश व्यवहार में केवल चार-पांच बोर्डों ने ही इस अधिकार का उपयोग करके गैरसरकारी सदस्यों में से प्रधान चुने हैं। बाकी बोर्डों में प्रधान उद्दीष्टद्वारा या नाजिम आदि सरकारी नौकर ही हैं। निर्वाचन में भी वे ही चुने जाते हैं।

सालाना बजट के पास धीरे-धीरे मंजूर हो जाने पर भी जब खर्च का पूरा अंश प्राप्त होता है, तब तक पर से कूटा-करकट हटाने के लिये १०) तक लक्ष्य करने की स्वोत्कृति रेवेन्यू कमिश्नर से लेना होती है। यह स्थिति कितनी दयनीय और उपहासास्पद है। इसी के विरोध में बीकानेर म्यूनिसिपैलिटी के सरकार द्वारा नामजद प्रधान सेठ बट्टीदास दागा ने अपने पद से स्तीफा तक दे दिया था। उस समय दिया गया दागाजी का वक्तव्य बीकानेर की स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं की स्थिति पर काफी प्रकाश डालता है। वक्तव्य निम्न प्रकार है:—

“मैं जब आप लोगों के साथ इस संस्था के प्रेसीडेंट के रूप में दाखिल हुआ था, तो मुझे यह सुशी हुई थी कि मेरे से कुछ सेवा अपने स्वयंश भाइयों की होगी। मैं जानता था कि बोर्ड की माली हालत खराबी नहीं है। मगर यह कभी भी नहीं समझता था कि यह इतनी बदतर है। यह गृहस्थी में पाव रखते ही असली हालत क्या है; मालूम हो गई। मैंने सोचा था कि शायद सरकार से भारजू चिनय करने पर जनता की तन्दुरुस्ती कायम रखने के लिए कुछ न कुछ सहायता मिल ही जायगी। मगर अभी तक के आसार के देखने से यही जँचने लगा है कि बोर्ड को कोई सहायता न मिलेगी। यह कहा जाता है कि धीजी

साहब बहादुर ने जो वृत्त घटा फरमाई है, उनके लिए काफी कम होगा। इस लिए शायद सरकार सहायता न देवे। मगर मैं पूछता हूँ कि अगर सफाई और जनता के स्वास्थ्य का पूरा बन्दोबस्त नहीं से महामारियाँ फैलीं, तो फिर वृत्त का उपभोग करने वाले वार्ड से जो वृत्त किसके काम आयेंगी ? जब बजट बॉर्ड में पास करके जा भेजा गया था, तब मुझे यह जान कर पड़ी हैरानी हुई कि महान्वयन हिसाब ने ४३-४४ के बजट की समता करने के लिए ३०-३८ और ३८-३९ के बजट मंगाये। क्या ही अच्छी सूझ है; जब कि बजट के मध्य भाग के बजट की समता करते हैं, बजट के पहिले सालों से चीजों के भावों में तब और अब में रात और दिन का अन्तर है। उस सालों की अपेक्षा शहर की जन संख्या में भी काफी वृद्धि हो गई है। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए मुझे तो बड़ी विरवात होने लगा है कि आप को सरकार से कुछ नहीं मिलना है। आप लोग जानते ही हैं कि सब चीजों पर जकात कर होने से किसी भी चीज पर मामूली से ज्यादा कर नहीं लगा सकते। यह भी कायदे के खिलाफ था। जो चीजें जकात कर से बाकी बची हैं, उन पर के करों से बॉर्ड अपना खर्च नहीं चला सकता। काफी आमदनी न होने से बॉर्ड बजट को न तो काफी रूप में सकुं ही दे सकता है और न पर्याप्त रूप में उनके घरों के आगे की गंदगी दूर करने के लिए गंदे पानी की नालियाँ ही बना सकता है। यहां तक की शहर की सफाई मामूली तौर पर भी ठीक नहीं करा सकता। सफाई जो मानवता की जान है, बिचारे मारगिरों को पत्थर नहीं होती। जो राज्य कोष जनता की गादी कमाई से बना पड़ा है, उसमें से थोड़ा अगर उसी जनता की भलाई, आराम और स्वास्थ्य के लिए खर्च कर दिया जाये, तो क्या हर्ज है ? मगर अधिकारी लोग यह नहीं चाहते। उनको तो अपने आराम की खामी रहती है। जनता जीये या मरे, उससे उनको क्या चारण ? हमको सच्चाई ही जानी है कि हम मकान, दुकान, व्यवसाय इत्यादि पर कर लार्थे। मैं कहता हूँ कि

कौन से न्याय के तारे आप यह भारी कर जनता पर डालने का साहस कर सकते हैं ? क्या आप इनके बदले उतनी ही सुविधा जनता को दे सकते हैं ? आराम, अच्छी सफाई, यंत्रिया सबकें, पानी, काफी रूप में गालियाँ, बगीचे, चगीराह दे सकेंगे ? नहीं । क्यों ? इसलिए कि यह सब कर डाल कर भी आप अपनी आमदनी इतनी नहीं बढ़ा सकते, जितना कि खर्च करना पड़े । जकात लगाने वाली चीजें संख्या में ज्यादा हैं और जब तक उन पर कर आपको न लगाने दिया जाये, आपकी आमदनी नहीं बढ़ सकती । मगर यह करना तभी न्याय संगत हो सकता है, जब सरकार जकात की रेट कम करके आपको उतना ही कर लगाने की इजाजत दे दे, जितना की जकात की रेट कम की गई हो । इससे जनता के ऊपर कर रूपी बोझ न पड़कर उतना ही रहेगा कि जितना अब है । आपका भी काम बन जाये । मगर, सरकार ऐसा करेगी, मुझे ऐसा नहीं जँचता ।

“सब जगह न्यूनीसिपल की हदूद के अन्दर की जमीन बेचने का अधिकार बोर्ड को होता है । उसकी आमदनी से भी बोर्ड का काम चलता रहता है । परन्तु यहां जमीन का पैसा तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इजम कर जाता है और सफाई की जिम्मेदारी पड़ती है बेचारे बोर्ड पर और ऊपर से पूछा जाता है कि इतना खर्च क्यों होता है ? आमदनी क्यों नहीं बढ़ाते ? आमदनी बढ़ाएं कैसे ? आप लोगों को अगर इस संस्था का जीवन प्यारा है, तो जी तोड़कर आप इस बात की कोशिश करें कि या तो राज्य आपको उन चीजों पर उतना ही कर लगाने की इजाजत दे, ताकि आपका खर्च बराबर चलता रहे ।

“बोर्ड के स्टाफ का डिसिप्लिन जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं है । सब लोग यही जानते हैं कि हम सब कुछ हैं । आपने से उच्च अफसर को जवाब तक दे देते हैं कि हम यह काम नहीं करेंगे । यही बजह है कि बोर्ड का काम बहुत मुस्त चलता है और एंजिनिस् के साथ नहीं होता । स्टाफ को अपना डिसिप्लिन सुधारना चाहिए । उच्च अफिसर

के हुक्म के प्रति उदासीनता न दिखानी चाहिए। इससे शान्ति का कुछ नहीं बिगड़ता, मगर बोर्ड के काम में हर्ज होना है।

“सरकार के उच्च अधिकारी भी यह समझते हैं कि हुक्म ही जन्मनिद्र अधिकार है, चाहे वह कायदे के सिक्का हो या अनुपात। बस, हुक्म देते ही रहते हैं। इससे जनसाधारण को तो कुछ ही है, पर इसके साथ ही सुस्त चलते हुए बोर्ड के काम को और भी सुस्त बना देते हैं और बोर्ड संचालन कार्य में बिना बात की रकारें डालते रहते हैं। जिनकी उन तक पहुँच है, सिफारिश करके बाजी मार ले जाते हैं। पर बेचारे गरीब जिनका ईश्वर के सिवाय कोई बेली नहीं है, सच्चे होने पर भी अपना-सा मुँह लिए रह जाते हैं। क्या ही अच्छा न्याय है ? बने हुये कायदों की न तो अपन पावाह करते हैं, न उनपर चलते हैं और न कायदों पर कुछ ध्यान ही दिया जाता है। उन पर कोई चले तो उनकी मरजी, न चले तो उनकी मरजी। अगर इन्हीं कायदों पर जरा सख्ती से अमल किया जाये, तो बोर्ड को कुछ घाप होने के सिवा गुनाहगारों की हरकतों को वजह से जनता के कुछ कष्ट भी कम हो सकते हैं।

“अपना महबूबा ऐसा है कि यहां निष्पक्ष रूप से पूर्ण न्याय होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। यह नहीं कि धनवान के लिए गरीब का गला काट दिया जावे, सामर्थवान के लिए कायदे भी तोड़ कर उनकी इच्छा पूर्ति कर दी जावे और गरीब को कायदे की रू से भी थोड़ा छाम न मिले। अगर घाप ऐसा नहीं कर सकते, तो घाप इस जन-सेवा के महान् कार्य को कभी पूरी और से अंजाम नहीं दे सकेंगे और न जन-समाज की भलाई ही कर सकेंगे। घापको स्वार्थ त्यागना पड़ेगा, न्याय को अपनाना पड़ेगा, मान का त्याग कर साथ और शांति से काम लेना पड़ेगा। घाप जनता के प्रतिनिधि इसलिए नहीं चुने गये हैं कि मुविधानों का खवाल न करें, अपने शरीर को थोड़ा भी खाड़ी प्रतिनिधि बने किरें। मुझे इस बात का क्या ही

दुःख है कि चाप लोग बोर्ड के कार्य में बहुत ही धोड़ी दिलचस्पी लेते हैं। अपने ७५ प्रतिशतसे ज्यादा जलसे बिना स्थगित हुये नहीं होते। यहाँ तक कि वज्रत जैसी महत्वपूर्ण मीटिंग भी तीन मेम्बरों का कोरम न होने से न हो सकी। अपनी फार्मिनेस कमेटी की मीटिंग महीनों प्रयास करने पर भी नहीं होती। अपने सभा में प्रस्ताव तो पास कर देते हैं, फिर भी नहीं सोचते कि अगर इस काम में कोरम नहीं हुआ, तो उनसे जन-साधारण को कष्ट होगा। मगर कोरम पूरा करने की कोशिश नहीं की जाती। यह लापरवाही क्यों? नामजद मेम्बर साहबान तो खास इन्टरेस्ट न लें, तो भी कोई बात नहीं। हालाँकि उनको भी खूब इन्टरेस्ट लेना चाहिए। सरकार ने उन्हें खाली संख्या बढ़ाने के लिए ही तो नामजद नहीं किया है। मगर चाप जनता द्वारा चुने हुए महानुभावों को इतनी घोर उदासीनता न दिखानी चाहिए। अगर, चाप अपने स्वार्थ मास में १, २ या ३ बार भी त्याग नहीं सकते, गरमी या सरदी को बरदास्त नहीं कर सकते, तो फिर चुनाव में खड़े होकर अपनी आत्मा और जनता को धोखा क्यों दिया? मानुभूमि को काम करने वाले स्वागी लोगों की ज़रूरत है, न कि कुर्सी पर बैठकर शोभा बढ़ाने वालों की।

“अगर मैंने कोई बड़े शब्द जोश में कह दिए हों, तो माफ़ करना। साथ कहा जाता ही है। यह दुनिया सच्चे की नहीं है, जी-हुजूरों की है। मगर सुशामद मनुष्य को अपने सिद्धान्त से गिराकर आत्मा पर कटोर कठार करती है। मनुष्य को मनुष्य नहीं रखती, जानघर बना देती है। पथभ्रष्ट करवा देती है और शायद सुशामदी आदमी को दुनिया में कोई परतीत नहीं रहती है, उसे अपने स्वार्थ के लिए आत्मा का हनन करना पड़ता है। मुझे इस बात का बहुत रंज है कि मैंने इस पद की अंश सम्राज होने से पहिले ही अपने कुछ अस्ती कर्मों की बजह से और कुछ ऐसे कारणों से कि जिसे मैं बरदास्त न कर सका था, अवेकाश ग्रहण करना पड़ा और जनता की पूरी सेवा न

कर सका। आप लोगों ने मुझे सहयोग प्रदान किया है, उसके हृदय से धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना है कि वह आप सच्चे जन-सेवक बनावे और कार्य से व्युत्थ न होने दे।”

यह वक्तव्य अपनी कहानी स्वयं कह रहा है। बीकानेर म्यूनिसिपैलिटी की वास्तविक स्थिति का जो नंगा चित्र हम सब में उपस्थित किया गया है, वह अन्य स्थानों की म्यूनिसिपैलिटियों भी पूरा उतरता है। उनकी स्थिति और भी अधिक दयनीय। बीकानेर की म्यूनिसिपैलिटी के समान अन्य स्थानों की म्यूनिसिपैलिटियों के भी हाथ पैर खर्च की तंगी के कारण बंधे हैं। सरकार की ओर से उनको यथेष्ट मदद नहीं मिलती। ग्रामद के सब साधनों पर सरकार का अधिकार रहता है और खर्च का सा भार रहता है षोर्ट के सिर पर। इसलिए जनहित का कुछ भी का वह कर नहीं सकता। रिश्तखोरी, चापलूसी और सुशामद मोलबाला रहता है। सरकारी अफसर गैरसरकारी लोगों के सहयोग नहीं करते। उनका वे अनुशामन नहीं मानते। बैठकों कोरम तक पूरा नहीं होता। सेठ बड़ीदास जी डागा को बीकानेर जैसा अनुभव हुआ, वैसा ही अनुभव जांधपुर में वहां की म्यूनिसिपैलिटी के पहिले गैरसरकारी प्रधान श्री जयनारायण जी व्यास और अजय में वहां की म्यूनिसिपैलिटी के पहिले गैरसरकारी प्रधान देशभक्त लाल काशीराम जी को हुआ था। व्यासजी ने भी इन्हीं कारणों से त्याग पत्र दे दिया था और लाल काशीरामजी को अपने रास्तों काटा मां कर वरलास्त कर दिया गया था। बीकानेर की स्वायत्त-शासन संस्थाओं की दयनीय स्थिति का इससे बढ़िया चित्र नहीं खींचा जा सकता। इसीलिये यह वक्तव्य ज्यों का त्यों वहां दिया गया है।

जिन संस्थाओं की ग्रामदनी की मदों पर सरकार का एकाधिकार हो और खर्च के लिए भी उनको सरकार का ही मुंह ताकना पड़े, ऐसी संस्थाओं जनहित का क्या काम कर सकती हैं ? लोक-कल्याण की

दीर्घकालीन योजना तो दूर रही, वे शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई का साधारण-सा काम भी कर नहीं सकतीं। स्वायत्त शासन की दिशा में तो वे कुछ भी कर नहीं सकतीं। इस प्रकार उनकी स्थापना का कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का कानून बने हुए वर्षों बीत गये। लेकिन, केवल तीन बोर्डों में इसका परीक्षण किया जा सका है। शायद ही किसी स्थान की जनता वहाँ के म्यूनिसिपल शासन से सन्तुष्ट होगी। महकमा माल के सरकारी भौकर महीने में १२, २० या २५ दिन तक दौरे पर रहते हैं। उनके पास अपने ही महकमे के काम का ढेर लगा रहता है। म्यूनिसिपल बोर्डों का वे कुछ भी काम कर नहीं सकते। साधारण मासिक बैठकें भी महीनों बुलाई नहीं जातीं। पानी, रोखनी और सफाई के ठेकेदारों पर कुछ भी नियन्त्रण नहीं रहता। वे अपने पैसे सीधे करने में लगे रहते हैं। अक्सर भी अपनी जेबें गरम कर स्वार्थ साधने में मस्त रहते हैं। म्यूनिसिपल कर्मचारी और अपराधी अफसरों की चापलूसी में लगे रहते हैं। उनको भी अपने काम का कुछ ध्यान नहीं रहता। जनता के धन का दुरुपयोग इससे अधिक और क्या हो सकता है ?

३. जिला बोर्ड

जिला बोर्ड की स्थिति और भी गई बीती है। सारे राज्य में कुल पाच जिला बोर्ड हैं। सबके प्रधान कानूनन और उपप्रधान रिवाजन सरकारी लोग ही हैं। सदस्यों में नम्बरदारों और चौधरियों की भरमार है। वे नाजिम और तहसीलदार से दबे रहते हैं, जो कि प्रधान और उपप्रधान होते हैं। सरकारी अफसरों की इच्छा के विरुद्ध इन बोर्डों में कुछ भी हो नहीं सकता।

४. ग्राम पंचायतें

ग्राम पंचायतों की संख्या १६४६ के शुरू में केवल २-७ थी। अब

प्रामोदार विभाग ने उनको संख्या लगभग २० तक पहुँचा दी है। इनके पंच और सरपंच सब सरकार द्वारा नामजद किये जाते हैं। प्रायः सभी जनपद या अतिरिक्त होते हैं। मुख्य से दो-चार पद-लिये मिलते हैं। वे सभी ग्राम तौर पर पंचों का निरान भी लगा नहीं सकते। आज तक किसी भी पंचायत किसी रिवाजी या फौजदारी मुकदमे की सुनवाई नहीं की है। पंचायत कानून बने हुये पन्द्रह वर्ष बीत जाने पर भी पंचायतों की इतनी अक्षयन्त दयनीय है। प्रामोदायी उनमें कुछ भी लाभ उठा नहीं सकते।

इन संस्थाओं पर होने वाला व्यय जनता की दृष्टि में अत्यन्त और उनके लिये वसूल की जाने वाली रकम एक अतिरिक्त भार है। महाराज अपने राज्य को यदि प्रगतिशील राज्यों में अग्रणी बना हुआ देखना चाहते हैं, तो उनको इन स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं का नवीन संस्कार करके सच्चे अर्थों में उनके द्वारा प्रजा की स्वायत्त शासन देना होगा। केवल कागजी शोभा के लिये उनको कायम करने का जमाना कभी का लड़ चुका है।

५. शासन की व्यवस्था

इसी प्रकार में शासन-व्यवस्था की भी कुछ चर्चा अवरुध की जानी चाहिये। शासन का समस्त दायित्व उस शासन सभा, शासन परिषद अथवा मन्त्रियों की कौंसिल पर है, जो किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं है। इसी लिये शासन-तन्त्र में अनुभारदायी तत्व ऊपर से नीचे तक समाये हुये हैं। मन्त्रियों के नीचे सेक्रेटरियों का स्थान है। वे प्रायः बाहरी लोग ही होते हैं, जिनको ब्रिटिश भारत के अनुभव के नाम पर नियुक्त किया जाता है। सेक्रेटरी एक विभाग के अध्यक्ष के तौर पर काम करता है। इनमें कुछ ऐसे होते हैं, जिनको उनकी योग्यता देने के लिये ब्रिटिश भारत में सबत्रज की सीढी से उंचा पर

हीं मिल सकता और बाकी को भी पुलिस इन्स्पैक्टर से अधिक ऊंचे पद पर नियुक्त नहीं की जा सकती। लेकिन, कुछ ऐसे भी था माते हैं, जो अपने विभाग के मन्त्री से भी अधिक योग्य होते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं कि ब्रिटिश भारत के निकरमे, बड़े और अवसर-शुभक लोग ही इन पदों के लिये भरती किये जाते हैं। ऐसे निष्क्रिय लोगों के दिमाग से किसी सजीव या सक्रिय योजना की आशा नहीं की जा सकती। ब्रिटिश भारत के मौकरशाही शासन को बुराईयों के कीटाणु से पैदा कर देते हैं और उससे सारा शासन ही दूषित हो जाता है। इन पदों पर नियुक्तियाँ और परिवर्तन भी बिना किसी विचार के होते रहते हैं। जेल विभाग वाले को आवकारीमें और आवकारी वाले को जकात में, कानून वाले को कण्ट्रोल में और कण्ट्रोल वाले को अर्थ में भेजते हुये यह समझ लिया जाता है कि सभी अधिकारी सब महकमों का काम संभालने की योग्यता रखते हैं। सबको सभी कामों में जोत दिया जाता है।

जिल्लों में नाजिमों और तहसीलदारों की मार्फत शासन-व्यवस्था चबती है। इन पदों पर भी अधिकार ब्रिटिश भारत के अवसरप्राप्त-लोग ही नियुक्त किये जाते हैं। १९३० से पहिले इन पदों पर एक भी बीकानेरी को नियुक्त नहीं किया गया था। परदेशियों या बाहर वालों की ही प्रायः भरमार थी। बीकानेर में पड़े-छिले लोगों की संख्या बढ़ने पर कुछ पद इनको भी दिये जाने लगे। राजनीतिक चेतना, जागृति और आन्दोलन की आार को मौकरियों की टंटे जख से ही ली शान्त किया जाता है। लेकिन, बीकानेरियों में भी राजपूतों को इन मौकरियों में तरजीह दी गई। राजपूत को अपोग्य होते हुए भी योग्य से योग्य गैरराजपूत से भी अधिक योग्य और अनुभवी माना जाता है। उंचे कचरों के लखों, मारद-बंदों और रिश्तेदारों को भी इन पदों पर बिना विचार और अवगणता के नियुक्त किया जाने लगा। इसलिये बाबब तहसीलदारों के पद पर भी हसी दृष्टि से नियुक्तियाँ की जाने

खर्ची। अधोग्रह व्यक्तियों की नियुक्ति का परिणाम पर इन्हीं नायब महसूलदार चौकी भेंखी के विद्यार्थियों से भी हमें स्पष्ट रले जाने लगे ? व्यावहारिक ज्ञान से भी वे ग्रहण होते हैं उन्हें इतना भी पता नहीं होता कि गुड़ गन्ने के पेड़ में छाता है व हमको पैस कर निकासी जाता है।

स्वाय-विभाग भी अन्य विभागों की छूट से बचा हुआ नहीं है। हम विभाग के क्षीण स्थितियों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके सदस्यों में भी मुद्रिकता से ही कोई कृषि का सुझा मिल सकेगा। हम विभाग। पन्द्रह सदस्यों में से दो-तीन को छोड़कर ऐसा राष्ट्र ही कोई ऐसा जो सरकार वकील रहा हो और जिसको कानून का ज्ञान नहीं जान हो।

ब्रिटिश भारत में बहने वाली नीकरशाही के समान बीकानेर में बहने वाली शाहशाही का यह स्वरूप है, जो राजा या प्रजा के लिए कृप भी दिलाती न होकर दोनों के बीच में एक दीवार खान है। हम दीवार के कारण ही राजा एक प्रजा को शासन, शांति, पूर्वभाव-सम्बन्ध का पहुँचना मुद्रिकता हो गया है। इन्हींके ही-कारण के महागात्रा वास्तविकता से बहुत दूर राज्यों की उल्लंघना में बगले हैं, जिसका उनके राज्य के नाश कृप भी मंच नहीं है। उनको मुनदगी बंजाराओं की कमीरी पर बनना। शासन पूरा नहीं बनना। क्या महागात्र का हम और ध्यान का लकेगा ?

पहिला अध्याय

भाग ८

१. बजट का स्वरूप

अधिकतर देशी राज्यों में बजट प्रकाशित नहीं किये जाते। जिनमें प्रकाशित किये जाते हैं, उनमें बहुत ही कम ऐसे हैं, जो कुछ विस्तार के साथ बजटों को प्रकाशित करते हैं। जनता को बजट की जानकारी देना आवश्यक नहीं माना जाता। जहाँ धारामभाषों हैं, वहाँ भी उन्हें विस्तृत रूप में प्रकाशित नहीं किया जाता। हमलिये श्रीकानेर के बजट को पूरी बर्षों यहाँ नहीं की जा सकती। १९४४-४५ के बजट के अन्तर्गत पर कुछ बर्षों की जा रही है।

राज्य की आमदनी अलग-अलग करों से उत्पन्न की जाती है। हमने माकगुबारी, माक व महामुख से होने वाली आमदनी ३२४६०६० रुपया है। अन्तर्गत की आमदनी १६४०००० है। अन्तर्गत की आय को अन्तर्गत नहीं कहा जा सकता। एतद्विना और यह करने का अन्तर्गत की अन्तर्गत से संबंधित न था। १९४४, आयकारी, माक और अन्तर्गत से ३० लाख की आमदनी है, जिसमें अन्तर्गत और अन्तर्गत से २० लाख रुपया होगा है। अन्तर्गत की अन्तर्गत से होने वाली आमदनी १०९२०२० है। मुख्य आमदनी का अन्तर्गत रहे है, जिसमें ०२ लाख की आय है। अन्तर्गत, अन्तर्गत और अन्तर्गत की अन्तर्गत ११०१६० की आय है। अन्तर्गत व अन्तर्गत आय की अन्तर्गत की अन्तर्गत की और अन्तर्गत अन्तर्गत से आय हुई रकम १९१२०२० रुपया की।

राज्य की अन्तर्गत आय को अन्तर्गत अन्तर्गत आय २०२४६४१४ रुपया है, जिसमें से ११९१६००० रुपया अन्तर्गत अन्तर्गत की अन्तर्गत से अन्तर्गत

है। ऊपर भाव की जो मदें दी गई हैं, प्रायः वे सब अत्यन्त कम सूचक हैं और इस अत्यन्त कम का सारा भार अन्त में छाकर कि के ही सिर पड़ता है। सारे देश के समान बीकानेर भी कृषि प्रधान है। राज्य की १२ लाख आबादी में से ११-१२ लाख लोग गाँवों रहते हैं। राज्य की लगभग तीन-चौपाई आमदनी इन पर निर्भर। लेकिन, इसका बदला उनकी क्या मिजता है ?

लोकोपकारी महकमों पर राज्य कुल २१८१२२३ रुपया खर्च करता है। जबकि डंके की चोट महाराज के जेब खर्च के लिए २ लाख रुपया अलग रख लिया जाता है। यह पौने सत्ताईस हजार रुपया शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रामोक्षार आदि की सब मदों पर होने वाले खर्च का जोड़ है। शिक्षा पर कुल ८२२८६६ रुपया खर्च होता है, इसमें से २२१४८६ रुपया केवल बीकानेर शहर पर और बाकी ३३४४१३ कस्बों या गाँवों पर खर्च होता है। कस्बों और गाँवों के खर्च को अलग-अलग नहीं बताया गया है। लेकिन, यह किसी से भी झिपा नहीं है कि कहीं किसी भी गाँव में कोई हाईस्कूल तो क्या मिडिल या अपर प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। जहाँ-तहाँ कुछ प्राइमरी स्कूल हैं, जिन पर केवल २२००० रु० खर्च होता है। ४० हजार रुपया विकास विभाग में ग्राम शिक्षा के लिये रखा गया है। लेकिन, यह इस निमित्त से खर्च नहीं किया जाता। स्वास्थ्य विभाग पर १४३१११ रुपये खर्च होते हैं। इनमें से ७२१६८२ रुपये केवल रामधानी में खर्च होते हैं। शेष २११२१९ कस्बों के अस्पतालों तथा हिस्पैसियों का खर्च है। लेकिन, एक भी गाँव अथवा ग्रामसमूहों में कोई अस्पताल या हिस्पैसरी नहीं है। सरकों की तामीर और मरम्मत पर २१००१९ रुपये खर्च हुये। यह सारा खर्च प्रायः रामधानी में किया गया। गाँवों में जब सरकें ही नहीं, तब उनकी तामीर या मरम्मत क्या होगी ? ८० हजार रुपया इस वर्ष के बजट में के लिये रखा गया था। लेकिन, यह बरका खर्च

नहीं कहा गया कि युद्ध के कारण आवश्यक सामान मिलना संभव नहीं। यह कठिनाई राजधानी के लिए उपस्थित नहीं हुई। राजधानी पर २॥ लाख रुपया नई सड़कें बनाने में खर्च कर दिया गया। प्रामोदर अथवा लोकसेवा के नाम से भेड़ों के पाखन का काम शुरू किया गया था और उसकी विज्ञापनवाजी भी खूब की गई थी। प्रामोदर के नाम पर सीधा खर्च केवल ५२१२० रुपया होता है, पर काम कुछ भी नहीं होता। कुछ नई पंचायतें इस विभाग की धोर से कायम की गई हैं। उनका कायम करना या न करना एकसा ही है। सच तो यह है कि उस विभाग का कायम किया जाना ही कोई अर्थ नहीं रखता। कागजी शोभा के लिए यह महकमा कायम किया गया है, जिनकी खाद में एक लोकप्रिय मंत्री नियुक्त कर दिया गया है।

यदि राजघराने और राजधानी तथा कस्बों और गांवों में होने वाले राज के खर्च का विश्लेषण किया जा सके, तो उसका अनुपात सम्भवतः आबादी के अनुपात का बिलकुल उलटा ही होगा। गांवों में सबसे अधिक आबादी है और उन पर खर्च सबसे कम है। आबादी का विश्लेषण खर्च से बिलकुल ही विपरीत है। गांव वालों पर उसका सबसे अधिक भार है। धीमन्तों पर कोई सीधा कर नहीं लगाया गया है। सामन्तों पर तो कर लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता। धीमन्तों पर दो बार एकमर्तब लगाने का यत्न किया गया, किन्तु दोनों ही बार राज्य को धीमन्तों के विरोध के सामने हार खानी पड़ी। धीमन्तों और सामन्तों को असन्तुष्ट करने का राज्य में साहस नहीं है। लेकिन किसानों के असन्तोष एवं जागृति का दमन किया जाता है, उनकी ग्राहोचित्त भांगों की अवहेलना की जाती है और उनको जेलों में डूँसा जाता है। दुबनासारा-काण्ड इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

पहिला अध्याय

भाग ६

नागरिक स्वतन्त्रता का अभाव

जनता के मौलिक अधिकारों के प्रतिपादन के बिना शासन सुध का कुछ भी मूल्य नहीं है। शासनतन्त्र का मूलभूत तत्व या हेतु उन के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना ही है। बहुत ही कम देशों राज में जनता के मूलभूत नैसर्गिक अधिकारों को शासन विधा के अविभाज्य अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। बीकानेर के महाराज ने अपनी घोषणाओं में जनता के भाषण, लेखन तथा संगठन के अधिकार प्राप्त होने का उद्देश्य का बड़े बड़े शब्दों के साथ दिया है। लेकिन, व्यावहारिक रूप में इनकी की नाम-निशान भी नहीं है। दमन, उत्पीड़न तथा शोषण का बोझ-वाला जरूर है। नागरिक स्वतन्त्रता का सर्वथा अभाव है। भाषण, लेखन, मुद्रण और संगठन की स्वतन्त्रता नाम लेने तक को नहीं है। बीकानेर में प्रजापरिषद् का कई बार जन्म हुआ। बसुदेवजी के साथ लड़कों की जैसे कंस ने जन्म के साथ ही हत्या कर दी थी, वैसे ही इसकी भी जन्म के साथ ही हत्या की जाती रही। वर्तमान महाराज ने बड़े ऊँचापों के बाद, क्यों कोरे आरवापन देने रहने के बाद, सब कहीं जाकर 'बीकानेर राज्य प्रजा परिषद्' के अस्तित्व को स्वीकार किया है। बीकानेर के दमन-उत्पीड़न एवं निर्वासन की कहानी हम पुस्तक में बख-बख-सर्वत्र ही गई है। उसको यहाँ दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं न तो कोई जनता का अर्थ-सेवक हूँ और न कोई समाज


पत्र ही है। बीकानेर राज्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन सरीखी सर्वथा निर्दोष संस्था को भी एक मासिक पत्र तक निकालने की अनुमति नहीं दी गई। इसके सम्पादक महाराजकुमार के प्राइवेट सेक्रेटरी और राजकीय कालेज के दो प्रोफेसर नियुक्त किये गये थे।

बीकानेर राज्य में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सभा नहीं कर सकता था। धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं तक के लिये पुलिस और माफ़ विभाग की इजाजत लेनी पड़ती थी। जन्माष्टमी, गुरु गोविन्दसिंह के जन्म दिन और चार्समाज के उत्सव के जलूसों के लिए भी पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। बीकानेर की जनता के लिए राजनीतिक सभायें, भाषण और नेताओं के दर्शन प्रायः दुर्लभ ही हैं। एक भी किमी बड़े नेता के स्वागत का सौभाग्य बीकानेर की जनता को प्राप्त नहीं हुआ। प्रान्तीय नेता भी बीकानेर आ कर जब छोट जाते हैं, तब जनता उनके बीकानेर आने का समाचार पत्रों में पढ़ती है।

लोकहित के लिये कायम की गई संस्थाओं को भी बीकानेर में पनपने नहीं दिया जाता। कालेज या स्कूल के विद्यार्थी भी अपनी सभा या संगठन नहीं बना सकते। कोई वाचनालय और पुस्तकालय भी स्वतन्त्रता के साथ लुप्त नहीं सकता। खादी भण्डार में भी राजनीतिक परचम की वृत्ति बीकानेर की हकूमत को आती रहती है। उसको भी निर्दोष रूप से अपना काम करने नहीं दिया गया।

दरोगा प्रथा, बेगार, छाग-बाग आदि की ये प्रथायें भी बीकानेर में विद्यमान हैं, जिनका अस्तित्व नागरिक स्वतन्त्रता के सर्वथा विपरीत चरचा प्रतिपक्ष है।

निरक्षर ही हुए थोड़ा परिवर्तन हुआ है। फिर भी बीकानेर की दशा मेरी का-सा जीवन बिता रही है। उसके जीवन एवं अस्तित्व को न तो बीकानेर के और न महाराज। हम पुरतक के दूसरे अध्याय में हमीदा बिनत से वर्णन किया गया है।



द्वसरा अध्याय

इस अध्याय में:—

१. वंश-परिषद, २. रामदेवजी की प्रतिज्ञा, ३. गौदां ज्यों की राग्य लीपा, ४. पं० शुन्नीलालजी, ५. युवक मयाराम, ६. विपद, ७. देशाटन, ८. गांधी जी का प्रभाव, ९. दूंगरगढ़ की हाबिठ, १०. वृद्धे मुकदमों का आरम्भ, ११. पुलिस में भौकरी, १२. सांख्यसर के परे-दारों का मामला, १३. पुलिस से छुटकारा, १४. बच्चों का जन्म, १५. दूंगरगढ़ में गिरफ्तारी, १६. हरला उपाध्याय का परपन्न, १७. पं० शुन्नीलाल का देहान्त, १८. हरला का मयत्न, १९. बीकानेर में बसना, २०. जन-सेवा का कार्य आरम्भ, २१. बाबू मुकतामरादी बकील, २२. गुणदों की बदमाशी, २३. माई श्रीराम की शारी, २४. घर में वृद्ध, २५. बहन मानू का मकोप, २६. कलकत्ते का प्रवास, २७. रानी का स्वर्गवास, २८. बीकानेर में श्रीरामाश्रम, २९. अत्याचारों की वृद्धि, ३०. प्रजामण्डल की स्थापना, ३१. प्रजामण्डल का पुनर्ग, ३२. प्रजामण्डल का उद्देश्य, ३३. प्रजामण्डल का कार्य आरम्भ, ३४. किसानों के कष्ट, ३५. पट्टेदारों की दशा, ३६. मण्डल की कार्य-प्रणाली, ३७. नागरिक स्वतन्त्रता, ३८. उद्दामर गांव में अत्याचार, ३९. नीतिवा पर अत्याचार, ४०. गिरफ्तारी और बालया, ४१. बार सेनाधी का निर्वागत, ४२. कौन कियर गया, ४३. मारवाती रिश्वीय सोझारी में भौकरी, ४४. कलकत्ते की मित्र मण्डली, ४५. बीमपरिहार से संबंध, ४६. कलकत्ते में प्रजामण्डल की स्थापना, ४७. जाली हद्देकी का स्वर्गवास, ४८. प्रशंसा पत्र प्राप्त, ४९. ज० प्र० पूष धीग ५०, प्रचार कार्य, ५१. पुनः बीकानेर जाना,

वंश-परिचय

बीकानेर की जनता के सेवक और नायक, बृद्ध तपस्वी तथा देशी भाषाओं द्वारा पीड़ित वैद्य मयाराम जी का जन्म बीकानेर राज्य ; अन्तर्गत करवा हंगरगढ़ में काङ्गुत कृष्ण द्वितीय संवत् ११५८ में तस्वत ब्राह्मण घराने में हुआ ।

हमारे अग्रिष्ठ नायक के पूर्वज सरस जी हंगरगढ़ के, जिसका प्राचीन नाम सरसगढ़ था, अधिनायक थे । उन्होंने जोरीगढ़ (जैसलमेर) से आकर सं० १११६ में सरसगढ़ बसाया । सरसजी बड़े प्रतापी और सच्चे ब्राह्मण थे । १४४४ प्रामों पर अधिकार होते हुये भी कुल-खिद्र उन्हें छुभी नहीं गया था । कर्त्तव्या राजपूतों में आपकी बड़ी मान-प्रतिष्ठा थी । १६ राजपूत घराने आप को गुरु मानते थे । गुरु को चेले किस तरह चकमा देकर अपना प्रमुख जमाते हैं, इसका उदाहरण सरस जी को दिये गये धोरे से मिल सकता है । मोले भाले गुरु से राजपूतों ने काकर कहा कि हमारी कन्या की सगाई उंचे राजपूत घराने में होगी है । अपनी खज्जा बचाने के लिये हम चाहते हैं कि कुछ समय के लिये आप गढ़ को हमें दे दें और हमारे साधारण मकानों में अपने परिवार को ले जायें । सरस जी ने इसमें कोई आपत्ति नहीं की । शिष्यों की खज्जा रखने के लिये उन्होंने ने कुछ समय के लिये गढ़ छोड़ देने की स्वीकृति दे दी । विवाह हो जाने के उपरान्त जब उन लोगों से गढ़ वापस देने को कहा गया तो यही जवाब मिला कि गढ़ छोड़ देने वाले का ही होता है, आपका अधिकार अब कैसा ? सरस जी को इस विचारपाल पर इतना सोच हुआ कि उन्हें ने गढ़ के सामने चिताएँ जलाई, बुद्धिबिषयों सहित अग्नि में प्रवेश कर शरीर छोड़ दिया । अग्नि से बचे हुये सरस जी के साथियों को बर्छये राजपूतों ने तबबार के घाट बनाया, अपने विचारपाल को दाहाटा पर चहुँबा दिया ।

२. रामदेव जी की प्रतिज्ञा .

मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है । दैवयोग से सरस जी की गर्भवती पौत्र-बधू जोधपुर राज्य के अन्तर्गत डेमदाणा में अपने पिता के यहाँ गयी हुई थी । इस स्त्री के रामदेव नाम का पुत्र हुआ, जो बचपन से ही बड़ा मटलठ था । बालक की खदने की वृत्ति से तब आकर एक दिन मामो ने साना मारा "अपनी शूरवीरता हमारे कर्णों पर न दिखाकर कच्चीये राजपूतों पर क्यों नहीं भजमाते, जिन्होंने तुम्हारे समस्त कुटुम्ब का नाश कर दिया है ।" बालक का अभिमान जाग उठा और वह भागा हुआ अपनी माता के पास जा पहुँचा । रामदेवकी अर्धवृद्ध देख माता ने कच्चीये राजपूतों द्वारा किये गये विरवाभघाठ और हत्याकाण्ड का सारा हाल कह सुनाया । अपने कुटुम्बियों के विनाश की कहानी सुन बालक में प्रतिशोध की अग्नि जाग उठी और उसने माता के सामने ही प्रतिज्ञा की कि जब तक सरस जी के रक्त का बदला नहीं लूँगा तब तक इस गाँव में मुँह नहीं दिखलाऊँगा । पुत्र को रोकने की माता ने अनेक चेष्टाएँ की, पर सब बेकार ही रही । या से निकल राम देव मटकला हुआ उदयपुर रियासत के एक जंगल में पहुँचा और वहाँ एक धाधार्य से दीक्षा ले, १२ वर्ष के अन्दर शास्त्र और शास्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त की । रामदेव जी की प्रतिशोध की भावना शान्त नहीं हुई थी और न वे अपनी प्रतिज्ञा को ही भूँटे थे । अपने कार्य की सिद्धि के लिये उन्होंने चितौड़ के महाशाहा की मर्द ब्रज को और शाहा की सेना के सहारे विरवाभघाठी कच्चीये राजपूतों को कोय-कोय कर मार डाला । इत्यतिष्ठ रामदेव जी ने कुछ समय सासगढ़ पर शासन कर राज्य का भार अपने शिष्य गौदारे जाटों को

३. गौदारे जाटों को राज्य सौंपा

रामदेव के बाद पुत्र से— राजराम, महादेव, भोजराम जी

उत्थापित । इन्हीं के वंशज सारस्वत ब्राह्मणों के २५०० घर बीकानेर और हासपास की रियासतों में पाये जाते हैं । गौदारे जाटों ने रामदेव जी के वंशजों का सदैव सम्मान किया । उन लोगों ने हेमासर बख्शवाली और बीजरवाली ग्राम दो सारस्वतों को बिना लौंग-बाग के ही दे दिया । चाले बख्शकर सोलियासर के राजगुरु प्रोहितों ने बीजरवाली से सारस्वतों को निकाल दिया । गौदारे जाटों द्वारा दी हुई अन्य भूमि भी अभी तक सारस्वत ब्राह्मणों के पास अब तक चली आती है । इधर गौदारे जाटों ने वृद्धि के दिन देखने के बाद पतन की ओर कदम बढ़ाया । आपसी फूट होने पर गौदारे जाटों ने बीकानेर के संस्थापक धी बीका जी से मदद ली और अपना पूर्ण सहयोग दे, अपने वंशजों के लिये सर्व प्रथम राज्य तिलक करने का अधिकार पाया । बीकानेर राज्य की स्थापना संवत् १५४५ में हुई थी ।

४. पं० चुन्नीलाल जी

रामदेव जी के पुत्र हालू जी और महादेव जी के वंश में हमारे चरित्र नामक के पितामह कानीराम जी संस्कृत भाषा के पुरंधर पंडित और वेदान्ती विद्वान थे । कानीराम जी को विद्या ब्यसनी होने के कारण काशी में रहना अधिक पसंद था । काशी वास के कारण घर पर पंडित के पुत्र चुन्नीलाल की शिक्षा कुछ अधिक न हो सकी । गौदारे जाटों को यज्ञमानी, खेती-बाड़ी तथा गौपालन करना ही आपका मुख्य कार्य था । चुन्नीलाल जी स्वभाव के सरल, जवान के सच्चे, कर्म के वीर और गरीबों पर दया करने वाले थे । पहले यह उदरासर में रहते थे, परन्तु संवत् ११४० में मया आबाद होनेवाले हुशरगढ़ कस्बे में चले गये । वहीं पर ही हमारे चरित्र नामक मयाराम का जन्म हुआ ।

५. युवक मयाराम

चुन्नीलाल जी ने अपने पत्र का ज्ञान प्राप्त किया और १८ वर्ष

हमका स्कूल का जीवन अधिक सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ६ वर्ष में हिन्दी की छटी कक्षा तक ही पहुँच सके। बचपन से ही हमका स्वभाव अधिक खरा और मगदाल था। गरीब बच्चों और सत्य बात का पक्ष लेकर यह अक्सर अपने साथियों से झड़ जाता करके। स्लेमकी की पाठशाला में संस्कृत की शिक्षा पाने के लिए चुन्नीलाल जी ने युवक मधाराम को रतनगढ़ भेज दिया। एक वर्ष संस्कृत का अध्ययन करने के पश्चात् बस्तीरामजी की पाठशाला में आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कनखल [हरद्वार] चले गये। यहाँ कुछ समय रहकर काशी पहुँचे, जहाँ सरस्वती फाटक पर रहने वाले श्री यमुनादत्तजी शास्त्री के पास आयुर्वेद का अध्ययन आरम्भ कर दिया।

६. विवाह

इसी बीच चुन्नी लालजी काशी पहुँचे और पुत्र मधाराम को रूंगरगढ़ ले आये। यहाँ आनेपर २३ वर्षकी अवस्था में बीकानेर के ऊदाराम जी शोभा की सुपुत्री मिर्चीदेवी के साथ विवाह सम्पन्न हो गया। विवाहके कुछ समय बादही युवक मधाराम देशाटनके लिये निकल दिया।

७. देशाटन

श्री मधाराम ने एक बानिये के गहाँ मौकरी करली और मुरलीगंज (जिला भागलपुर, बिहार) पहुँचे। स्वतंत्र प्रकृति के होने के कारण मौकरी में ३ वर्ष बाद मन नहीं लगा और उसे छोड़, बलकले पहुँच, गाल और आश्रम का भ्रमण किया। इस के पश्चात् उन्होंने काशी आकर पुनः आयुर्वेद का अध्ययन आरम्भ कर दिया और पूजा-पाठ आदीविका का प्रबन्ध कर लिया।

८. गांधी जी का प्रभाव

यह सन् १९२१ की बात है। महात्मा गांधी काराी पहुँचे थे। उनका वहाँ के टाउन हॉल में व्याख्यान हुआ। गांधीजी के भाषण का श्री मधाराम पर इतना प्रभाव पड़ा कि राजनीति में प्रवेश कर देश के हित में ही सदा जुटे रहने की प्रतिज्ञा करली। अबसे इन के मनमें यही भावना समा गयी कि राष्ट्र हित केलिये कार्य करने में ही मेरा हित है। ईश्वर से यही प्रार्थना होती रहती थी कि देश के प्रति उत्पन्न हुई सद्भावना सदैव धनी रहे।

९. झूंगरगढ़ की हालत

राष्ट्रीय भावनाएं जागृत होने के कुछ समय परचात श्री मधाराम झूंगरगढ़ लौट आये। यहाँ आकर आपने नवीन विचारधारा के अनुसार देश की आजादी के संबंध में विचारविमर्श करना प्रारम्भ कर दिया। स्थानीय पुलिस के कान खदे हुए और घरवालों के चालान कर देने की धमकी भी दी जाने लगी। अधिकारियों का अनुमान था कि पुलिस का भय राष्ट्रीय जोश को ठण्डा कर देगा। यही नहीं झूंगरगढ़ के धनीमानी व्यक्ति भी आपसे बाहर होगये, क्योंकि मधाराम की विचारधारा जहाँ साम्राज्यवाद के विरुद्ध थी, वहाँ वह पूंजीवाद को भी विरुद्ध थी। उसके जाने पूंजीवादी और साम्राज्यवादी एक ही पैड़ी के सहे-सहे थे।

१०. भूठे मुकदमोंका आरम्भ

श्री मधाराम के पक्षीस ही में जीवन नामका एक सुनार रहता था। इस सुनार को शराब पीने के साथ-साथ औरतों को देस कर बचने की आदत थी। एक दिन आपनी आदत के अनुसार शराब के नरो में वह मुहल्ले की

या वह उबल सुनार का बुरा तरह बोटने लगें। शराबी में हिम्मत कहीं। भीमघाराम के शोक को देख वह ऐसी बुरी तरह-भागा कि मारों में पड़े परपर से टकरा कर गिर पड़ा और काफ़ी चोट भा गयी। पुलिस को जैसे ही इस घटना का पता लगा तो सब-इन्स्पैक्टर विरदो खां सुनार के घर पहुँचे, और मुकदमा दायर करने की वाध्य किया। शराबी की रिपोर्ट पर भीमघाराम के साथ पिता चुन्नी लाल जी, माता जी और खेतू बहन का, भारतीय दण्ड विधान की ४१२ वीं धारा के अन्तर्गत धाजान हुआ तथा सबको हथकड़ी बाँध कर हूंगरगढ़ से सुजानगढ़ भेजा गया। सुजानगढ़ की हवालालत में इन्हें एक सप्ताह तक रखा गया। फिर पुलिस अपने फूँडे गवाह तैयार करने में लगी हुई- थी, तब भीमघाराम की तरफ से पंडित हजारी लाल वकील पेशी कर रहे थे। स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट श्री जोगेश्वर नाथ जी ने भीमघाराम और उनके परिवार के सब व्यक्तियों को रिहा कर दिया। यह कदा जफ़ सकता है कि इसी मुकदमे से शासक वर्ग और भीमघाराम के बीच संघर्ष आरम्भ हो गया।

११. पुलिस में नौकरी

हूंगरगढ़ में सन्तराम नामक माहुर पुलिस के धानेदार नियुक्त हुए। भीमघाराम की नवीन सब इंसपैक्टर से अच्छी दोस्ती हो गयी। श्रीसन्तराम का कहना था कि अगर कोई जनता की सेवा करना चाहे, तो उसे पुलिस विभाग में रह कर सेवा करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। जन-सेवा की इच्छा से भद्र पुरुष सन्तरामजी के कहने पर भीमघाराम ने हूंगरगढ़ के धाने में सबकै का कार्य आरम्भ कर दिया। सन्तरामजी की 'अन्यत्र बढ़ती हो जाने पर मकरख हुसैन को उनके स्थान पर इंसपैक्टर बना कर भेजा गया। इस व्यक्ति ने आधाघार

ना ही जपना कर्तव्य समझ रहा था। गरीब महिलाओं को बिना
 सी कसूर के घाने में बुझाकर उनकी इज्जत बिगाड़ देना तो उसका
 भली खेद था। इस प्रकार के अपराधों श्रीमधाराम से न देखे गये
 बन्दोंने बीकानेर के इन्स्पेक्टर जनरल-आफ-पुलिस श्री गुलाब
 सिंह के सम्मुख जाकर इकीकत को रखा और जांच की मांग की।
 इसर इस मांग को न टाल सके और पं० शिवनारायण को तहकीकात
 लिये भेजा गया। जांच के फलस्वरूप मकबूल हुसैन पर, नौकरी
 खतम करके, मुकदमा चलाया गया। श्रीमधाराम अधिकांश पुलिस
 कसूरों की आंखों में खटकने लगे। सुपरिन्टेण्डेंट मीर आशिक
 हुसैन ने श्रीमधाराम को वापेऊ के घाने में बदल दिया।

१२. सांवतसर के पट्टेदारों का मामला

सांवतसर के पट्टेदारों ने घाना वापेऊ में यह शिकायत भेजी कि
 सवाई जाति के लोग उनकी जमीन से रोड़वा और खेजड़ी काट ले
 ले हैं। तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि पट्टेदारों का कहना
 सच था। जांच करने के लिये गये श्रीमधाराम को विसनोइयों ने घेर
 ला और फल करने पर उतारू हो गये। स्थिति को बिगड़ती देख
 बहादुरी गोलियां चलायी दी गयीं, तब कहीं भीड़ भागी। विसनोई
 भिक्षुओं को हंगरगढ़ लाया गया, जहां उनलोगों ने अपना कसूर
 स्वीकार कर लिया। इसी बीच पट्टेदार मालुम सिंह और डिप्टी
 इन्स्पेक्टर जनरल-आफ-पुलिस कुं० सबल सिंह के बीच चले विरोध ने
 गुरूप धारण कर लिया। कुं० सबल सिंह के कुचक्र से सांवतसर के
 पट्टेदार अभियुक्तों को छोड़ दिया गया और श्रीमधाराम पर भी दबाव
 लगा गया कि मालुम सिंह तब के विरुद्ध मूठी गयाही दे दें। इस
 प्रकार की आलसजी में भाग न लेने के कारण कुं० सबल सिंह ने श्रीमधा-
 राम को गिरफ्तार कर बीकानेर भेज दिया, जहां ६ महीने तक हर प्रकार

इस निशानों को खतरा कहने लगा। डॉनविलियम से अब न रहा गया तो वह इस दुनिया को छोड़ कर आने लगे। शरीर में क्षीणता बढ़ी। डॉनविलियम के शरीर को देख कर देखी बुरी तरह-माया कि मार्ग में उसे लक्ष्य से दूरता का निरंतर पता चलता था। दुश्मन को जैसे ही इस दुनिया का पता चला तो सब-इन्फैक्टर विरही को सुनात के का दूरे, जैसे दुश्मन द्वारा करने को बाध्य किया। शरीर की क्षीणता पर डॉनविलियम के साथ निरंतर चुन्नी बाज्र की, माया की और सेरु बाज्र का, खतरा हर दिशा की परेशनी की घाता के अन्तर्गत खतरा हुआ तथा खतरा दुश्मनी बाज्र कर हुंमराम में सुवागत केतः गत। सुवागत को हुंमराम में हुंमराम एक सप्ताह तक रखा गया। इस दुश्मन करने के सुवागत केतः करने में लगे हुए- या, खतरा डॉनविलियम को तरह में खतरा हुंमराम बाज्र खतरा केतः कर रहे थे। खतरा विद्या खतरा के अन्तर्गत माया की ने डॉनविलियम और खतरा केतः के सब-इन्फैक्टर को निरंतर कर दिया। वह कहा जा सकता है कि इसी दुश्मन से खतरा करने और डॉनविलियम के बीच खतरा खतरा हो गया।

११. दुश्मन में नीकरी

हुंमराम में खतरा माया काहुंमराम दुश्मन के खतरा निरंतर हुए। डॉनविलियम को खतरा सब-इन्फैक्टर से खतरा हो रही। डॉनविलियम का खतरा या कि खतरा कोई खतरा की सेरु बाज्र, तो उसे दुश्मन विद्या में खतरा खतरा है। खतरा- खतरा पर डॉनविलियम से हुंमराम के खतरा खतरा खतरा की - खतरा खतरा

इसी समय द्वावा उपाध्याय मामल स्थायी-गुरहे ने उक्त सुनार के घर में घुस कर तारा माख असबाब गायब कर दिया तथा मांगीश को इस बात के लिए कटकारा कि तू पराई स्त्री के साथ बतबौव क्यों करता है। सुनार ने पड़ोसिन से बातचीत करने को उचित ही बतलाने हुए अपनी माख असबाब वापस देने को कहा। सुनार जब अपनी रपट खिलाते पुलिस चौकी पर गया, तो उसे बाहर निकाल दिया गया। और कोई धारा न देख कर गरीब मांगीश श्री मधाराम के पास पहुँचा और अपनी सब दुख रोया। इसके बाद उन्होंने उस मामले को अपनी कड़ासुनी करके ही तब करा देना चाहा, पर हरखा किसकी सुनने वाला था। राज्य के सनस बड़े-बड़े अफसरों के पास इस अन्याय के विरुद्ध धारणा-पत्र और धार भेजे गये, परन्तु किसी के कान पर जूँ तक नहीं रेंगी। अन्त में होम मिनिस्टर सा० ने श्री मधाराम को बुलाकर तारा हाल सुना और एक इन्स्पेक्टर को जांच के लिए भेजा। जांच होने पर मामला साबित हुआ और हरखा उपाध्याय को ३१२ धारा के अधीन गिरफ्तार कर लिया। परन्तु स्थानीय वैश्यों की मदद से उपाध्याय अमानत पर छूट गया। न्याय का पक्ष सबल होते देख कु० सबल सिंह को चैन नहीं रहा। वह स्वयं पुनः मामले की जांच के लिए हुंगरगढ़ पहुँचे और जनता को अनेक प्रकार से भावुकित कर श्री मधाराम के विरुद्ध अनेक मुकदमों की साबित करने की चेष्टा में तत्पर रहे, परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली। सबलसिंह ने श्री मधाराम के परिवार वालों पर भी भावुक अमाना चाहा और श्री चुन्नीलाल को बुलाकर हर प्रकार से दबाने की चेष्टा की। अन्त में चुन्नीलाल जी ने अपने पुत्र को बाहर भेज देना ही ठीक समझा, जिसका हाल धागे चलकर बतलायेंगे।

संसार की परिस्थितियों से विवश होकर जब श्री मधाराम पुनः हुंगरगढ़ आये तो फिर सबलसिंह के पक्ष का सामना करना पड़ा। द्वावा उपाध्याय का पुराना मामला हरा कर दिया गया और १८२ धारा

के अन्तर्गत श्री मधाराम पर मुकदमा चला दिया गया । २००) की अमानत पर मधाराम छूटे और कई महीने की दौड़ घूब और पेशियां होने के परभाव सुजानगढ़ के जिला जज श्री शेरसिंह एम. ए., एक-एक थी० ने उनको निर्दोष पाकर बरी कर दिया । (इस मुकदमे के फैसले की मकलम परिशिष्ट में दी हुई है ।)

१७. पं० चुन्नी लाल जी का देहान्त


कुं० सबलसिंह और पुत्रिस के अन्य अपसरों का दण देसकर श्री मधाराम के पिता पं० चुन्नी लाल ने अपने पुत्र को बाहर चले जाने की सलाह दी और जालखंद देश के यहां नौकरी कराके कुं०-विहार भेज दिया । कुछ समय बाद पिता की बीमारी का तार बाकर मधाराम श्री हुंगरगढ़ आये और पिता जी को सेवा करके डीक कर दिया । इसी समय सूर्यग्रहण का पर्व आ गया । इस अवसर पर पं० चुन्नी लाल की इच्छा कुं०के आकर स्नान करने की हुई । दैवयोग से तीर्थ में पहुँच कर उनको हैजा होगया और श्री मधाराम के पिता का वहीं स्वर्गवास हुआ ।

१८. हत्या का प्रयत्न

राज्य के अधिकारियों ने तो मुकदमें में बरी कर दिया, परन्तु पुत्रिस के बुरों ने अभीतक श्री मधाराम का पीछा नहीं छोड़ा था । एक दिन आधी रात को गरमी के मौसम में श्री मधाराम के घर पर गुरहे लुरी लेकर चढ़ आये । अनायास दैवकी भीड़ खुल गयी और शोर मचाने पर वे सब भाग खड़े हुये । कहा जाता है कि हत्या करने के जिये आये हुए व्यक्तियों में इरखा उपाध्याय भी था ।

१९. पीकानेर में बसना

बुरों से संग आकर श्रीमधाराम,ने हुंगरगढ़ छोड़ दिया और पीकानेर



राजगुरु भगतसिंहजी पुणेकर

जन्म १९-११-१९ से राज्यके निर्वाचित थे । १४-१२

१९९९ में राज्य की कार्यवाही की है ।




स्वामी सचिन्दानन्दजी

की कार्यवाही राज्य में प्रारम्भ

के अनुसार उपस्थित ।



प्रो० केंदरनाथजी एम्. ए.



श्री नेरारामजी
दलवाई कार्य-कर्ता

पञ्चरूप बार्डों जल में मूजन था लयी । इस काण्ड को देखकर
भीष दृश्य हो गयी, परन्तु गुण्डे रुपये छीन कर चम्पत हुए । पुलिस
में रिपोर्ट करने पर जुर्म दफा ३६४ गाजीरान हिन्दू के चतुस्वार जंच
हूँ ही गयी, लेकिन भी सपाराभ की डाक्टरी परीक्षा नहीं कराई
गयी । जंच करने पर अमीरा काजी, सफूरीया, महसूदिना और
भासीया माझी आदि द्वारा जुर्म करना वाया गया । घटना को देखने
और कहने वाले गवाह भी मिल गये, परन्तु पुलिस ने उन लोगों को
गिरफ्तार नहीं किया । उस समय नगर का कोतवाल जैज मुहम्मद
था । कहा जाता है कि कोतवाल और उक्त व्यक्तियों का अफवा संकेत होने
के कारण ही गिरफ्तारी और डाक्टरी परीक्षा कराने में टात्रमटोल कर दी
गयी । यह देख कर सवाराम जो ने जगदू प्रार्थना पत्र नात्रिम का
केल किया, तब डाक्टरी परीक्षा कराई गयी और अदालत में जुका कर
बहुभुंज पाएइया, मोहन खान पिवाही और मुरशीधर के बयान
असम हन्द दिये गये । इसपर भी पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार
नहीं किया । मानजा बदला देल कर भीमपाताम के पीछे गुण्डे
रह गये और मार खाने तब को चम्की देने लगे । भीमपाताम ने
परीक्षा के लिये बीकानेर हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन
या की ताक से मामले के सम्बन्ध में कोई प्रबन्ध नहीं किया गया ।
य गुण्डेना के समाचार जब लाहीर के हिन्दी निहार में निकले तब
ीकानेर सरकार के मन्त्री डा० शादूँज सिद ने आकालद मरकते
तर में भी सवाराम को बुलाया और सब हाल गुना । इस सब क
इस पर हुआ कि दूमे ही दिन जोत्रम ने आचमल करनेवालों को
गिरफ्तार कर लिया, परन्तु रुपये बरामद दिये बिना ही उनका आकाल
ग दिया । कई दिन अवाकाल में रहने के बाद पुलिस की कृपा में
बराबर वे ऊठे गयीं का हुआ । अदालत का अन्तिम फैसला होने ही
की अवाकाल ने हाईकोर्ट में अर्जी कर दी । पर होता जाता था या
का मिठी पाएइ थी । अब हाईकोर्ट में भी कसु नहीं किया तब पीवसे की

नकल ता० ३०. ए. १३३२ (मिमिल नं० ८८) को ले ली गयी और महाराज की कमिल में निगरानी करने का निरयय हुआ। यह देव कर, फौज मुहम्मद कोतवाली के कहने पर, धमरीया काजी (१०) मघाराम को देकर भापी मांग गया। पुलिस अधिकारी को डर कि मामला चलने पर कहीं सारे कारनामे न सुल जायें। इस मान की पैरवी वानू मुच्छा प्रसादजी वकील ने बिना महनवाना लिये ही थी। इस मुकदमेवाजी के बाद भी बीकानेर की पुलिस की तरह कई दफा सूटे मामलों में बेचारी को फांसने की चेष्टा की गयी।

उस समय के पुलिस अधिसरों ने यह नियम सा बना लिया कि जब कभी उनकी इच्छा होती किसी तरह का बहाना करके मघाराम को कोतवाली में बुला लेते। इसके साथ ही जहाँ कहीं भी जाते सी. घाई. डी. का आदमी उनका व्यवस्था ही पीड़ा करता, जिस कारण उनको वैशक और घर के धंधों में बहुत बाधा पड़ने लगी।

२३. भाई श्रीराम की शादी

श्री मघाराम के भाई श्रीराम की आयु २५ वर्ष की हो चली थी, इसलिए उसका विवाह करना जरूरी जान पड़ा। डूंगरगढ़ के सारस्वत नाइय श्रीगणपतराम की लड़की से भाई का विवाह कर दिया गया, परन्तु इस विवाह में श्री मघाराम कर्जदार हो गये। कुछ समय बाद दोनों भाइयों ने मिल कर कर्जा उतार दिया।

२४: घर में फूट

अभी तक पुलिस ने श्री मघाराम का पीड़ा नहीं छोड़ा था। श्री मघाराम की माता और बहिन डूंगरगढ़ में ही रहा करती थीं। पुलिस ने दरा धमका कर माता जी से राज्य के बड़े बड़े चकसरों को इस धमका के पत्र भित्रवा दिये कि मघाराम हमारी हत्या करना चाहता है और निर्वाह के लिए खर्च नहीं देता। इन पत्रों के कारण

हालगत में महाराज के दफ्तर में मधाराम को बुलाया गया। मौका मिलने पर उन्होंने सारी बातें साफ-साफ कह दीं और पुलिस तथा कु० सबल सिंह द्वारा किये जाने वाले विरोध का भंडा फोड़ कर दिया। माता जी को पूजनोप मानने और जीवन निर्वाह आदि के लिए स्वयं देने की बात पर अधिकारियों को विरवाण हो गया। श्रीमधाराम माता जी के पास डूंगरगढ़ पहुँचे तथा उनका आदि से अन्न तक सारा विस्मा कह सुनाया। इस पर उनकी माता ने यह स्वीकार किया कि बड़ी बहन नानू और सांवलिया आदि पुलीमवालों के बहकाने पर यह सब किया। आगे के लिए उन्होंने इस प्रकार के चक्र में न पड़ने का परवास ही नहीं दिया वरन अधिकारियों के पास इस आशय की दरखास्तें भी भेज दीं कि पुराने प्रार्थना पत्र पुलिस आदि के बहकाने पर दिये गये थे। इस प्रकार माता जी को बहकाने का तो मामला समाप्त हुआ।

२५. बहन नानू का प्रकोप

माता जी तो पुलिस का चक्र समझ गयी, परन्तु बड़ी बहन नानू उसके घंगुल में अधिक फँस गई। पुलिस के कहने पर उसने माई मधाराम के विरुद्ध ३६२, ४२०, ३२३, ३२२, और १०० धाराओं के अन्तर्गत डकैती आदि के जुर्म लगा दिये। बड़ी नहीं, बहन नानू ने अनेक मुद्दों में माता जी और भाइयों की भी फँवा लिया। जगभग २-२० जुर्मों के यह मुकदमें अनेक अदालतों में चले, जिनमें श्री मधाराम की बहुत परेशानियों और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इन्हीं २ साल के कष्टों से तंग आकर श्रीमधाराम ने डूंगरगढ़ की अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी और पूरी तरह बीकानेर में ही बचने का निश्चय करना पड़ा।

२६. कलकत्ते का प्रवास

ममस्त भागदों के तप होने पर श्रीमधाराम ने कलकत्ते जाने का

विचार किया। भाई को बीकानेर में ही व्यापार और दुकानदारी के काम में लगा दिया था। कलकत्ते पहुँच कर इन्होंने वैद्यक और सुषु व्यापार आदि करना आरम्भ किया। काम जम जाने पर पढ़े स्त्री को और फिर भाई श्रीराम को भी कलकत्ते बुला लिया, तथा हनुमानदास मूधड़े की कोठी, २६ मालापाडा में कमरा किराये पर लेकर रहने लगे। भाई को मिठाई की दुकान करा दी गयी।

२७. स्त्री का स्वर्गवास

एक दिन वैद्य जी अपने काम से बाहर गये हुए थे। प्रातःकाल था। घर में उनकी स्त्री चूल्हे के पास बैठ रसोई का प्रबन्ध कर रही थी। इसी समय स्त्री के हाथ की रबड़ की चूड़ियों में आग लग गयी। आग फैलते-फैलते कपड़ों में लगी। स्त्री के चिल्लाने को, सुन पड़ोसी दौड़ कर आये, पर जब तक लोग पहुँचे तब तक तो हाथ-पैर कई जगह से जल गये। इतने में वैद्य जी भी आ गये। यह सब कारण देख कर उन्होंने रोगी को अस्पताल ले जाने का प्रबन्ध किया। मौत का इलाज नहीं होता। अस्पताल में सब कुछ उपचार करने पर भी दसवें दिवस भिकीदेवी का अस्पताल में ही प्राणान्त हो गया। अब पोस्टमार्टम का आगवा चला, परन्तु मालापाडा के म्युनिस्त्रिपल कार्मिनर श्री मोहनबाब के कहने से बिना बीरा-फाही किये स्त्री का शव मिला जाने पर मीम-तल्ला घाट के स्मरान में पहुँच कर संस्कार किया गया। इसके बाद भाई श्रीराम को कलकत्ते छोड़, श्री मधाराम अपने जड़के के साथ हंगर-गढ़ आये और वहाँ आद कर्म तथा जाति भोज किया। वैद्य मधाराम ने बीकानेर लौट कर वहीं काम करने का विचार किया।

२८. बीकानेर में श्रीपधालय

के लिये वैद्य मधाराम ने सात्री साहब के मुहल्ले में जी के मकान में अपना श्रीपधालय खोला। धीरे धीरे:

रोगियों का आना बढ़ने लगा और कार्य अच्छी तरह चल निकला । वैद्यक के साथ जन सेवा का कार्य भी जारी रहा । मुक्तप्रसाद जी वकील और अखिल भारतीय चर्खा मंच की शाखा के कार्यकर्ताओं से इनका अधिक सम्पर्क बढ़ने लगा ।

२६. अत्याचारों की दृष्टि

मि० ईमरटन हार्डिंग को उस समय पुलिस का सबसे बड़ा अधिकार बनाया गया । यह ब्रिगेज स्पेशल होम मिनिस्टर का भी काम करता था । उसने बीकानेर में आते ही जनता पर अत्याचार करना, दूकानदारों पर दैस बढ़ाना और अनेक प्रकार के जालरचना आरम्भ कर दिया । अधिकारी को भ्रोर से प्रोत्साहन पाकर छोटे आदमी भी अपनी मनमानी करने लगे । राज्य भर में चोरी, रिश्वत खोरी और पुलिस के अत्याचारों से जनता बहुत तंग आगयी ।

३०. प्रजा मण्डल की स्थापना

एक दिन बाबू मुक्तप्रसाद जी वकील ने जनता के कष्टों का ग्पीरा रहे हुये धीमधाराम के सामने प्रजा मण्डल नाम की संस्था स्थापित करने का सुझाव रखा । आपका विचार था कि इस संस्था के द्वारा जनता की शिकायतों और उचित मागों के संबंध में आवाज उठाई जाय तथा महाराज और राज्य के अन्य अधिकारियों के सामने जनता के कष्टों को रखा जाय, जिमसे राज्य के निवासियों का कुछ भला हो । भाई साहब के ही सुझाव पर यह निश्चय हुआ कि धी मधाराम को कदीन संस्था का प्रधान और लक्ष्मण दास को मंत्री बना दिया जाय । संस्था के सदस्य बनाने का काम जारी हो गया और १२-१६ सदस्य बनाने ही शुरुआत करने का आयोजन कर लिया गया ।

३१. प्रजा मण्डल का चुनाव

श्री रतनसाई ट्रस्ट के मकान में ४ अक्टूबर १९३६ को रात के ८

यज्ञे प्रजा मण्डल के सदस्यों की प्रथम बैठक हुई, जिसमें सर्व सम्मति से श्री मधाराम वैद्य को प्रधान, श्री लक्ष्मण दास स्वामी को संजी और मिश्रा खाल बोहरा को कोषाध्यक्ष चुना गया। आठ व्यक्तियों को और चुन कर मय कुल 11 सदस्यों की कार्यकारिणी बना दी गयी। श्री मुक्ता प्रसाद जी संस्था के सदस्य नहीं बने। उन्होंने बाहर 14 का ही सब प्रकार की सहायता देने का वचन दिया।

३२. प्रजा मण्डल का उद्देश्य

इस संस्था का स्वाम उद्देश्य था कि लोकान्तर मोक्ष की धनधान्य में शासन और बंध उपायों द्वारा उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाय पर प्रजा और राजा के बीच वैमनस्य पैदा करने के लिये स्थापित न की गयी। इस के कार्यकर्ता प्रजा का कष्ट दूर करवा कर राजा को प्रजा में सच्चा प्रेम पैदा कराना चाहते थे।

३३. प्रजा मण्डल का कार्य आरम्भ

प्रजा मण्डल के सदस्य बढ़ाये जाने लगे और जन सेवा का काम आरम्भ हुआ। हरिवन वस्तियों में सुधार और अधिकारियों के कार्य एक जनता के कष्टों को बहानी पहुँचाने का प्रयत्न जारी हो गया। दैनिक और मासिक पत्रों द्वारा प्रचार कार्य होने लगा। प्रजा मण्डल के सदस्य देशों में घूमना कर जनता को प्रजामण्डल के उद्देश्यों को समझाने और दिग्गमों के कष्टों को बहानी सुनने से। यह देशों का विस्तारों पर तथा सुख था। दिग्गम काम-वागों से बहुत ही संतुष्ट थे।

३४. मण्डल की कार्य प्रणाली

मण्डल की कार्यकारिणी की महीने में दो बैठकें हुआ
। इन बैठकों में प्रत्येक कार्य, दिग्गमों पर होने वाले

था, लोग-बागों को बन्द कराने, पुलिस द्वारा जनता पर किये गये गले वाले अत्याचारों और हरिजनों की समस्याओं के सम्बन्ध में धार विनियम हुआ करता ।

३५. नागरिक स्वतंत्रता ?

बीकानेर में उस समय नागरिक स्वतंत्रता तो नाम मात्र के लिए भी ही थी । नगर में सार्वजनिक सभा करने पर रोक और स्फोट गांधी टोपी गाना पाद समझा जाता था । गांधी टोपी देखते ही गुप्तचर पीड़ा करने गते । राज्य कर्मचारी यह माइस नहीं कर सकते थे कि दफ्तरों में केद टोपी लगा कर भी चले जायं । जनता पर भारी धातक छाया था था । पुलिसवालों का अत्याचार अपनी धरम सीमा पर पहुँच का था । गरीब दुकानेवाले यदि किसी कारण पुलिस वालों को डर दे पाते, तो उन्हें कोठगेट के फाटक में ले जाकर इतना मारा जाता कि बेहोश तक हो जाते । मारपीट की दुर्घटनाएँ तो रोज ही घाँ करती थीं । न्याय का उपहास करने के लिए थीं राज्य की अदालतें, जहाँ मजिस्ट्रेट अपनी मनमानी करते थे । ऐसी अवस्था । निरवत का जोर अपनी धरम सीमा पर था । म्युनिस्पल बोर्ड का प्रबन्ध ही बहुत बुरा था । नगर मन्दा पड़ा रहता था । इसके फलस्वरूप जनता अनेक रोगों की शिकार बन रही थी । हम कुप्रबन्ध का जनता पर बहुत बुरा प्रभाव पड़े रहा था । वह चाहे भरती, पर उममें होने की शक्ति और साहस की कमी थी । प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं । जनता में शक्ति और साहस का संचार करने की चेष्टा आरम्भ कर दी । जन सेवक हर प्रकार की शिकायतों को राज्य के बड़े से बड़े अधिकारियों तक पहुँचाने लगे, परन्तु उनकी सुनवाई नहीं होती थी ।

३६. किसानों के कष्ट

पट्टेदारों की धोर से किसान की प्रति गृहस्थी पर आग-बाग का

क्योरा निम्न प्रकार से है:—

१-वर्षा होते ही दो घादमी देना ।

२-अन्न उग जाने पर खेत में घास-भूम की सड़ाई के लिये दो घादमी देना ।

३-अन्न पक जाने पर घास और अन्न देना ।

४-ठाकुर के घर वालों, दास-दासियों और पशुधन के लिये पानी का मुफ्त प्रवन्ध करना ।

५-गांव का घास पशुधन गांव वालों का और भाषा ठाकुर का ।

६-वसूली के समय हर किसान को (१६) ६० से २१) ६० सैन्ना तक पट्टेदार को लगान के रूप में देना पड़ता ।

७-हुक्के की लाग २)

८-बाई के दूध पीने के कटोरे की लाग २)

९-धुएँ की लाग २)

इसी प्रकार की २२-२३ लागें किसानों को देनी पड़ती हैं । किसान अपना पसीना बहा कर जो कुछ पैदा करता है, उसे पट्टेदार रंगरेजियों और अफीम-शराब आदि के नशों में खर्च करने के लिए लाग-भागों द्वारा चूस लेते हैं ।

३७. पट्टेदारों की दशा

पट्टेदार गरीब किसानों से अत्याचार करके रुपया वसूल करते हैं । अन्याय से रुपया पाकर उनकी बुद्धि बिगड जाती है और व्यवहार तथा मरोबाजी के पूरे अभ्यस्त हो जाते हैं । यह ठाकुर अफीम खाने के इतने धादी होते हैं कि कोई कोई तो सुबह शाम २-२ टोले तक भा खाता है । यह कहा जा सकता है कि इन ठाकुरों में ६२ प्रतिशत आचरण के भूट और पूरे अल्पवृत्त होते हैं । ठाकुरों के मुकृत्यों की कदारियाँ गांव के किसानों की जवान पर रहती हैं और किसी समय भी गांव । कर उनकी पुष्टि की जा सकती है ।

३८ उदरासर गाँव ने आवाज उठाई

स्वर्गीय महाराज कुंवर विजय सिंह जी के पट्टे में एक उदरासर गाँव है। वहाँ के किसानों ने प्रजामण्डल के दफ्तर में अपने कष्टों की कहानी भेजी। उस समय पुलिस की चौकी पर अजर सिंह नामक जमादार था। ग्राम की बहु-भेटियों की हजमत ली लेना तो उसका साधारण काम हो गया था। अपनी आदत के अनुसार उसने एक चमार की तबान लड़की को किसी मुकदमे के बहाने चौकी पर बुलाया और उस के साथ बलात्कार किया। इस काण्ड की शिकायत किसानों ने पट्टेदार और पुलिस विभाग के अफसरों से की, परन्तु कोई असर नहीं हुआ। जब गाँव वालों की किसी ने नहीं सुनी तो उन्होंने प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं को उदरासर गाँव में जाँच केलिये बुलाया।

गाँव की एक शिकायत और मांग को लेकर जीवन चौधरी प्रजामण्डल के दफ्तर में आया। इस प्रार्थना-पत्र को पाते ही श्री मधाराम और श्री लक्ष्मणदान दूंगरगढ़ होते हुए दूसरे दिन उदरासर पहुँच गये और सेधू चौधरी के घर ठहरे। इन लोगों ने गाँवों के पीड़ित व्यक्तियों के बयान लिये। गाँव के अन्दर जाकर जाँच करने पर भी जीवन चौधरी द्वारा की गई शिकायतों की पुष्टि हुई। वही मालूम हुआ कि पुलिस के जमादार और पट्टे के पटवारी के अत्याचारों से गाँव की जनता बहुत ही दुखी है। उस गाँव के निकट की दो बस्तियों—अगूना और अयूना—में जाँच करने से पता चला कि पुलिस का जमादार और पट्टे का पटवारी काफी अत्याचार करता है। अगूनेवास के चौधरी गौदारा बाट लक्ष्मण श्री और सेनुराम जी तथा अयूनावास के चौधरी पञ्चराम जी और अमरा राम जी से पूछताछ करने पर किसानों द्वारा कही गयी कष्ट कहानियों की पुष्टि हुई। तीन दिन रहने के बाद प्रजामण्डल के दोनो नेता बीकानेर झूट आये। वहाँ आकर किसानों की शिकायतों को राज्य के विभिन्न अधिकारियों के पास दूरस्थास्यों द्वारा भेज दिया

गया । लेकिन उन प्रार्थना पत्रों का कोई असर नहीं हुआ । इस पर हमें दिन किसानों का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं के साथ महाराज से मिलने के लिये लाजगढ़ पहुँचा, परन्तु इस के साथ लिखना पड़ता है कि महाराज साइब ने किसी के साथ मुलाकात नहीं की । राजस्थान और हिन्दुस्तान के अनेक पत्रों ने किसानों पर होने वाले अत्याचार का विरोध किया । लोकनायक अयनारायण स्वयं (जोधपुर) ने भी हममें बहुत सारा दिया, मगर महाराज ने कोई मुकद्दाई नहीं की । प्रजामण्डल के कार्यकर्ताओं को पुलिस बहुत तंग करने लगी । उदरामर के किसान और चौधरियों को पुलिस-चौकी पर बुला कर धमकाया तथा पीटा गया । इन अत्याचारों की आँच करने मराठ के मंत्री श्री खरमण्डल को भेजा गया । घटनाओं का पूरा पता ब्रह्मे पर देश के पत्रों द्वारा अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई गयी ।

३६. फौजीय! पर अत्याचार

पुलिस के अत्याचारों की कहानी का एक और बड़ा अंश मिला है । नये शहर बीकानेर के एक आड के यहाँ भैरीया नाम का राम-पूरा खोरी करने पहुँचा । घर वालों के यहाँ होने पर वह भाग गया हुआ, पर जाने छोड़ ही गया । मुकदमे की आँच के निजमिन्ने में भग सिंह मण्डलमण्डलर पुलिस ने नये शहर के गरीब मण्डल चौकीया नामक पानवाले को पकड़ लिया । राजपूत खोर की पुलिस के निजमिन्ने में उसे तीन दिन तक बहुत मारा । फिर एक रात उसे बुझा कर हत्या पीटा गया कि गरीब खोर खाने के कारण चौकीया खोनवाली में ही मर गया । मण्डलमण्डलर ने सिपाहियों की सहायता से खाल को, चापी रात के समय चौकीया की दूकान को लूट कर, नाद वा हाथ दिया । दूसरे दिन मुकद दूकान में चौकीया की सारा मिन्नी । चौकीया की सारा और चौकीया की या पहुँके । खाल पर खोर के निजमण्डल दे । चौकीया मण्डल मण्डल मण्डलमण्डल के कार्यकर्ता और पुलिस के कार्यकर्ता की गये ।

जनताका दावा था कि फीनीया पुलिस की मार से मरा है, पुलिस वालों का कहना था कि वह व्यक्ति लालटेन की गैस से । पुलिस ब्राह्मण के २-६ कुटुम्बियों को लेकर पोस्ट-मार्टम के लिये शव को अस्पताल ले गयी । वहाँ पर स्पेशल, होम मिनिस्टर हैमर्टन हार्डिंग तथा पुलिस के अन्य अफसर भी थे । मि० हार्डिंग ने लक्ष्मण दास जी से पूछा कि क्या तुम सर्वसाक्षी हो ? उनके जवाब न देने पर दूसरे पुलिस अफसर ने इस की पुष्टि की । जब श्री लक्ष्मणदास से मृत्यु का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फीनीया की बहुत पिटाई हुई थी ।

उसी दिन सायं काल को प्रजा मण्डल कार्यकारिणी की बैठक में पुलिस द्वारा की गयी हत्या की निन्दा का प्रस्ताव स्वीकार किया गया । इसी प्रस्ताव द्वारा राज्य के प्रधान मंत्री ने जांच करने और अपराधी को सजा देने की मांग की गयी ।

४०. गिरफ्तारी और यातना

इस मामले का आन्दोलन बढ़ता देख कर पुलिस ने ३ मार्च १९३० को दिन के ११ बजे औपधालय में पहुँच श्री मधाराम को गिरफ्तार कर लिया और अनेक कर्मचारियों के यहाँ घुमाने के बाद औपधालय लाये । औपधालय और घर की तलाशी लीगयी । तलाशी में पुलिस के हाथ जब कुछ न लगा तो वह प्रजामण्डल सम्बंधी तथा निजी चिट्ठियों को उठा लेगयी । इस बीच मंडल के मंत्री श्री लक्ष्मण दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया । स्पेशल होम मिनिस्टर मि० हार्डिंग ने दोनों कार्यकर्ताओं को अलग अलग बुला कर उदरामर और ब्राह्मण की हत्या काण्ड के संबंध में पूछताछ की । इसके बाद दोनों नेताओं को पुलिस छादन भेज दिया और अलग अलग कोठरियों में रखने की व्यवस्था की गयी ।

दूसरे दिन से पुलिस के अत्याचारों का दौर आरम्भ हुआ । श्री मधाराम को टाँगें चौड़ा कर मक्का कर दिया गया । पाखाना जाने तथा :

साथ माने के समय ही बँटने दिया जाता था। इसी तरह २-६ दिन तक महान कष्ट दिया गया। इस दानना में पैरों में सूजन आगयी। जेल में मि० हार्डिंग ने आदर प्रजामण्डल के कागजों के संबंध में पूछा। पर जब संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो बिजली के करंट को शरीर में फोड़ कर कष्ट पहुँचाया। बिजली के लागने ही शरीर सुन्न पड़ जाता और बड़ी पीड़ा होती। रबड़ के टायरों की मार दी जाती। इस प्रकार महान कष्ट दे शरीर बेहोश तक कर उस निंद्यो अभियंत्र ने अनेक कागज लिखवा लिये। उस के साथ माने वाले ही० आई० जी० पी० जवाहर लाल प्रजा मण्डल के सदस्यों, कोर और कागजों के संबंध प्रश्न करते परन्तु उनके हाथ भी कुछ न लगा। इसी प्रकार ११ दि तक पुलिस लाइन में महान कष्ट देने के बाद १६ मार्च १९२९ को आई० जी० पी० की कचहरी में बुला कर दो व्यक्तियों के सामने दोनों नेताओं को देश निकाले की आज्ञा देदी। (इस आज्ञा की नक़ल परिशिष्ट में देखिये) उदरासर के कारख में जनता के व्यापारियों का भयाना फोड़ करने में सहायक होने वाले जीवन चौधरी पर भी १००) जुर्माना हुआ।

४१. चार नेताओं का निर्वासन

श्री मधाराम और श्री लक्ष्मण दास के साथ ही बाबू मुक्ता प्रसाद वकील और श्री सत्य नारायण सराफ को बीकानेर छोड़ जाने की आज्ञा दी गयी। यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि श्री सत्य नारायण हालही में बीकानेर पदच्यत्र के मामले में लम्बी सजा काट कर आये थे। इस आज्ञा के बाद गुनघर हस्त बात की जांच में रहने लगे कि इन निर्वासितों के प्रति सद्भावभूति दिलवाने केलिये कौन कौन पहुँचता है। पुलिस का भय जनता को न रोक सका। सर्वश्री मधाराम और मुक्ता प्रसाद के घर पर जनता काही संस्था में एकत्र हो गयी। आई साहब की बिदाई का दरव्य अपूर्व था। सरकारी नौकर तक उन से मिलने आये।

संघकाज की गाड़ी से बाबू मुक्ता प्रसाद, श्री मधाराम और उनका बच्चा तथा स्वामी लक्ष्मण दास बीकानेर की ओर चल दिये । उस दिन स्टेशन पर बीकानेर की जनता उमड़ पड़ी थी । जब घोप के नारों से स्टेशन का बायु मण्डल गुंज उठा । अनेक व्यक्ति तो चाली स्टेशन तक पहुँचाने गये । श्री बुलाभीदास व्यास तो दिल्ली तक साथ ही रहे । दिल्ली पहुँच कर सब लोग श्री ध्यानन्द राज सुराया के यहां टहरे । संयोग से उस समय दिल्ली में अखिलभारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हो रही थी, अतः इन लोगों ने बीकानेर की स्थिति के संबंध में राष्ट्रीय नेतृत्वों और विशेषकर देशी राज्य लोक परिषद् के प्रधान डा० पद्मभि सीतारमैया को भी पूरी जानकारी करा दी । दिल्ली में राजस्थानी निवासियों की सभा हुई । उक्त सभा में बीकानेर में चलने वाले दमन की घोर निन्दा की गयी । सभा में गण्यमान व्यक्ति उपस्थित थे । बीकानेर में चलने वाले दमन के संबंध में अजु'न, हिन्दुस्तान, लोकमान्य, नव ज्योति और राजस्थान आदि पत्रों में समाचार, लेख सम्पादकीय लिप्लियां प्रकाशित हुईं । (इन रिपोर्टों के उद्धरण परिशिष्ट में देखिये)

४२. कौन क्रिधर गया

दिल्ली में कई दिन तक रहने के बाद श्री मुक्ता प्रसाद अलीगढ़ चले गये । सर्व श्री मधाराम और लक्ष्मण दास हिसार ग्राम-सेवासंघ में श्री हरदत्त सहाय के यहां जा टहरे । अधिक दिन मन न लगने के कारण श्री मधाराम अपने पुत्र के साथ दिल्ली होते हुये कलकत्ते के लिये रवाना हो गये और वहाँ पहुँच कर बीकानेर के कोठवारी मजदुराल महेरवरी के यहां कुछ दिन रहे ।

४३. मातवाड़ी रिलीफ सोसाइटी में नौकरी

कलकत्ते पहुँच कर बीचजी श्री तुलसीराम सरावगी ने मिले और उन से नौकरी के संबंध में बातचीत की । श्री तुलसी राम ने मातवाड़ी सोसा-

हटी की रसायन शाला के मंत्री थी धर्मचन्द्र सरावगी के पास उन्हें भेज दिया और वहां पहुँचते ही उन्होंने रसायन शाला में रख विपण वेतन के बारे में बातें चलाने पर श्री मधाराम ने उतना ही खेद स्वीकार किया जितने में बाप-बेटे का खर्च चल सकता था, क्यों कि उन्हें तो केवल समय निकालना था। कुछ समय रिलीफ सोसाइटी में काम करने के बाद इन्हें हरीमन रोड के औषधि विक्री विभाग में बदल दिया गया। वहां चाप प्रधान विक्रेता के पदपर अच्छी तरह काम करते रहे।

इसी बीच स्वामी लक्ष्मण दास भी कलकत्ते पहुँच गये और वैद्य जी के ही साथ रहे। जीवन निर्वाह के लिये चाप मदन थियेटर में काम करने लगे।

४४. कलकत्ते की मित्र मण्डली

मोसाइटी के मैनेजर श्री शिव सागर अग्रस्थी के साथ श्रीमधाराम की अच्छी घनिष्टता हो गयी। वे कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, अलग-अलग दलों की राजनीतिक विषयों पर बातें हुआ करती थी। अग्रस्थी जी उन्नाव निवासी, बड़े ही मिलनसार, गम्भीर, सुधारक तथा शान्त प्रकृति के थे।

दुर्गागढ़ के श्री बलदायरमज घोसवाल, विहार के डा० त्र्यं बंशर्षि (निष्क श्रेय शाला), कलकत्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता सर्वश्री उवाला-प्रसाद और दुर्गाप्रसाद मित्र आदि से अच्छी घनिष्टता हो गयी थी। श्री बलदायर मज तो इन्हें समय-समय पर दर-तारह की मदद दिया करते थे।

४५. धोस परिवार से संपर्क

नेता जी मुसाफरचन्द्र बोस के मनीज श्री दिनेश चन्द्र और उनके अन्य साथी श्री मधाराम से मित्रता व्यवहार करते थे। इनके साथ ही श्री मधाराम नेता जी की कोठी पर भी आया जाया करते, जिन के श्री नेता जी से भी ज्ञान-वहदान हो गयी थी।

४६. कलकत्ते में प्रजामण्डल की स्थापना

गुजाम देश का राजनीतिक कार्यकर्ता कहीं चुप नहीं बैठ सकता, उसे राष्ट्रीय जागरण के विषये कुछ न कुछ बात सुझ ही आती है। बीकानेर से निर्वासित नेताओं ने कलकत्ते में बसने वाले बीकानेर निवासियों का संगठन करनेकी सोची और धीरे धीरे कुछ सदस्य बनाकर बीकानेर प्रजा मण्डल नामक संस्था कायम करदी। थीमती लक्ष्मी देवी आचार्य को अध्यक्षता और थी लक्ष्मण दास को सर्वसम्मति से मंत्री बना दिया गया। प्रजामण्डल का दफ्तर थीमती लक्ष्मी देवी के निवासस्थान 'गणेश भवन' जगन्नाथ रोड पर चालू हो गया। प्रजामण्डल के सदस्य बढ़ने लगे। यहां के कार्यकर्ताओं में थी नृसिंह दास थानवी का नाम अग्रगण्य है। थानवी जी सदैव मण्डल के काम में व्यस्त रहते थे। मण्डल का कोषाध्यक्ष भी उन्हीं को चुन लिया गया था। थीमती लक्ष्मी देवी कांग्रेस में काम करने वाली थी। कांग्रेस के आन्दोलन में भाग लेने के कारण आप को जेल जाया करनी पड़ी थी। अधिक समय तक जेल के कष्टों को सहने से उनका स्वास्थ्य गिर गया था, इसलिये वे प्रजा मण्डल के काम में सक्रिय भाग लेने में कुछ असमर्थ थीं।

श्यामी लक्ष्मण दास भी रहने कलकत्ते रह कर जोधपुर चलें गये।

४७. नानी रतू देवी का स्वर्गवास

थी मथाराम की रिखीक सोसाइटी में काम करते हुए एक वर्ष से अधिक हो गया था। इसी समय दूंगरगढ़ से नानी रतूदेवी की बीमारी का समाचार मिला। उनकी अवस्था उस समय ११० वर्ष हो चुकी थी। नानी रतू देवी बहुत दिन से यह इच्छा थी कि उनका दाढ़ संस्कार थी मथाराम के हाथ से ही हो। बीमारी का समाचार पाकर नानी की इच्छा का स्मरण हो आया। निर्वासित अवस्था में

सापारा तो घररथ थी, फिर भी मधाराम ने बीकानेर महाराज को नानी की सेवा के हेतु एक मास के लिये राग्य में जाने की इजाजत के लिये पत्र हाज्र दिया । कुछ दिन बाद ही स्वीकृति का पत्र मिला । उसे पाते ही वैद्य जी अपने ससुरके के साथ बीकानेर रेजिडेंट बन्य हो गये । चौथे दिन जब बीकानेर स्टेशन पर पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया । १ माह के लिये रात्र-घाशा मिलने की बात भी किसी ने नहीं मानी । दुर्भाग्य से दिल्ली स्टेशन पर कुछ कागजों की चोरी हो जाने पर घाशा का कागज भी उन्हीं के साथ चला गया था । अन्त में पुलिस ने तीन दिन की पूर्वज्ञा के बाद उन्हें छोड़ा, तब कहीं वे हूँगरगढ़ पहुँचे और नानी तथा माता के दर्शन किये । पुलिस की तंगी अभी समाप्त नहीं हुई थी । दूसरे दिन ही अमरचन्द नाम का धानेदार कुछ सिपाहियों के साथ घर आ पहुँचा और गिरफ्तार कर लिया । धानेदार से सच्चा हाल कहने पर भी उसे विरवास नहीं हुआ । हवालत की जिस कौठरी में धी मधाराम को रखा गया था, वह बहुत ही छोटी और गन्दी थी । गरमी के दिन थे, बिना पानी पिये और खाना खाये हवालत का कष्ट सहना पड़ा । उक्त धानेदार के पास जब दूसरे दिन एक आदमी यह खबर खेडा लौटा कि वैद्यजी को १ माह तक रहने की घाशा दे दी गयी है, तब उस नरक से उनका पीड़ा छूटा । इधर नानी का स्वर्गवास हो चुका था । यह अख्दा हुआ कि दाह संस्कार नहीं हो पाया था, अतः उसे धी मधाराम ने जाकर कर दिया । थाद कर्म आदि करके शनि-वेडे बीकानेर चले आये । एक महीना पूरा होने के पहले ही निर्वासित वेता ने कलकत्ते के लिये प्रस्थान क्या और वहाँ पहुँच कर रिक्की मोसाहरी में काम मारी कर दिया ।

४८. पूरासा पत्र प्राप्त

मोसाहरी में आयुर्वेद सम्बंधी कार्य को सुचारु रूप से करने के

कारण भारतवादी सोसाइटी की ओर से प्रशंसा पत्र मिला। महामहो-
पाष्याय श्रीगणेशाय सेन के पुत्र डा० श्री सुरजील चन्द्र सेनने
आयुर्वेद शास्त्री तथा बंगाल सरकार की आयुर्वेद फैकल्टी ने
अपने सर्टीफिकेट बेंचजी को दिये।

४६. अ० भा० यूथ लीग

इतने दिन कलकत्ते में रहने के कारण श्रीमधाराम का सम्पर्क
अनेक व्यक्तियों से हो गया था। वे अक्सर श्री सूर्यवंश सिंह के साथ
किसान और राजनीतिक सभाओं में जाया करते थे। बाजार
कॉमेस कमिटी के वे सदस्य बन गये। इसीबीच श्री दिनेश बोस और
श्री न्वाला प्रसाद के आग्रह से वैंच जी को अखिल भारतीय बड़ा बाजार
यूथलीग सभा का मंत्री बनना पड़ा। इन के समय में यूथ लीग की ओर
से ब्लैक-हाज का आन्दोलन चला और झाका-नारायण गंज के साम्प्रदा-
यिक दंगे से पीड़ित जनता की सहायतायें धन एकत्र कर कार्य किया
गया। (यूथलीग की ओर से निकाली गयी अपील की मरुच
परिशिष्ट में देखिये)

५०. प्रचार कार्य

कुछ समय बाद श्री दिनेश बोस को एक राजनीतिक अभियोग
में सजा हो गयी। अब श्री मधाराम के भाई कलकत्ते आगये तो उन्हों
भारतवादी रिजर्व सोसाइटी से त्यागपत्र देकर यूथ लीग के संबंध में
बंगाल का दौरा किया। प्रचार कार्य के सिलसिले में आपने हुगडा, बनार
पादा, लाल मनिहाट, चाबडाहाट, कुचबिहार, सलीपुर द्वार और
बर्गधी आदि का दौरा किया। दौरा करते हुये श्रीमधाराम बीमार हो
गये और कलकत्ता वापस चले आये।

५१. पुनः बीकानेर आना

दौरे से क्लेश आकर आपने अपनी बीमारी से छुटकारा पाया और

निर्वासन आज्ञा के संबंध में बीकानेर महाराज से लिखा पत्रो आरम्भ कर दी । कुछ समय पश्चात् ही बिना शर्त राज्य में घुसने की आज्ञा का पत्र आगया, अतः आप बीकानेर लौट आये । यहां आकर आपने अपने पुराने स्थान पर—माजीसाहब के मुहल्ले में, श्रीगणेश सोल कर देहक का काम चालू कर दिया ।

तीसरा अध्याय

इस अध्याय में:—

1. प्रजापरिषद की स्थापना, 2. नेताओं की गिरफ्तारियाँ, 3. स्व-जायति के लिये प्रयास, 4. अंधेगिर्दी, 5. बोकानेर में विद्रोह, 6. सत्याग्रह के बाद, 7. स्वतंत्रता दिवस, 8. गिरफ्तारियाँ, 9. कार्यकर्ताओं की रिहाई, 10. रेजगी का मामला, 11. फूट बुलवाने का प्रयत्न, 12. पुलिस की जासूसी, 13. संवाद कायदा, 14. यह हुस्वरुद बाग, 15. प्रजापरिषद का पुनः संगठन, 16. श्री दाऊदयाल की रिहाई, 17. नागौर का सम्मेलन, 18. वाचनालय की स्थापना, 19. संगठन के लिये दौरा ।

१. प्रजापरिषद् की स्थापना

१२ जुलाई १९४२ को सर्वश्री रघुवरदयाल गोयल और रामनारायण आचार्य आदि व्यक्तियों ने श्री रावतमल पारीक के मकान पर एक बैठक की जिसमें प्रजा मण्डल के स्थान पर प्रजा परिषद् नामक राजनीतिक संस्था कायम की गयी। इस संस्था के श्री रघुवर-दयाल समापति चुने गये। संभवतः २-६ अगस्त को रेलवे स्टेशन के निकट ही परिषद् का दफ्तर खोला गया। राज्य इन बातों को कब सहन कर सकता था। नवीन संस्था की स्थापना के १८ दिन बाद ही १ अगस्त को श्री रघुवरदयाल को अफ़ारण ही गिरफ्तार करके राज्य से निर्वासित कर दिया। परिषद् के मन्त्री श्री गंगादास कौशिक को भी पुलिस की हिरासत में रखा गया।

२. नेताओं की गिरफ्तारियां

जनता में राजनीतिक चेतना खाने के लिये राज्य के कार्यकर्ताओं का संगठन करना आवश्यक जान पड़ा। अतः प्रजा परिषद् का कार्य पुनः खालू कर दिया गया। परिषद् के सदस्यों की एक सभा की गयी, जिसमें सर्वसम्मति से श्री रामनारायण आचार्य को अध्यक्ष और श्री रावतमल पारीक को बीकानेर राज्य प्रजा परिषद् का मंत्री चुना। दूसरे दिन ही परिषद् के दोनों पदाधिकारियों को बीकानेर सरकार की आज्ञा से गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हीं के साथ श्री गंगा दास कौशिक भी पकड़े गये, परन्तु बाद को उन्हें पुलिस ज़ाइन से छोड़ दिया गया और मुद्दज़ों में ही नज़रबंद रहने की आज्ञा जगा दी। हफ्ते ८-१० दिन के बाद श्री आचार्य और श्री पारीक को भी क़ब्र शते जगा कर छोड़ दिया।

श्री रघुवर दयाल को जब निर्वासन की आज्ञा देदी गयी तो वे जयपुर जाकर श्री हीराजाल जी शास्त्री के पास ठहर गये। इसके बाद उन्होंने भारत के प्रमुख नगरों का दौरा किया, और बीकानेर में होने

वाले दमन के संबंध में जनता की जानकारी बढ़ाई। कई महीने बाद रहने के बाद आपने निर्वासन भ्रष्टाचार को दूर कर बीकानेर में प्रवेश किया और गिरफ्तार कर लिये गये। श्री गंगा दास कौशिक ने भी बजरबंदी की भ्रष्टाचार को दूर, अतः वे भी जेल भेज दिये गये। यही नहीं भी रघुवर दयाल से मिलने जयपुर जाने वाले भी शाउदयाल आचार्य पर भी सरकार ने अपनी दृष्टि वाली और वे भी सीलखों के भीतर पहुँच गये। इन लोगों पर जेल में ही मुकद्दमा चला और भी विश्व शाह चौरहा, जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की सुनवाई करके भी रघुवर दयाल गांधी को 1 साल की जेल और 1000) जुर्माना तथा श्री गंगादास कौशिक को 6 महीने की जेल और 200) जुर्माने का दण्ड दे दिया।

३. जन जागृति के लिये प्रयास

सरकारी दमन के कारण बीकानेर की राजनीतिक चेतना मारी सी गयी थी। गांधी टोरी और लहर पहचानने में भी जनता को सब मालूम होता। ऐसी विगधी हुई स्थिति में राजनीति के संबंध में विचार-विनिमय करना या प्रजा परिषद का संगठन करने के संबंध में कदम उठाना तो किसी प्रकार भी संभव नहीं जान पड़ता था।

ऐसे समय में भी महात्मा ने जनता की गिताली हुई अवस्था की देख कर एक बार स्थिति को सुधारने की इच्छा की। इन-दिने कार्यकर्ताओं और कुछ विद्यार्थियों का गुप्त रूप से संगठन किया गया। महात्माजी की ओर से वरधे और विजयिनी जारी होने लगी। उनके द्वारा राजनिष्ठ कर्मियों की विना शर्त रिहाई की गयी थी। इस संग के पुराने होने पर सम्पूर्ण जनता की समझ भी ही लगी। प्रजा और बीकानेर की सरकार को 'बद स्पष्ट होगा कि महात्माजी की विचार है। सरकार के सामने प्रजा परिषद की स्थापना की गयी थी। इन बीकानेरों के विचार को 'निराश्रित' करने से जनता की समझ में कुछ-कुछ

गरम खून दौड़ने लगा । कई महीने तक यह काम चालू रहा । विद्यार्थी कार्यकर्ताओं आदि की मदद से परचे जिले जाते और गुप्त रूप से उनका वितरण होता । बहुत समय तक सरकारी गुप्तधर परचे लिखने और छिपकाने वालों की खोज में रहे, पर उन को किसी प्रकार की सफलता नहीं मिली । जब पुलिस को किसी तरह पता न लगा तो उसने सीधे-साधे नागरिकों को धमकाना और राजनीति में हचि रखने वालों के पीछे सी० आई० दो० खगा देना जारी किया । श्री मधाराम इस दमन से कैसे बच सकते थे । श्रीपधालय और घर पर पुलिस और सी० आई० की सिपाही बर्दी अथवा सादा भेद में चक्कर लगाया करते । जाने-जाने वाले रोगियों का नाम लिखा और उनको धमकाया जाता । परिषद के कार्यकर्ता श्री गोपाललाल दमाणी के घर पर भी पुलिस का पहरा लगाने लगा । अखिल भारतीय पक्षां सभ की गोविन्दगढ़ [जयपुर] शाखाके व्यवस्थापक श्री देधीदत्त पंत का, जो बीकानेर में रहते थे, श्री पंत जी को सादी भण्डार बन्द कराया गया और उन्हें बाहर जाने की पाष्य होना पड़ा ।

४. अंधेरगिर्दी

राज्य के विभागों में बड़ी धांधली फैली हुई थी । बड़े से बड़े कर्मचारी रिश्वत लेने अथवा निजी व्यापार-कर रूपया चूसने में लगे हुए थे । जनता के काम में जाने वाली आवश्यक वस्तुओं को बाजार से सौच खिया जाता और फिर मनमानी कीमतों पर जनता को दिया जाता । गरीब जनता के कष्ट अपार थे । न्याय विभाग अपने नाम को रक्षमात्र भी समर्थक नहीं करता था । यदि किसी गरीब के पीछे कोई बूढ़ा मुकदमा भी लग जाता तो उसे अंधेरय ही जेल की पातनाओं को सहना पड़ता, क्योंकि धन के अभाव में न्याय का भी अभाव ही था । और विभागों का तो कहना ही क्या है ! अस्पताल में भी

धांधली का पूंछा पला हुआ था और खुले रूप से गरीबों का गला घोंटा जाता। उचित दवाई उसीको मिलती जो कमीर अथवा बर्से की सिफारिश को रखने वाला होता। गरीब किसी भी बीमारी से कुत्ते की मौत मर जाय, इसकी परवाह अस्पताल के तिरवतखोर कर्मचारियों को जरा भी नहीं थी। पुलिस विभाग के कर्मचारी जब साधारण समय में ही अन्याय करने से नहीं चूकते, तब अब तो राज्य में बढ़ने वाली अन्याय की नदी में भी वह अच्छी तरह क्योंकि न हाथ धोते। थोकानेर में माल बेचने को आने वाले देहाती किसानों को पुलिस बुरी तरह संग करती। अरा भी नानानूचे करने वाले व्यक्ति को कोट गेट में ले जाकर बुरी तरह पीट कर छोड़ दिया जाता। गरीब वर्ग की अवस्था का तो कहना ही क्या है। मध्यम श्रेणी की जनता भी बड़ा कष्ट पा रही थी। राज्य भर में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो गरीब जनता के कष्टों के सम्बन्ध में महाराज के पास खबर पहुँचाता सुन्दर बड़े मकानों में रहने, अच्छा कपड़ा पहनने और भर पेट खाने वाले सेठ-साहूकार ही महाराज के पास जाकर जनता के सुखी रहने के समाचार दे आते। महाराज को इतनी फुरसत कहां जो जनता के कष्टों के सम्बन्ध में सच्ची जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा करें। इस प्रकार की व्यवस्था से राज्य में चारों घोर अन्याय, चोरी और तिरवतखोरी का बोलबाला हो रहा था। गरीब किसानों को पट्टेदार, अरविज जनता को चोर, भले मनुष्यों को पुलिस और गुपटे लूटने में जंगे हुए थे। किसानों को घूसने के लिये जग-जग और भूटे मुकदमें सदा मुँह काड़े रहते। ऐसी हालत में जनता को शिंघर और अन्य मन्त्रिणादि की सुस्पष्टता करने के सम्बन्ध में सोचने की किर्य को पड़ी।

५. थोकानेर में, तिरंगा

इस बिगड़ी हुई अवस्था में प्रजा परिषद् के कार्यकर्ता परसे और विजसि आदि के द्वारा प्रचार करके जनता खाने का प्रयास करने, पर

विरोध सख्यता नहीं मिन्न रही थी। अतः भी मधाराम ने अपने सहयोगियों के साथ अण्डा सत्याग्रह आरम्भ करने का निश्चय किया। यह सत्याग्रह ६ दिसम्बर १९४२ को आरम्भ हुआ। बीकानेर के इतिहास में पदस्त्रीवार चैरा जी के पुत्र भी रामनारायण ने उस दिन रोपड़ के दो बजे बैलों के चौक में तिरंगा अण्डा फड़वाया। वहाँ से वह मोहनों के चौक से होता हुआ दाऊजी के चौक तक पहुँचा। इस बीच में राष्ट्रीय जारों की गूँज उत्तरोत्तर संप्रदा में बढ़ती जाने वाली जनता के अतुरूप ही तेज हो रही थी। अतः में पुनः चेतना का गयी और दमन से दबे प्राणों को कुछ कमर खींची करने का साहस करने लगे। दाऊजी के मन्दिर के निकट पहुँचते-पहुँचते लगभग १००० आदमियों का जलूस बन गया। वहाँ भी रामनारायण को राष्ट्रीय अण्डा फड़वाने और 'इन्कलाब जिंदाबाद' के नारे लगाने पर गिरफ्तार कर लिया गया।

६. सत्याग्रह के बाद

सत्याग्रह करने के बाद भी रामनारायण को तेजीबादे के चौक में गिरफ्तार करके पुलिस कोतवाली के गयी और बाद में 'सिखिख कोतवाली (चान्दमख इट्टे की कोठी) के दफ्तर में रात को रखा। इस रात पुलिस ने मनमानी बातनाएँ दीं—रात भर खड़ा रखा और मारा-पीटा भी। जब उन्हें किसी तरह काबू में धाते नहीं देखा तो अशक्त के सुपुर्द कर दिया और भारतीय दण्ड विधान की १८२ की भाँसा के अधीन मुकदमा खगा दिया गया। गुरदों द्वारा रुपये खीनने के इस पुराने मुकदमे को, जिसमें राजीनामा हो गया था, फिर से हरा किया गया। सरकार ने बहुत चेष्टा की कि राष्ट्रीय अण्डा फड़वाने की बात को दबा दे, परन्तु यह सब सब सम्भव नहीं था। सारा नगर ही नहीं समस्त राज्य अण्डा-सत्याग्रह के सम्बन्ध में जान बुझा था। गिरफ्तारी के ४-५ दिन बाद भी मधाराम ने

-राम नारायण को जमानत पर छोड़ा किया और भानोरो मजिस्ट्रेट के पदा मुकदमा चलता रहा ।

७. स्वतंत्रता दिवस

सन १९४३ का स्वतंत्रता दिवस निकट आ रहा था । २६ जनवरी के राष्ट्रीय दिवस को मनाने का निश्चय हुआ । जनता को ३-४ दिन पहले परचे बाँट कर सूचना दे दी गयी कि स्वामीनाथ के बाग में राष्ट्रीय दिवस मनाने का आयोजन है । इस राष्ट्रीय पर्व पर जनता से सहयोग करने की अपील की गयी । इस आयोजन की सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी पं० जगदीश प्रसाद और पं० गोवर्धन जाँच ने श्री मधाराम को बुला कर स्वतंत्रता दिवस न मनाने के लिए बहुत कुछ कहा । जब उनकी एक न चली तो न मनाने देने की पुनर्ती दी गई । इस भेद के बाद ही वैद्य जी और परिषद के अन्य कार्यकर्ताओं के पीछे पुलिस के कर्मचारी खगा दिए गये । २५ जनवरी को तो घर पर पुलिस का पहरा बैठा दिया गया, लेकिन सब की आँख में धूल डालकर वैद्य जी घर के बाहर आ गये । बहुत रात तक शहर में घूम कर प्रचार कार्य करते हुए वह धी भीला छात्र के साथ सेसोलनाथ तालाब पर रहने वाले मागा बाबा के पास पहुँचे । एक बड़े बड़ा बातचीत करने के बाद जब छोटे तो देखा कि सी. भाई, पी. पीछे जागी हुई थी, पर दोनों कार्यकर्ता बिना किसी गड़बड़ी के अपने अपने घर पहुँच गये ।

२६ जनवरी को प्रातः काल ४ बजते-बजते श्री मधाराम उठे और स्नान आदि से निवृत्त हो माता जी के हाथका बना भोजन खाकर ५ बजे तक बाहर निकल दिये । आपने लगभग ६ फुट लम्बा तिरंगा झण्डा लेकर कमर में बाँधा और ऊपर से कोट पहन लिया । मार्ग में धी भीला छात्र को लेकर वह स्वामीनाथ के बाग की ओर चले । सभा स्थल पर पहले ही से भीड़ जमा थी । धी रघुवर दयाल की

बंगेपत्नी और उनकी लड़की कुमारी चन्दुबाई, स्वामी काशी राम और पन्ना छाल राठी आदि कार्यकर्ता भी वहाँ उपस्थित थे। श्री मधाराम ने समा सभ पर पहुँच राष्ट्रीय झण्डे को एक लम्बे बास में छगा कर गणतन्त्रेरी राष्ट्रीय गानों के बीच फहरा दिया। वन्देमातरम् गायन समाप्त करके जनता ने अपना निश्चय पूरा कर दिखाया। समा निर्घर्ष कर राष्ट्रीय जलूस घास मण्डी होला हुआ कोट गेट पहुँचने वाला था, परन्तु घास मण्डी के निकट पहुँचते ही लाठी बंद पुलिस ने धाँधेरा। पुलिस के इन्स्पेक्टर कुन्दनलाल, जयभी नारायण और बगदीश प्रसाद सिपाहियों के साथ थे। इन अधिकारियों के कहने पर पुलिस वालों ने जनता पर आक्रमण कर दिया, जिस के फल स्वरूप कुछ समय तक हाथापाई हुई।

८. गिरफ्तारियां

पुलिस जनता पर आक्रमण करके ही शान्त नहीं होगयी, उसने मरे श्री मधाराम, पं० भिकी छाल और पन्नालाल राठी को गिरफ्तार कर लिया। जनता शांत थी। उसने अपने नेताओं को जब घोष भी राष्ट्रीय गानों के बीच बिदा किया।

इन तीनों नेताओं को कोतवाली में खेजाकर अलग-अलग रखा गया। आई. जी. पी. दीवान बंद और डी० आई० जी० पी० गोवर्धन बाबू ने कोतवाली पहुँचकर इन तीनों व्यक्तियों को जुरी तरह परखा। जब इन लोगों ने देखा कि हमारी बातों का किसी पर कुछ भी असर नहीं होता है तो अपनासा मुँह लेकर चले गये। कुछ समय बाद श्री रामनारायण को भी गिरफ्तार करके वहीं भेज दिया गया। रात होने पर इन गानों व्यक्तियों को सिविल कोतवाली के कमरे में खेजाकर अलग-अलग स्थानों में बंद कर दिया। दूसरे दिन श्री पन्ना छाल राठी को अन्यत्र भेज दिया गया।

पुलिस को जयभी चैन नहीं था। उसने श्री खोबनलाल शर्मा के

मकान की तलाशी ली, ३-४ राष्ट्रीय मकानों को बरामद किया और भी डागों को गिरफ्तार कर लिया ।

इन नेताओं को १-६ दिन हिरासत में रखने के बाद सदर निवासी में श्रीमनोहर लाल नाजिम के सामने पेश किया और हथकड़ी बांध कर दोनों नेताओं को जेल में डाल दिया गया । वहाँ के जेलरने इन्हीं श्री मधाराम को स्नान नहीं करने दिया, तो उन्होंने इस साधारण मानवीय अधिकार को पाने के लिये भूख हड़ताल कर दी । तीसरे दिन स्नान करने और १-२ घंटे कोठरी के बाहर टहलने की छूट दे दी गयी ।

६. कार्यकर्ताओं की रिहाई


राजनीतिक कार्यकर्ताओं को जेल में गये लगभग १ महीना हुआ होगा कि बम्बई में महाराज गंगा सिंह का देहान्त हो गया । उनके पुत्र श्री शम्भू सिंह गद्दी पर बैठे । नये महाराज के गद्दी पर बैठने के १२ दिन बाद सर्वश्री रघुवर दयाल गोयल दाऊदलाल और गंगादास कोराजा के सामने पेश करके छोड़ दिया । दूसरे दिन ही श्री भीखा बाबू को भी रिहा कर दिया । जेलमें श्री नेम चन्द आचरिया ने अधिकारियों की ज्यादतियों के कारण भूख हड़ताल कर रही थी, परन्तु अधिकारियों ने उन्हें भी छोड़कर अपना पीड़ा छुड़ाया । अब केवल वैद्यजी जेलमें इसलिये रह गये कि वे रिहाई के लिये महाराज के पास जाने को तैयार नहीं थे । अंतमें चार दिन बाद उन्हें भी जबरदस्ती छोड़ दिया गया ।

१०. रेजगी का मामला

रिहा होकर श्री मधाराम ने अपने 'औषधाख्य' में काम करना आरम्भ कर दिया । इस सेवा कार्य के साथ साथ राजनीतिक प्रचार भी धीरे-धीरे चालू था । पुलिस की मदद से उसे अपना काम मकान था । पुलिस के आगे भी

काल में ही, जिससे वैद्यजी पर कोई नया मुकदमा दापर किया जा सके। हम समय बीकानेर में शेरौज मिस्त्रना कठिन हो रहा था। लोगी का काम करने वालों ने ४ से ५ जाने तक बड़ा खेना आरम्भ कर दिया। इस प्रकार की गदबदी को रोकने के लिये उस समय के सर्व और गृह मन्त्री महाराज नारायण सिंह ने कुछ पूंजीपतियों की सहायता लेना आरम्भ किया। इसी अवसर पर महाराज नारायण सिंह के मित्र एक तथा परचा निकला, जिसमें लिखा था कि उक्त पत्रिकारी की बाल्या से छत्रापी के समय साहूकारों की बहू-बेटियों की दामन का भी ध्यान नहीं रखा गया तथा भूतपूर्व महाराज के समय वैदना धाम बनाने के कारण भी नारायण सिंह को निकाजा गया था, परन्तु वह इस बड़े पद पर रहने के योग्य नहीं।

पुत्रिय बच परचे निकालने वाले का पता न लगा सकी, तो डी. जर्न. बी. ने भी अघाराम को बुला कर उस परचे के सम्बन्ध में पूछा। इसके बाद उसी जासूसी के लिये महाराज नारायण सिंह के पास भेजा गया। इसी बीच मात्री साइब के मुद्दामों के माखिया प्रेरित की इच्छा पर बड़ी कुछ परचे बरामद हुए। माखिया ने अपने को मित्रों का बाले हुए कहा कि मैं तो बेपदा हूँ और परचे मुझे कर्न में बड़े मिल गये थे। पुत्रिय बच परचे दोरने वाली थी। उस गीत को १२-२० दिन तक महान बह देने के बाद इस बात का गीत कर दिया गया कि वह वैद्यजी का काम करे दे, जो कि उन्नीस बीसवाँ तक उसी गली में था। बात ठीक होने पर वैद्य जी को अपनी नारायण जी० चार्ड० डी० को भेज कर भी गोवर्धन-बाग के कर बुझाया गया। पुत्रिय रिभाग के अन्य अधमर जैसे डा० कल्याण मिश्र, श्री अगदीश प्रसाद और भी कन्दन बाबू चार्डि बड़े भी हुए थे। गीत बूझने पर भी अघाराम से कभी परचे के संबंध में शरम किये गये। यह सब कौनों को शूना बखर दिया तो माखिया प्रेरित को बचने पूछा पर इच्छानुसार बाले जाने को भेज ही नहीं। चार्डों का



श्री कल्याणगोपालजी सेवक
दुधवाला-ग्राम में आपने भी मात
की सजा पैच मशरामजी
के साथ कही थी ।



श्री रामनारायण शर्मा
पैच मशराम जी के मुद्रण । परिचय
के समयक दार्जिली ।

पत्र पर ही जज महोदय ने शीशराम कोतवाल को आज्ञा दी कि ३ दिन के अन्दर मयाराम को पेश किया जाय । शायद यह रिहाई उसीका फल था । दूसरे दिन अपनी दाखतीरी परीक्षा कराने के बाद श्री मयाराम श्री रघुवर दयाल के पास पहुँचे और उनकी सलाह से पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट में मुकदमा चला दिया गया । श्री गोपाल-बाल दमाखी ने भी जुर्म ३३० ता. हि. में मुकदमा दाखल कर दिया । सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में तीसरी पेशी होने पर जगदीश प्रसाद शीशराम, कुन्दनमज, श्रीदिलाल और भीरसाइब से २००)-२००) की जमानत मांगी गयी । श्री नूरुद्दीन दागा ने उन पुलिस के अध्यापारी अफसरों को जमानत पर छोड़ा लिया । आगे चलकर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल की चेष्टा से उक्त अफसरों को बरी कर दिया गया ।

१२. पुलिस की जालसाजी

इस वैध जी का मुकदमा दाखल था उधर द्वाब खोलने के विचार से श्री रामनारायण पर कुछ मुकदमा दाखल किया गया । मामला निम्न प्रकार से था—

श्री मयाराम के लड़के रामनारायण ने गणेशदास झाड़ण से २२२) में एक इक्का-घोड़ा खरीदा । खान डीऊ न होने के कारण खरीदा हुआ सब माल विन्ही के कागजों सहित उक्त झाड़ण के पास ही रहा । पुलिस वालों ने गणेशदास और उसके दोस्त किशनदास को मित्रा लिया । इन लोगों ने रामकिशन दागे से मिल कर गया पद-पत्र रखा । रामकिशन दागे ने निम्न रिपोर्ट थोकानेर की कोतवाली में दर्ज कराई—

"रामकिशन बरदवेरूलाज कौम दागा, साकिन थोकानेर मुहल्ला दागान ने सिटी कोतवाली में हतला दी कि ३ माह से कलकत्ता गया हुआ था । आते वक्त ८४००) के नये मोट १००-१००), १०-१०) व २-२) व १-१) के पेटी सटूक में छोर कर ताजा बंद करके चली

पेटी धीरत गूद को दे गया था। १०-१०), २-२) और १-१) के नोट बिजकल मये थे। नोटों की १००-१००) की गूदी बंधी हुई थी। मेरे जाने के बाद चाची व पेटी धीरत के पास रही। कानन-कनकन मेरे लड़के जगन्नाथ बहादुर के पास भी रहा करती थी। मैं जब कलकत्ते से वापस आया, तो कपड़े और नोट सम्हाले, तब माजूम हुआ कि २-२) के १२००) के व १-१) के १००) कुल मिला कर १६००) के नोट मायब है। मैंने अपनी धीरत से नोट कम होने की बात पूछा तो उसने कहा मुझे तो पता नहीं, जगन्नाथ से पूछो। मैंने जगन्नाथ से पूछा तो उसने बतलाया कि घरता करीब २०-२२ दिन पहले एक रोज दिन के चकत रामनारायण बख्त मधाराम बाइण ने मुझे अपने घर के पास पकड़ लिया और छुती दिवा कर कहा कि तुम्हें अभी जान से मार दूंगा वरना घर से काफी रुपया लाकर मुझे दे। उससे मैं डर गया और घर आकर १६००) के नोट, जिनमें २-२) के १२० और १-१) के १०० नोट थे, रामनारायण को दे दिये। जाती दहा रामनारायण ने कहा, अगर रुपयों की बावत किसी से कहा तो छुरी से काट दूंगा। आज दिन भर रामनारायण की हत्या की, मगर वह कहीं छिप गया। यह माजूम हुआ है कि उसने ६२२) में गणेश राम बख्त गोपाल बाइण, मुहल्ला खसोटियान को हुका, घोड़ा खरीदने के लिये दिये हैं। पूछने पर गणेश दास ने तसल्लीम किया कि ६२२) राम नारायण ने मुझे दिये हैं। उस समय राम नारायण भी वहां आगया और गणेश को रुपया वासि देने को धमकाया। मधाराम व रामनारायण की माजी हालत बहुत खराब है। पूछाव से पता चलता है कि यह ६२२) मेरे लड़के से खोसे हुए में से है। मधाराम उन रुपयों को वापस ले कर हजम करने की कोशिश में है। रपट देठा हूँ, तकतीस की जावे। "

पुलिस ने रिपोर्ट पर जुमंदका २२२ ठा० हिन्द का परचा बिलजंब

करदी। रिपोर्ट के मतदप की जगहनण ने अपनी बयान दिया।

यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि जसूसर चौक भोटगोट के बीच जहाँ घुरी दिखा कर घमकाना बताया गया था, वहाँ का रास्ता बहुत चलता है। ऐसी अवस्था में यह कैसे संभव हो सकता है कि जगन्नाथ को घुरी दिखवायी गयी, पर रास्ता चलने वाले किसी व्यक्ति ने देखा तक नहीं। दूसरे यह कैसे माना जा सकता है कि २-६ घण्टे वालों के रहने हुए घर में से गये हुए रुपये का २०—२२ दिन तक पता न चले। इन बातों से भी स्पष्ट होता है कि जब पुलिस साथ देती है तो मामला सरासर मूड होने हुए भी खानू किय प्रकार किया जाता है।

कुछ समय के बाद रामनारायण की मौरहाजरा में पुलिस ने सिटी-मजिस्ट्रेट की शमल में मामला पेश करा दिया। जब यह चाल पैत जी को मानूम हुई तो उन्होंने भी ईश्वर दयाल बकील की मार्गदर्शन रामनारायण को पेश कर दिया, जिसके फलस्वरूप उसे २ हजार की जमानत पर छोड़ दिया गया।

रामनारायण के मामले में पुलिस ने जो आखिरी रिपोर्ट १२ नवम्बर १९५४ को पेश की थी उसकी मकल नीचे दी जाती है:—
बराब धात्री

बाकपाल मामला इस तरह पर है कि राम किरण मुस्लीम ने पारीष १७-१२-५३ में व इन्धायें टा० अनुर सिंह जी इन्वेन्टररी, यह कजकता जाती दफा ८, ४००) व मोट संदूक में रसकर संदूक के ताडा लगा कर, धात्री चरत गुर को दे गया था। गायी पर १, ९००) के मोट नहीं मिले। खदका जगन्नाथ को जवानी पाया गया कि वपूरा (रामनारायण) यहद मधाराग भथानी, बीकानेर, ने मोट को घुरी का शौर दिखाने पर से रुपया मागा लिया, हरक इतना मुस्लीम मुकरमा दफा जुर्म ३६२ पी. पी. सी० दर्ज रजिस्टर करके वपनीय को गयी। हीराम तफनीय में ८(४) के मोट गदेश राम रसू राम गोपाल माकल बीकानेर से बगामद हुए, जिनसे कि मुसजिम ने घुरी-दकका खरीद किया था। जब भादव गुररिपोवेटर रिपो

हुकूम सादिर हुक्मा है कि साइब बार्ड. जी. पी. बहादुर ने मात इस्वफमाल विजयमाना है । फाइनल रिपोर्ट पेश की उ लिहाजा फाइनल रिपोर्ट पेश करके धरें है कि मुकदमा ३१२ का बीकानेर खारिज कर दिया जाये । मेरी राय में ८६४)०५ घोड़ी-इ जिसके बरामद किये गये हैं उसको वापस किया जाना चाहिए । आइन्दा हुकूम हुकमान है कि मुझे इस्वफमाल विजयमान, माता दस्तन्दामी पुखिम है, जिसकी शायत मुस्तगीस चारा कोई फद मजाज करे । नतीजा मुकदमा की इत्तला जरिये हुकूमनामा समु कलकत्ता खाना कराया जावेगा । मुस्तगीस कलकत्ते रहता है । सदा दः डा० रामसिंह जी, इन्सपैक्टर पुलिस सिटी ११२, २२०, १२.११.

एस० पी० सी०

असल हाजा में मिसल व गर्ज इस्तरामी पर्चा बसीगा बकुचा मुरमिल फाके तारदिया गिदमत है कि बाद मुगादि मुकदमा बसीगा अदम बकुचा फरमाया जाकर परचा खारिज का हुकूम फरमाया जावे और रुपया बरामद मुस्तगीस को मिला हुकूम हुकूरमाया जावे ।

ता० १८. ११. ४४

दः पं० गोरधन शास्त्री,

डी० बार्ड० जी० पी०

पःस्ते मुगादिजा अदामाज सिटी मजिस्ट्रेट मद्र के पेश हो । ता० ११-४४

हुकूम अदामाज सिटी मजिस्ट्रेट—[agree (मैं तदपन ता० ११-१२-४४

दः अमरसिंह जी शास्त्री, सिटी मजिस्ट्रेट सदा बीकानेर ।

द्विपणः सवृत पूरा करने के लिये गणेशदास ने रामकिशन दागे से गये मोट बदला कर लिये थे और हम भेद को किशनदास स्वामी मानता था। इसी तरह चरामत हुए लोगों में (१) की कमी थी जिसका कोई सबूत नहीं था। मजिस्ट्रेट के सामने जब मामला पेश हुआ और गवाहों के बयान हुए तो अदालत ने पुलिस के साथ मिल कर चौकेशाजी काने का जुम मान लिया। मामला पसट गया। पुलिस, गणेशदास और रामकिशन दागे की गुटबन्दी की पोवा खुश गयी।

सबके को हो नहीं, पिता को भी कूटे मुकदमे में फसाने की चेष्टा की गयी। २२ दिसम्बर १९५३ को पुलिस के गुर्गे मोहन लाल भीमाधी ने श्री मधाराम के विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। मोहन लाल का कहना था कि एक दिन मधाराम मुझे रतन बिहारी के बाग में ले गये और वहाँ ऐसा पान खिलाया कि मैं दोपहर १२ बजे से सायंकाल ४ बजे तक बेहोश रहा। इस बेहोशी की अवस्था में रंगूटे पर स्वादी लगा कर किमी टम्पाजेज पर निशानी करा ली।

सबूत को पूरा करने के लिये पुलिस के अधिकारी डा० जसवंतसिंह और शीश राम रिपोर्ट करने वाले मोहन लाल को बड़े अस्पताल ले गये। वहाँ डाक्टरों पर दबाव डाला गया कि वे परोचा में जहर देना लिख दें, परन्तु भले डाक्टरों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। उन लोगों ने यहाँ तक लिख दिया कि मोहन लाल कूट बोलता है, इसे न जहर और न कोई नशीली वस्तु ही दी गयी है। पुलिस ने चाहा था कि धारा ३२८ ता. हिन्दू के अनुसार मधाराम पर हत्या करने आदि का मुकदमा चलाया जाय, परन्तु उस के मनमूर्खों पर पानी फिर गया। आगे चलकर १७ फरवरी १९५४ को मजिस्ट्रेट ने मुकदमे को खारिज कर दिया।

यह सारी मुकदमेशाजी पुलिस के कई अफसरों के विरुद्ध भी मधाराम द्वारा चलाये गये मुकदमे का जवाब थी। सरकारी अफसरों के विरुद्ध मुकदमा जारी रखकर उसे साबित कर देना आसान काम

मही होता । यह सब कठिनाइयाँ होने हुए भी, पुत्रिप के पाँच कर्मचारियों पर जुर्म लग चुका था । अंत में मिश्री मंत्रिस्ट्री ने इन सब को, पूरा सख्त होते हुए भी, बरी कर दिया ।

इस प्रकार के सरकारों रवैये में अत्याचारी अफसरों को मोरपाइन मिला, नगर में चोरियों का ताँता लग गया । जो भी मनुष्य इन कष्टों की रिपोर्ट कोतवाली में लिखाने जाता, उसी पर मार तक पड़ती । पुलिस की मनमानी के साथ-साथ जनता के कष्ट बढ़ते चले जा रहे थे । साधारण स्थिति के नागरिकों की हज़रत सतरे में थी । जाम-माल की रक्षा का प्रश्न सदैव एक समस्या बना रहता था । अत्याचारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले श्रीमधाराम के पीछे पुलिस ने अनेक गूंडे मुहड़मे लगाये, परन्तु वह घैस जी को विचलित नहीं कर सकी । श्रीमधाराम सरकारी अधिकारियों की अन्धाधुनिक नीति का विरोध करते ही रहे ।

१३. संवाद काण्ड

देशी राज्यों के मामले विचित्र ही होते हैं । अधिकारी-वर्ग और उनके मुँदलगों की चालबाजियाँ बराबर चकती ही रहती हैं । कोटा राज्य से दीनबन्धु नामक माप्तादिक पत्र प्रकाशित होता था । उक्त पत्र के बारह अगस्त १९४७ से अंक में उस समय के होम मिनिस्टर गगुर प्रताप सिंह जी के विरुद्ध एक समाचार निकला । लोगों को संदेह है कि नीचे लिखा संवाद पुलिस सुपरिन्टेंडेंट एच० जसवन्त सिंह के कहने पर एक कार्यकर्ता ने प्रकाशित कराया था ।

“प्यादे ते फ़र्जी भयो”

“पढ़ते ही वर्तमान होम मिनिस्टर साहब की नियुक्ति से प्रजा में अत्यंत रोष था, और अब होम मिनिस्टर साहब के सजाइकार, जो पहले प्रजामण्डल के डिप्टी रजिस्ट्रार सरकार से माँची माँग चुके हैं, की

नियुक्ति से और भी असंतोष फैल गया है। क्या ऐसी हराम मनोवृत्ति के लोग राज और प्रजा का भङ्गा कर सकेंगे।”

इस संवाद के प्रकाशित होने पर राज्य के अधिकारियों में खलबली मच गयी। धीकानेर के महाराज ने २६ अगस्त १९४४ को श्री रघुवर दयाल वकील को बुलाकर गिरफ्तारी की आज्ञा दे दी। वकील साहब के साथी श्रीगंगादासजी कौशिक और श्री दाऊदयाल धार्याय को भी नजरबंद कर लिया गया। श्री रघुवरदयाल को लूनकरनगर और उनके दोनों साथियों को अनूपगढ़ में बंदी हाजत में रखा गया।

१४. “यह हुल्लड़बाज़”

भूतनीति के दाव-पेच बड़े पेचीदा होते हैं। इनसे बचना साधारण आदमी का काम नहीं। कभी-कभी तो शत्रु की दो भीठी घातें भी बड़ी अच्छी जान पड़ती हैं। इस प्रकार के जाल में न फँसना कुछ आसान काम नहीं। एक दिन का जिक्र है कि खादी मंदिर में बैठे हुए बाल-बीत के सिलसिले में श्री गंगादास कौशिक ने बैच जी से कहा कि महाराज धीकानेर ने हम तीन व्यक्तियों—रघुवरदयाल गोयल, गंगादास और दाऊदयाल अन्यको छोड़कर प्रजापरिषद् के कार्यकर्ताओं को हुल्लड़बाज़ कहा है। यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि श्री रघुवर दयाल गोयल ने जमला के धन से खादी मंदिर की स्थापना की थी और गंगादास कौशिक उस पर नौकर थे। श्री कौशिक ने महाराज के धार्य को इस ढंग से कहा कि श्री महाराज को यह अच्छा नहीं लगा। यह घटना तीनों व्यक्तियों की गिरफ्तारी से पहले की है।

“प्यादे ते कर्त्री भवो” के संबन्ध में तीनों नेताओं की गिरफ्तारी होने के बाद लूनकरनगर से श्री मूलचन्द जी पारीक श्री रघुवरदयाल गोयल का संदेश लाये कि प्रजा परिषद् के सदस्य बनाकर चुनाव

किया जाय तथा तीनों नेताओं की रिहाई के लिए आन्दोलन आरम्भ हो । जब यह बात वैद्य जी से कही गई तो उनको भी कौटिलिक द्वारा हुजूरदबाज होने की बात का स्मरण हो आया । आपने इस पर प्रतिक्रिया कि पहले तो "हुजूरदबाज समझाया गया था, अब यह बातें कैसी हो रही हैं । हुजूरदबाजों पर आन्दोलन करने तथा जनता में उत्साह और अन्यायों का विरोध करने का भार क्यों कर डाला जा रहा है । बात को सम्हालते हुए खादी मंदिर के मेघराजजी पारीक और अन्य व्यक्तियों ने कहा कि इन पुरानी बातों को भूल जाना ही अच्छा है ।

१५. प्रजापरिषद् का पुनः संगठन

जनता पर सरकारी अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे थे, किसानों के कष्टों की कहानी कानों को फोड़े डाल रही थी और प्रजा में अन्याय का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं दीख पड़ती थी । ऐसी अवस्था को देख, एक जन सेवक के कठोर कार्याध्य के माते, मित्रों के जोर देने पर, वैद्यजी ने पुनः प्रजापरिषद् का संगठन करने का कार्य अपने हाथ में लेने का निश्चय किया । प्रजापरिषद् के सदस्य बनाने का कार्य आरम्भ हो गया । कुछ व्यक्तियों के उत्साह से सदस्य संख्या काफी बढ़ गयी । २६ जनवरी १९४१ का दिन था । जनता पर राज्य का आतंक था ही । अतः जसूसर गेट के बाहर गोशोलाई तलाई पर प्रजापरिषद् के सदस्यों की बैठक का आयोजन गप्त रूप से किया गया । अस्त्राभिवारण और राष्ट्रीय नारे लगा कर स्वतन्त्रता दिवस की रस्म पूरी की गयी । सदस्यों में एक नया जोश और नयी उमंग दीख पड़ती थी । उक्त कार्य के बाद सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से यह निश्चय हुआ कि प्रजापरिषद् का समस्त भार श्री मधारामजी को सौंप दिया जाय । पहले तो वैद्यजी तैयार नहीं हुए, परन्तु आग्रह को बढ़ता देख उनकी भार स्वीकार ही करना पड़ा । मन्त्री और कोषाध्यक्ष का चुनाव आगे के लिये टाल दिया गया । राज्य की स्थिति को देख कर

सदस्यों ने यही ठीक समझा कि केवल प्रधान का नाम ही प्रकट किया जाय।

इस भार के पड़ने पर बैद्यजी ने अपने अन्य काम बन्द कर दिये और प्रजापरिषद् के कार्य में पूरी तरह लग गये। परिषद् के पुनर्संगठन सम्बन्धी समाचार जब समाचार-पत्रों द्वारा सरकार को विदित हुए तब राज्य के गुप्तचर श्री मधाराम के पीछे रहने लगे। इन लोगों की रायवाह न करते हुए परिषद् का प्रचार कार्य मुझे रूप में चलने लगा। किसानों की कष्ट कहानियाँ सुनी जातीं; उनको प्रजापरिषद् के उद्देश्य और कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में जानकारी कराई जाती। देशों में दौरे कर-कर के संगठन कार्य बढ़ने लगा। जब कुछ नींव पम गयी तब एक वक्तव्य के द्वारा जनता और सरकार को स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया गया कि प्रजापरिषद् का प्रथम उद्देश्य शांति और वैद्य उपायों द्वारा जनता का संगठन करने का है। संगठन कार्य होने पर ही दूसरा कदम उठाया जायगा। संगठन में सफलता दिखलाई देने पर प्रजापरिषद् के कार्यकर्ता चापली बैठक कर प्रस्तावों पर विचार कर उन्हें स्वीकार करने लगें। श्री रघुवर दयाल वकील और श्री गगनदास कीरिका भी रिहाई के सम्बन्ध में भी चाचाज उठाई जाने लगे।

१६. श्री दाऊदयाल की रिहाई

गिरफ्तारी के कुछ समय पश्चात् मलेरिया बुखार ने श्री दाऊदयाल आचार्यको भा घेरा। बीमारी के कारण उनकी हालत चिन्ता-जनक हो गयी। आचार्य को अन्नूपगढ़ से बीकानेर के अस्पताल में भेजा गया। अन्त में सरकार ने उन्हें छोड़ देना ठीक समझा।

१७. नागीर का सम्मेलन

शोचपुर राज्य लोक परिषद् का राजनीतिक सम्मेलन नागीर में होने का निश्चय हुआ। उस सम्मेलन में बीकानेर के कार्यकर्ताओं को

भी आमंत्रित किया गया। बीकानेर से सर्वध्वी मघाताम, पं० भीष्मा
बाल चौहारा, पं० धीराम, मुलतानचंद, माधोसिंह, चंगलाल उपाध्याय,
रामनारायण, सेराराम, जीवनलाल शाहा, श्रीरामभाचार्य की पत्नी,
किशनगोपाल उर्फ गुटइ महाराज आदि व्यक्ति नागौर गये। सबके
स्टेशन के निकट की घर्मशाला में ठहराया गया। बाहर से पहुँचने वाले
व्यक्तियों की सुविधा का पूरा प्रबन्ध कर दिया गया था तथा सरकारी
उचित सम्मान हुआ।

सम्मेलन पर्यटकों के मुख्य द्वार पर अमर-
शहीद श्री बालकृष्ण बीस्ता का स्मारक बोर्डों की छोपरी
के रूप में बनाया गया, जिस पर उनका चित्र भी लगा दिया था।
अन्य द्वार भारतीय नेताओं के नाम पर बने थे। पर्यटकों सुन्दर
बनाया गया था।

लोकनायक श्री जयनारायण व्यास के साथ सर्वध्वी कन्हैयालाल
बैद्य, गोपीकृष्ण विजयवर्गीय, सुमनेश जोशी, गणेशीलाल आदि आये।
सम्मेलन में भाग लेने के लिये आर्य गुरुकुल बड़ौदा राज्य की कन्याएँ
भी अपने घोड़ों सहित आयीं थीं। अधिवेशन के सभापति श्री व्यास
जी का नागौर के कम्बे में प्रसिद्ध नागौरी बैलों के रथ में बिठा कर
जलूस निकाला गया। गाजा-बाजा, नागौरी बैलों का रथ, घोड़ों पर
कन्याएँ, राष्ट्रीय नारे और गानों की धूम तथा वायु में छरछहाटे
राष्ट्रीय झण्डे जलूस की शोभा और जनता के उत्साह को कई गुना
बढ़ा रहे थे। मार्ग में कई स्थानों पर स्वागत किया गया।

श्री व्यास जी की अध्यक्षता में तीन दिन तक अधिवेशन हुआ।
इस बीच में सर्वध्वी सुमनेश जोशी, गणेशदास, मधुरादास, लकीरुल-
रहमान (अजमेर) कन्हैयालाल बैद्य (बीकानेर) आदि के
महत्वपूर्ण भाषण हुए। अधिवेशन सानन्द समाप्त हुआ।

अनेक सरकार के जासूसों ने नागौर में भी बीकानेरी नेताओं का
निर्वासन किया। तारानाथ रावक और केदारनाथ मिश्र ने कई बार यह

सेवा की कि निजी बातचीत के बीच चुपचाप पहुँच कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की जाय । परन्तु भेद सुझ जाने पर उन्हें अपमानित हो पलायन करना पड़ा ।

श्री मयाराम आदि नेताओं का भागौर जाना बेकार नहीं रहा । यहाँ पहुँचकर श्री जयनारायण श्यास आदि नेताओं से बीकानेर की राजनीतिक गति विधि के सम्बन्ध में पूरा विचार विनिमय हो गया । बीकानेर में प्रजापरिषद् का कार्यालय खोलने के प्रश्न पर श्री श्यास की यही राय रही कि परिषद् का कार्यालय खोलने के स्थान पर ऐसे वाचनालय की स्थापना की जाय जहाँ जनता आकर समाचार पत्रों को पढ़ सके ।

१८. वाचनालय की स्थापना

श्री श्यासजी के परामर्शानुसार बैलगी ने लेलीबादे में राष्ट्रीय वाचनालय स्थापित कर दिया । इस सर्व कार्य केलिये भी प्रजा-परिषद् के नाम पर दर के कारण कोई मकान देने को तैयार नहीं होता था, इसलिये श्रीमयाराम ने अपने नाम पर भाड़ा चिठी लिखकर आईदान भौदिक से ८) किराये पर मकान लिया । २-७ दैनिक पत्र भी वाचनालय में आने लगे । धरि-धीरे पाठकों की संख्या में वृद्धि हुई । जनता में प्रचार बढ़ा । राष्ट्रीय गानों और राष्ट्रीय गानों की सान वासु-समरदल में गूँजने लगी । अधिकारियों के कान गव्हे हुए तथा पुलिस की घुरदौद जारी हो गयी ।

१९. संगठन के लिए दौरा

बीकानेर प्रजा-परिषद् के संगठन कार्य में गति लाने के लिये श्री मयाराम ने कुछ कार्य-कर्ताओं के साथ में लेकर दूंगरगढ़, रतदगढ़ और सरदार शहर आदि कस्बों का जय दौरा किया तो ज्ञान हुआ कि राज्य का जनता पर इतना आतंक है कि प्रजा-परिषद् का सदस्य बनने से उन्हें डर लगता है । दूंगरगढ़ पहुँचने पर श्री मयाराम ने जनता

में जैसे मय का वर्णन किया। पुलिस थाने के कमवाती वी को अधिक तंग करते हैं। जनता कपड़ा, चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण बहुत दुखी है। राज्य के गुज्जर व भी पीड़े लागे हुए थे। उनके और कुछ हाथ न लगा तो एक गुज्जर ने भेराराम व्यास को धोखा देकर परिषद की रसीद कुछ में से एक सफा ही फाड़ लिया। रतनगढ़ और सरदार शहर का दौरा करने बाद परिषद के कार्यकर्ता बीकानेर लौटे। इस दौरे में इन्होंने अनुभव हुआ कि शहरी जनता के मुकाबिले किसानों में कुछ अधिक चेतना थी। बीकानेर लौटने के कुछ दिन बाद ही श्री मधाराम अपने छोटे रामनारायण को साथ लेकर राज्य के देहातों का दौरा करते-करते गंगानगर पहुँचे। जनतामें परिषद का कुछ प्रचार करके प्रजा-परिषद की गंगानगर शाखा की स्थापना हुई और रावमाधौसिंह को प्रधान तथा श्री जीवनदत्त शास्त्री को मंत्री चुना गया। वहाँ सकलता मित्रों पर गंगानगर के देहातों में प्रचार कार्य चालू हुआ। इसके परचात वैद्य श्री रावमाधौसिंह और श्री रामनारायण चवोहर मंत्री पहुँचे, जहाँ वन लोगों ने प्रवासी बीकानेरी जनता में प्रजापरिषद का प्रचार किया। चवोहर के बाद फजलका और पंजाब के अन्य स्थानों में प्रचार कार्य किया गया तथा सदस्य बनाये गये। गंगानगर होते हुए बीकानेर लौटने पर श्री मधाराम ने नगर में प्रचार कार्य जारी रखा। दौरे का फल स्पष्ट दिखलाई देने लगा। जनता में अपने कष्टों को प्रकट करने की हिम्मत आ गयी।

चौथा अध्याय

इस अध्याय में:—

1. दुधवाखारा काण्ड, २ अक्षर सूरजमल के आवाचार
३. शूरु में प्रचार, ४. स्वामी गोपाल दास जी ५. बीकानेर में प्रचार
६. दुधवाखारा पर कृतम्ब ७. श्री हनुमान विह की गिरफ्तारी ८. पुलिस के आवाचार, ९. जेल में रिश्ततसोरी, १०. मुद्दमे का स्थान
११. जेल में अनशन १२. गिरफ्तारियों का दौर जारी, १३. श्री हनुमान विह की भूख हरषाख, १४. सान नेता रिहा, १५. राम रिह नगर गोर्बा काण्ड के घायलों से भेंट, १६. श्री हीरा खाल श्री बीकानेर में १७. रिहाई के बाद श्री वैशाली का कार्य ।

१. दुधवाखारा बाण्ड

राज्य के किसान पट्टेदारों के जुल्मों में पीड़ित थे अवश्य, परन्तु शाखा उठाने की हिम्मत उनमें नहीं के बराबर थी। हाल में किये गये प्रचार से जनता में कुछ जान आयी। इसी बीच दुधवाखार के अग्रगामी किसान श्री हनुमान सिंह अन्य किसानों के साथ पट्टेदार सुरजमल सिंह के अत्याचारों का वर्णन बीचजी से करने २ जून १९४२ को बीकानेर जा पहुँचे। किसानों की बेदखली, सूटे मुकदमों से तंगी, मकानों का दफ़्तार और किसानों के पशु-धन को चोरी आदि की इसी कल्प कल्पानियां उन्हें सुना डालीं कि उन पर माधारण रूप से विश्वास नहीं हो पाता था, परन्तु धीरे-धीरे सब सच्ची। उन लोगों का कहना था कि इन कष्टों के सम्बन्ध में बीकानेर के महाराज के पास भी अनेक प्रार्थना-पत्र भेजे गये, परन्तु उनका कोई उत्तर नहीं हुआ। उन लोगों ने जांच करने की मांग की और आश्वासन पाकर महाराज से करिबाद करने माउचट याचू चला दिये।

तीन दिन बाद श्रीमधारायण, श्री चम्पालाल उपाध्याय और श्री राम शारायण को साथ ले ८ जून की रात को दुधवाखारा स्टेशन पहुँच गये। गंगानगर के श्री माधोसिंह को भी तार द्वारा बुलावा भेज दिया। स्टेशन से गाँव १ मील दूर था, अतः किगये के दो डंठ लेकर तीनों व्यक्ति बहुत रात गये गाँव की धर्मशाला पर पहुँचे। गुप्तचर विभाग का भूत भी उनके पीछे लगा हुआ था। धर्मशाला के माध्यम तपवाले ने यह कह कर इन लोगों को वहाँ नहीं रहने दिया कि धर्मशाला के मालिक सेठ की आज्ञा है कि सफेद टोपी वालों को न रहने दिया जाय। बहुत समझाने पर भी यह किसी तरह राजी नहीं हुआ। इस सब कारण को धर्मशाला में रहना हुआ एक व्यक्ति देख रहा था। उसने इन लोगों को संकट में देख कर मदद की और पास के एक बीहरे के सामने बने हुए चव्तरों पर सो जाने को कहा। तीनों

व्यक्तियों तथा पीछे जगे गणेश्वर मोहनदास ने वही धामन बना दिया, परन्तु नींद नहीं आती ।

समाप्त होते ही एक राहगीर-किसान से पता पूछ कर तीनों कार्यकर्त्तों श्री गणपतिदास पुत्रानिया के मकान पर पहुँच गये । इन लोगों को सुँचे कुछ देर भी नहीं हुई थी कि मोहन दास पाँडे और पुत्रीम चौबी का समाचार वहाँ जा पहुँचे तथा जगे घमकाने ! जब इन लोगों से साहसाक कह दिया गया कि दूसरों के दुखों को सुनने का सबसे अधिकार है, तुम्हारे जो मन में धावे वह तुम करो, तब वे वहाँ से मुँह की खाकर खिसके । उसी दिन राव माधौ सिँह भी गंगानगर से आ गये और जाँच आरम्भ कर दी गई । निम्नलिखित किसानों के अतिरिक्त भी कई व्यक्तियों ने अपनी कष्ट कहानी कही:- (१) चाँदू-जट (२) गणेश जाट, (३) गंगाराम जाट, (४) चेतन जाट (५) माझाराम (६) भूरा राम (७) खसूराम, (८) भादर (९) शाना राम (१०) गणपतिराम (११) लखाराम (१२) मूजाराम (१३) गोपाशराम (१४) नरसिंह राम (१५) रामलाल ।

२. डा० सुरजमल के श्रुत्याचार

किसानों ने परिषद के कार्यकर्त्तियों को बताया कि इनके मकान और २-२ हजार की लागत के कुएँ को जपन कर लिया गया है । यह कुएँ ही जीवन का सारा होते हैं, क्योंकि इन्हीं के बल पर किसान और उनका पशुधन पानी के लिए १२ महीने निर्भर रहता है । वही नहीं, जीवन निर्वाह की मुख्य आधार जमीनों को छीन कर सेतों को दे दिया गया । इसके साथ ही पशुधन की चोरी करा कर गिरी गरीबों की कमर पर झाल और मारी जाती है । यह कष्ट देकर भी जब शांति नहीं होती तो किसानों पर मुँडे मुकदमे चला कर उन्हें भरसक तंग करने की चेष्टा करके गाँव से निकल जाने को बाध्य किया । इन लोगों का कहना था कि डाकुर साहब महाराज के

उत्तराल सेक्रेटरी हैं, अतः वहां भी कोई सुनवाई नहीं होती ।

यहां भोपाराम ब्राह्मण पर हुए अत्याचार का उदाहरण दे देना अनुचित न होगा । भोपाराम का कहना था कि डा० सुरजमलसिंह के पिता के साथ भैंर पिता भैराराम गया जी गये थे, जहां डाकुर साहब के पिता ने उनको २५ बीघे जमीन दान में दी । अब उक्त दान की जमीन को छीन कर एक सेठ को दे दिया गया और एक सूटा मुरुदमा बना कर अदालत से १००) जुर्माना करा दिया गया । यहां यह बात ध्यान में रखने की है कि जमीन का दान कोरा जबानी न होकर नीचे लिखे दान-पत्र के द्वारा हुआ था:—

लिखतु डाकुर दालसिंह जी—मैं सम्बत् ११२३ में चैतक श्री गया श्री गया झा, भैराराम ब्राह्मण को साथ ले गया हूँ । धी गया पेंड पर पीतरा का पिंड भरया जद डोली बीघा पचीम दीनी, भैराराम बाद वृद्धी के बेटे ने दीनी छः । यह डोली धी गया जी पर दीनी छः । एसा पुन-पोला कोई लगान नहीं छेसी । इसकी साथ बाद-सूरज बीघ में छः । गोपत्री हाल खेड में दीनी छ । साक्षा सरक गबसु लगती बादया मुदी १ सं० ११२६ । इः दालसिंह, ऊपर जियासही क. सुद ।

सा० गंगा राम

सा० सुसाब्बा धानू

—२—

एवं भरी गांधीयों को सुनने के बाद धी मधाराम अपने साथियों के साथ गांव का निरीक्षण करने तथा वास्तविक स्थिति को देखने निकले । उस समय वहां की आवादी लगभग निम्न प्रकार थी:—

राजपूतों के मकान	२१
जाट किसानों के मकान	१२२
हिमाल पेशा अन्य जाति वाले	१२०
कौहरति साहूकार	४
बकपति	२०

कुछ हजारपति सेठों और अन्य लोगों के मकान भी ।

इमलोगों को गांव में फिरने पर ज्ञान हुआ कि १० मकानों के मकानों को ठाकुर सा० ने नबरदस्ती निकाल बाहर किया है। इस प्रकार कुछ इवेलिया भी खाली करा ली गयी हैं। यह भी बतलाया गया था कि १५-१५ और २०-२० रुपये की सूटी बकाया पर मकानों का मालका निजी आदमियों को बेच दिया गया। गांव के अनेक अत्याचारों के कारण गांव छोड़ कर भाग गये हैं।

सब बातों की एक सीमा होयी है, परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि डा० सुरजमलसिंह के अत्याचारों की सीमा नहीं थी। दुधवास्तारा का पानी इतना खारी है कि उसे पीकर पशु ४-५ घंटे और मनुष्य १-२ घण्टे के अन्दर ही अपनी अन्तिम घड़ी गिनने लगता है। जनता ने पीने का पानी एकत्र करने के लिये कुएँ और तालाबों का निर्माण किया है। यहाँ यह सोच कर किसके रोमान्च खड़े न हो जायेंगे कि जल के एकमात्र साधनों पर कब्जा करके गरीब जनता को ठाकुर ने किस तरह तदफाया। कहते हैं कि जब दुधवास्तारा किसान बहुत गिदगिदाये तो ठाकुर साहब के यह बड़ा शब्द निकले कि "बकरियाँ भी मरते समय मिमियाँती है, मगर मांस खाने वाला मिमियाँती को परवाह नहीं करता।" यह भी ज्ञान हुआ है कि ठाकुर साहब की इत्यानुसार जब कुछ लोगों ने सूटे मुकदमों में गवाही दी, तब कुछ कुछ वापस किये गये।

हम पहले ही कह चाये हैं कि दुधवास्तारा की जनता के कंधों का पार न था। पुलिस की चौकीवाले रक के स्थान पर भटक बने हुए थे। एक समय पुलिस की चौकी गांव के बीच ऐसे मकान में थी जिसके अन्दर विराट कुएँ है। गांव की बहू-बेटियों को वहाँ पानी लेने जाना ही परता और उसके साथ उन्हें बेरुजगती भी सहनी पड़ती थी। चाये दिन पुलिस की चौकी पर बलात्कार-काण्ड हुआ ही करते। यह जहाँ जब सर मनुमाई मेहता के ज्ञान में पड़ी, तब वहाँ ले

इत्तर पुलिस की चौकी गांव के बाहर पहुँची थी। कहते हैं कि पुलिस चौकी पर होने वाले घन्टायों के कारण ही सड़कियों का स्तब्ध हटा दिया गया। अध्यापिकाओं और सड़कियों के सतीश्व मष्ट करने की दर्दमरी कहानियों को यहाँ न दोहराना ही हम ठीक समझते हैं।

लोगों की जहानी मालूम हुआ कि दुधवाधारा के सेठ मनुष्य गरीब धारण किये हुए वास्तविक जोर हैं। यह लोग खून के प्यासे और अत्याचारों के भूले हैं। किसानों को बेघरबार करके बड़े बड़े मकान और १२०-१२० बीघे के नौदरे बना लिये गये हैं। सामाजिक जीवन की सुख्यवस्था तो गांव में जरा भी नहीं है।

किमानों के कष्टों का सच्चा बिज्र अपनी आंखों देखने के बाद शर्मा कार्यकर्ता सत्यकाल को दुधवाधारा स्टेशन और वहाँ से चुरू पहुँच कर पतराम कोठ्यारी के नौदरे में जा उदरे।

३. चुरू में प्रचार

चुरू पहुँचकर बैद्यजी ब्रह्मचर्य आश्रम में जाकर पं. बदरीप्रसाद पाचार्य से प्रजापरिषद् की शाखा स्थापित करके के सम्बन्ध में मिले। इसके बाद सर्वहितकारिणी सभा के मन्त्री श्री चन्दममलजी बहद ने इन लोगों को यही राय दी कि प्रजा परिषद् के सदस्य बनाने का कार्य तो अभी जारी कर दिया जाय और जब कुछ अधिक सदस्य हो जाय तब चुनाव करा दिया जायगा। अतः २-३ दिन चुरू में रुकने के बाद कार्यकर्तागण बीकानेर लौट आये।

४. स्वामी गोपालदासजी

यहाँ सर्वहितकारिणी सभा के संस्थापक स्वर्गीय स्वामी गोपालदास जी का जिक्र कर देना अनुचित न होगा। स्वामीजी को बीकानेर के प्रथम राजनीतिक पञ्चम्य सामले में गिरफ्तार किया गया और जम्बी सजा दी गयी थी। सजा काटने के बाद थाप अधिकतर दरद्वार के स्वर्गाश्रम में रहने लगे और यहाँ

आपका स्वर्गवास हुआ। दिनकारिणी सभा के मन्त्री भी बदर जी भी पदच्युत केस के अभियुक्त और जन्मी सजा भोगने वाले वगे हुए देरामक हैं।

५. बीकानेर में प्रचार

वैद्य जी जब पूरू से बीकानेर छोट रहे थे तब राज्य अधिकारियों ने भी रघुवरदासाज जी वकील को मन्त्रबन्दी से रिहा कर देश निकाले की आज्ञा देदी।

बीकानेर आकर भी मयाराम जी ने दुधवाणारे में किसानों पर होने वाले अत्याचारों का भयदाहोद करना आरम्भ कर दिया। समाचार पत्रों और वगे परनों द्वारा जनता को पूरी जानकारी कराई गयी। जनता में नयी चेतना दिखलाई देने लगी। नगर में हर व्यक्ति के मुँह से राष्ट्रीय नारे सुनाई देने लगे। राष्ट्रीय पाठशाळा में भी वाडकों की संख्या बढ़ गयी। जनता में नया जीवन देखकर सरकार को आन्दोलन खडने की आशाका होने लगी। इसी समय एक दिन भी मयाराम अपने भाई मेराराम के साथ दिखली गये और वडा जा कर देरी साय-दाक परिवार के मन्त्री लोकनाथक भी मयारामाण्य जगाम को दुधवाणारा में होने वाले अत्याचारों की कहानी सुनायी।

६. दुधवाणारा पर पकड़न्य

भी ग्यालपत्री की राय के अनुसार वैद्यजी बीकानेर साका को दुधवाणारा के अत्याचारों के सम्बन्ध में लिख भी न पाये थे कि राज के अधिकारियों की तरफ से कुछ विज्ञप्ति लिखकी कि किसानों के दुधवाणारविह किसानों को बदराला है और किसानों को बाने कृती है। इस आकारी विज्ञप्ति को दस कर भी मयाराम ने दुधवाणारा की विज्ञप्ति के सम्बन्ध में निम्न आदेश का बखन्य दिया, जो देश के सगे वनों में प्रकटित हुआ —

“बीकानेर राज्य प्रजासिद्ध के अन्तर्गत भी मयाराम जी वैद्य के

एक वक्तव्य में कहा है कि बीकानेर सरकार ने थंभेजी-पत्रों में दुधवा-
 चारा की स्थिति के सम्बन्ध में जो विज्ञप्ति प्रकाशित की है वह वहाँ
 के किसानों पर की गई ज्यादती पर पर्दा डालने वाली है और उसमें
 मुख्य प्रश्न को सर्वथा उपेक्षा की गयी है । सरकार ने कहा है कि
 लोगों को, एक विशेष उद्देश्य से वहाँ रखी गयी फौज के सम्बन्ध में
 शिकायत है, जब कि वास्तविक शिकायत यह है कि उनकी पुरानी
 जमीनें जप्त करली गई हैं । मैंने इस गांव में जाकर स्वयं जांच की है ।
 मैंने और कामज पत्र भी देखे हैं । मेरे पास इस गांव के १२
 किसान अपनी शिकायतें ले कर आये थे । उनकी
 जमीनें, पुराना कब्जा होने पर भी, दबा ली गयी हैं । ठाकुर के
 पूर्वजों ने एक ब्राह्मण को गन्गाजी यात्रा की समाप्ति पर २२ बीघा
 जमीन प्रदान की थी । वह इस भूमि से पट्टा होने पर भी बेदखल
 कर दिया गया है । ये किसान साधारण हेमियत के हैं । जप्तजमीनें
 पानेवाले प्रभावशाली जमींदारों और बड़े सेठों के मुकाबलें में
 गरीब किसान हार जायेंगे । सरकारी विज्ञप्ति निकाल कर इस घोर
 अन्याय पर परदा डालने से काम न चलेगा । प्रत्येक मामले की उचित
 जांच करके न्याय किया जाना आवश्यक है ।”

बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् की कार्यकारिणी ने भी एक प्रस्ताव
 में कहा कि “दुधवाचारा के किसान वहाँ के ठाकुर सूरजमलसिंह
 से अन्याय पीड़ित हैं । उन्होंने उनके सब घर-घर-घर-घर में जिनमें
 कुछ भी थे व वर वगैरा लीन लिये हैं और बड़ों में दूसरे सेठ
 देने के वावरे भोग किये गये हैं । ठाकुर साहब राज्य के जनरल
 मैजिस्ट्रेटी हैं, हमलिये न्याय-विभाग, पुलिस-विभाग और कर-
 से पीड़ित जनता को राहत या सहायता मिलना संभव नहीं । इस
 स्थिति में परिषद् की कार्यकारिणी महाराज से प्रार्थना करती है कि
 वे दुधवाचारा की जनता की ठाकुर साहब की ज्यादतियों से रक्षा
 करें ।”

७. श्री हनुमानसिंह की गिरफ्तारी

दुधवाखारा के सम्बन्ध में वक्तव्य देने के बाद जब वैद्य जी २१ जून १९४२ को दिन्डी से बीकानेर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि दुधवाखारा के २१ स्त्री-पुरुष उनके मकान पर ठहरे हुए हैं। श्री रामनारायण से मालूम हुआ कि राज्य के कर्मचारियों ने इन्हें धर्मशास्त्रा में नहीं ठहरने दिया, अतः इन लोगों को यहाँ आना पड़ा। आगन्तुकों में प्रमुख थे श्री गणपतिसिंह और श्री बेगाराम। श्री गणपतिसिंह के भाई श्री हनुमानसिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा था। अपनी दाकियानूसी नीति के अनुसार पुलिस उन्हें तंग कर रही थी। इसी बीच श्री हनुमानसिंह ने भूख हड़ताल कर दी, जिसे उस समय छः दिन हो गये थे। वैद्य जी ने किसानों के कष्टों की कहानी सुनी और सब तरह से सहायता करने का आश्वासन दिया। उन गाँवों के किसानों में इतना जोश था कि २ जुलाई १९४२ तक दुधवाखारा और राजगढ़ के लगभग ३०० किसान बीकानेर आ पहुँचे। श्री हनुमानसिंह की रिहाई के सम्बन्ध में बीकानेर महाराज, पं० अवाहरछात्र नेहरू, चंम्रेज रेसोडेण्ट और देश के अन्य नेताओं को तार दिये गये तथा ३ जुलाई की बैठक में बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् की कार्यकारिणी ने निम्न लिखित प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किया:—

घातकारी ३ जुलाई १९४२ को बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् की कार्यकारिणी की बैठक ६ बजे शाम को पं० मयाराम जी वैद्य के सम्मति में हुई। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि "बीकानेर महाराज से व उनकी सरकार से कहा जाय कि दुधवाखारा के हनुमानसिंह जी अग्रगामी किसान नेता ने जो एक कष्ट से अग्रगण्य कर रखा है, उनकी भाँति पूर्ण करके, अनशन मुद्रा दिया जाय, क्योंकि प्रजापरिषद् ने स्वयं प्रतिनिधियों द्वारा दुधवाखारा गाँव की जाँच कराई थी। आत्मचर में उन को, बीकानेर गवर्मेण्ट व टापुर सादर इजा

उनकी पुरानी मौसूसी जमीनें व घर व कुएदों की जमीनें अन्याय के साथ वेदखण्ड करके तथा उन पर गूठे मुकदमे संगीन जुर्मों में चालान करके, काफी परेशान किया गया है। इसके लिए, छात्र की यह कार्यकारिणी महाराज के प्रति व ठाकुर साहब के प्रति घोर रोद प्रकट करती है। महाराज बीकानेर के पास कई दफा किसानों का प्रतिनिधि मण्डल गया और सब जुर्मों की शर्तें की गयीं। इसका यह फल हुआ कि इंजिनियर से मिलने के बहाने बुलाकर बीकानेर में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर कई प्रकारसे शोषण भी किये गये, जिसके फलस्वरूप श्री हनुमानसिंह ने अनशन धारम्भ कर दिया। सुना जाता है कि हनुमानसिंह जी की हालत बहुत बुरी है। स्वतंत्र होने का संदेश है। छात्र उनके भाई गणपतसिंह, पत्नी और मातामिलने के लिये गये, परन्तु राज्य कर्मचारियों ने उन्हें मिलने नहीं दिया और न कोई संतोष-बन्धक उत्तर ही दिया। दुधवाखारा के बहुत किसान बच्चों सहित बीकानेर आ गये हैं और श्री हनुमानसिंह की हालत सुनकर बहुत दुखी हैं। इसलिए छात्र की कार्यकारिणी बीकानेर सरकार से शपथ करती है कि बिना शर्तें श्री हनुमानसिंह को रिहा कर दिया जाय। उनके भेड, कुएद व घरों की जो जमीन वेदखण्ड कर ली है, उसे वापस दिया जाय, वरना हमारा अगला कदम उठेगा।”

शेड—

“तीन दिन के अन्दर उनको रिहा कर देने की मांग का प्रस्ताव वर्तमानतः से स्वीकार किया गया है। इस प्रस्ताव की एक-एक पंती बीकानेर तथा अन्य संबन्धित नेताओं को भेजी जाय।

प्रधाब

ह० मफाराम शेट

प्रधानमन्त्री

ह० शंभादाज उपाध्याय

इस प्रस्ताव की प्रतिविलिपि ही राज्य के अधिकारियों और समाचार

पत्रों को भंग ही गयी ।

राज्य के अधिकारी इस बात को कहीं मद्द सक्ते थे कि ३०० लगभग सिंगान अपनी कच्ची बदामी को कटने के लिये राजधानी उहर रहे । ४ जुलाई १९४७ को लगभग ३०० पुलिस के सिपाहियों जम्सर गेट में श्री मधाराम के घर के बाँच वाले स्थान को घेर लिया वहीं बाहर क किमान पड़े हुए थे । पुलिस घेरे में सन्तुष्ट नहीं हुए उनके अधिकारीवर्ग ने, जिसमें राजवी सोहनसिंह जी० आर्० जं पी० कुन्दन लाल इन्स्पेक्टर मदनलाल इन्स्पेक्टर देवसिंह स इन्स्पेक्टर नाराचन्द कोतवाल, निरवानन्द एम० पी० आदि थे, किम स्त्री-पुरुषों को डराना, धमकाना तथा बुरी तरह पेश आना आर कर दिया । राजवी सोहनसिंह इन सब में अधिक बदनाम थे । भूत महाराज के समय से ही इनके कर्मों के कारण जनता इनसे तंग थी । ३ समय तो इन्हें कर्मल पद से हटा दिया गया था, परन्तु जब यह जन के जान-भाल को रक्षक पुलिस के अधिकारी बना दिये गये थे । पुलिस की कुचेष्टाओं का किमानों पर कुछ भी असर नहीं हुआ । ६ जुल को अल्तोमेटम की अवधि समाप्त होती थी, उसी दिन श्री रामनाराय के नेतृत्व में १२० किसान श्री लक्ष्मीनाथ के दरान करने के लिये बैद के मकान से रवाना हुए । वे मन्दिर पर पहुँच भी न पाये थे कि मा में ही जम्सर गेट पर राजवी सोहनसिंह सशस्त्र पुलिस के साथ पहुँचे और मन को घेर लिया । श्री रामनारायण को सोहनसिंह में ल मारा और गिरफ्तार कर लिया । साथ के किसानों पर भी डरदे बरसा गये । जब यह समाचार बैद जी को मिला तो वे २२० किसानों साथ जम्सर गेट पहुँचे । अकारण लाठी चरसाने और गिरफ्तारी कारण पृथक् ही राजवी सोहनसिंह भाग बचूआ होगये और श्री मरा राम को घसीटा और दरवाने के बाहर तथा भीतर लेजा कर म पीटा गया । बैद जी की गिरफ्तारी का समाचार मिलते ही उहर सनसनी फैल गयी । प्रजाप्रतिष्ठ के कार्यकर्ता—सर्वे श्री किसानवोप

उर्फ गुट्ट महाराज, चम्पराज उपाध्याय, मुलतानचन्द दर्जा धीराम-
 घोषार्थ आदि के नेतृत्व में लगभग २०० आदिमियों का जुलूस कंदोहर्यों
 के बाजार से चलकर शहर में घूमता हुआ जसूबर दरवाजे की तरफ
 बाराहा था। सोनगरी के कण्ट के पास पुलिसने उसे रोक और कर्म-
 कर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया।

८. पुलिस के अन्याचार

इधर धी मधाराम को हथकड़ी डालकर पुलिस-लाइन भेज दिया
 गया, जहां पानी पीने की भी सुविधा नहीं दी गयी। दूसरे दिन
 नाजिम वृद्धिचन्द्र नित्यानन्द के साथ हवालात पहुँचे और पुलिस की
 मांग पर १२ दिन का रिमांड दे दिया। अपराध के सम्बन्ध में प्रश्न
 करने पर नाजिम महोदय ने यही जबाब दिया कि "शुम लोगों को डीक
 करना है।" उसी रात को १० बजे वैद्य जी को हथकड़ी डालकर
 ड्रेनिंग स्कूल के कमरे में ले जाया गया। वहां धीरानचन्द आदि पुलिस
 के अधिकारी उपस्थित थे। कमरे के द्वार बन्द कर उन निर्मम, अधिकार
 के नशे में चूर, नौकरशाही के गुलामों ने धीमधाराम को इतना मारा कि
 वे बेहोश होगये। उसी तरह लगातार १२ दिन तक मार और बेहोशी,
 मार और बेहोशी का दौर चलता रहा। न तो पुलिस ही अपने कृकर्म से
 बाज आती और न वैद्य जी ही माफ़ी मांगते। यह मालूम होता था कि
 मानो दोनों में अपनी-अपनी टैक पूरी करने की होंद लगी थी। १८ जुलाई
 को जब उनकी माता और बहन दीवान की आज्ञा पाकर उनमें मिल
 गईं, तब पुलिस के अन्याचारों के सम्बन्ध में कुछ जानकारी हुई। उन
 दोनों ने छोट कर भारतीय दण्ड-विधान की ३३० धारा के अनुसार
 पुलिस पर इस्तगाला कर दिया और डाक्टरी परीक्षा की मांग की, मगर
 कोई सुनवाई नहीं हुई। २१ जुलाई को पुलिस ने बालान किया और
 सार्वकाज सर्वेधी मधाराम, रामनारायण, किशनगोपाज, धीराम-

आचार्य को हथकड़ी बांध कर जिला मजिस्ट्रेट की किरानेवाज चौक के सामने पेश किया गया। बैचजी ने रीढ़ की हड्डी तथा कंधे पर लगी घातक चोटों को दिखलाया, परन्तु चौकवा मद्दोदय देखने से इन्कार ही कर दिया। वहाँ से सब लोगों को सदर जेज्जट अदालत-अदालत कोठरियों में बन्द कर दिया गया। १ अगस्त। बैच जी की माता और बहन उनसे मिल सकीं।

जेल में राजबंदियों को याचना और बाहर उनके घर वालों तक पहुँचा दिये जा रहे थे। श्री मधाराम की वृद्धमाता को तीन दिन जंगल में ले जाकर रखा गया। मुँह में दाँत न होने पर भी मुँह धोखाने को दिये गये। भाई सेराराम को पुलिसवाहन में बांध इतना मारा गया कि आगामी ४ महीने तक वह बीमार रहा। इस सब अपराधों के विरुद्ध किसान औरतों ने जब जुनूस निकला, तो उन्हें भी पुलिस की मार कुरी तरह सहनी पड़ी। किसानों ने जेज्जट अदालत किया, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर खूब पीटा गया। जेज्जट डॉक्टर ने जब मुआयना किया, तो सब राजबंदियों को 'चोटे' नही बिसी सदर जेज्जट में इन लोगों के साथ बहुत पुरा बर्ताव होता था। मिट्टी मिली सूखी रोटी और वह भी दो दो जाती थी। दालमें कीड़े आदि पक रहते थे। कोठरियों के एक-एक द्वार भी कोठरियों से बन्द कर दिखलाते थे। विदित हुआ है कि जिन बंद कमरों में इन लोगों को रखा जाता था वहीं इनके पालाने-पेराय करने का प्रबन्ध था, जिसके कारण कमरे दुर्गन्ध से भरे रहते थे। इन्हें २४ घण्टे में एक बार स्नान करने के लिए निकाला जाता, वह भी एक साथ नहीं। जेज्जट मद्दोदय भी दो-चार दिन बाद ही एक बार फेरी लगा जाते और जंगलों के बाहर से ही बातें कर लेते। जब उससे कष्टों के सम्बन्ध में कहा जाता है, तो वह यही कहता कि महाराज के सामने जाकर समा मांग लो, इतना कष्ट दवाने की क्या आवश्यकता है। उस सीख का उसे यही जवाब मिलता कि "जिसने अपराध किया हो वह समा मांगे। असली अपराधी

दुम लोग हों जो बेगुनाहों पर जुल्म कर रहे हों। “यही सीख देने
 के मिनिस्टर भी ११ बार जेल में पहुँचे, पर बिचल ही रहे। इस
 व रिद्धा मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी की शारीखें पढ़ती, परन्तु पेशी
 ही किया जाता। अन्त में कई पेशियाँ निकलने के बाद एक दिन इन
 लोगों को अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने जमानतों पर द्योहने
 प्रस्ताव रखा, जो अस्वीकार कर दिया गया। इस पेशी के चार
 न बाद ही रक्षा बन्धन का त्योहार था। उस दिन श्री किशनगोपाल
 । बरन शक्ती बांधने पहुँची और उनसे भाई की बीमारी का हाल
 हा। अतः वे दूसरे दिन ही जमानत देकर रिद्धा हो गये। धीराम-
 त्थार्य जेल में बीमार हो गये थे, अतः उनकी स्त्री
 : रहने पर उन्हें महाराज के पास छालगढ़ ले जाया गया
 और वहाँ रिद्धाई हो गयी। इसी तरह श्री हनुमानसिंह को भी
 ले दिया गया। अब केवल दो व्यक्ति जेलमें रह गये थे—धीमधाराम
 और उनके पुत्र श्री रामनारायण। इन लोगों ने बच साहना ही अपना
 लक्ष्य समझा। महाराज के पास आवर बेगुनाह होते हुए भी माफी
 मिलना, न्याय की हत्या ही करना था। जब राज्य अधिकारियों की
 एक भी शक्ति न बची तो उन्होंने १७ मं. की कोठरी में बैठ जो को बँद
 कर देने की धाया दे दी। वह कोठरी सबसे गंदी और अँधी थी।
 वह एक से विरी होने के कारण इस में सूर्य की रोशनी तो नाम
 तक ही आती थी। भोजन का सामान भी बहुत ही बुरा दिया
 जाता, यहाँ तक कि पानी भी ताजा नहीं देते। खाने-पीने का अत्यन्त
 बुरा व्यवस्था देकर यह जो ने जेलर से एक दिन स्पष्ट कह दिया
 कि वा तो ठीक भोजन दिया जाय अन्यथा भूख हड़ताल कर दी
 जायगी। एक दिन उन्हें भूखा भी रहना पड़ा। दूसरे दिन से साध
 नामकी ठीक मिलने का आश्वासन और प्रतिदिन १ घन्टा पूर में घूमने
 की अनुमति मिली।

६. जेल में रिश्तखोरी

श्री महाशयम को जब कौठरी के बाहर एक घन्टा टहलने का आसर मिला उन समय उन्हें जेल में चलने वाले धांधली और रिश्तखोरी का पता चला। जेल का बड़ा जमादार कैदियों से सख्ती से बातचा १) महावारी रिश्त खेता। श्री स्वमित भेंट नहीं देता, उन अच्छा काम करने पर भी पीटा जाता। और कुछ घड़ाना म मित्र पर आत्म में ही कैदियों को लड़ा दिया जाता तथा उसका कैपक करते समय कैदियों की पीटते-पीटते जान तक खेली जानी। दूरी की काश्मीन गाने में काम कराने के लिये ४०-४०) रिश्त खेने पर ही इसी प्रकार की रिश्तखोरी के मामले में आत्माविह, मंदूरानि और रथोबांसिह को बड़ी बरी तरह पीटा गया। जेल में जो जाना दिया जाता वह इतना सुरा और कम होता कि कैदियों की भूखा रहना पड़ता था। जो कैदी पैसावास्ता होता उसके लिये तो जेल के अन्दर ही शराब, अफीम और गोला आदि तक मिल जाते—पर गरीब का सब तरह मरण था। जेल में लोगों को सुधार के लिये भेजा जाता है, परन्तु कुप्रबन्ध के कारण माधारण बदमाश कैदी भी अपने दुर्गुण में कुछ वृद्धि करके ही निकलता। जेल में भी अफिमी बर्ग अफमी तरकीबों से दल बंदी पैदा कर अपना उल्लूमीया बने हैं। उस समय सुगनविह आदि राजपूत कैदियों का एक दल था, जिस पर बड़े जमादार की कृपा थी, और दूसरा दल था भावा विह परब विह और आत्माविह का, जो ग्वाप का पच लेने के कारण मर्दिर कोर का भाजन रहता।

१०. मुसद्मे का स्वांग

माहय ने सर्वथी महाशयम राजपूत और राजपूतों के उर्द मरद महाशय पर माधय का बचाया। जब इन लोगों ने देखा कि

न्याय पाने का कोई मार्ग नहीं है, वो मुकदमे में भाग लेने में ही हथार कर दिया -। सफाई के गवाह के रूप में लोकनायक श्री जय गणायण ग्यास और श्री हजारीलाल जदिया के नाम दिये गये परन्तु राज्य के अधिकारियों ने इनकी गवाही लेने से इन्कार किया।

अगभग ४ महीना जुडीशल हवालात में रखने के बाद श्री मधाराम और श्री रामनारायण को जिला मजिस्ट्रेट किशनलाल पोपदा ने १-१ महीने की कड़ी सजा की आज्ञा देदी। जमानत पर छूटे हुए श्री किशनगोपाल को भी दोनों के साथ उतनी ही सजा मिची। अदालत का निर्णय होने पर सर्वश्री गंगादास कौशिक और दाऊदयाल आचार्य ने तीनों को सूत की माझाएँ और ताराबन्द इन्सपेक्टर ने एचदरिया पहनादीं। अदालत राष्ट्री मारों से गूँज उठी। जेल को जले हुए भी राष्ट्रीय नारे लगाये गये।

११. जेल में अनशन

जेल में तीनों नेताओं के पहुँचते ही जेल के कपड़े पहनने का बरत थाया। तीनों ने उस नियम को स्वीकार करने से स्पष्ट इन्कार का दिया। इसके बाद तीनों के पैर में २-२ सेर के छोड़े के बड़े डाल दिये गये और अलग-अलग कोठरियों में रखा गया। जेल के छोटे-बड़े आधिकारी जेल के कपड़े न पहने पर १८ सेर थारा पिसवाने और थंता की मार दिये जाने की धमकी देते। इस प्रकार के आचरण के तिरह १८ नवम्बर को श्री मधाराम ने आमरय अनशन आरम्भ कर दिया और जेलर को अचरी शर्तें मुना दी, जो निम्न प्रकार से थी:—

१. पैर में छोड़े का कदा हटे, २. घर का कपड़ा पहनेगे, ३. अपना राय का बना अथवा स्वयम् भोजन करेंगे, ४. पुस्तक पढ़ने और पत्र लिखने की सुविधा, ५. इच्छानुसार कार्य, ६. घूमने की सुविधा
७. शामी में बाहर सोने का प्रबन्ध, ८. घरवालों से १२ दिन में मुलाकात

२१ नवम्बर को भी रामनारायण और २२ तारीख को ।
 किशनगोपाल ने भी अनशन आरम्भ कर दिया । अनशन करने के बाद
 इन लोगों को कमरा: १२, २ और ७ नंबर की कोठरियों में बड़ा
 अलग बंद कर दिया गया । इधर अनशन को जारी हुए १२ दिन ।
 पहले थे, उधर राठ को न सोने देने के कष्ट के कारण भी रामनारायण
 को बुखार आने लगा और पसखी में दर्द आरम्भ हो गया । बीमार
 के कारण भी रामनारायण को बेहोशी आने लगी और अन्य दो
 व्यक्ति भी बहुत कमजोर हो गये । इस बीच जेष्ठ के अधिकारी कुंभ
 जसवंतसिंह जेष्ठ में जाकर अनशन तोड़ देने के लिए अनेक प्रकार से
 धमकाने और कहते कि बगावत करने वालों के साथ सख्त व्यवहार किए
 जायगा, वे मरना चाहें मर जायें इसकी कोई परवाह नहीं । श्री
 मधाराम के अनशन के २८ वें दिन राज्य का सबसे बड़ा डाक्टर जेठ
 में पहुँचा और तीनों व्यक्तियों की परीक्षा की । श्री रामनारायण की
 हालत चिन्ताग्रक होती जा रही थी, पर वह अपने प्रयत्न पर अटल थे ।
 राठ को डाक्टर इधर से उधर दौड़ा करते । वैद्य जी की मूल इच्छा
 के ३२ वें दिन डाक्टर मेहन और अन्य डाक्टर जेष्ठ पहुँचे वहाँ
 बकादरती रक्त की मछी से रूख रिखाने को कहा । श्री रामनारायण
 को जब अनेक व्यक्तियों द्वारा पकड़ खेने पर, मछी दाख रूख रिखाया
 गया, तो उन्हें बमन हुआ और उसके साथ रक्त भी गया । बीमार
 की घन्टा से ३३ वें दिन श्री मधाराम के भाई श्रीराम जब मजकान
 के लिये जेष्ठ पहुँचे, तब उन्हें उन कष्टों का पता चला । राजकीय
 बंदियों की मूकदण्डाख का ३४ वाँ दिन था । जेष्ठ गुरदियारं
 दा० जसवंतसिंह और दा० मेहन जेष्ठ पहुँचे । इन लोगों ने जाकर कामरा
 अनशन करनेवालों को सूचना दी कि महाराज ने सारी छत्रें मंरु कर ली हैं
 वहाँ सबको साथ रखने की अनुमती देरी है। यह सूचना पाकर तीनों राज-
 किये व्यक्तियों ने अनशन त्याग दिया । भोजन और इकट्ठे का ठीक
 प्रबन्ध होने पर तीनों के स्वास्थ्य में सुधार हो गया ।

१२. गिरफ्तारियों का दौर जारी

राज्य अधिकारियों ने राजनीतिक बन्दिनों की आमरण मूसल हवाला को तो ठनकी माँग स्वीकार कर समाप्त कर दिया, परन्तु उनकी दमन-नीति में कुछ भी ढरक नहीं आया। धीकानेर की सरकार ने धीरे-धीरे करके कुछ दिनों के अन्दर ही निम्नलिखित नेताओं को जेल की लोखणों के पीछे भेज दिया:—सर्वश्री बेगाराम, कृंभाराम, स्वामी केराधानन्द, बापू रघुवरदयाल गोयल, चौधरी गणपतसिंह और हीनाञ्जल शर्मा। धी बेगाराम के साथ दो किसानों नेताओं को भी जेल की हवा खानी पड़ी थी। कुछ दिनों बाद इन तीनों व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया। वैसे तो यह सब राजबन्दी अलग अलग रूढ़े जाते थे, परन्तु हसन के समय इन सब को कुछ समय के लिए मिलने का मौका मिल जाता था। जेल में राजबन्दिनों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। इसके विरुद्ध कहा सुनी भी की गई, परन्तु जब कुछ असर न हुआ तो धी रघुवरदयाल और धी गणपतसिंह ने अनशन आरम्भ कर दिया। जब इन लोगों को लगभग १२ दिनों मूसल हवाला करते हो गये, तब कहीं सरकार ने उनकी सब शर्तों को स्वीकार किया।

१३. श्री हनुमानसिंह की भूखहड़ताल

दुधवाखारा के किसान नेता श्री हनुमानसिंह को राज्य के अधिकारियों ने अपनी दमन-नीति के पक्षरूपरूप अनुपगद में गिरफ्तार कर रखा था। वहाँ उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। चप्पी तरह भोजन की सामग्री देना तो दूर, उन्हें पीने का पानी भी ठीक तरह नहीं दिया जाता। इसी प्रकार के बुरे व्यवहार के विरुद्ध भी हनुमानसिंह ने मूसल हवाला जारी कर दी। आपको जब आराम करते १८ दिनों के लगभग हो चुके तब अधिकारियों ने

उन्हें धनुषगद से बीकानेर की जेल में बंद कर दिया। जेल में जाने के समय श्री हनुमानसिंह की हाजत काफी बिगड़ चुकी थी। अधिकारियों में इस बात की बहुत खेपटा की कि वे अनशन होर दें, क्योंकि राजबन्दी की बित्तातक हाजत को देखकर राज्य अधिकारियों की परवाहट भी बड़नी जाती थी। जब भी हनुमानसिंह पर अनशन त्यागने के लिए बहुत दबाव डाला गया, तो उन्होंने पानी प्रदत्त करना भी बन्द कर दिया।

१४. सात नेता रिहा

एक दिन स्थानापन्न प्रधान मंत्री महाराज नारायणसिंह जेल में पहुँचे और राजबन्दीयों की रिहाई के सम्बन्ध में श्री रघुवरदयाल से बातचीत की। बातचीत के बाद गोपल जी अपने अन्य राजबन्दी साथियों के पास पहुँचे और श्री हीराबाब को छोड़ अन्य व्यक्तियों की रिहाई के सम्बन्ध में सूचना दी। श्री मधाराम ने जब भीहीरा लाल को रिहा न करने का विरोध किया, तो श्री रघुवर दयाल ने उनसे यही कहा कि उन्हें भी २-७ दिन के बाद छोड़ देने का आश्वासन दिया गया है। यह भी विचार रखा गया कि श्री हीराबाब के मुकद्दमे को पैरवी करके उन्हें रिहा करवा दिया जायगा। यह विचार विनियम होने पर सर्वश्री हनुमानसिंह, चौधरी कुंमाराम, मधाराम, रघुवरदयाल, कृष्णगोपाल और रामनारायण को बन्द मोटर में बिठाकर घरो पर पहुँचाने का प्रयत्न कर दिया गया।

वैद्य जी और उनके लड़के के घर पहुँचने पर बहुत खेपटाई और अन्य सम्बन्धियों ने बीकानेर में होने वाली जाप्रति, सरकारी दफ्त और राजगड़ में चलने वाले किमान आन्दोलन आदि के सम्बन्ध में पूरा ज्ञान कह सुनाया।

१५. रायसिंहनगर गोली-कांड के घायलों से भेंट

जेल की यातनाओं को भोग कर घर आने के दूसरे दिन भी वैद्य



चौधरी रामलाल सिंह जी
मेरठाना एरियर के प्रधान । भारत
के ४ वर्ष की राजा काट रहे हैं ।



कुंठर मोहरसिंह जी
आप ११८४ के रहते काले हैं । जेल में
एक वर्ष की राजा काट रहे हैं ।

बी बीकानेर राज्य राज पहुँचे और वहाँ रायबिहानगर गोली-काण्ड में घोषण हुय थी मोहनबिह आदि व्यक्तियों से मिले । रायबिहानगर काण्ड में शहीद होने वाले खीरबलसिंह के यद सब साथी थे ।

१६. श्री हीरालालजी शास्त्री बीकानेर में

साल नेताओं की रिहाई के बाद पंडित जगद्वलाल नेहरू की सलाह से रायसिंह गोली काण्ड की जांच के लिए श्री हीरालाल जी शास्त्री और श्री गोकुलभाई भट्ट बीकानेर पहुँचे । छार दानों का जलूम निकाल कर जनता ने भव्य स्वागत किया । मार्ग में कई स्थानों पर मालाओं आदि से आपका सम्मान किया गया । शास्त्री जी, मट्टजी और गोवल जी ने मौके पर जाकर गोली-काण्ड की जांच की । वहाँ से औरकर आप लोग राज्य के अधिकारियों से भी मिले अपने प्रयत्न में इन लोगों ने प्रजापरिषद और राज्य की सरकार के बीच संबंध बनाई । समझौते में तय हुआ कि तिरंगा झंडा प्रजा-मंडल के दफ्तर या मभा-स्थल पर लगाया जा सकता है, परन्तु जलूम के साथ नहीं निकाला जा सकता । समझौते के अनुसार सार्वजनिक मभा की गई, जिसमें श्री शास्त्रीजी और श्री गोकुलभाई भट्ट ने जनता से एक संगठन करने की अपील की ।

१७. रिहाई के बाद श्री वैद्यजी का कार्य

नेताओं की रिहाई के कुछ दिन बाद श्री रघुवरदयाल गोवल के महान पर प्रजापरिषद की कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें वैद्य जी को विशेष रूप से बुलाया गया । उक्त बैठक में प्रजापरिषद की शाखाएँ स्थापित करने तथा संगठन के सम्बन्ध में विचार हुआ । श्री शास्त्री जी के चले जाने के कुछ दिन बाद बीकानेर नगर कमेटी का चुनाव हुआ और श्री मधाराम जी को अध्यक्ष तथा श्री गंगादत्त जी (गंभी) संजी चुना गया । उसके अल्पकाल में संगठन का कार्य

जोरों से आरम्भ दिया गया । इसी बीच जब वैद्यजी दिल्ली पहुँचे, तो आप के सम्मान में टिहरी प्रजामण्डल की दिल्ली शाखा की स्वागत का आयोजन किया गया । २५ अगस्त १९४६ की स्वागत सभा में १३ महीने के जेल अनुभवों का वैद्यजी ने मार्गदर्शन करने के बाद सबको सम्मान प्रदर्शन के लिये धन्यवाद दिया ।

पांचवां अध्याय

इस अध्याय में:—

१. स्वतन्त्रता के पुजारी—श्री मधाराम जी दैरा
(लेखक—श्री किदारनाथ शर्मा, एम. ए.)
२. बीकानेर का जैन शोसवाला समाज,
३. रायसिंहनगर गोखी-काण्ड —
बीकानेर १ राजनीतिक सम्मेलन
जलूस में मधुदा
शहीद श्री बीरबलसिंह
- ४ कांगड़-काण्ड—
कांगड़ ग्राम का इतिहास
विरोध आरम्भ
कांग' -कां

स्वतंत्रता के पुजारी—श्री मधारामजी

श्रेष्ठ मधाराम जी को यदि हम कौलार्दी आइमी कहे तो अत्युक्ति न होगी। अपने प्रारम्भिक जीवन में ही उनके हृदय में स्वतंत्रता के प्रति अनाथ प्रेम और निर्धनों और दलितों के प्रति हार्दिक सद्भावना रही है। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन १९२३ में ही प्रारम्भ कर दिया था। उसी समय वे वे जेल के सीखवों के शेर रहे हैं। उन्हें दो बार देश निर्गमन का दण्ड मिल चुका है। वे प्रथम वीरानेती हैं जिन्होंने उस युग में स्वतंत्रता की आथाज बुलन्द की, जिनकी पहचानना भी साहसी शहीदों का काम समझा जाता था। अभी से उनका बख सधा अनुगामी दल बढ़ने लगा था। सदा ही उस पर राज्य की पैशाची नीति का प्रयोग होता रहा है। पर इस दुमन का उनके हृदय पर रंचमात्र भी प्रभाव न हो सका। कठिनाइयों और कष्टों से तो उनका उत्साह हार्दिक बल और शक्ति सदा दुगुनी ही होती रही है।

मधाराम जी जीवन में सादगी पसन्द, व्यवहार में सुहृदवत् और आकृति में माक्स के अवतार से प्रतीत होनेवाले व्यक्ति हैं। उनके समान आत्म-विश्वासी व्यक्ति थोड़े ही होते हैं। वे कौरे सिद्धान्तवादी कम मात्रा में हैं और सच्चे मंगलन-कर्त्ता अधिका-भागा में। उन्हें शक्तिकारी कहना अंशमात्र भी असत्य नहीं है। वे अकेले आपत्तियों का सामना करने में भी रंचमात्र भयभीत नहीं होते। जीवन के प्रति उनका दौरो का-सा दृष्टिकोण है। उनमें अपने समस्त विचारों को अर्पणित करने की समता है। उन्हें समझौता पसंद नहीं है।

उन्हें अपने प्रचार और अखबारी दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त करने का मोह नहीं है। इनका जीवन यह पूर्णतः प्रमाखित कर देता है

कि शक्ति, अधिकार, उच्चपद, प्रचार और धन की चरित्र, नग्नता और बलिदान के सामने झुकना पड़ता है । उन्होंने प्रजापरिपद के नवयुवक कार्यक्रमों के लिए बहुत कुछ उपार्जन करके रंग छोड़ा है । पर अब भी वे प्रजापरिपद की अनुपम सेवाएं कर रहे हैं ।

यद्यपि अधिक आयु प्राप्त करने से उनकी बुद्धि विकसित हो चुकी है, अनुभव से उनकी विचारधारा पूर्ण हो चुकी है, फिर भी उनमें एक नवयुवक का सा यौवन विद्यमान है । ध्यान भी उनका मरिचक ताजा, दृष्टिकोण स्पष्ट और कर्म वीरों के से हैं ।

मेरी लेखनी में वह शक्ति नहीं है कि बीकानेर राज्य की स्वतंत्रता के इस पुजारी और राष्ट्रीयता के जन्मदाता का क्यातम्य गुणगान कर सकें ।

रंगानगर, बीकानेर

—किदारनाथ शर्मा, एम. ए.

२. बीकानेर का जैन त्र्योसवाल समाज

बीकानेर राज्य के निर्माण और उत्थान में जैन त्र्योसवाल समाज ने जो महत्वपूर्ण कार्य किये हैं उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। राज्य की स्थापना के समय से ही इस समाज का सम्बन्ध बीकानेर से खला पारहा है। जब राजा बीका जी ने १२४२ में बीकानेर की स्थापना निर्वन महारथल में की थी, उस समय त्र्योसवाल वंश के दो नरहरा राजा बोधरा बघराज और दैव लाखणजी, आप के साथ थे। आप दोनों के बाद इसी घराने में कर्मसिंह बघराज राय लुणवरणजी के संघो हुए और उन्होंने नारनौल के युद्ध में सद्गति प्राप्त की। कर्मसिंह जी ने श्री नेमिनाथ का जैन मंदिर और धर्मशाळा बनवायी थी। यह स्मृति चिह्न श्री लक्ष्मीनारायण जी के बगैरे में अभी तक विद्यमान है। राजा जैतसिंह जी के राज्यकाळ में बरसिंह और नगराज मंत्री बने, जो इसी समाज के थे। कहा जाता है कि नगराज को मंत्री-काल में जोधपुर के राजा मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण किया। नगराज ने अपने रणकौशल का परिचय दिया और अपनी सेना के साथ जोधपुर आ धमके तथा विजय स्वरूप वहा से लूट का बाज ले आये। इधर जब मालदेव को इस आक्रमण का पता चला तो वे अपने राज्य को छोड़े। इस तरह मंत्री की धातुरी और धीरता से बीकानेर के सम्मान की रक्षा हुई। राजा कल्याण सिंह और राजा रायसिंह के राज्य काळ में त्र्योसवाल घराने के समास सिंह और बघराज कर्मचन्द्र मंत्री थे। मुगल सम्राट अकबर कर्मचन्द्र की राजनीति और दूरदर्शिता के रूप में प्रभावित हुआ कि इनको लोहाक त्रिसे का शासक और पोषणक नियुक्त कर दिया। आपने प्रजा की भलाई के अनेक कार्य किये। बीकानेर का गंगानगर प्रदेश, जहाँ से राज्य की ग्वात सामती

यै जाति के संरक्षण में ही सुरक्षित है २०० वर्ष में भा पूर्व की २० हजार से अधिक हस्तलिखित पुस्तकें इन भयंकरों में विद्यमान हैं। संस्कृत-साहित्य के निम्नलिखित में भी इस जाति का विशेष स्थान रहा है। वास्तुकला को प्रोत्साहन देने वालों में इस जाति के राजा प्रेमी नर-रत्नों ने बहुत धन व्यय किया है। मंगल-दानजी कोट्यारी के महान में ऐसी सुन्दर और शान्तिपूर्ण मन्दिरो का संग्रह किया गया है कि वह अजायबघर-सा आश्चर्यक वन गया है।

राजनीतिक क्षेत्र में भी इस जाति के लोगों ने १९२० से ही भाग लिया है। बाबू मुक्ताप्रसाद जी के साधियों में ब्रजराज चम्पलाल और काशीराम करदिया थे। २२ वर्ष पहले इस आन्दोलन नवयुवकों ने शुरू पहलना आरम्भ किया था। यह आग प्रजासिद्धि के भी भागी संख्या में सदस्य है।

सोसवाह जाति की यह विशेषता है कि राज्य का कृपापात्र होते हुए भी इस समाज ने जनहित के कार्यों में सदैव प्रमुख भाग लिया। लोकहित के कार्यों में इन लोगों ने उदार हृदय से अधिक सहायता प्रदान की है। औपधालय, स्कूल, कालिदास, संस्कृत पाठशाळाएँ, पाठशाला, पुस्तकालय, धर्मशाळा और अन्य स्थान इनकी दान-दीयता का परिणाम के होते हैं।

प्राप्त होती है, राजा रतन सिंह के दीवान महाराज हिन्दूमन्न वैद्य शोमवाल की युद्धिमत्ता, दूरदर्शिता और प्रतिज्ञा को पूरा कर दिखाने की क्षमता के ही कारण, राज का अंग बन सका है।

नीति और युद्धिकौशल के अतिरिक्त शोमवाल समाज ने रत्नवंत योद्धाओं को भी जन्म दिया है। प्रसिद्ध योद्धा सेनानी श्री अमरचन्द सुराणा शोमवाल ही थे। संवत् १८६० में अमरचन्द जी सुराणा और स्वजांची मुलताननख के नेतृत्व में ही सेना चूरुमेंटी गयी थी। इन्हीं के मायकश्य म संवत् १८६१ में भटनेर (हनुमानगढ़) और १८७१ में चूरु विजय किया गया। १८६६ संवत् में बागी ठाकुरों के विद्रोह को भी इन्होंने शान्त किया।

राज्य के अन्य विभागों में भी शोमवाल जाति के कई वंशों ने इतने महत्वपूर्ण कार्य किये हैं कि वे अपने राजकीय कार्य से प्रसिद्ध हो गये हैं—जैसे पणजी, दपठरी, स्वजांची, रामपुरिया, हाकिम और कोठारी आदि। राजा मरदारसिंह के स्वर्गवास के बाद श्री हूंगरसिंह को उपराधिकारी बनाने में वैद्य बरिया आदि शोमवाल नुसाइयों का विशेष हाथ रहा था। इस समाज के कोषर मुहताबों ने भी राज और प्रजा की अनेक सेवाएँ की हैं। मुहता शाइमल जी ने दीवान का काम करके बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की थी। वर्तमान काल में शिवचरण जी कोषर अपनी सेवाओं के लिए प्रसिद्ध हैं।

अन्य जातियों की अपेक्षा शोमवालों में शिक्षा का अनुपात अधिक है। इस जाति में रिपों की शिक्षा का माप-दण्ड भी उँचा है। व्यापारिक कार्य करने के कारण इस समाज की आर्थिक स्थिति अच्छी है। बीकानेर के उद्योग-धन्धों के विकास का श्रेय इसी जाति को प्राप्त है। ऊन, गद्दे और हाथ की बुनाई का उद्योग-धन्धा शोमवालों ने ही उन्नत किया है।

बीकानेर राज्य में इस्त बिलित प्राचीन साहित्य की रक्षा करने का श्रेय जैनों को ही प्राप्त है। बीकानेर में सबसे अधिक पुस्तक भण्डार

जैन जाति के संरक्षण में ही सुरक्षित है। २०० वर्ष से भी पूर्व की २५ हजार से अधिक हस्तलिखित पुस्तकें इन भग्दारों में विद्यमान हैं। मंस्कृत-साहित्य के निमाण में भी इस जाति का विशेष हाथ रहा है। वास्तु कला को प्रोत्साहन देने वालों में इस जाति के कला प्रेमी ना-रत्नों ने बहुत धन व्यय किया है। मेर जन्मदासजी कोट्यारी के महान में ऐसी सुन्दर-सुन्दर और अनोख रक्तियों का संग्रह किया गया है कि यह अजायबघर सा अरुपेक बन गया है।

राजनीतिक क्षेत्र में भी इस जाति के लोगों ने १८५० से ही भाग लिया है। बाबू मुक्ताप्रसाद जी के माधियों में बरजा चम्भालाल और फाल्गुनाम करदिया थे। २२ वर्ष पहल में चामवाल नवयुवकों ने सार पहनना आरम्भ किया था। यह लोग प्रजासत्तियद् के भी काफी संख्या में सदस्य हैं।

भौतशास्त्र जाति की यह विशेषता है कि राज्य का कृपापात्र होते हुए भी इस समाज ने जनहित के कार्यों में सर्वदैव प्रमुख भाग लिया। बोधित के कार्यों में इन लोगों ने उदार हृदय से आर्थिक सहायता प्रदान की है। भौषधालय, स्कूल, कालिज, मंस्कृत पाठशालाएँ, दानागार, पुस्तकालय, धर्मशाला और अन्य स्थान इनकी दान-वीर्य का परिचय दे रहे हैं।

३. रायसिंहनगर गोली-काण्ड

बीकानेर राजनीतिक सम्मेलन

बीकानेर राज्य के प्रथम राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन ३० जून व १ जुलाई १९४५ को रायसिंहनगर में करने का निश्चय हुआ। इस सम्मेलन के सभापति थे बीकानेर पढयन्त्र केस के अभियुक्त श्रीमत्यनारायण बकील। २६ जून को गंगानगर से चलने वाली रेलगाड़ी में सैकड़ों व्यक्ति राष्ट्रीय झण्डे लेकर रायसिंहनगर पहुँचे। ग्रामवास के गांवों और मंडियों से भी काफी जनता सम्मेलन में भाग लेने पहुँच गई थी। ग्रामीण जनता में बड़ा जोश था। बार से आनेवाले प्रमुख व्यक्तियों में लोक सेवक मण्डल खादौर के उपप्रधान श्री अचिन्तराम जी, पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य श्री रामदयाल जी वैट और पंजाबी रिवातियों के उत्पादी कार्यकर्ता श्री फकीरचन्द्र जी के नाम उल्लेखनीय हैं। जनता की भीड़ जब रायसिंहनगर पहुँची तो पुलिस ने उनके हाथ से तिरंगा झण्डा छीनने की दो दफा चेष्टा की, परन्तु ग्रामीणों के महान जोश के सामने इसकी एक न चली। जनता राष्ट्रीय झंडा के सम्मेलन के पर्यटकों में जा पहुँची और वहाँ उसे फहरा दिया। राज्य ने यह निश्चय बना रखा था कि तिरंगा झण्डा न फहराया जाए और पुलिस के लिए एक महीने पहले आज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है। २४ जून को रायसिंहनगर की ओर से जोरें भेजा नहीं गयी। कार्यकर्ता

जबदस्ती कोई संवर्ष मौल नहीं लेना चाहते थे; अतः ३० जून को बिना जन्म निकाले और मरदाभिवादन क्रिये सम्मेलन का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया। राज्य के अधिकारियों के कृत्या से जनता को बड़ा संतप्त हुआ। सार्यकाल को अधिवेशन की दूसरी बैठक होने वाली थी। श्री अचिन्तराम को और अन्य दर्शक भी अधिक संख्या में आ पहुँचे थे। अधिवेशन प्रारम्भ होने से पहले ही बीकानेर के गृह मन्त्री की लिखित आज्ञा मिली कि बिना तिरंगे झण्डे के जलूस निकाला जा सकता है। कहांमहाराज द्वारा उत्तरदायी शासन सौंपनेकी तैयारी और कहां तिरंगाभंडा फहराने तक की आज्ञा नहीं, यह सब बड़ा ही उपहासास्पद मामूँ होता था। एकत्र हुई जनता झण्डे पर लगाये गये प्रतिबंध के विरुद्ध थी।

जलूस में भंडा

३० जून की रात को बुने हुए कार्यकर्ताओं ने निश्चय किया कि रातःबख्त तिरंगे के साथ जलूस निकाला जाय। दिन निकला। जलूस की तैयारियाँ होने लगी। इसी बीच अधिकारियों ने परदाल में तिरंगा रगाने, परन्तु जलूस में न निकालने की राय दी। कुछ व्यक्ति इस पर सहमत भी हुए, परन्तु अधिकांश तो जलूस में झण्डा निकालने के पक्ष में थे। जलूस चलने से पहले झण्डाभिवादन हुआ। उस समय एक झण्डे के स्थान पर दर्जनों झण्डे इधर उधर फहराते नजर आ रहे थे। जलूस था कि मानो जनगंगा राष्ट्रीय जोश में उमड़ी चली जा रही थी। झौंटे समय कुछ नौअवानों ने तिरंगे झण्डे जलूस में फहरा ही दिये। यह देखते ही पुलिस के लगभग २० सिपाही उन्हें धीने की चेष्टा करने लगे, परन्तु जनता के भारी जोश के सामने वे सफल नहीं हुए।

परदाल में झौंटे कर अधिवेशन का कार्य प्रारम्भ हुआ। श्री बीहरसिंह अपने राष्ट्रीय गानों से जनता में जोश भर रहे थे।

पुल्लावे गये और उन्होंने बिना किसी चेतावनी दिये छाप कर गोलियां चलाया आरम्भ कर दिया। जनता ने इन गोलियों को मारती और मरपीत करने के हेतु चलाया जाना ममता, लेकिन जब उन्हें कोई शायल हो जमीन पर गिरने लग तब उन्हें ज्ञान हुआ कि यह गोलियां मारती भर का नहीं, मौत का भी संदेश ला रही हैं। यह ज्ञान कर बतला घाती रचार्य दौड़ी। लाठी प्रहार से एक दर्जन से अधिक और गोली की मार से पांच व्यक्ति शायल हुए। एक भिन्न सुरत का एक बालक—तिनही उस १३ और १४ साल की थी, अधिक घायल हुए। एक व्यक्ति तो ऐसा घायल हुआ कि फिर वह स्मरण शक्ति के लिये ही उठा। सैनिक सम्बन्ध गोलियों चला रहे थे। गोलियों की मार काफी दूर तक थी। तीन जलांग की दूरी पर बसी मरुती में भी गोलियां पड़ती। यह सब अपनी आंखों देखने हुए भी एक उच्च अधिकार ने कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं के सामने संकेद्वय बोलते हुए कहा था कि गोलियां हवा में चलाई गईं थी, अतः उनमें कोई व्यक्ति आहत नहीं हुआ। विदित हुआ है कि उक्त अधिकार ने हाई कर्ट मरिठियों को चिढ़ाते हुए कहा था—'क्या तुम भी आजाद चाहते हो? चार-पांच को तो मैं आजादी (मौत) दे आया हूँ।'

शहीद श्री वीरबलसिंह

रेस्टाउस से सैनिकों द्वारा चलाई गईं गोलियों में शायल २२ मरिठियों में गंगानगर के श्री वीरबलसिंह मोची भी थे। गोली लगने के समय उनके हाथ में कण्डा था। गोली टाकर गिरजाने पर आरकः शयल हो ले जाया गया। वहाँ लगभग १॥ घण्टे तक अजीवित रहने के बाद उनके प्राण पंजेरु राज्य के अत्याचारों का विरोध करते हुए उस संसार में उड़ गये। जलता में शोक हुआ गया, पर राष्ट्रीय पीठ की मार अधिक बढ़ गयी। दूसरे दिन शहीद वीरबलसिंह के शव का शर्मिंदनगर में अलूस निकला। आजाद हिंद फौज के कर्नाल

श्यामसिंह तिरंगा झण्डा जिनके हाथ राज्य की सुनौती दे रहे थे कि इस राष्ट्रीय दलीक के लिये मरने वाले पुरुष नहीं मनेक है । बैरह बत्र रा था धर्मोमात्री स्वर्गिन अर्था पर देमो की वर्ग कर रहे थे । हजागों की मरुया में जनता अर्था के साथ थी । लोगों का कहना है कि जेगा जलुप रायसिंहनगर में तो गया बीकानेर में भी नहीं निकला । दर अर्था था । दाइ संस्कार हुआ । शहीद का नरवर शरीर तो पंचनूतों में मिल गया, पर उसकी परा काया मर्देव के लिये अमर हो गई ।

स्वर्गाय योग्यलामिंद का पानो अा वन्दों को जनता नहीं सूत्री । उनकी महायता क कई मी रुपये पारिक देने का लोगों ने वचन दिये था (२०१) तो अन्तिम दिन प्रथमवार देवी की भेट कर दिया गया । शहीद की कीर्ति को अमर करने के विचार में एक स्मारक बनाने का निश्चय भी हो चुका है ।

यहां जनता क जोश का एक अा उदाहरण दे कर इस काण्ड की कहानी समाप्त करेंगे । २ जुलाई का दिन था । रायसिंहनगर के काण्ड का समाचार पाकर बीकानेर के गृह-मंत्री स्पेशल ट्रेन द्वारा इनुमानगद से रायसिंहनगर को रवाना हो दिये थे । गाड़ी के गंगानगर आने पर १२ हजार की भीड़ ने उसे घेर लिया । जब गृह-मंत्री गाड़ी से बाहर निकले तो जनता ने उनके हाथ में तिरंगाझण्डा दे दिया, और रेलगाड़ी पर अनेक झण्डे अगा दिये ।

४. कांगड-काण्ड

कांगड ग्राम का इतिहास

लगभग २०० वर्ष पहले कहींसे ज्ञान के जाटों ने कांगड ग्राम बनाया था। समय के प्रवाह ने यह गांव अनेक व्यक्तियों के आचरण और फिर राजसूया हो गया। स्वर्गीय महाराज गंगाराम जी ने पगांव की संवत् १६८० में अपने ७० बी० मी० टाकुर गोपबिहारी प्रयत्न होकर गजाओं के लिये दे दिया। जब गांव राजसूया में था मजदूरों की संख्या २० थी और पड़त बंजर १॥ ली जाती थी। पुर साहब के अधिदार में आवेही लगान की रकम बढ़ने लगी और संवत् १६८८ में मजदूरों के २५) और पड़त बंजर के १६) पैसों हो गये। इस के साथ लागबाग भी और बड़ा हो गई। गजाओं की संख्या भी ६-१० में कम नहीं थी। टाकुर गोपबिहारी ने धरानों से लगान और लागबाग की रकम वृद्धि के साथ-साथ धरानों को भी बर्ती जाने वाली कठोरता को भी बड़ा दिया।

विरोध आरम्भ

धरान मज १६४६ की बात है। टाकुर के आदमी गांव में धरानों को बर्ती थे। किसानों ने धरानों की रकम देना चाहा, पर लागबाग देने में तय न हुआ कर दिया, क्यों कि अकाल का समय था। २८ अक्टूबर १६४६ को टाकुर साहब ने २० धरानों को अपने गदमें बुलाया और ही रकम देना करने को कहा। उन लोगों पर उस अधिक और दावा

घौर धानक जमाने की चेष्टा की गयी, तो ये लोग रुपया देने के बहाने ग्राम में लौट आये। दूसरे ग्राम में सरकारी बख्तर का लुटने से। इन लोगों ने भी यहा जोर दिया कि डाक्टर साहब को पूरी रकम देनी आवे। घौर छोड़ जा। न डेन्व कर ग्राम के ३५ व्यक्ति रोकने महा-राज से धपनी प्रार्थना करने चल दिये। गांव का कुल रकबा ११ हजार बीघा है घौर उस में लगभग ७०० भादमी रहते हैं, जिनके घरों की धारादी निम्न प्रकार है—जाट १०, नायक ७, चमार १३, माझण ५, शामी ५, माई २, भाट १, महतर १, दोली १ नाथ २, रावण १, मुनार २, धारण २, गांव में कुल २ कुए हैं और एक पक्का कुएद कुएद परमा नामक जाट ने बनवाया था। रतगण के साहूकारों का बनवाया हुआ १ पक्का तालाब भी है। ग्राम में नती पढ़ाई और न शिक्षा की व्यवस्था है। इतने बड़े गांव में कुल १-५ व्यक्ति साक्षर हैं। एक को छोड़ कर गांवों के सब चमारों से मुफ्त काम लिया जाता है।

कांगड़-कांड

डाक्टर साहब को चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्हें तो किसी न किसी प्रकार रुपया बसूल करने की पड़ी थी। २१ अक्टूबर को प्रारंभ कर डाक्टर साहब के लगभग १२० व्यक्ति आ घमक लूट मार धारण कर दी। माल बसवाव के साथ-साथ स्त्री-बच्चों को भी जबरदस्ती गढ़में लौंच कर ले जाया गया। जब ग्राम के कुछ लोगों ने घौरतों की बेइज्जती करने का विरोध किया, तो उन्हें लहों की चोटें सहनी पड़ी तथा इसी झगड़े में चौधरी सुरजराम का लाठी से सिर चोट दिया गया। गढ़ में बंदी के रूप में ले जाये गये इन ग्रामियों पर बहुत अधमानुषिक व्यवहार किये गये। सन्त में इन लोगों को पूरी रकम और जुमाने देने तथा मार और गाजियां सहनी पड़ी। घौरों से भी २५) तक जुमाना बसूल किया गया।



श्री मधाराजजी वेश करने कुछ साथियों के साथ बीच में बैठे हैं।
 राजी की दाहिनी ओर स्वामी लक्ष्मण जी और बाईं ओर श्री निष्णाल
 शर्मा। १९३६ में उदरासद के किसानों का शिष्टमण्डल जब महाराज से
 मिला था, तब यह चित्र लिया गया था।

बोझनेर पहुँच कर ग्राम के ३५ व्यक्तियों ने महाराज तक पहुँचने की चेष्टा की, मगर सफलता नहीं मिली। अन्त में इन लोगों ने तार दिया, पर सब बेकार रहा। एक दिन यह लोग शिववादी के निकट जा पहुँचे और वहाँ अनायास महाराज मिल गये। ग्रामीणों ने जब अबरदस्ती कई बार न्याय की याचना की तो ५ आदमियों को ३१ अक्टूबर को लालगढ़ भेजा गया, जहाँ महाराज के स्थान पर ठाकुर प्रतापसिंह मिले और उन्होंने छोटीखरी सुना कर सब को डाल दिया।

अंत में यह व्यक्ति प्रजापरिषद् के कार्यालय पहुँचे और जाच बराने की मांग की। प्रजापरिषद् के निरचयानुसार जांच के लिए निम्न स्थान स्थित ३१ अक्टूबर को चले पड़े:—

१. स्वामी मन्दिदानेन्द—उपप्रधान
२. श्री केदार नाथ, एम० ए०
३. श्री हंसराम—बहादुरा के प्रधान
४. श्री श्रीपचन्द—रामगढ़
५. श्री मौजीराम—चान्द्रकोठी
६. श्री रंगा—प्रधान मंत्री बीकानेर
७. श्री कपराम—रतनगढ़ के प्रमुख कार्यकर्ता

१ अक्टूबर को १२ मील की पैदल यात्रा करके यह लोग बीकानेर के १२ बजे काँगड़ ग्राम की सीमा पर पहुँचे। मार्ग में इन लोगों को बिलने मी डिमान मिले उन्होंने रोने-गाने धरती करवा बधाई सुनाई। गांव की महिलाओं ने भी हार्दिक कथाओं को, कंड भरी आवाज और चधुभरे नेत्रों की भाँसे भर सुनाया। गाँववालों के अनुरोध करने पर यह लोगों व्यक्ति बहिष्कार तक गाँव में न जाकर उफटे खीट दिये क्योंकि वहाँ ठाकुर के आदमियों को खीट कर और कोई था नहीं। खीट कर ४ मील पहुँचे होने कि खीट और ऊँटों पर २० आदमी था चमके और १५ के सिवा। यह आग-मुक दम्क, भावे और तलवातों से सुपरिचय

थे । सारों व्यक्तियों को किले में ले जाया गया । वहाँ पहुँचने पर इन लोगोंको एक-एक करके इतना पीटा गया कि सब बेहोश हो गये । इस विटार्ड का प्रकार भी निराज्ञा ही था । इन लोगों को बंगा करके उल्टा जमीन में लिटाया गया और ५ व्यक्ति सब घोर से इतने के लिए खगा दिये गये । यह सब होने पर कोड़े घोर जूनों की इतनी मार दी गई कि मूर्छा आ गई । इस तरह सब को तीन-तीन बार पीटा गया । श्री रूपराम को तो गाँव के लोगों के सामने, उन्हें भयभीत करने के विचार से, बुरी तरह पीटा गया । जब इन घटनाओं से इन मरपिशाचों को कुछ शांति नहीं मिली, तो कार्यकर्ताओं के गुनाहों में मुझीले चंडे छेदे गये । यज्ञोपवीत तोड़ देना, छोटी उमरना और बुरी-बुरी गाछी देना तो एक साधारण सी बात थी । दिन भर की विटार्ड के बाद गंदे बोरो पर सोने को जब इन लोगों को बाध्य होना पड़ा, तो भीड़ पल भर के लिए भी पास न पटकती । कहने है कि इधर सात व्यक्ति कटोर यात्रा मद् रहे थे, उधर टाकुर साहब शराब पीने में मस्त थे । ९ नवम्बर को अंतिमबार फिर मार दी गयी और टाकुर के दूसरे पुत्र की गाछियां खाने को मिलीं । अंत में सब को बिना मोशन दिये गंद से निष्कास दिया गया । इतना कष्ट दिये जाने पर भी यह मानों व्यक्ति अहिंसक वीर की तरह अपने महान उदरप—उन गेवा, को पूरा करने के लिये कष्ट की कमीटी पर सरे गये ।

ग्रामवासियों के अतिव्यथ कथान से ज्ञात हुआ है कि इस काल के मिश्रमिश्रे में मूला नामक जाट का खेत ही नहीं, बरकर तक उल्टा कर दिया गया और बेचारे को गाँव से निष्कास दिया । इसी तरह का का। स्ववहार विद्यार्थीमवन रतनगढ़ के भी लीछाराम भद्रनोरदेवक और चं.परी हरिाराम मास्टर के साथ दिया गया । इस लोगों की २१ घंटे कागानार बंगा करके विटार्ड होगी रही । यहाँ हम कागद के कुछ टायरी:को इला ११ नवम्बर मन् १९४१ को दिये गये अतिव्यथ कथान उन अहिंसक लोगों को दिये बिना नहीं रह सकते, जिन से यह दुः

बह निहजती सुनाई देती है, जो अंत में जाकर सांसारियों तक को भस्म कर देने की शक्ति रखती है:—“हमें अब संसार में कोई दुःख सुनने बाधा नजर नहीं आता। कहां जाय, किससे सुनाएँ ? महाराज साहब ने भी अपने कान मूंद लिये हैं। बह भी अपने भाई-पेटों की सुनते हैं, हमारी क्यों सुनने सगे। अगर संसारमें कहीं ईश्वर है, तो सुनेगा, वरना मर है”।

कांगड़ काण्ड की आप-बीती का बयान देने वाले व्यक्तियों के नाम हैं:—पर्वधो घासनाथ जोगी, बलसाराण, गोपाळराम, मेरा राम, बनाराम, गोमाराम, चुनाराम, चुनाराम (वृसरा) रूपाराम सुमानाराम और गणपत नाथ जोगी।

परिशिष्ट

परिशिष्ट सूची

1. श्री चम्दनमल्लजी बहदुर की दो दरख्तास्तें
२. श्री मधारामजी को मिले छैः प्रमाणपत्र
३. हरशा उपाध्याय वाले मुकदमे में दिये गये फैसले की नकल
४. श्री मधाराम जी को देश निकाले की आज्ञा
५. शाका के पीड़ितों की सहायता में निकाली गयी अपील
६. नेताओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में बैद्य जी का बक्तव्य
७. नजरबन्दी और निर्वासन का विरोध
८. प्रजा-परिषद् के कार्य पर श्री मधारामजी बैद्य का बक्तव्य
९. राज माधौसिंह का नाटकीय निर्वासन
१०. जनरल के सम्बन्ध में सरकारी प्रकाशन विभाग का बक्तव्य
११. राजबंदियों के सम्बन्ध में श्री रघुवरदयाल जी का बक्तव्य
१२. सरकारी विलुप्ति का प्रतियोग
१३. बीकानेर के सम्बन्ध में रिवाजती कार्य-कर्ता संघ का प्रस्ताव
१४. अपहिंद की वेदी पर
१५. पुस्त्रिय ने राष्ट्रीय-झण्डे उतारे
१६. राजबन्दी श्री हीरालाल श्री शर्मा का बक्तव्य

परिशिष्ट (१)

पुलिस के अत्याचार

बीकानेर में १९३२ में राज-द्रोह का जो ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया था और जिसका विवरण इस पुस्तक के पहले अध्याय के पहले खण्ड में दिया गया है, उसमें पुलिस की ज्यादतियों और अत्याचार की विशेष रूप से चर्चा की गयी थी। उसी मुकदमे के अभियुक्त श्री चन्दनमल बहदुर ने जिला जज की अदालत में जो दरखास्तें दी थीं, उनकी नकलें यहां दी जा रही हैं—

दरखास्त (१)

ब अदालत डिस्ट्रिक्ट जजी, सदर बीकानेर
जनाबे भाली,

मुकदमा सदर में मुकदमा मुलजिम की अद्वय से गुजारित है कि काररवाई मुकदमा शुरू करने से पेरतर पुलिस ने मेरे ऊपर जो रोमाञ्चकारी अत्याचार व पाशविक जुल्म किये हैं, उनकी बारा-महरबानी तहकीकात फरमाई जाकर तदारक फरमाया जावे।

१—यह कि तारीख १३ जनवरी को मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर की तलाशी पुलिस ने ली। इन्स्पेक्टर पुलिस राजवी चन्द्रसिंह मण बार्दी मेरे घर में बिना इत्तला दिये सीधे ही घुस गये, जबकि मेरी स्त्री के सिवाय कोई घर का आदमी न था। और जो सापस को स्त्री बर्दानशीन व जी-हउजल बराने की है, मगर बाबसूर इसके भी चन्द्रसिंह राजवी ली इन्स्पेक्टर ने उसको धमकियां देकर घर के तवालों का अपाव देने को मजबूर किया। इन धमकियों की वजह से

व बचानक इस तरह मय पार्टी उनके घर में धुस जाने की वजह से इस शरीफ औरत पर रोब बरपा कर दिया और वह निःसहाय अवस्था हो गई और उसका बदन थर-थर कांपने लगा और चक्कर माने लगे ।

२-यह कि इस घटना में सायल की माता व खचेरा भाई (एषाक से बड़ा) आ गये । इन्स्पेक्टर साहब पुलिस ने अपनी पार्टी के स्वरूप उन जीद्वजत स्त्रियों की आमा तलाशी किली एक मुसम्मात गीगली से कराई ताकि उनको खोगों के सामने बेहुरमत व जलील किया जाये । इन्स्पेक्टर साहब पुलिस मुसम्मात गीगली को उन स्त्रियों के बदन को कभी अपने हाथ से व कभी बेल से छुकर हिदायत देने थे कि यहाँ की तलाशी लो, व यहाँ की तलाशी लो । यह अर्ज पर देना मुनासिब होगा कि सायल मुखजिम एक पोलीशन का दादनी है और वह शहर चूरु की म्युनिस्पल कमेटी व अनिवार्य क्लेपा कमेटी का पुना मेम्बर है और कलकत्ते में स्टर्लिंग एक्सचेंज की दबाली करता है ।

३-यह कि तलाशी १२ बजे दोपहर से लगाकर १२ बजे रात तक ली जाती रही, मगर इस घटना में खाना बनाने व बाल-बच्चों को तिराने तक की सहूलियत भी नहीं दी गयी । बनाने क्लामी एक टीन के छप्पर के नीचे जो चारों तरफ से खुला और त्रिममें गाव व बछुके बंधे रहते हैं, इन स्त्रियों व बच्चों को रोकते रखा ।

४-यह कि गो बारएट तलाशी महज सायल मुखजिम के निज्जाफ व फिर भी इन्स्पेक्टर साहब पुलिस ने उस हिस्से मकान की तलाशी ली, जो मेरे बंधेरे भाई के कब्जे में है और जो कि मुम से कोई फोरेडर नहीं रखता व अल्लहदा रहता है, निज्जाफ कानून व आम्ता मन्ना बारएट ली । हालांकि मेरे भाई भीजाल ने इस बात पर मन्न एसाब किया मगर एतराज की कुछ सुलाई न की गई और भीजाल

की औरत के बन्धों व टूकों के ताने छोड़ दिये गये, क्योंकि वह अपने मायके गयी हुई थी और चाबियाँ उसी के हमराह थीं ।

२—यह कि गो चारण्ट खानातलाशी में यह साफ लिखा हुआ था कि पुलिस महज ऐसी दस्तावेजात अपने कब्जे में लेवे जो, बीकानेर राज्य के खिलाफ हिकारत व बे दिली फैलाने की मग्शा रखती हों, मगर ताहम भी पुलिस ने विला अख्तियार भारतीय राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीरों व सायब मुलजिम की बनायी हुई कविता कि जो अखिल भारतीय हिन्दू महासभा के अष्टम अधिवेशन कलकत्ता के मौके पर सभापति लाला लाजपतराय के स्वागत में पढी गयी थी, ४८ प्रतिपां व अन्य समाज सुधार-संबन्धी जातीय पत्र-पत्रिकाएँ भी पुलिस ने अपनी तहजीब में ले लीं ।

३—यह कि चारण्ट खानातलाशी की तामीब इस तरीके से की गयी कि खोफ बरपा कर दिया जाय और गो बकूफा तलाशी में कि जो बारह घन्टे का था, तमाम घर को थुरी तरह से खान-बीन कर डाला, फिर भी इन्स्पेक्टर साहब ने जान-बूझ कर बर्दी के साफे को वहीं कहीं छिपा दिया और यह बहाना बनाया कि अपना पल्लू इन्होंने के छिपू में कल फिर धाऊंगा । जिस बज़ह से मेरे घर वाले दुबारा तलाशी के दर में मुज्तिना रहे ।

४—यह कि एकाएक १२ जनवरी को करीब ६ बजे शाम को यही इन्स्पेक्टर पुलिस हमराह अफसरान व कानिस्टेबलान पुलिस मोर में घुस आये और मुझे बघावान बुलन्द कहा कि तुम्हें कुछ देर के लिये कुँवर सम्यक सिंह जी साहब डी० चार्ड० जी० पी० रैस्टहाउस पर बुला रहे हैं, चलो । यूँकि खाना तैयार था मैंने खाना खा लेने की मोहजत चाही, पर उम्दोंने कोई मोहजत न दी और कहा कि चलो, वहाँ थोदी ही देर लगेगी । बःपसी पर खा लेना । व अमा में उनके साथ हो लिया ।

५—ज्योंही सायब मुलजिम रैस्टहाउस पर पहुँचा, पुलिस के

अध्वर साहब ने मुझे एक कमरे के कमरे में बन्द कर दिया और हुकम दिया कि तुम को हमारे साथ बीकानेर चलना होगा, तुम्हारा विस्तर व सफरसर्व व ग्वाना यहीं मंगवा देना है। मगर तुमको अथ घर नहीं जाने दिया जायगा और न तुम अब किसी से मिल ही सकते हो।

१-मेरा भाई जो बहुतम पुलिस मेरा खाना व विस्तर लेकर आया उसे मुझ से मिलने व देखने तक भी नहीं दिया गया। और देदेमेदे रास्तों से सर्दी में रात के ग्यारह बजे मुझे रेलवे स्टेशन चूरु पर लाकर एक कमरे में बन्द कर दिया गया। और बाद घड़ा मुझे छिपा कर रेल के चन्धेरे द्विजे में बैठा कर भिड़कियां बाल दी गयी, ताकि मेरे जे जाने का सुराग किसी को न लग सके।

१०-शारीब १६-१-३२ को बीकानेर पहुँचने पर मुझे शहर से बाहर बियाधान लंगल में एक निहायत ही गन्दे व बेघावा मकान में दिरामत में रख दिया और चार कांस्टेबल हर वकत मुझ पर कटा पटा देते रहे व इन्स्पेक्टर साहब पुलिस मजदूरावाला मुझे धमकियां, धावप व फुसलाइट से तंग करते थे।

११-१६ जनवरी को एकाएक शाम को ५ बजे राजकी चन्द्रविहारी इन्स्पेक्टर ने मुझे विस्तर बांधने का हुकम दिया, और मुझे देदेमेदे रास्तों से स्टेशन ले गये। इन्स्पेक्टर साहब सुद तो सार्कज पर सवार थे और मुझे उनके साथ पैदल ही भाग-दौड़ कर १२ मिनट में बरीब दोड़ मील का रास्ता ले करना पड़ा। और रेलवे स्टेशन पर आया आकर मैं बन्द द्विजे में बैठा दिया गया। दो कांस्टेबलान सब इन्स्पेक्टर साहब मजदूरावाला मेरे हमराह बन कर बैठ गये और मुझे बारबार दरवाज कराने पर भी यह नहीं बताया कि क्या जे ला रहे है। एकाएक राजगढ़ स्टेशन पर मुझे उतारा गया। और धर्मशाला ने रामविह ब्राय ट्रेनिंग स्कूल व लक्ष्मणविह कांस्टेबल के परे में

बेठा कर इन्स्पेक्टर साहब खुद बजे गये और थोड़ी ही देर बाद हमारा हवलदार रेसले पुत्रिम व एक दीगर कॉन्स्टेबल इन्स्पेक्टर साहब वाम-घाये और घाने ही मुझे हथकड़ियां बांध दीं और कहा कि तुम्हें १२४ घ में गिरफ्तार किया जाता है । रात को दो बजे ठीका मैजिस्ट्रेट साहब रतनगढ़ के म्बर कमरे अदालत में हाजिर किया और १२ गोज का रिमाण्ड पुत्रिम ने छे लिया गो साहब मुबत्रिम ने पत्राज भी किया ।

१२—२० जनवरी को मुझे बीकानेर ज्जाइन पुत्रिम में लाया गया और महज ज्जील व परिवार करने की गराज से मेरा विस्तार मौ मेरे कंधों पर लदवाया गया । पुत्रिम ज्जाइन में मुझे नम्बर १ की कोठरी में हथकड़ियां लगे बैठाकर, हथकड़ी जंजीर का दूसरा गिरा चारपाई में ताळे से जक दिया गया । २१ जनवरी से ३ फरवरी तक सर्वेरे एक गज से भी चौड़े पांव करा कर व हाथों को सीधा फैलाया रखकर मुझे खड़ा किया जाता था । ता० २१-१-२२ को रामभिंह ने मुझे सीधा खड़ा रखने की निगरानी में बहुत सी मां वहन की कोण गालियां दी, गल्ला पकड़कर मेरा सिर दीवार से टकराया और दाती व सि। में धूँसे लगाये, व नीज मारने के लिए अपना जूना भी उठाया और फोटों पर टोकर मारने की भी चेष्टा की ।

१३—ता० २२ जनवरी को आई० जी० पी० साहब व डी० आई० जी० पी० साहब ने मुझे गालियां दी और अपने धीमुख से फरमाया की यहो साला सब में बदमाश है । यह वहन मादर... (वगैरह) फौर गालियां देकर कहा, वों इकबाक नहीं करेगा । इतना कहकर खुद उन्होंने मेरे बायें कान व गाल पर थप्पड़ लगाये व बाद में जब तक मैं वहां रहा इनका ऐसा ही सलूक मेरे साथ रहा । यहो वजह मेरे कान में बहुत असें तक दर्द रहा और अब पूरे तौर पर मुझे उस कान से सुनाई भी नहीं देता ।

१४—करीब तीसरे या चौथे रोज राजवी चन्द्रसिंह भी ने आई०

जी० पी० व दी० आई० जी० पी० साहब से मेरे स्वस्व मेरी तरफ
 रणा काते हुए कहा कि मैं आज ही ट्रेन से इस की मां व औरत व
 बच्चों को चूरु से यहां घुला लूं, या वहीं पुलिस लाइन में बाहर
 लूं। इस पर आई० जी० पी० साहब ने फरमाया कि यह काफिर
 मुझ ऐसे नहीं बताता, तो, कोई हर्ज नही। उन सब को यहीं बुला
 दो और इसी के सामने उन की भी दुर्गत करो। "उनके..... में
 मिरचें भर दो, नंगी करके..... पर लगाओ।"

१२—बन्दासिंह जो इन्स्पेक्टर मुझसे फरमाने लगे कि मैं देख
 गया हूँ, तेरी औरत का दिल बड़ा कमजोर है और वह बीमार भी
 है। बरबत ललारी वह बेहोश हो गई थी, और उसको चबकर खाने
 दोगे थे। अगर तू हमारा कहना नहीं मानेगा, तो तेरे सामने ही उनकी
 दुर्गत की जायेगी—

(क) उनके स्थानों पर सेजाव लगाई जायेगी।

(ख) ब्यभिचारी, भयंकर, तूँखवार शशास्त्र उस पर छोड़े
 जायेंगे।

(ग) तेरी ३ वर्ष वाली लड़की के भी मिरचें भरी जायेंगी।

(घ) छः महीने वाले बच्चे को पक्के फर्श पर पटकवाऊंगा।

(ङ) आठ वर्ष वाले लड़के को भीधा लटकवाऊंगा।

'फिर साझे, हरामजादे, उस वकत तेरी आँखें खुलेंगी। और वह
 तुझे साक्षात् देखेगी कि 'तू अप्पड़ा पैदा हुआ कि हमारी तू ने यह
 श्रावत करवाई'। और तुझे भी लम्बी होश जायेगा कि देशभक्ति कैसे
 की थी और कैसे काटोममैन का बरबाद बसा था। नहीं तो, मैं जैसा
 हूँ वैसा लिख दे। "एक दिन इलाहाबाद में बन्द एक औरत
 थी मुझे दूर से दिसलाई और कहा कि परवान ले।
 क्या वह आखिरी मौका है बरना उनकी भी दुर्गत सभी कर
 दी जायेगी।

१६—मेरी कोठरी से कुछ दूर पर रोने के किस्म का शोर-गुल-करवाया जाता था, और उस असना में चन्द्रसिंह जी मुझसे कहते थे, 'क्यों औरतों की मिट्टी खराब करवा रहा है ? अब भी तेरी खराब ठिकाने नहीं भाड़े है ? अगर तू चाहता है तो उनको तेरे सामने ही लाकर यह सारी कार्रवाई दिखलवा दी जायगी ।'

१७—मेरे दोनों हाथों की अंगुलियों की कंधी बनाकर इंस्पेक्टर चन्द्रसिंह जी अपनी भरपूर ताकत से खूब जोर से दबाया करते थे ! और यह हरकत उनकी दिन में दो-दो तीन-तीन मरतबे पांच-पांच मिनट के लिए हो जाया करती थी । इस तरह करने से मेरे हाथों पर बुरा असर हुआ । अब भी मामूली काम करते वक़्त हाथ कांपने लग जाते हैं । पडा रखना, गालियां देना, दीवार से सिर टकराना—इन आला अफसरों का रोजमर्रा की कार्रवाई का एक मामूली सा हिस्सा था ।

१८—सूखी व जखी हुई व गुप् से पीली हुई किरकिरी घाटे की रोटियां दी जाती थीं और केवल मिरच के चूटे हुए बीज उनके साथ दिये जाते थे ।

१९—पेशाब व पाखाने की हाजत होने पर भी बग़रज तकलीफ़ देने दो-दो हाई-हाई घण्टे के बाद हाजत रफ़ा कराई जाती थी, और जब पाखाना के लिए जाते थे, तब हथकड़ियां पकड़े कॉन्स्टेबल एक गज़ के फासले पर खड़ा रहता था । राठ को मेरे घाघे बदन पर चारपाई टालकर सिपाही को उस पर सुलाया जाता था, व एक-एक घण्टे बाद हथकड़ी संभालने के बहाने मुझे आवाज़ देकर उगा लिया जाता था ।

२०—उपपुंसक सुराह व मस्तिशों की बरह से मेरे कलागीर के मग्ने पूख गये और उनसे नून घाने लगा । और गो मेरी पीली नून से बिकरुल खराब हो गई थी, मगर तो भी पीती नहीं बदलने ली गयी, हालांकि दूमती पीनी मेरे पाम थी । और न मावज सुकजिज

को बहाने ही दिया गया और न कोई बाकायदा इजाजत कराया गया ।

२१—यह कि हर तरीके से मुझको शारीरिक व मानसिक वेदनाएं देकर पुलिस ने जो चाहा मुझसे लिखवाया । राजकी चन्द्र सिंह जो मुझे हरदम डराते रहते और अपनी मर्जी के खिलाफ लिखने के लिए मजबूर करते थे । उनका कैम्प मेरी ही कोठरी में था जो चौकीवालों के बड़े बड़े मुझे तंग करते, डराते रहते व गालियां देने रहते ।

२२—यह कि जब कभी मैं बवासीर की व उपयुक्त अस्त्र वक्रीकाट की वजह से कराइता था, तो वह इन्स्पेक्टर साहब फरमाया करते कि 'स.चा, सुझर इसकी लोकरी को । किसी बहानेवाजी करता है । कोई परवाद नहीं, अगर मर जायेगा तो जंगल में फेंक देंगे । हमसे कौन जवाब लख कर सकता है ? जितना तंग किया जा सके करे' । और साथ में यह भी कहते थे कि 'मेरे दिव में तो आता है कि तेरा सिर काट लूं या खड्ड से फोड़ डालूं' मगर मैं सोचता हूँ कि तू शायद अब भी रास्ते पर आजाय और जैसा मैं चाहूँ वैसा लिख दे । और यह भी कहा करते थे कि अगर तुम मेरी मर्जी के मुआफिक लिख दोगे तो मैं बादा करता हूँ कि तुझे माफी दिला दूंगा । लेकिन जो मैं बताऊँ वह अफसरों के सामने बहानी पड़ेगी । इस मामले में हम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, कितना बदायत की ताकत नहीं है—तुम्हें बरी करने की । अदायतों की तो बात ही क्या है, इस मामले में हम पुलिस बाजों की मर्जी के खिलाफ सुद दीवान साहब कुछ नहीं कर सकते ।

२३—हम अमल मानसेक वेदनाओं व शारीरिक कठोर पीड़ाओं का बरत बिना आखिर निहायत ही मुश्किल से गुजरा । सायब के शरीर की निहायत ही कमजोर हालत हो गयी थी । मगर साहब भी १ आखरी को पुलिस आइन से रेडवे स्टेसन तक का रास्ता मेरे कंधे पर बिस्तर लट्वा कर पैदल ही भाग-दौड़ करके मैं कराया गया,

सी हाजत होगयी । सिर में चक्कर आने लगे और हम घुटने लगा हम लंग कोटरी में ही टट्टी व पेशाब की हाजत रक्ता करनी पडती थी और थिय वजह से दिन रात बदनू रहती थी । दूसरे रोज से कालकोठरी व बाहरवाजा दरवाजा खुला रख दिया जाने लगा । मगर तो भी पुलिस कान्ट्रेबिल घंटों के लिये कभी-कभी बाहरवाजा दरवाजा बन्द रख दिया करते थे और मेरे मना करने पर धमकियां देते थे कि अभी हमारे ही कब्जे व अधिकार में हो, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं । और जब हमी चाहते थे मेरी तलाशी सख्त तरीके से ले लिया करते थे । और हीनर पुलिस कफसरान जो हर तीसरे घंटे गरत पर आते थे, अब आते मेरी तलाशी लेलिया करते थे । और रात में हाजरी बोलने के रहाने नींद में उठा लेते थे, - हर घंटे के बाद ।

२२ यह कि पुलिस ने मुझको जेरबार व लंग करने के लिये हर गारीस वेगी पर बिना किमी माहल वजह के तीन माह तक बदनू रखलिया (रिमाण्ड) ली । और सायल के खिलाफ चार्जट हवालात तुरीयक था, मगर तो भी बह तनहा बन्द रक्ता गया । और पुलिस ने जेब कफसरान पर नाआयज दबाव डालवर २३ अप्रैल तक उसी तरह से बंद तनहाई में डालेरखा । हर गारीस वेगी पर अदाबतबाजा से हम कमर की शिकायत की जाती थ मगर पता नहीं किस वजह से अदाबतबाजा के दुबनों की तामीख नहीं होती थी ।

शे गारीस १३ अप्रैल को घाड मुसजिमान के खिलाफ एक ही (नाआयज) पुलिस की आनिब से पेश किया गया, मगर फिर भी हमको अदरान-अदरान तनहा बन्द, खिलाफ कायदा व कानून, गारीस २३ बंद तक रक्ता गया और इस असमा में भी चौबीसों घण्टे बन्द रहे हमें थे और किसी से बातचीत करना तो दर किनार, कोई भी आदमी हमें पास से भी नहीं गुजर सकता था । ऐसा कहा इंतिजाम रक्ता गया था ।

सिरें बंदी नहीं । अब भी पुलिस मेरे चारिसान को लंग करली है ।

जब कभी मेरा खेरा भाई मिलने आता है तो उनके पीछे पुलिस लग जाती है, और वह इस दर से मेरी मुकम्मिल पैरो नहीं कर सकता, और हम-बजह से वकील लोग भी भयभीत हो कर मेरे भाई से बात नहीं करते ।

अब मायल मुसलमन की खदब से प्रार्थना है कि जो पारलिक व्यवहार व वहशियामा सलूक अफसराम पुलिस ने मेरे प्रति किया उसमे मेरे दिख, दिमाग व जिम पर बहुत बुरा असर पया है । कामवादे पुलिस किननी कुरतापूर्ण व तिलाक कामून भी, उक्त बलों से भाक आहिर है । मैं हुजूरवाला से सम्पन्ना के नाम पर, सम्पना के नाम पर, व धीजी सादर बहादुर के रामराज्य व विरवापापी पर की सज्जा-रफा के नाम पर, व धर्म व ग्याय के नाम पर सकिनव सिनेएन करता हूँ कि—

(१) तहकीकाल करमाई जाये ।

(२) पुलिस के उपयुक्त बुराचार व सम्पाय की ताक धीजी सादर बहादुर नाम हुकबासदू व उतरी द्यामु गणसमेस की तपामर दिमाई जाये ।

तारीख २० मई १९२२ ई०

प्रार्थी
अम्दमसख बहद

धी अम्दमसख बहद की उपरोक्त दरखाल मे पुलिस की ओर कुनित हो गई । फलतः जब वह उन्हें उनके कुमो मुकरमे में रजाम से लयी, तो उनका बरखा निहाला । हम सम्पन्ना से धी अम्दमसख के पीछे किनो दरखाल अदाखत की और हीः—

दासालु (२)

धीअम्दमसख की,

जब से मेरे पुलिस की तिक बलों वकील दरखाल ही है जब से

पुलिस मेरे और भी विस्व हो गयी है, और मुझको संकारण कष्ट पहुँचाना ही अपना कर्तव्य समझती है। उदाहरणार्थ जेब में १२-६-३२ को अपने दूसरे मुकदमे में रतनगढ़ भेजा गया तो तीन बक्ल के लिये (मुझको केवल १) घाने के पैसे खाने के लिए दिये गये। नतीजा यह हुआ कि एक बक्ल मुझको बिलकुल भूखा रहना पड़ा और दो बक्ल भी भरेपेट खाना न मिल सका। इसके अतिरिक्त, रतनगढ़ में जिस घाने की कोठरी में मुझको ठहराया उसमें 'जुए' (छोटे-छोटे जानवर) इस बहुतायत से थे कि किसी आदमी का तो क्या जीवधारी तक का सोना वहाँ असम्भव था और उनके चिपट आने के कारण मेरे तमाम विराम में रूजनें आ गयी।

पुलिस ने आज मेरे हाथ में पहले एक बड़ी इपकड़ी लगायी। उसे फिर निकाल कर इतनी छोटी खगा दी जिससे मेरी श्वाभ दबकर बच गई। मेरे कहने की कोई सुनवाई नहीं की गई और जब सायल ने इपकड़ी की शिकायत की कि यह हाथों की भीवती है, तो पुलिस वालों ने सफा होकर फरमाया कि हमको तो तुम्हारे लिये बर्रों वाली इपकड़ी के लगाने का हुक्म है, यह तो फिर भी बड़ी है। इपकड़ी सख्त खगाने के कारण इपकड़ी के बीच की चमदी उखल गई कि जिसका निगान अब तक मौजूद है। इसके अतिरिक्त, मेरे कान की शिकायत भी पहले की थी और उस पर पी. एम. ओ. साहब ने चापकी आज्ञानुसार देखा भी था। उस समय उन्होंने यह कहा था कि कान का ड्रम रूज गया है। मगर दो दिन तक सफा करने के सिवाय फिर मैं शफाखाने नहीं बुलाया गया और कंपौटर साहब जेल में मामूली दवा दालते रहे। परन्तु अब तक मेरे सुनने में कोई फर्क नहीं हुआ है। इसलिये आशा है कि एकसरे से दिखा कर इलाज करने का हुक्म दिया जावे। अन्त में यह भी निवेदन है कि पुलिस को भी यह आशा दी जावे कि वह इस तरह से हमको अपने दुरमन समझ कर जरा-जरा सी बात पर हमको तंग, परेशान व अजीब करके उस

बात के लिये मजबूर न करे कि हमें उसके विरुद्ध किसी कड़ी नीति का अवलम्बन करना पड़े ।

हम भी एक निरक्षरपराधी नागरिक-की-हेतुवत्त से बड़ी बर्तना चाहते हैं, जो निरक्षरपराधी के साथ एक सम्य गवर्नमेंट को कर चाहिये । चूंकि अक्षरपराधी ही एक ऐसी शक्ति है जो दोनों पक्षों के न्याय संचरण के लिये मुक़रर है, इसलिये प्रार्थना है कि इन बातों पर विचार करके हुकूम मुनासिब फरमाया जावे । -

तारीख १८-१-२२ ई०

{

प्रार्थी

चन्द्रमण्डल बहादुर -

परिशिष्ट (२)

वैद्यराज का प्रमाण-पत्र

DESH BHAKTA COLLEGE

Established in
1929

Registered by the Government of India

DIPLOMA

This is to certify that P. Magharam of
Dungargarh (Bikaner State) having completed
the curriculum of study and passed the examina-
tions prescribed by the regulations of this college,
is declared to have thoroughly qualified in the
principles and practice of Ayurvedic science and
medicine and books, and is hereby entitled to a
diploma of Vaidyaraaj

SPECIAL REMARKS

P. Magharam a good practitioner of Ayurvedic
science and medicines and books.,

Signed and sealed by this 17th day of
December 1929

Seal of
DESH BHAKTA COLLEGE,
Estd. 1929. Agra.

Sd—
Principal or
General Secretary

आयुर्वेद शास्त्री का प्रमाण-पत्र

Kaviraj sushil kumar Sen, M. Sc.,

Bhishgacharya Kaviratna.

Kalpataru Palace

Chitranjan Avenue,

Calcutta

10. 5. 19

CERTIFICATE OF PROFICIENCY

This is to certify that Sj. Meghla Saraswat son of Chunnaram Saraswat of 63 Banstalla Street Calcutta, studied Ayurveda under me for four years. He is wellversed in Ayurveda & is practising in Ayurvedic Medicine for the last three years. I confer on him the title of Ayurvedashastri for his proficiency in Ayurveda.

Sd/ Sushil Kumar Sen.

Pranacharya, M. Sc., Bhishgacharya, Kaviratna, etc., 'Vice-Principal' & 'Chief Physician,' Deputy Superintendent, Vishwanath Ayurveda Mahavidyalaya & Hospital, Calcutta; Member. General Council & State Faculty of Ayurvedic Medicine, Bengal, Fellow & Examiner, Benares Hindu University etc. etc.

GENERAL COUNCIL AND STAFF FACULTY OF AYURVEDIC MEDICINE BENGAL

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration No. 6018 The 15th December 1939

Name	Address or appointment	Date of Registration	Qualification & dates there of
Meghlal Paraswat	63 Banatalla Street Calcutta	6.10.39	Ayurved Shastri (1939)

I declare that the certificate reproduces the entries in the proper columns of the Register of Ayurvedic practitioners in respect of the name specified in the certificate.

Seal of
J.C. & State Faculty of
Ayurvedic Medicine,
Bengal.

(Sd) Parangamohan
Dasgupta
Registrar.

(२१४)

मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी से प्रोत्ति प्रमाण-पत्र

MARWARI RELIEF SOCIETY

(Registered under the Indian Companies Act, 1913)

Estd. 1913.

AYURVEDIC RASAYANSHALA

Tele. "Sevasamaj" 13, Sircar Lane,
Phone B. B. 1868. Calcotta, 24 June, 1937.

It is to be certified that, Pt. Magha Ram Sharma Vaidya worked in the Ayurvedic Department of the Marwari Relief Society under me for two years.

I found him honest, intelligent and painstaking. I want him every success in life.

Sd/ S. S. Awasthi
MANAGER.

Telegram: "SEVĀSĀMAJĪ" Phone: B. B. 2990

MARWARI RELIEF SOCIETY

Ayurvedic Rasayanshala.

391 Upper Chitpur Road,

Calcutta, the 12th May, 1938.

This is to Certify that Pt Magha Ram Vaidya has worked in this Society for a period of 12 months 5 days i. e. from the 8 th May 37 to 12 th May 38 During his discharge of duties he proved himself to be an industrious and honest worker and he worked to the satisfaction of his immediate officers He behaved well and bears a good moral character.

Sd. Baijnath Pd.

Hony. General Secretary,

Marwari Relief Society,

391, Upper Chitpur Rd

Calcutta.

MARWARI RELIEF SOCIETY

(Registered under the Indian Companies

Act, 1913.)
Estd. 1913.

AYURVEDIC RASAYANSHALA

Telegram: "SEVASAMAJ", 391, Upper Chiptur Road
Phone B. B. 2990 Calcutta, The 18th Jan. 1939

This is to certify that Pt. Magha Ram Sharma Vaidya is serving in this department as a salesman of the Harrison Road Shop, for the last two years. He possesses a good experience in Ayurvedic Treatment and so far I understand he is industrious and painstaking. He is sincere, honest and bears a good Moral character.

I wish him every success in his future career.

Sd- S. K. Kothari,

B. A.
Manager.

परिशिष्ट (३)

हरखा उपाध्याय वाले मुकदमें में दिये गये फैसले की नवस्

तत्पश्चात् अदालत इजलास बाबू शेरसिंह जी साहब, एम. ए.—
एल. एल. बी. डिस्ट्रिक्ट जज, मुजफ्फरगढ़ ता. १४-२-२६, मुकदमें का
नं० १४, सीमा विभाग नंबरी कौजदारी-राज-घनाम—

(- मधाराम : बहदुर सुधीलाख, कौम माध्यम, साकिन, हुंगरगढ़,
मुजफ्फरगढ़—किसी सरकारी मुकामिज को इस गर्ज से झूठी कब्र
देना कि वह अपना धरतलपार जायज किसी और शख्स को मुकसान
या रंज पहुँचाने के लिये साकिन करे। जेर. दफा १८३ ताजीराफहिद
खिलाफ मधाराम मुकामिज इस बयान से पेश हुआ है कि मधाराम
मुकामिज ने ता. ० १२६-२-२८ को दफतर साहब, होम मिनिस्टर व
दफतर इन्स्पेक्टर जनरल साहब पुलिस में झूठी तहरीरी रिपोर्ट मगरा
बंदी घमर पेश की, कि, २४-२-२८ को हुंगरगढ़ में एक शख्स
सुम्मीहरखा उपाध्याय बतियत मुजर माना, मुस्मी भांगीया मुनार के
मकान में रात के बहुत दालिज हुआ और दालिज होकर हरखा
उपाध्याय ने भांगीया, मुनार को जद्दीकोच किया, और अबरदस्ती
भांगीया मुनार से कुछ रुपया व रुपये छीन कर ले गया। इस्तगासा
पेश होने पर इस्तकसार मुकामिज लिया गया तो मुकामिज ने अपनी
रिपोर्ट पेश करना, तो तसलीम किया, मगर इससे इन्कार किया
कि वह रिपोर्ट झूठी थी। इस्तगासे की जानिब से हरखा उपाध्याय व

मु० कमलावती व घेरुजाट, व दुखीचन्द कृष्णिया व कुं० सबलसिंह जी साहब जी. भाई. जी. पी. व मु० भैरों बख्त जी तहसीलदार इंगरगढ़ की शहादत कराई गई ।

कुं. सबलसिंह साहब की शहादत मुकदमिफ तफठीशके है, और मु. भैरोंबख्त जी तहसीलदार की शहादत सिर्फ इस बजह से कराई गई है कि जब कि कुं. साहब मौसूफ इंगरगढ़ में बारदात बयान करदां या मौका देखने के लिये जा रहे थे, तो रास्ते में तहसीलदार साहब इत्तफाकन कुं. साहब मौसूफ को मिल गये । और कुं.वर साहब मौसूफ तहसीलदार साहब को अपने हमराह ले गये, और तहसीलदार साहब की मौजूदगी ही में नकरा मौका तैयार हुआ, जो मिसिख में शामिल है और जिस पर तहसीलदार साहब के इस्तखत मौजूद है, यानी तहसीलदार साहब की शहादत महज नकरा मरामूजा मिसिख की तसदीक के लिये है—अलावा शहादत कुं.वर साहब मौसूफ जो मुकदमिफ तफठीशके है । व शहादत तहसीलदार साहब जो महज नकरा मौका मुसमूज मिसिख की तसदीक के मुकदमिफ है ।

मधाराम मुकजिम के खिलाफ जुर्म और दफा १८२ ताजीरातहिंद कायम नहीं रहता, तावस्त कि यह साबित न हो कि मधाराम मुकजिम ने दीदोदानिस्ता मूठी रिपोर्ट हरखाराम उपाध्याय को बुकसान पहुँचाने की गरज से तहरीर कराई व सूत मौजूदा इस्तगासे ने साबित यह नहीं किया कि यह रिपोर्ट मूठी थी । अब कि बाकवाद से यह मालूम होता है कि हरखा उपाध्याय मांगीया सुनार को बुत पर गया जो फिर यह मतीजा मौजूदा शहादत इस्तगासे बंसत्र नहीं किया जा सकता कि हरखा उपाध्याय का मांगीया सुनार को मारपीट करना और उसकी चीजें उठा कर ले जाना गैर बालबय या और जब तक यह बरार नहीं दिया जावे—मधाराम मुकजिम के खिलाफ जुर्म और दफा १८२ ताजीरातहिंद कायम नहीं रहता—खिलाफा—शहादत इस्तगासे देती है कि—

व बादम सबूत जुर्मजेर दफा १८२ ताजीरालहिन्द मघाराम मुसजिम
बरी किया जाये—हुकम सुनाया गया । मिसिख दाखल दफतर होवे ।

द० बाबू योसिंह जी साहब ।

परिशिष्ट (४)

देश निवाले वी आजा

(नकल)

बीकानेर के गृह-विभाग की मौहूर

१६-३-३७

शुं कि बीकानेर गवर्मेन्ट की र.य में यह विरवास करने के लिये
काफी बज्हात है कि तुम मघाराम बरद चुम्नोजाल ब्राह्मण जमला
के अमन-अमान व भंझाई के लिखाफ कारवाई कर रहे हो, और शुं कि
तुम्हारा हम रियासत में रहना अनुचित है, इसलिष्ट बीकानेर रियासत
की रफा के एक्ट नम्बर ३ सन् १९३२ जैसा कि बह एक्ट नं० ६ सन्
१९३९ के द्वारा तरमीम किया गया है, उनकी दहा १९--८ की रुते
ओ अलखारात दिये गये हैं उनके मुताबिक तुम को हुकम दिया जाता
है कि तुम मघाराम बुधवार ता. १७ मार्च सन् १९३७ की आधीरात
तक बीकानेर रियासत को छोड़ दो और गवर्मेन्ट बीकानेर की लिखित
आजा बिना इलाके रियासत हाजा में दाखिल मत होओ ।

गवर्नमेंट आव बीकानेर की आजा से देवीटन हार्डिंग

स्पेशल चौकीसर

होम डिपार्टमेंट

पाराशष्ट(५)

ढाका नारायणगंज के पीढ़ितों के महायत्नार्थ

निकाली गई अपील

सं. १०१०

१२ अप्रैल १९४१ मंगलवार को रात ११ बजे भारतसूची के संगमंथ पर, नवी कहानी के साथ—

—क्या—

अवानी की रीति

बंगाल के गौरवमय स्थान ढाका, नारायणगंज में हिन्दू मुसलमानों और मुसलमान हिन्दुओं की जान के ग्राहक हो रहे हैं। पीढ़ितों को खाने के वास्ते घन्न नहीं मिलता, रहने के लिये घरदार से विहीन हो गये हैं। अब, आप लोगों का क्या कर्तव्य होना चाहिए—आप लोग ही विचार कर सकते हैं। पीढ़ित जनता, आप महानुभावों से—बड़ी-बड़ी शरणा लगाये आकाश के तारे गिन रही है। छोटे-छोटे बच्चे अन्न-जल के बिना चिड़ा रहे हैं। बंगाल के बड़े-बड़े नेता रात दिन, परिश्रम करके चन्दा इकट्ठा कर पीढ़ितों को अस-वस्त्र की व्यवस्था कर रहे हैं। दंगाइयों का गांवों में भी जोर बढ़ रहा है। आप लोग टिकट सहीद कर बच्चों को मरने से बचाएँ और पुण्य के भागी बनें। इस गौरवमय काम का भार आल इण्डिया यूथ लीग की शरणा बड़ा बाजार यूथ लीग ने अपने ऊपर लिया है।

१९४१ ई. १२ अप्रैल को रात ११ बजे भारतसूची के संगमंथ पर, नवी कहानी के साथ—
विशेष

महोदय को भेजने के लिये कि उचित कि समयारामें शर्मों

१९४१ ई. १२ अप्रैल

मन्त्री, बड़ा बाजार यूथ लीग

१९४१ ई. १२ अप्रैल

नं. २०० महर्षि देवेन्द्रोप, कलकत्ता

परिशिष्ट (६)

नेताओं की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में

श्री-मधाराम चंदा का वक्तव्य

संविद्ध मधाराम जी वैंच प्रधान बीकानेर राज्य मन्त्र-परिषद् ने एक पत्रलेख देते हुए कहा है कि २२ जुलाई १९४२ को बीकानेर राज्य में जनता की प्रतिनिधि संस्था के रूप में राज्य के प्रतिष्ठित नागरिकों द्वारा बीकानेर मन्त्रपरिषद् नामक संस्था को जन्म दिया गया। दोरे समय बाद ही स्वर्गीय महाराजा साहब की सरकार ने परिषद् को कुचलने के दिये संभावित भी शत्रुवरदयाल गोवंश को राज्य में जबरन निर्वासित कर दिया और ६ अगस्त १९४२ को अपने कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया। ३१ फरवरी १९४३ को वर्तमान महाराज साहब ने राज्य परी पर विराजने के बाद ही मन्त्र-परिषद् के तत्काल पकड़े हुए कार्यकर्ताओं की कुमावति सहित सम्मानपूर्वक रिहा कर दिया। रिहाई के बाद तत्काल कार्यकर्ता उल्लुङ्घना से महाराज साहब के 'टहरी और देवी' के आरवापने की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच महाराज साहब, प्रारम्भ मिनिस्टर तथा होम मिनिस्टर साहब से गोपक जी की कई बार बातचीत हुई। २९ अगस्त १९४४ को धीरे-धीरे शत्रुवरदयाल से मिलकर छोटले समय रास्ते में ही गोपक जी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कई साथी भी पकड़ कर हुता बंध गये तथा भिन्न-भिन्न स्थानों में नजरबन्द कर दिये गये। सन् १९४२ के आरम्भ से ही परिषद् के बचे हुए कार्यकर्ताओं ने संस्था के पुनः संगठन का कार्य फिर से शुरू कर दिया है और सभापति का आर देरे बंधों पर राखा गया है। राज्य की आजादी १९ जून से भी करी कर है। जोगी में कत्ताद भी कापी है, सिन्धु परिषद् २४ मास में काया करे १९४४ बंधे

रखने के लिए सुझावों से गुजरने के कारण, अभी तक अभी सही स्थिति जनता के सामने नहीं रख ली। प्रधान के भाते राज्य की वमाम जनता से अपील करता हूँ कि वे इस जन प्रतिनिधि सभा में शामिल हो कर राज्य में संवर्धित कानूनों के अन्दर रह कर अहिंसात्मक तथा शांति पूर्ण उपायों द्वारा रचनात्मक कार्यों में जुट पड़ें और इस तरह से राज्य तथा जनता की भलाई के लिये आगे कदम बढ़ाये। जहाँ तक मुझे मालूम है सरकार दमननीति से काशी परेशान तथा डबी हुई है और बदनामी से बचना चाहती है। यही कारण है कि सरकार ने गये सिले में छेड़छाड़ नहीं की है। इस बुद्धिमानी के लिये मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। प्रजा-परिषद को भी छेड़छाड़ पसन्द नहीं है। उसका कार्यक्रम साधारण संगठन रह करना एवं रचनात्मक कार्यों को करना है, जिससे राज्य की नयी शक्तियों का विकास हो और जनता के हितों की रक्षार्थ रियासत में सुसंगठित प्रयत्न किया जा सके। ३१ मई तक साधारण सदस्य बनाये आयेगे और जून में कार्य-कारिणी का नया चुनाव किया जावेगा। इसके बाद परिषद का आम अधिवेशन भी परिषद के विधान के अनुसार सुभीते से होगा।

(२१ मार्च १९४६, विश्वमित्र, दिल्ली)

परिशिष्ट (७)

नजरबन्दी और निर्वासन का विरोध

बीकानेर राज्य प्रजा-परिषद की कार्य-कारिणी समिति की बैठक २ अप्रेल १९४५ को भी मधाराज वैठ की अध्यक्षता में बीकानेर में हुई, जिसमें नीचे लिखे प्रस्ताव पास किये गये:—
इस समिति की राय में भी रघुवरदास भी वकील का प्रतिष्ठा

के साथ लूटकरानगर में और भी गंगादास जी कौशिक का अनुपगम में महाबन्द के तौर पर, रखा जाना अनुचित और नागरिक अधिकारों का अपहरण है। यह समिति भी महाराज साहब से प्रार्थना करती है कि वे इन व्यक्तियों को नागरिक स्वतन्त्रता देकर अपनी धोखियों को सार्थक करें।

यह समिति भी दामोदरप्रसाद सिंह के बिना कारण बताये हुंजर काबिज से निर्वासन को अन्याय-पूर्ण समझती है, तथा बीकानेर सरकार से अनुरोध करती है कि यह उचित आज्ञा को रद्द करके श्री दामोदरप्रसाद सिंह को रिहा प्राप्त करने की स्वतंत्रता प्रदान करें।

(विरचमित्र, दिल्ली)

परिशिष्ट (८)

पूजा परिषद के कार्य पर श्री मधाराम वैद्य का वक्तव्य

दिल्ली के पीर अहम दैनिक समाचार पत्र में बीकानेर राज्य पूजा परिषद के सभापति श्री मधाराम वैद्य का वक्तव्य सम्बन्धी जो समाचार २३ अप्रैल १९४२ के अंक में प्रकाशित हुआ था इसका उद्धरण यहां देते हैं:-

बीकानेर (बाकू द्वारा) बीकानेर राज्य पूजा-परिषद के सभापति श्री मधाराम वैद्य ने निम्न वक्तव्य दिया है:-

श्री रघुवरदयाल जी गिरफ्तारी के बाद बीकानेर राज्य पूजा-परिषद का कार्य भार एक राय से सदस्यों ने मेरे कंधे पर डाला है। मैंने पूजा परिषद के पुनः संगठन का कार्य आरम्भ भी कर दिया है। मुझे सुखी है कि बीकानेर की जनता ने मेरे प्रयत्नों का स्वागत किया है। हमारे संगठन का कार्य दिन प्रति-दिन मजबूत होता जा रहा है।

लेकिन अभी तक हम अपने संगठन को एक आदर्श संगठन बनाने की स्थिति में नहीं हैं। अभी हमें अपना कार्यालय ऐसे गुप्त स्थान पर रखना पड़ रहा है जहाँ हम लोग 'आसानी' से बातचीत कर सकें। बेशक हमारे काम में रुकावटें आ रही हैं। लेकिन मुझे अपने लोगों की शक्ति पर विश्वास है और मैं बहुत जल्दी ही सारी रिपोर्टों में और कर प्रजा-परिषद का संगठन टूट करने का 'निर्णय' कर रहा हूँ।

11. आपने आगे कहा है कि अभी अपनी 'कार्यकारिणी' की 'दृष्टि' में हमने जो निर्णय किये हैं उन्हें पूरा करने के लिये मैंने अपने सभी मित्रों को काम सौंप दिये हैं। संगठन के साथ-साथ हमारे सामने सबसे पहला सवाल बीकानेर के लोकनेता सर्वश्री रघुवरदयाल जी गोयल गंगादास जी, कौशिक और विद्यार्थी नेता दामोदरप्रसाद मिहल की निर्वासन-आशा को रद्द कराना और इसके लिये निरंतर लोकमत तैयार करना है।

(—) इतिहास

परिशिष्ट (६) का संक्षेप

राजस्थान के राजमाधोसिंह या नाटकीय निर्वासन

बीकानेर के महरी इलाके की गंगानगर प्रजापरिषद के प्रधान राज माधोसिंह जी के बीकानेर से पब्लिक सेपटी एक्ट की धारा ६ के अनुसार दीवान साहब द्वारा निर्वासित किये जाने के जो विस्तृत समाचार मिले हैं उन से मालूम होता है कि परिषद से अलग होकर माझी मांगने से इंकार करने पर ही उनको निर्वासित किया गया है। इसके लिए उनको दो बार मोहलत दी गई। माझी मांगने के लिये पहिलक भी तैयार न होने पर २६ जुलाई को उन्हें घाने में बुलाकर राज्य के पब्लिक सेपटी एक्ट की धारा के अनुसार '२४' घंटे के भीतर राज्य से निकल जाने की प्राइम मिनिस्टर की आज्ञा दिलवा

दी गयी । २० जुलाई को दोपहर के समय उनको एक लारंभिक बंठाकर, जंगल के दर से, गंगानगर शहर के बाहर ३ मील की दूरी पर ले जाकर तीन मासी नहर पर टहराया गया और पुख्तिय के अरसरो गया सिपाहियों की निगरानी में रेल से भद्रिगडा ले जाकर रात को छोड़ दिया गया ।

गुरु २४ जुलाई को रात्र माधोसिंह और बोकानेर के दोवान के बीच जो बातचीत हुई थी, वह काको मनोरंजक थी । दो० साई० जी० पी० ने दुमाधिये का काम किया । बातचीत निम्न प्रकार है.—

दोवान—तुम लोगों ने यह गद्दबदी मचा रखी है ।

रात्र माधोसिंह—गद्दबदी का खुलासा कोशिये, क्योंकि गद्दबदी ई प्रकार की होती है ।

दो०—प्रजा परिषद की गद्दबदी ।

रा० मा०—क्या प्रजा परिषद ऐसी संस्था है जिसे गद्दबदी मचाने लायी कहा जाय ?

दो०—हां ! प्रजापरिषद राष्ट्र विरोधी संस्था है ।

रा० मा०—मैं इस बात को नहीं मानता । प्रजा-परिषद तो राष्ट्र और प्रजा की महा दिव्यी संस्था है ।

दो०—तो तुम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू और जयकाशवापदास से क्यों सम्बन्ध रखने लगे ?

रा० मा०—भारतीय रिवाजने बर्तानिया दुष्टमत्र से क्यों सम्बन्ध रखती है ?

दो०—तुम लोग दुष्टवाक्यारा क्यों गये थे ?

रा० मा०—मैं गया था करके प्रदान को आशानुसार अर्थ करने ।

दो०—तुम्हें अर्थ करने का क्या अधिकार है ?

रा० मा०—विराटमत्र लोगों को महापत्ता काला मेरा हम्नानी लभ है ।

दो०—तुम्हें क्या लक्ष्योप है, तुम करनी लक्ष्योपे करनी ?

रा० मा०—कौन है तकलीफ सुनने वाला ? मैं नहीं मानता कभी तकलीफ सुनी जाती है। यदि सुनी जाती है तो अनेक परिणामी बाहर बैठे हैं, उनकी तकलीफ सुनिये। मेरी तकलीफ आप पूँछ रहे हैं, इसका कारण मैं समझता हूँ। केवल मैं ही तो जनता नहीं हूँ। आप मेरे साथ आइये और हाजत देखिये। दो-दो हार्ड हार्ड मास से रोगियों तक के लिये लेज नहीं मिलता; कपड़े तो मेरे हुए लोगों के लिये भी नहीं। ममूता स्त्रियों तक को खाद नहीं मिल रही। मैं तो यही कहूँगा कि वर्तमान पदाधिकारियों की घूसखोरी व स्वैर्याचारिता ही सच्ची क्रांति तथा राजद्रोही पैदा करने वाली है।

दी०—तुम्हारी जन्मभूमि कहाँ है ?

रा० मा०—भादों तकलीफ नारनीज।

दी०—तुम्हें तकलीफ है तो तुम वहाँ चले जाओ ?

रा० मा०—मैं वैधानिक रूप से वहाँ का नागरिक हूँ, क्योंकि तीन वर्ष से राज्य में रहने वाले को विधान देशी मानता है। मैं तो वहाँ ४० वर्ष से रह रहा हूँ। मेरी आपदा भी राज्य में है।

दी०—अपना तुम्हें तीन घंटे की मोहजत ही जानी है। सोच-समझकर माफी लिख दो, अन्वया निर्वाहित कर दिवें जाओगे।

रा० मा०—भार की मोहजत की मुझे जरूरत नहीं। मुझे १ मिनट की भी मोहजत नहीं चाहिए। आज्ञा-पत्र दीजिये, मैं बड़ा आडंगा।

दी०—मैं रहम करता हूँ।

रा० मा०—भार की मोहजत और रहम की मुझे जरूरत नहीं, मुझे जरूरत है हुजूम की।

हमने वार्ता-संग के बाद राजमाफीविह को बाहर भेज दिया गया और फिर काम को बुराया गया।

दी० म—कीकानेर काजों ने माफी मांग की तुम भी आग लो।

रा० मा०—मैं माफी नहीं माँग सकता ।

इसके बाद एक दिन की मोहलत और देने के बाद राव माधौ सिंह को जबरन निर्वासित कर दिया गया ।

('प्रभात' पत्र में प्रकाशित)

परिशिष्ट (१०)

अनशन के संबंध में सरकारी प्रकाशन-विभाग का वक्तव्य

बीकानेर : राज्य के प्रकाशन विभाग ने समाचारपत्रों में प्रकाशित इन खबरों का प्रतिवाद किया है कि पं० मधाराम तथा इनके पुत्र रामनारायण तथा किशनगोपाल 'गुदर' पिछले दिनों से जेल अधिकारियों के कथित दुर्म्यवहार के कारण भूख हड़ताल पर हैं । वक्तव्य में कहा गया है कि लोग पूर्णतः भूखहड़ताल पर नहीं और बिना किसी जबरदस्ती के स्वतंत्रता पूर्वक ग्लूकोज ले रहे हैं । वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि इन लोगों का दुष्प्रशासना के टाकुर के साथ एक निजी जमीन के फगड़े के सिक्कसिले में आन्दोलन खड़ा करने वाले एक गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होने के कारण दंडित किया गया है ।

(२२—११—४२, वीर अजुन, दिहली)

परिशिष्ट (११)

राजबंदियों के सम्बन्ध में श्री रघुवरदयाल जी का वक्तव्य

बीकानेर प्रजा-परिषद् के भूतपूर्व प्रधान श्री रघुवरदयालजी गोयल ने बीकानेर के भूखहड़ताल राजनीतिक बंदियों के संबंध में निम्न वक्तव्य दिया:—

पं० मधाराम जी और प्रेसीडेण्ट बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् तथा

उनकी हाज़त दिन पर दिन खराब होती जा रही है । घाजी में दर्द, निर्मानिया तथा बेहोशी आदि होने लगी है । ऐसी हाज़त में डाक्टरी सहायता दिये जाने के बजाय, उन्हें संघेरी, टंटी, तंग काल-कोठरी में बंद किये जाने का हुक्म दे दिया गया है । उनके पैरों में लोहे के कड़े बाँधे हुए हैं । मुज्जाकात की सुविधा जेल नियमों के अनुसार जरूर दी गई है । ऐसी तुरी हाज़त में मालूम होता है कि रियासत के अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है । बीकानेर के लोग बीकानेर सरकार के इस भरे-रवैये से बड़े दुःखी हैं, किन्तु हाज़ ही में हुए बीकानेर सरकार के निरंकुश दमन द्वारा उत्पन्न किये गये भय के वातावरण में उसे सार्वजनिक सभा इत्यादि के द्वारा मत प्रकट करने का साहज नहीं । आश्चर्य है जब-बीकानेर महाराज अपनी रियासत को भारतवर्ष की उन्नतिशील रियासतों में से एक बनाया चाहते हैं, उनकी सरकार पीछे रह रही है । समझ में नहीं आता कि इस तीनों चीज़ों का मेख किम तरह बिठाया जा सकता है । (२५-१२-४५ लखनऊ संदेश)

परिशिष्ट(१२)

सरकारी विज्ञप्ति का प्रतिवाद

बीकानेर (हाक द्वारा) बीकानेर सरकार ने हाज़ ही में एक विज्ञप्ति प्रकाशित कराके बतलाया है कि राजबंदियों से स्वेच्छा से अनशन तोड़ दिये हैं तथा डाक्टरी सहायता न देने, जेल-अधिकारियों द्वारा अयमान-अनक व्यवहार करने व संबंधियों से न मिलने देने की लखरें निगधार हैं । इस विज्ञप्ति के कुछ दिन पहले ही बीकानेर सरकार ने एक विज्ञप्ति इन्हीं राजनैतिक बन्दिनों के बारे में प्रकाशित कराके बतलाया था कि वे राजबंदी न तो पूर्ण भूख-इदतल पर ही हैं और न वह राजबन्दी हैं, क्योंकि इन्होंने दूधवापारा के राहुर के विज्ञप्तिरे में आन्दोलन तथा

करने वाले एक गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होने के कारण दंडित किया गया है। दोनों सरकारी विज्ञप्तियां परस्पर विरोधी हैं। एक में उनका अनशन न करना बतलाया जाता है, तो दूसरी में स्वच्छा से अनशन तोड़ना। प्रथम विज्ञप्ति में उन पर एक गैरकानूनी जनसमूह का सदस्य होने का आरोप लगाया गया है, जबकि उसके बारे में दावे के साथ कहा जा सकता है कि वे सिवाय प्रजा परिषद के किसी राजनीतिक संस्था के सदस्य नहीं थे और न प्रजापरिषद बीकानेर सरकार द्वारा गैरकानूनी ठहराई गई है, हालांकि उसको कुचलने का कई प्रकार से निष्फल प्रयत्न किया जा रहा है। राजंधरियों का दुष्वासारा के किसान आन्दोलन से संबंधित बतलाकर बीकानेर सरकार ने स्वतः ही अनशन में उन्हें राजनीतिक बंदी मान लिया है और तदनुसार अनुचित व्यवहार करने पर उनका अनशन करना भी अपनी विज्ञप्ति में स्वीकार कर लिया है; किन्तु साथ ही विज्ञप्ति में उनका स्वच्छा से अनशन तोड़ना व शुरु व्यवहार का न करना भी बतलाया गया है। उनके साथ जो-अवांछनीय व्यवहार किये गये हैं, उन पर तो उसके बाहर जाने पर ही प्रकाश पड़ेगा। विरसनीय खबरों के आधार पर यह निरवयपूर्वक कहा जा सकता है कि उसके गले में रबर की मली डालकर पेट में जबरन दूध उतारने की कोशिश की गई, फिर भी उनकी अवस्था में सुधार न होने की रिपोर्ट जब महाराजा साहब के निजी डाक्टर श्री मेनन ने उनको दी, तब उन्होंने हस्तक्षेप करके जेल सुपरिण्टेण्डेंट को टैलीफोन पर उनकी मांगें पूरी करने व उन्हें राजनीतिक बंदी मान खेने की आज्ञा दी। अपनी शर्तें पूरी हो जाने पर बन्धियों ने अपने ३४ दिन के अनशन को तोड़ दिया। वे १० नं० की कोठरी में बंद कर दिये गये हैं, पर आरवासन के बाद भी उनकी संबंधियों से मिलाई नहीं कराई गई। महाराजा साहब के हस्तक्षेप के बाद भी ऐसी विज्ञप्ति को देख कर सब को आश्चर्य है। यदि बीकानेर सरकार को अपनी सच्चाई तथा ईमानदारी पर पूरा विश्वास था, तो हरिभाऊ उपाध्याय तथा दूसरे पत्रकारों को अनशन के

एक क्यों नहीं मिलाने दिया गया। यदि अब भी उसमें नैतिक साहस है तो सुझी निम्नलिखित बातें करावें।

(२२-१२-४२, बीर अजुन, दिल्ली)

परिशिष्ट (१३)

बीकानेर के सम्बन्ध में रियासती कार्यकर्तों संघ का प्रस्ताव

बीकानेर राज्य से बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं 'दुबवा' द्वारा के किसानों, छात्री-भण्डार और वाचनालय, जैसी राजशासक संस्थाओं पर होने वाले तरह-तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हमल के जो समाचार एक अर्थ से आ रहे हैं, उनमें यह संघ हम लोगों पर पहुँच रहा है कि बीकानेर सरकार वहाँ प्रजासैनिक भावना व किमी प्रजासंस्था को बनाने देना नहीं चाहती, व जो भी ऐसा प्रयत्न करते हैं, तो उन्हें हर तरह से भयभीत कर दिया देना चाहती है। यह संघ बीकानेर सरकार की ऐसी प्रवृत्तियों व कारवाइयों की घोर निंदा करता है। साथ ही यह भीमान बीकानेर नरेश का भी ध्यान इन प्रवृत्तियों की घोर आकर्मित कर उनसे निवेदन करना चाहता है कि यदि वे समय रहते हम निन्दित को न सुधारेंगे व जनता को वहाँ की सरकार या अधिकारियों की दमनकारी प्रवृत्तियों से बचाकर अपने अर्थ में पूर्ण नागरिक स्वतंत्रता नहीं अनुभव करने देंगे व प्रजासंस्थाओं को अपना काम बेरोकटोक नहीं करने देंगे, तो वहाँ न केवल पारस्परिक कटुता ही बढ़नी जायगी, बल्कि ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि जिसमें गृह सहायक सार्व व बीकानेर सरकार तथा वहाँ के प्रजाजन सब को जमी कठिनाइयों और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।

यह संघ बीकानेर के पंडित नागरिकों को भी यह आश्वासन देना चाहता है कि उन पर हुए दमन व अत्याचार में इस संघ की पूर्ण सहानुभूति है और वह बीकानेर राज्य में नागरिक स्वतंत्रता तथा उत्तरदायी शासन प्राप्त करने के प्रत्येक उचित कार्य तथा आन्दोलन में उनके साथ है । इस संघ को भी मथाराम तथा उनके अन्य साथियों द्वारा सरकारी दुर्यवहार के विरोध में अनशन करने तथा उनकी चिन्ताजनक अवस्था सम्बन्धी समाचारों से अवगत चिन्ता है । संघ श्री हरिभाऊ जी को इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच व कार्यवाही का अधिकार देता है ।

श्री हजारीलाल जी जदिया का लोकसुद आदि पत्रों में यह वक्तव्य पढ़कर इस संघ को आश्चर्य हुआ है कि बीकानेर में संघ द्वारा मान्य श्री हरिभाऊ जी उपाध्याय और श्री देशपाण्डे जी की मुजुमात के अवसर पर बीकानेर राज्य की तरफ से सात हजार रुपये दान खाने में खर्च किये गये हैं । इस प्रकार का प्रकाशन इसी उद्देश्य को लेकर किया गया है कि लोगों में भ्रम फैलाया जाय कि संघ के विम्वेदार प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक या अन्य तरीके पर दान लेकर बीकानेर जनता के हित की अवहेलना की है । संघ को अधिकृत रूप से यह जानकर सन्तोष हुआ है कि जो वक्तव्य श्री जदिया जी द्वारा दिया गया बताया जाता है, वह उनका अधिकृत वक्तव्य नहीं है, तथा लोक-सुद के प्रतिनिधि को श्री जदिया जी ने स्वामतौर से यह कद दिया था कि बीकानेर में सात हजार रुपये के दान सम्बन्धी खाने मिला था, परन्तु श्री हरिभाऊ जी ने उनके द्वारा ऐसा दान खिये जाने या स्वीकार किये जाने की बात का खण्डन किया था । श्री जदिया जी ने लोक-सुद के प्रतिनिधि को इस खण्डन को लोक-सुद में स्वामतौर पर प्रकाशित करने को कहा था, परन्तु वह बात प्रकाशित नहीं की गई । इस संघ को अधिकृत रूप से यह भी मालूम हुआ है

वा संस्था को नहीं दिया, अतः यह संघ यह घोषित करता है कि हम यह भी जो शरारत भरी बातें प्रकाशित की गई हैं, वे संस्था विरोधी, गैरजिम्मेदार पत्रकारिता का ही काम हैं और उनकी उद्देष्टा की जानी चाहिए। परन्तु यह संघ भी जड़िया जी से यह मांग करता है कि उक्त कथित वक्तव्य के सम्बन्ध में वे अपना स्पष्टन, दान लेने व न लेने के विषय में अपने विचार प्रकट करें, [अन्यथा लोगों में यह भ्रम होना अनिवाद्य है कि भी जड़िया जी स्वयं ऐसा भ्रम फैलाने के जिम्मेदार हैं।"]

('इन्दुपुर' में स्वीकृत और २-१२-४२ को विरचयित,
दिल्ली में प्रकाशित)

परिशिष्ट (१४)

जयहिन्द की बंदी पर

२० दिसम्बर का दिन। रामपुरीया इस्टरकांसेज में बड़ी क्याम में हाजरी लेने के समय भी इतरकारमाद कौशिक ने 'ग्रेजेटर' के स्थान पर "जयहिन्द" कह दिया, हम पर सारे कांसेज में समझौते फैल गई। कांसेज के अधिकारियों ने कौशिक को निकाश देने की धमकी दी। विद्यार्थी कौशिक भी अड़ गया और जिवित आला चाही, परन्तु प्रोफेसर बोस के हस्तक्षेप करने पर उस दिन मामला रख गया। दूसरे दिन जब कौशिक ने जयहिन्द कहा, तब उस कांसेज में निकाश दिया गया और हम सम्बन्ध में कोई जिवित आला भी नहीं दी गयी।

(२-१-४१, विरचयित, दिल्ली)

परिशिष्ट (१५)

पुलिस ने राष्ट्रीय झण्डे उतारे

बीकानेर, १२ फरवरी । बीकानेर में कल बजाज-दिवस मनाया गया । गत २६ जनवरी को जो राष्ट्रीय झण्डे फहराये गये थे, वे अभी तक फहरा रहे थे । अधिकारियों के अनुरोध पर कार्यकर्ताओं ने झण्डे उतार लेने और फिर अन्य राष्ट्रीय झण्डों पर फहराने का निश्चय किया । किन्तु उसके पहले ही पुलिस झण्डे उतारने के लिये सचेत हो गई । निर्वासित बाबू रघुवरदयाल जी गोयल के मकान का झण्डा उतारने के लिये पुलिस का एक आदमी, जब उनके पड़ोसी के मकान में घुसने लगा, तब मकानदार ने उसे रोका । उस पर मकानदार को हिरासत में ले लिया गया । बाद में वहाँ जाने पर उसे झण्डा नहीं मिला । गोयल जी के मकान में तब तक तो घुसने की जब कोशिश की गई, तब उनकी धर्मपत्नी घर में बाहर आ गयीं । श्री मधाराम जी वैद्य के मकान से भी निशान छगा कर झण्डा उतार दिया गया और रोकने की कोशिश में वैद्य जी की बहन की कलाई में चोट आ गई । एम। एन.डी. श्री के मकान से भी झण्डा उतारा गया । यह सब कार्यवाही रात को हुई ।

(१६. १. ४६ विरकमित्र, दिल्ली)

परिशिष्ट (१६)

श्री होंगलाल शर्मा के वयान का मुख्य अंग

बीकानेर राज्य प्रजासत्तिका के मन्त्रि श्री रघुवरदास उर्फ बीकानेर की गैरकानूनी सरकार द्वारा बीकानेर राज्य में निर्वाचित

कर दिये गये थे, तब बीकानेर सरकार की इस कार्यवाही के विरोध में एक धाम सभारतन बिहारो पार्क में सैनिक के सम्राटक श्री जीवाराम पाण्डियाल की अध्यक्षता में ता० २५ जून १९४६ को की गई थी, जिसमें बीकानेर प्रजापरिषद की कानपुर शाखा के अध्यक्ष भी हीरालाल शर्मा ने भी भाग्य दिया था। इस पर भी हीरालाल शर्मा को बीकानेर सरकार ने उसी रात को २ बजे के करीब गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के सिलसिले में श्री हीरालाल शर्मा ने सरकार की अदालत में जो बयान १ अप्रैल १९४७ को दिया उसका मुख्य संश यहाँ दिया जाता है:—

धीमान्

मैं डिफेंस बीदासर तहसील मुज.नगढ़ का रहने वाला हूँ, यहाँ मेरे परिवार की काफी सम्पत्ति है, हम लोग न जाने कबसे वहीं रहते हैं, मेरे पिताजी हमारे अनेकों की तरह कानपुर में भी का ब्यौदार एक घासे से करते हैं। मैं भी उन्हींके साथ साथ वहाँ रहता हूँ। ... मैं वहाँ की स्थानीय कांग्रेस कमिटी का एक कार्यकर्ता रहा हूँ और हूँ।

जब बीकानेर ने जाग की करवट ली और वहाँ रमरण की गान्धि भंग हुई, तो मेरी दृष्टि हुई कि मैं भी मातृभूमि की सेवा में अर्थात् वहाँ की जनजागृति में भरसक कुछ हिस्सा अदा करूँ। कानपुर में रहते मैंने बीकानेर राज्य प्रजापरिषद की एक प्रचाली शाखा, वहाँ खोलने का आयोजन किया, जो बीकानेरी भाई वहाँ रहते हैं उन्हें उसका सदस्य बनाकर संगठित किया। बीकानेर की समस्याओं पर वहाँ के जनमत को बनाया। ... इतना सब, वहाँ के होम डिपार्टमेंट के लिए काफी था, मैं उसको नज़रों में चढ़ गया, मेरी बदमाश गुन्धों की तरह एक अज्ञान फाइल बना छो गई, जैसा कि हर राजनैतिक कार्यकर्ता के साथ किया जाता है और मेरी भी निगरानी रखी जाने लगी ! कुछ गुप्तचर कानपुर तक मेरे बारे में जानकारी करने और मेरी दृष्टियों पर निगरानी रखने भेजे गए*** ।

यह थागा कि मैं बीकानेर आया, मीका वहाँ के कुछ कार्यकर्ता गोपस्य खादि की निर्वासन खाजा तोड़ कर गिरफ्तार होने और उनके विरोध में बीकानेर भर में सभाएँ तथा प्रदर्शन करने का था। बीकानेर में एक सभा का आयोजन उपर लिखे कारण से किया गया और वक्ताओं के खलावा में भी बोला। मुझ पर जिस किस्म के भरो, धोड़े, जजाजत भरे इश्टामात खगाये गये है, वे हरगिज सही नहीं है। वे सब शरारत भरे हैं। उनके पीछे एक बुरी नीयत और बड़ा हाथ है, बंधों हैं, इसका जकर मैं खागे खलकर करूंगा।

राजनीति में मैं गांधीवादी हूँ मेरा सत्य, अहिंसा में पूरा विश्वास है और मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं इन सिद्धान्तों पर चलूँ और आचरण इन के अनुकूल बनाऊँ। बीकानेर राज्य परिषद् का उद्देश्य है कि कि वैधानिक और शान्तिमय उपायों द्वारा महाराज की खलावा में उत्तरदायी शासन प्राप्त करना कि जिसका वाचन्द मैं सदा से हूँ और जब तक यह उद्देश्य है रहूँगा। मैंने उस काम पर दखलत किये हैं जिसमें यह उद्देश्य साफ-साफ बड़े शब्दों में लिखा है। ... मैंने अपने भाषण में महाराज बीकानेर का नाम हरगिज नहीं लिया, न उनकी कान पकड़कर निकालने या हटाने की बात कही। अगर मैं सार्वजनिक कार्यकर्ता के नाते अपने जमीर का सन्धा होऊँ, जैसा कि मैं हूँ और अपने आपको मानता हूँ तो फिर ऐसी बात कैसे कह सकता हूँ, न ऐसी बात कहने की कोई जरूरत मानता हूँ। ... हाँ, यह उद्देश्य है कि मैं अपने भाषण में पारचाय देश के राजाओं की मिसाल देकर, उनके उनकी प्रजा के साथ किए गए अत्याचारों, प्रजा से उनके सम्बन्ध और उनके अन्तिम परिणामों पर जकर रोशनी डाल रहा था और उन मिसालों से वहाँ के इस देश के राजा-महाराजाओं से भी सबक लेने या सीखने के लिए अपील कर रहा था कि भाड़े के शरारतियों में पूर्ण निर्धन्य के अनुसार शोर मचाकर मीटिंग भंग कर दी मैं करी नहीं भागा, भागने का कहना गंजत है, मैं वहाँ रहा, मुकद्दमा खजाने

की बात पीछे सोची गई है, जब कि एक बड़े अफसर के घर एकठे होकर मीटिंग-भंग करने का इनाम तकसीम कर यह निश्चय किया गया।

मैं यह बात भी मानता हूँ कि सत्ता का श्रोता जनता है, यह बात जनता ही हमेशा अपनी भलाई के लिए किसी को भी सौंप देती है और शूँकि यह सत्ता उसकी सीधी हुई होती है, इसलिए यह हमें कभी भी उसके (सत्ता के) ठीक उपयोग न करने अपना दुस्वयोग करने पर अथवा जिस काम केलिए वह सौंपी गई हो, उस काम में न जाने पर बापस ले लेना, अथवा लेकर, किसी भी दूसरे स्थितियों के समूह को, जिसे या जिन्हें वह उस काम के लिए ठीक योग्य और उचित समझे दे देने, सौंप देने का अधिकार रखती है। मैं किसी स्थिति या स्थितियों या परिवार का दूसरे स्थितियों या जनसमूह पर शासन करने, राज्य करने या अधिकार जमाए रखने का नैसर्गिक अधिकार नहीं मानता। मैं यह निश्चित मानता हूँ कि कोई भी स्थिति या स्थितियों का समूह या परिवार, जन साधारण पर उसकी इच्छा के विरुद्ध जोर डरम से, अपना अधिकार या सत्ता, अधिक दिन तक जमाए रखने में सफल नहीं हो सकता। ऐसी कार्यवाहियों का निश्चय परिणाम बड़ी होगा है जो पारलौक्य देशों में राजाओं के साथ बड़ी भी जनता ने दिया है। "यदि इन माम्यताओं का रक्षना, बनाना, और ऐसा मानने हुए मरणाई से उसका बदना, बचाव करना, अपराध है तो मुझे सबसे बड़ा अपराधो माना जाना चाहिए इसमें कोई संदेह नहीं और मुझे बिना किसी शिषासन के बड़े या बड़ा बड़ा दरद जो कभी कानून में हो, बाव दे सकते हों, दिया जाना चाहिए और मैं ऐसी बलिबेदी पर पुर्बल होने में अपना मौख समझूँगा, क्योंकि हम अपने में से पहले कई महापुरुष जा चुके हैं, जो रहे हैं और अल्प में भी जायेंगे"।

मुझे खेद, दुःख तथा आश्चर्य है कि मेरी बातों का उलट-धुलट और गलत, शकव, किसी गर्ज भाजापत्र से रखकर, मुझ पर मुझ्मा खलाने की मंजूरी लेकर मुझे एक इतने बड़े मुझ्मे में फंसाकर बिना किसी वास्तविक कारण के जा खड़ा किया गया। लेकिन सारी इस बात की है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं सच्चा हूँ। यदि उचित बात के कहने, लिखने पर पीस भी दिया जाईगा तो क्या ?

हमें आज भी नागरिक अधिकार सच्चे मायनों में नहीं है। बोलने, लिखने पर, गलत, बेबुनियाद, बढ़ावों से रूकावटें हैं और लिखने की तो कोई सोच ही क्या सकता है, उस पर दकियानूची प्रेस एक्ट और पब्लिक सेफ्टी एक्ट की नंगी तखवारें खटकी हुई हैं। हाँ तारामाय रावज जैसे को शायद मंजूरी मिल सकती है।

बीकानेर की गैरजिम्मेदार सरकार सदा इस कोठिया में रही कि बीकानेर में जन-आगति न हो, यहाँ रंसशास की शांति बनी रहे, बीकानेर बाहर की दुनिया से एक अलग जगह बनी रहे। ... दासी, मैसिया, केदार, राजख जैसे खरीदे हुए व्यक्ति हर काम के लिए तैयार हैं, जहाँ जैसी जरूरत हो, उन्हें खगाया जा सकता है। उसके लिए, जितना घोषा कहा जाय और वायी पर संभव रहा जाय, उतना ठीक है।

२८-२-४६ को भी प्रथम मीटिंग बीकानेर के राजनैतिक इतिहास में अक्षर के भी मास्टर भोजामाधवी के प्रयास से को शासना खाडीपत्र की ओर के सिखमिने में संघेजी ऐनिक "हिन्दुस्तान टाइम्स" के विशेष प्रतिनिधि के साथ साथ हुए थे, हुई उसने बीकानेर की गैरजिम्मेदार सरकार कोलखा गई और वह उसने जन-आगति के बढ़ते प्रवाह को रोकने में अपने चापको अपमर्ष पाया, वह उसने मुहाबजे में मीटिंग करने, सरकारी नकली संस्थाप्य करी करने, परिषद की मीटिंग को रंग करने, उसके कार्यकर्ताओं पर मुझ्में बनाने शुरू किये, कि जिसका प्रथम शिकार हम दिन की

मीटिंग और मैं हुए। उसके बाद से आज तक सरकारी दफा चालू है। उधर उत्तरदायी शासन देने की बात है, इधर नागरिक अधिकारों को दबोच कर दफा चल रही है, समझ में नहीं आता कि इन दोनों बातों का मेल कैसे बैठता है। क्या उत्तरदायी शासन अनुत्तरदायी व्यक्तियों के हाथ में देने से काम चल जायेगा। ...राजिंदरशाही ब्रिटिश सरकार ने भी ठीक इसी प्रकार की कार्रवाइयाँ की थी। हमारी सरकार को भी बजाय सारी गलतियाँ और बेहूदगियों का अनुभव करके कदुवा फैलाकर रास्ते पर आने के समझे, वहाँ की परिस्थिति के अनुभव से शिवा प्राण कर ठीक बात को ठीक तरह से, ठीक समय पर करना, जान लेना, सीख लेना चाहिए, नहीं तो समय निकल जाने पर हमें पछताना पड़ेगा।

मेरा विचार कार्रवाई में हिस्सा लेने का नहीं था, लेकिन कई मित्रों, सम्बन्धियों के आग्रह ने मुझे विवश किया और मैंने हिस्सा लिया और इसीलिए यह बयान भी देता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज का न्याय विभाग भी उसी गैरजिम्मेदार सरकार का एक अङ्ग है, और आप भीमान उसका एक पुत्र। लेकिन फिर भी आप मानव हैं, आप भी बीकानेर के नागरिक हैं, ...आपकी स्वतंत्र राय में यदि मैंने कोई अपराध किया है तो कड़ी से कड़ी सजा दें और यदि अन्यथा हो, तो फिर सोच लें कि आपको साहस के साथ क्या करना है। यह शरीर, वह पद सब नश्वर हैं, आज हैं, कल नहीं भी हो सकते हैं। एक बन्दी और कड़-झिल भी क्या सकता है।

बीकानेर स्वतन्त्र भारत के साथ फूले-फूले, लीज ही ठीक प्रकार का उत्तरदायी शासन का उपभोग करे, वही कामना है। जय हिन्द।

परिशिष्ट १८

अदालत सिटी मजिस्ट्रेट सदर राज श्री वीकानेर
तजवीज (निर्णय)

तजवीज अदालत व इजलास में दुर्गादत्त जी कीराडू,
वी. ए. एल. एल. बी, सिटीमजिस्ट्रेट सदर
मुकदमे का नम्बर २३६ सन ४६
सीगा (विभाग) नम्बरी, फौजदारी

राज

बनाम

बभूदा उर्फ रामनारायण बहद मघाराम ब्राह्मण सा० वीकानेर
सोइशला जमूसर दरवाजा बाहर मुलजिमान

जुर्म दफा ३८४ सा० बी०

जिस तरह से यह मुकदमा जहूर में आया उसके वाक्यात् इस
तरह पर है कि रामकिसन दागा सा० वीकानेर जो कलकत्ता से वीकानेर
शायं हुआ था, यह अपनी औरत व लड़के जगन्नाथ व उमर ११ साला
से वीकानेर छोड़कर और ८४००) के नोटों की नई गट्टीयां ट्रंक में
बन्द करके बाधिल चला गया और चाबियां अपनी बीबी को दे गया। यह
चाबियां उसके लड़के के पास भी रहा करती थी। जब वह कलकत्ता से
वापिस आया और कपड़े रखते वरत नोट संभाले तो तीन गट्टी नोट
(१) व एक गट्टी एक-एक के नोटों की कुल १६००) नहीं मिले।
छु-ताव्र करने पर उस के लड़के जगन्नाथ ने बतलाया कि बभूदा बहद
मघाराम ने उस को पकड़ कर घुरी दिसा कर कहा कि तुझे अभी जान
ने मारदूंगा धरना तेरे घर से काफी रुपये लाकर दे दे। इस हा व
अम्की में आकर उसने १५००) के नोट २) ५) के १००) के नोट एक-
कवाले मुजजिम को देदिये। इसपर उसने बभूदा की ताव्राश की मगर

यह नहीं मिला। दौरान ताज्जारा में उसको गनेशदास से पता चला कि
 बपूदा मुज्जामि ने १२१) में इक्का-घोड़ा खरीदा है। हम बाके की
 इत्तला रामकिसन ने सिटि पुलिस बीकानेर में ता० १८१-२-४३ को रपट
 जिस की नकल ८ X P I है दी जिस पर मुकदमा जेर दफा ३१२
 ता० बी० कायम किया जाकर तफतीश शुरू हुई। दौरान तफतीश में
 मु० मोहम्मद रमजान S. P. I. ने ता० १८-१२-४३ को ८६४)
 गनेशदास गवाह से बरामद किये और मुस्तगीस से बाकी रुपये मु०
 नोपसिंह ने बजरीये फर्द EXP4 तदबीज में लिये। इस
 तरह से पुलिस की तरफ से बपूदा के न मिलने पर ब
 जुर्म दफा ३६२ ता० बी० का खालान वास्ते कारवाई दफा २१२
 जा० फो० पेश किया गया, जिसमें शहादतें लिये जाने पर अदालत
 हाजा से १२-७-४४ को राजवी श्री अमरसिंह जी सिटी- मजिस्ट्रेट
 ने यह हुकम दिया कि जुर्म ३६२ ता० बी० नहीं बनता, बल्कि ३८४
 ता० बी० बनता है। इस पर पुलिस की तरफ से मुकदमा जेर दफा
 ३६२ ता० बी० बजरीये फाईनल रिपोर्ट खारिज कराया जाकर साइब
 D. M. सदर से २६-६-४६ को मंजूरी हासिल की जाकर बपूदा
 मुखजिल के खिलाफ इस्तगसा ब जुर्मदफा ३८४ ता० बी० ता०
 १६-६-४६ को पेश किया है।

इस्तगसे की ताईद मे मु० नोपसिंह मु० मोहम्मदरमजान, गदंश
 दास, गनपतलाल, हरसचन्द्र, किरान गोपाल, मु० कृपालसिंह, S.P.P.
 पूनमीया गवाहान की शहादत कराई गई है।

मु० मोहम्मद रमजान S I P का बयान है कि उसने ८६४) के
 नोट गनेशदास गवाह से बरामद किये थे जिसकी फर्दकी नकल EXPO
 मुताबिक असल है। उसने गोपालकिशन से इक्का-घोड़ा बरामद किये
 थे, जिस की फर्द की नकल EXP 10 है। गनेशदास का बयान है
 कि उसके पास से मुज्जामि ने इक्का खरीद किया था। (१२०) में
 खरीदा था। (१००) नकल देदिये थे, (१२०) की खोटी खिलाकर दी थी।

मुजत्रिम ने घोड़ी भी उससे खरीद की थी। इस तरह से १२२) में पक्का-घोड़ी का बेषाण उसने गनगत अजिनवील से और दरपारत मुम्तकली लाईमेंस लिखकर देदी। म्यूनीमिपलबोर्ड वालों ने कहा कि दो दिन बाद लाईमेंस मुन्तकिल करा लेना। इस पर मुजत्रिम व वह घर आगये। मुजत्रिम यह कह कर कि उसके घर इक्का-घोड़ी बांधने की जगह नहीं है, उनको कोठरी में छोड़ गया। दूसरे दिन मुजत्रिम इक्का घोड़ी लेगया। इसके बाद पुत्रिम आई और बभूदा के दिये हुए ८१४) लेगई। गनपतल्लाह गवाह १२२) की रसीद EXP 7 व दरपारत मुम्तकली लाईमेंस EXP 8 की असल अपनी लिखी हुई होना बयान करता है। हरसबन्द गवाह पिट्टी EXP 6 की असल बभूदा के कहने से लिखना बयान करता है। किरणगोपाद गवाह मुजत्रिम का गनेरादास से इक्का १२०) में मोल लेकर बिहा लिखना व अब पिट्टी में लाय करना बयान करता है। मु० श्यामसिंह ११। इस्लामाया EXP 12 की तसदीक करता है। पूनमीया गवाह का बयान है कि १-४ साल की बात है गनेरादा की कोठरी में जुपा हो रहा था। वही पर गनेरादा व मुजत्रिम ने इक्का घोड़ी खेन-देन की बात-चीत की थी। मुजत्रिम के पास १०) १०) के मोट थे। किरने मोट थे, गिने नहीं। न यह पता कि उसके पास मोट कहाँ से आये।

मु० मोपसिंह C I हाजान तकलीली बयान करते हैं। हम मुकरमे में रामकिशन व अगम्नाथ गवाह की शहादत अरम थी, जो इस्लामाये की तरफ से मांइखन दिये जाने पर भी पेश नहीं किये गये। हम गवाहान की शहादत ऐसी थी जिससे इस्लामाये को तकलीलत पहुँच सकनी थी। इसके अलावा कोई ऐसी शहादत हम मुकरमे में मुजत्रिम के लिखाफ हम अमर की पेश नहीं हुई है कि किसी के मुजत्रिम को अगम्नाथ से बचरीये इस्लामाये बिल अजर के साथ अपने हाथियर करते देखा हो। जो गवाहान हम मुकरमे में पेश हुये हैं उनकी शहादत से अरज यह पता चलता है कि मुजत्रिम ने गनेरादास से घोड़ी व इक्का

खरीदने की बातचीत की और उसकी बाबत लिखा पढ़ी हुई। इससे यह नहीं माना जा सकता कि मुल्जिम ने जगन्नाथ को डरा-धम कर रुपये हासिल किये हों। पूनमीया गवाह को इस बात के सार्थ करने के लिये पेश किया गया कि मुल्जिम के पास ₹) २) के प की गद्दी थी और उसके सामने मुल्जिम ने रुपये जगन्नाथ से छा वयान किया था। मगर इस्तगाला इस गवाह के बयान से इस बात साबित करने में कासीर रहा है। ऐसी सूरत में जब तक कि मुल्जिम खिलाफ कोई सरीद शहादत extortion के मुताबिक न हो, व फतवा देना कानून इस्लाम नहीं कि मुल्जिम ने इसतहसाल खिल खरीये जगन्नाथ से रुपये हासिल किये हों। रुपये की कोई शनाकत नहीं हो सकती, इसलिये नहीं कहा जा सकता कि बरामद एरा रूप मुस्तगीस के ही हैं। मुस्तगीस ने रिपोर्ट भी बहुत देरी से की है इन तमा हाजात को देखते हुए मुल्जिम के खिलाफ Prima facie cas नहीं बनता और इस कदर सच नहीं है कि मुल्जिम को जवाब देने में मसकूह किया जाये। रुपये गनेश गवाह के कदमे से बरामद किं गये हैं और यह रुपये अब छोड़े व इसके की कीमत के रहे, जो इराक व छोड़ी मुल्जिम ने गनेश गवाह से खरीद किया था, इमतिन् इराक व छोड़ी मुल्जिम को मिखने चादिन् और रुपये गनेश गवाह को मिखने चादिये, जिनमें कि रुपये बरामद हुये हैं। तदुकीहात से चादिबुन बजरी में जुर्मंतर दया ३८४ ता. बी. नहीं बनता और यह बिना केने जवाब काबिल रिहाई है जि०

व अदम सचन हुबम हुआ कि जुर्म दया ३८४ ता० बी० ४२१। मुल्जिम रिहा हो। रुपये जो गनेशदास गवाह से बरामद हुए हैं वह बार मिवाद खरीज अबकी व बाकी सामकिलन को दिये जायें। इराक छोड़ी मुल्जिम को दिये जायें, हुकम मुनाया गया। मिखल दायिये दखल हो।

परिशिष्ट (१६)

बोकानेर राजन प्रजापरिषद के लिए जनता से प्राप्त
चन्दे का व्यौरा

१२ अप्रैल १९४५ से ५ जुलाई १९४५ तक

१) श्री रावमाधोसिंहजी गंगानगर	१) श्री जीवनदत्त शर्मा गंगानगर
। श्री श्रीरामजी आचार्य बीकानेर	२) श्री अभय कुमारजी "
१) श्री घेवरचन्दजी तमोली "	२) श्री गिरधरलालजी "
। श्री किशनलालजी सेवदा "	१) श्री गणेशी लाल जी "
। श्री बननालाल जी राठी "	२५) श्री घेवरचन्दजी तमोली
। श्री माधोसिंह जी "	बीकानेर
१) श्री चिरंजीवालजीसुनार "	२) श्री शंकरलालजी "
। श्री मुञ्जतानचन्द जी चौहान	२) श्री चम्पालाल जी "
बीकानेर	२१) श्री प्रतापसिंहजी कोठारी पूरू
। श्री कुंजबिहारीसिंहजी "	। श्री परमेस्वरजी पारोक "
। श्री सोहनलाल जी "	। श्री गुलाबराजजी कोठारी "
। श्री किशनगोपालजी सेवदा "	२) श्री सुगनचन्दजी लखोटीवा "
। श्री गोपीकिशन जी सुनार "	२) श्री जीवनरामजी मूर्दा "
। श्री मोहनलालजी स्वामी "	२) श्री लक्ष्मीनारायणजी बीकानेर
। श्री माणिकलालजी मूधदा "	१) श्री बदरीनारायणजी राठी "
। श्री चम्पालालजी "	१११) श्री द्वारकादासजीस्वामी "
। श्री विश्वनाथजी "	१००) घेवरचन्दजी तमोली "
। श्री मांगीरामजी "	४६०) गुप्त सहायता
। श्री रामरत्नजी "	
। श्री रामरत्नजी गंगानगर	०२५) कुल सहायता
। श्री हरिश्चन्द्रजी शर्मा "	६४६)। श्री मघागम वैद्य जी
। श्री सेवाराम जी "	छोर से व्यय
। श्री सुर्वपाल चर्मा "	१३७१)। प्राप्ति का योग

बीकानेर राज्य प्रजापरिषद् के स्वतंत्र व्यय का व्यौरा

१२ अप्रैल १९४५ से ५ जुलाई १९४५ तक

२॥) परिषद् के कार्यकर्ताओं का फोडू खिचा ।

४३१।-) ॥ परिषद् के प्रचार कार्यमें भ्रमण, रेल, तांगा और विज्ञापन आदि में ।

११०।-) ॥ टाकसर्च, स्टेशनरी व शहर में तांगा किराया ।

४०।।।३) ॥ राष्ट्रीय वाचनालय का मकान किराया, नौकर का वेतन और समाचारपत्रों का मूल्य ।

६०) प्रजापरिषद् के प्रचारार्थ कलकत्ते जाने के लिए धीमूलचन्दजी पारीक को १०)। खादी के लिए धी दामोदर प्रसाद जी को ।

(खादी मन्दिर कैशमिमो न० ७६ ता० ६. ६. ४२)

६२४।।।२) ॥ दुधवाहारे के हजमना २०० किसानों को भोजन कराने में व्यय (२६. ६. ४२ से ६-४२ तक)

४०।।३) दुधवाहारे के किसानों पर किये गये अध्याचारों के सम्बन्ध में पंडित जवाहरलालजी नेहरू, देश के अन्य नेतागणों और बीकानेर के महाराज को दिये गये तारों का व्यय ।

१३७१) ॥ व्यय का योग

—चम्पाबहाल उपाध्याय
मंत्री,

बीकानेर राज्य प्रजापरिषद्

‘आजाद हिन्द प्राति’ को हिन्दी में अमर बनाने वाले

“मारवाड़ी प्रकाशन”

का अर्थ है

“क्रांतिकारी प्रकाशन”

ये प्रकाशन बहुत ही सस्ते, अत्यन्त लोकप्रिय, छोटे बड़े-बूढ़े सबके लिये उपयोगी और मुर्दा ‘नसों’ में भी देशप्रेम की भावना को जगाकर दिव्य प्रगति की प्रचण्ड भावना को उद्दीप्त करने वाले हैं। सभी परिवारों, सभी पुस्तकालयों, सभी वाचनालयों और सभी पाठशालाओं में इसकी एक-एक प्रति अचरय रहनी चाहिये। कथा की तरह रोचक, नाटक की तरह मनोरंजक, उपन्यास की तरह मनोहर और इतिहास की तरह रुचिकर इन प्रकाशनों को हाथ में लेकर पूरा पढ़े बिना पाठक दौड़ ही नहीं सकता।

‘युरोप में आजाद हिन्द’

पृष्ठ १५०

मूल्य २)

चित्र एक दर्जन

हिन्दी के सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री सायदेव विद्यालंकार और बेंगलूर (पार्सलैण्ड) से प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र ‘आजाद हिन्द’ के सम्पादक सरदार रामसिंह शवल ने इसकी बड़ी मेहनत और कोशिश से जिला है। इसकी भूमिका में सुप्रसिद्ध समाजवादी नेता आचार्य मोहनदेव जी जिलते हैं कि “युरोप में सुभाष बोस ने जो कार्य किया था, असुल पुस्तक में उस का इतिहास मिलता है। हिन्दुस्तानी क्रांतिकारियों ने पहिले महापद के दिनों में और उसके बाद जो काम किया था, उसका इतिहास भी हममें दिया गया है। बड़े परिश्रम से इसका संकलन किया गया है। खेतनरीही बर”

आनन्द मिश्रता है। अगस्त क्रान्ति के इतिहास के इस अध्याय का यह विवरण पाठकों के लिए रुचिकर होगा।”

ब्रिजिन में कापम की गई आजाद हिन्द फौज के मुक्तमोगी वीर फौजियों से इसकी सामग्री इकट्ठी की गई है। नेताजी और आजाद हिन्द फौज के सर्वथा नये और दुर्लभ एक दर्जन चित्र इस में दिए गए हैं। तिरंगा टाइल है।

पूर्वीय एशिया के सम्बन्ध में तो दर्जनों पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, किन्तु यूरोप के सम्बन्ध में लिखी गई यह पहली और चकेली ही पुस्तक है। हर राष्ट्रप्रेमी को इसे जरूर पढ़ना चाहिए।

‘करो या मरो’

तिरंगा आकर्षक टाइल

मूल्य ?)

विद्रोही नेताओं के बोझते चित्रों के साथ अगस्त १९४२ की सुजी बगावत की उज्ज्वल आंकों: महाविद्रोह की घचकती चिनगारी को प्रखलित रखनेवाले “करो या मरो” महामन्त्र को अमर कहानी: भूमिका के रूप में “लड़ाई के मैदान” में शीर्षक से राष्ट्रीय सरकार के प्रधान-मंत्री परिदल जवाहरलालजी नेहरू के विचार।

विद्रोह की चिनगारी, सुजी बगावत की घोषणा, सुजी बगावत के लिए नेताओं के आह्वान के साथ अगस्त क्रान्तिक संक्षिप्त इतिहास फौलाद की कलम से खून की-सी लाल स्याही से लिखा गया है। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस और तुर्की में हुई क्रान्तियों की कहानी भी इसमें दी गई है।

क्रान्ति, विद्रोह या बगावत की गीता के रूप में लिखी गई यह पुस्तक निराश हृदयों में आशा का अंचार कर सुर्दा नलों में भी देशप्रेम और राष्ट्रभक्ति का जोरा पैदा करने वाली है। हर युवक के पास इसकी एक प्रति रहनी चाहिए।

टोकियो से इम्फाल

दृष्ट २२४

मूल्य २।।)

लगभग २१ चित्र

बैंकोक से इम्फाल तक तीन हजार मील पैदल आने वाले, 'आजाद हिन्द' पत्र के सम्पादक, आजाद हिन्द सरकार के प्रकाशन विभाग के क्लर्क, स्वर्गीय श्री रामविहारी बोस के प्राइवेट सेक्रेटरी तथा नेताजी परम विश्वासपात्र सरदार रामसिंह रावल और हिन्दी के सुप्रसिद्ध प्रकाशक तथा यशस्वी लेखक श्री सत्यदेव विद्यालंकार ने इसको उपन्यास रंग पर कहानी से भी अधिक मनोरंजक भाषा में लिखा है।

मेजर जनरल शाहनवाज साहब लिखते हैं कि "जो पुस्तकें आजाद हिन्द के सम्बन्ध में अब तक लिखी गई हैं, वे अधिकतर ऐसे लोगों की हैं, जिनकी जानकारी पूरी नहीं है। इसके लेखक सरदार रामसिंह रावल और श्री रामविहारी बोस के साथी होने से एक सुयोग्य और अधिकारी बन गए हैं। जो लोग आजाद हिन्द इन्कलाब के बारे में सच्ची और ठीक जानकारी प्राप्त करना चाहें, उनसे मैं इसकी पढ़ने की सिफारिश हूंगा।"

हिन्दी में प्रकाशित होने के बाद अब यह अंग्रेजी, तैलंगू, गुजराती और उर्दू आदि में भी प्रकाशित हो रही है। नेताजी के सर्वथा अलम्य नेकों चित्र इस पुस्तक में पढ़नी ही बार प्रकाशित किये गये हैं। हरिद्वार अत्यन्त आकर्षक है।

अगस्त क्रान्ति की लक्ष्मीबाई धीमती भरव्या ने इसकी भूमिका ली है।

“राजा महेन्द्रप्रताप”

मूल्य १।।)

अनेक चित्र

देश के महान क्रान्तिकारी नेता की यह क्रान्तिकारी जीवनी क्रान्तिकारी भाषा में लिखी गई है। १९१४ के महापुरब में तिरुपम-

बाजी से जर्मनी पहुँच कर कैसर विलियम से मिल कर अफगानिस्तान में आजाद हिन्द सरकार और आजाद हिन्द फौज कायम करके अंग्रेजों के हकूमत पर हमला बोलने वाले, छाया की तरह पीछा करने वाले अंग्रेजी फौज से बाक-बाक बच निकलने वाले, देश की आजादी के लिए युद्ध में ३२-३३ वर्ष बिदेसों में बिताने वाले, इसी युद्ध में संसार के कई बार परिक्रमा करने वाले, अत्यन्त साहसी और परम देश-भक्त राधा महेंद्रप्रताप के साहसपूर्ण कहानी, जो हर देशवेसी युवक के पदवी चाहिये ।

“लाल किले में”

मूल्य २।।)

एक दर्जन चित्र

१८५७ के स्वतन्त्रता-संग्राम के बाद हिन्दुस्तान के अन्तिम सशस्त्र बहादुरशाह पर और अब आजाद हिन्द फौज के बहादुर अफसरों पर चलाये गये मुकदमों के इतिहास के रूप में आपको हममें होने हुए युद्ध मूर्त के समय की दृष्टि भी चाहें और उगने हुए मूर्त के समय के सम्बन्ध भर धराने दोनों ही पढ़ने की मिलेंगे ।

“जयहिन्द”

मूल्य २.)

हमारे आज पक्षों में १८५७ से १९४७ तक की ९० वर्षों की लंबी आज्ञा अन्तिम का उपखण्ड, मान्यता और अंग्रेजों के इतिहास के रूप में लिखा गया है । दिग्दर्शी की मान्यता के रूप ही दिग्दर्शी में हमको उल्लेख कर दिया था । फिर भी १९४९ में दिग्दर्शी में अंग्रेजों के युद्ध युद्धों में यह सबसे अधिक संख्या में यह दिग्दर्शी है । आज यह अंग्रेजों के अन्तिम अंग्रेजों के अन्तिम

“आजाद हिन्द के गीत”—मुख्य ॥) । यूरोप और पूर्वीय एशिया में आजाद हिन्द इन्कलाब की सहर में सदाई के मैदान में,

गाये गये मुर्दा नशों में भी राष्ट्रप्रेम और देश-भक्ति का ओश पैदा करने वाले गीतों का अपूर्व संग्रह ।

“राष्ट्रवादी दयानन्द”—मुख्य १०) । तीसरा संस्करण । चार्य-समाज के प्रवर्तक महान क्रान्ति के द्रष्टा स्वामी दयानन्द और चार्य-समाज के सम्बन्ध में क्रान्तिकारी दृष्टि से लिखी गई यह पहली और अकेली ही पुस्तक है ।

“परदा”—मुख्य ३) । दूसरा संस्करण । साहित्य सम्मेलन का भी राधानोहन गोकुलजी पुरस्कार सबसे पहिले इसी क्रान्तिकारी पुस्तक पर इसके सशस्त्री लेखक भीसरवदेवविद्यार्जकारको दियागया है । भीमती जानकीदेवी वजाज और परिष्कृत जनाहरखाल नेहरू ने इनकी मुक्तकण्ठ से सराहना की है । एक दर्जन ब्यंग चित्रों से पुस्तक की उपयोगिता और भी बढ़ गई है । परदे की घातक कुमपा के बारे में लिखी गई इस पुस्तक के घर में आ जाने पर सामाजिक रुढ़ियों और अन्धविरवासों का अन्धेरा घर में रह नहीं सकता ।

“कल्पना कानन”—मुख्य २) । पन्नी सुनहरी जिन्द । बरार केसरी भी मित्रकाल जी विद्याणी ने बेओर जेल में बन्दुक्त नयी शैली में कुछ कल्पनात्मक कथानक लिखे हैं । इन की भाषा का प्रवाद उपन्यास, नाटक और कहानो का भी मात कर गया है । पाठक इनमें तन्मय होकर लेखक की कलम को घूम लेना चाहेगा ।

राष्ट्रपति कृपलानी—मुख्य ११) । चाचार्य कृपलानी उन राष्ट्रीय नेताओं में से हैं, जिनमें ने अपनी सेवा और साधना से ‘राष्ट्रपति’ के उच्चतम गौरवास्पद पद को प्राप्त किया है । उन्हीं की सचित्र जीवनगाथा इस पुस्तक में उवलन्त भाषा में दी गई है ।





